राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] तेरहवीं विधान सभा के छठे सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या : 10

मंगलवार,

15 मार्च, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप कसाना।

छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार हेतु दोषी शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही

145. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत दो वर्षों में प्रदेश के विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा शराब पीकर आने की कितनी घटनाएं हुईं? अध्यापकों के नाम तथा उनके शराब की मेडिकल मुआयना रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा छात्राओं के साथ छेड़छाड़ तथा अश्लील हरकतें करने/बलात्कार करने की घटनाएं हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में तथा किस-किस अध्यापक के द्वारा और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) प्रदेश के विद्यालयों में गत दो वर्षों में अध्यापकों द्वारा शराब पीकर आने की 18 घटनाएं हुई हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट-क में अंकित है। जिन अध्यापकों का मेडिकल करवाया गया था, उनकी मेडिकल रिपोर्टों की प्रतिलिपियां परिशिष्ट-''ख'' से परिशिष्ट ''च'' तक संलग्न हैं।

(2) जी हां। विद्यालयवार विवरण व संबंधित अध्यापकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ''छ'' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रतिलिपियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): माननीय मंत्री महोदय, आपने बताया कि पूरे राजस्थान के अन्दर 18 घटनाएं हुई हैं, उनमें से सिर्फ 5 अध्यापकों का मेडिकल मुआयना हुआ। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है यह आपने इसमें नहीं बताया है। शिक्षा के मंदिर में जो अध्यापक शराब पीकर जाते हैं, उनके विरुद्ध भी सरकार कार्यवाही नहीं करे और उनमें भी मेडिकल मुआयना हुआ, वह सिर्फ पांच लोगों के विरुद्ध। आपने दूसरा जो बताया है, छेड़छानी की घटना पर वह मात्र पाँच छह लोग बताये, उनमें भी आपने 16 सीसीए और 17 सीसीए के नोटिस दिये। इतना जो संगीन अपराध किया, क्या सरकार आने वाले समय में उनके विरुद्ध और कठोर कार्यवाही का निर्णय लेने का विचार रखती है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शराब पीने की घटनाएं 18 अध्यापकों ने स्कूल के अन्दर की हैं, उनमें नम्बर एक, जिला टोंक श्री रामप्रसाद चौधरी, अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बहकवा द्वारा दिनांक 8.12.2010 को विद्यालय में शराब पीकर आने की घटना पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) टोंक के आदेश से दिनांक 10.12.2010 को निलम्बित किया गया है तथा आदेश दिनांक 14.2.2011 के द्वारा सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया गया। अध्यापक का मेडिकल मुआयना करवाया किन्तु थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, न ही कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 18 सभी का बताऊं आपको? दूसरा है, टोंक जिले का ही है, श्री सीताराम शर्मा, अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पालड़ा को दिनांक 2.2.2011 को विद्यालय में शराब पीकर आने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक के आदेश से 2.2.2011 को निलम्बित किया गया व आदेश दिनांक 14.2.2011 के द्वारा सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया गया। अध्यापक का मेडिकल मुआयना करवाया गया किन्तु थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाई गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यही बता दें कि कुल कितनों को निलम्बित किया और कितनों को आपने वापस बहाल कर दिया?

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब तो आ जाने दीजिए पूरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, फिर एक-एक चीज का पढ़ेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरा जवाब आ जाने दीजिए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): उन्होंने पूरा नाम पूछा है, मूल प्रश्नकर्ता ने नाम पूछा है।

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज-प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कृपया विराजें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपने कितनों को निलम्बित किया है और कितनों को बहाल किया है, यह बता दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले जवाब आने दीजिए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मूल प्रश्नकर्ता ने नाम सहित पूछा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप तो यह बता दीजिए, कितनों को सस्पेंड किया, कितनों को बहाल किया? आपने सबको 17 सीसीए का नोटिस देकर के बहाल कर दिया। मेडिकल आपने कराया नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो सुन लें एक बार। सप्लीमेंट्री बाद में पूछ लें, एक बार जवाब आ जाने दीजिए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): नम्बर तीन- हेमराज मीणा, अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मेदार कलां प्रथम निवाई को दिनांक 11.12.2010 को विद्यालय में शराब पीकर आने की घटना पर जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक के आदेश दिनांक 14.12.2010 द्वारा विद्यालय से हटाकर विद्यालय किशनपुरा में लगाया गया व सीसीए नियम 17 का आरोप पत्र जारी किया गया। इसकी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है।

जिला हनुमानगढ़ का दौलतराम, इसकी भी शराब पीकर आने पर खण्ड अधिकारी, टिब्बी के अनुसार प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, महेरवाला के आदेश दिनांक 23.4.2010 के द्वारा एपीओ कर मुख्यालय प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ़ किया गया और जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश दिनांक 8.3.2011 द्वारा सीसीए नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया। इस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अध्यापक का मेडिकल मुआयना करवाया, पुलिस थाना टिब्बी में मामला दर्ज हुआ और न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टिब्बी द्वारा 6 माह तक की शांति बनाये रखने हेतु रुपए 10,000/- तथा इतनी ही राशि के मुचलके पर पाबंद किया गया।

नम्बर-पांच, यह भी जिला हनुमानगढ़ के श्री विरेन्द्र कुमार, अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 22एजी को विद्यालय समय में शराब पीकर आने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 28.8.2009 के द्वारा निलम्बित किया गया। तत्पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश दिनांक 9.6.2010 के द्वारा चेतावनी देते हुए निलम्बन से बहाल कर उच्च प्राथमिक विद्यालय, नेहराणा में स्थानान्तरित किया गया।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

नम्बर-छह, गंगानगर जिले के श्री अवतार सिंह, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 23एच, श्रीकरणपुर को....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर सदन के पटल पर सूची रखवाने का क्या मतलब है अगर यह पढ़ेंगे तो?

श्री अध्यक्ष: आप इनको आगे नहीं पढ़वाकर के सप्लीमेंट्री में इंटरेस्टेड हैं? चलिए, बंद कर दीजिए। सप्लीमेंट्री पूछें जो बता दीजिए। मूल प्रश्नकर्ता।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): मैं यह पूछना चाहूंगा कि शराब बंदियों के विरुद्ध जो यह कार्यवाही की गई है, यह सिर्फ ग्रामीणों के और वहां के लोकल लोगों के कहने के ऊपर की गई है, क्या इनके जिला शिक्षा अधिकारी ने कभी स्वयं जाकर किसी शराबी अध्यापक को गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर कार्यवाही की है? या सरकार ऐसी मंशा रखती है कि आने वाले समय में शिक्षा के मंदिर में कोई शराब पीकर के नहीं जाए और उन पर छेड़छाड़ का मामला हो? जो आपके बीच में उठे हैं और इस प्रकार आप आये दिन देख रहे हैं, किस प्रकार विद्यालयों में जो अपनी बच्चियों को भेजते हैं, वे माता-पिता किस सोच के साथ रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी। केवल मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आ जाने दीजिए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान के अन्दर इन अध्यापकों द्वारा छेड़छाड़ की घटनाएं तथा शराब पीकर स्कूल में आने की घटनाएं घटित हुई हैं और इनका जब तक स्कूल का एचएम या स्कूल के गांव के लोग जब तक कोई प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं करायें, तब तक कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो सकती। नम्बर एक। नम्बर दो, जहां तक सवाल है, अब भविष्य के अन्दर चूंकि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अब राइट-टू-एजुकेशन जो बिल आया है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अन्दर पहले एचएम होते थे वे उसके अध्यक्ष होते थे, फिर वर्तमान में राइट-टू-एजुकेशन बिल आने के बाद छात्र-छात्राओं के अभिभावकों में से एक अभिभावक इसका अध्यक्ष होता है। हमने राजस्थान के अन्दर समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बात के निर्देश जारी किए हैं कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं हों। इसके लिए समस्त अभिभावक जो अध्यक्ष हैं उनको भी पत्र लिखा जाए और साथ-साथ में जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर तत्काल कार्यवाही करें, यह हमने निर्देश जारी किए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि दो साल में 18 घटनाओं का जिक्र आपने किया है जो विद्यालय के अन्दर शराब पीकर के गये और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। क्या कारण है कि इनमें से 13 लोगों का आपने मेडिकल मुआयना नहीं कराया और सिर्फ 6 लोगों का करवाया? दूसरा, मैं सवाल यह करना चाह रहा था कि क्या कारण है कि आपने अनुशासनात्मक कार्यवाही भी सिर्फ छह के खिलाफ की? उसमें तीन के विरुद्ध आपने सीसीए 16 का नोटिस दिया और दो के विरुद्ध आपने सीसीए 17 का नोटिस दिया। और क्या कारण है, इनमें से अधिकांश लोगों का निलंबन आपने वापस कर दिया? हमारी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हो और यह कह रहे हैं कि हमने इस हेमराज मीणा को वहां से हटाकर के दूसरे स्कूल में लगा दिया और उसके बाद कहते हैं, दौलतराम को हमने एपीओ कर दिया। क्या आपकी इसी तरह करने की मंशा है? यह क्यों किया आपने? आपने गम्भीर एक्शन क्यों नहीं लिया?

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जवाब तो आने दो।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी। जवाब दिलवा रहा हूं न तो। एक साथ ही दिलवा दूंगा चारों-पांचों का।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। जहां पर छात्राओं के साथ में इस तरह का अभद्र व्यवहार अगर विद्यालय में हो तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका? पूरक प्रश्न पूछें, भाषण नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरा प्रश्न यह है कि जो इनके पास कंपलेंट्स आयीं और उन कंपलेंट्स के ऊपर इन्होंने जिस तरीके का यह कहा कि शराब के दोषी ही पाये गये सबमें, इसमें बलात्कार और दूसरी छेड़-छाड़ की हरकतें वाले ऐसे कहां-कहां पर आए, इसके बारे में आपने अभी तक नहीं कहा। तो एक तो यह पूछना चाह रही हूं।

दूसरा, मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि ऐसी बहुत सारी कंपलेंट्स पेंडिंग हैं। इन्होंने 18 तो कही हैं यहां पर और जो इन्होंने जिले बताये हनुमानगढ़ और उस एरिया के, जो सदर्न राजस्थान है उस सदर्न राजस्थान के अन्दर भी ऐसी हरकतें वाले इश्यूज आये हैं, जिनके लिए बार-बार हमने पत्र लिखकर इनको कहा है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बारे में भी मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि क्या इनके पास में कोई ऐसे पेंडिंग इश्यूज भी हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष जी, शराब के साथ में मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि स्कूलों के अन्दर कभी भी अगर औचक निरीक्षण इनके अधिकारी करें या ये करें तो इस कार्यकाल में ज्यादातर स्कूलों में ऐसे-ऐसे अध्यापक देखे हैं जो हुक्का रखते हैं और बीड़ी-सिगरेट तो आम पीते हैं...

श्री अध्यक्ष: श्री भिण्डा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसमें मंत्री महोदय कुछ उपाय करेंगे ?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र गोविन्दपुरा धाबाई में एक मिडल स्कूल थी उसमें लड़की के साथ छेड़-छाड़ हुआ। पुलिस में एप्लीकेशन दी और पुलिस ने उस अभिभावक के खिलाफ 182 की और बच्ची ने पढ़ाई छोड़ दी। यहां तक की स्थिति हुई है, 182 के लिए उसको बुलाया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 365 के हायर सेकंडरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने 10 नामजद बच्चियों के खिलाफ मुकदमा पुलिस थाना रावला में दर्ज करवाया और उन बच्चियों ने, उनके अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया? यह छेड़खानी व मारपीट से संबंधित प्रकरण दर्ज है। आज दिनांक तक वहां क्या कार्यवाही हो रही है, इसकी आप सदन को जानकारी दे दें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या ये घटनाएं मंत्रीजी की महिलाओं पर की गई टिप्पणी के बाद की हैं कि पहले की हैं ?

श्री अध्यक्ष: विराजें, मैंने अलाउ नहीं किया है आपको। विराजें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ये आपके बाद की हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पहले की हैं कि बाद की हैं ?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने जानकारी चाही...

श्री अध्यक्ष: तीनों-चारों माननीय सदस्यों के जवाब आप एक साथ दे दें।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री):.. छेड-छाड़ के कुल 6 मामले दर्ज हुए...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): +++

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिये।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): और इसमें एक भीलवाड़ा के अन्दर...

श्री अध्यक्ष: आपने क्या कमेंट्स किये हैं ?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैंने यह कहा था कि आपके खिलाफ इतना आक्रोश टीचर्स में आया...

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। एक्सपंज करें।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): ... छेड़-छाड़ का एक मामला राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हुरड़ा जिला भीलवाड़ा में हुआ। उस जगदेव मीणा नाम के कार्मिक को बर्खास्त कर दिया गया है। छात्रा के साथ उसने बलात्कार किया। पद से उस कार्मिक को हटा दिया गया तथा प्रकरण माननीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, जहाजपुर, भीलवाड़ा में विचाराधीन है। नंबर-2, अजमेर जिले की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मसूदा का नरेश सोलंकी व्याख्याता है, उसने छात्राओं को ट्यूशन पढ़ाते समय अश्लील हरकत की। उसको 16 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन दिया जा चुका है, जांच विभाग में विचाराधीन है। 16 सीसीए से और बड़ी क्या कार्यवाही हो सकती है? तो अब यह क्या हुआ? नंबर-4 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिये। जवाब आ जाने दीजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इससे साफ जाहिर होता है कि मिनिस्टर साहब कुछ इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से ये हरकतें बढती जा रही हैं विद्यालयों में। (व्यवधान) ऐसे लोगों को तुरन्त प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो सुनिये।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) चन्द्रभान सिंह, शारीरिक शिक्षक, चन्द्रनगर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 20 पीएस, रायसिंहनगर ने भी अश्लील हरकत की...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय मंत्री महोदय तो खुद महिलाओं के प्रति वक्तव्यों के लिए +++ हैं। ये क्या करेंगे? इतना संवेदनहीन कोई मंत्री हो ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष: पहले आप जवाब आने दीजिये। विराजो आप।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अश्लील हरकतें करने की वजह से 16 सीसीए में कार्यवाही कर दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दंड से दंडित किया जा चुका है। नंबर-3, बीकानेर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अक्खासर के ओम प्रकाश सुथार, पुस्तकालयाध्यक्ष, के विरुद्ध अश्लील हरकत करने की वजह से जांच रिपोर्ट के आधार पर 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सारी विचाराधीन चल रही हैं।

एक माननीय सदस्य: सब विचाराधीन ही हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सब विचाराधीन हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): कार्यवाही हो रही है न विचाराधीन हैं। आप सुन तो लें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कितने समय पहले की घटनाएं हैं? मंत्री जी बतायें ये। ये घटना कब की हैं?

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी, अश्लील कमेंट्स तो आपके माध्यम से भी किये जा रहे हैं महिलाओं के लिए और इसीलिए ये अश्लील हरकतें बढ़ी हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): मां सरस्वती के प्रांगण में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो और कहां पर हैं?

श्री अध्यक्ष: प्लीज, विराजें। जवाब तो आने दीजिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): बच्चियों को स्कूल कैसे भेजेंगे इस तरीके से? मां सरस्वती के प्रांगण में अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं रह सकतीं तो और कहां रहेगी?

श्री अध्यक्ष: विराजें, आप विराजें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मंत्रीजी बिलकुल भी गम्भीर नहीं हैं। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अश्लील हरकत करने के लिए 17 सीसीए में कार्यवाही की गई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब तो आने दीजिये मंत्रीजी का। कृपया जवाब आने दीजिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): इसीलिए इस सरकार ने चकला-

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

बेलन से कर हटाया। बच्चियों को स्कूल नहीं भेजें तो क्या घर में बैठा कर उनसे रोटियां करवानी हैं क्या? शिक्षक विभाग में इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया जवाब आने दीजिये।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) इन 6 के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ये बतायें कि ये घटनाएं कब की हैं?

श्री अध्यक्ष: प्लीज, जस्ट ए मिनट। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्यों का आक्रोश और चिन्ता इस बात की है कि समय ज्यादा लग रहा है। इसलिए आप तो इतना फरमा दें कि कितने समय में इनकी इंक्वायरीज का डिस्पोजल हो जाएगा?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं-नहीं, ये घटनाएं कब की हैं? (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, 365 हैड में मुकदमा दर्ज है और इनको जानकारी ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपका मंत्री कुछ भी बोलने से नहीं घबराये...(व्यवधान) अध्यापकों के हौसले तो अपने आप ही बुलंद हो जाएंगे। अध्यापकों का कारण तो ये स्वयं ही हैं। अध्यक्ष महोदय (व्यवधान) इनसे +++ तो कोई टीचर कर भी नहीं सकते।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): जिनके खिलाफ कंपलेंट... (व्यवधान) दर्ज है ...(व्यवधान) उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कितने साल की पेंडिंग पड़ी हुई हैं? (व्यवधान)... अभी तक इंक्वायरीज चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री फूलचन्द भिण्डा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक छोटा सा सवाल है कि मंत्री महोदय ये बता दें...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आश्वासन दे दिया है, बात खतम हो गयी है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचंद भिण्डा। मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री भिण्डा जी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा हैं; माननीय सदस्य, कृपया विराजें। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। श्री भिण्डा जी को मैंने अलाउ किया है। कृपया विराजें। श्री भिण्डा जी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री भिण्डा जी।

थाना विराट नगर (जयपुर) में जांच अधिकारी द्वारा जांच में लापरवाही

146. श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की छापुड़ा खुर्द ग्राम पंचायत में महानरेगा में फर्जी जॉब कार्ड बनाने, कार्य पर उपस्थिति दर्ज करने तथा सरकारी कोष से भुगतान उठाने के लिए जिला कलक्टर जयपुर ने पंचायत कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो किस थाने में व कब? उक्त में कौन-कौन दोषी पाये गये व इनमें से कितनों का चालान कोर्ट में पेश किया गया तथा इनकी क्या स्थिति है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मुकदमों में पुलिस जांच अधिकारी ने तथ्यात्मक प्रमाणों की अनदेखी (शिकायतकर्ता एवं जिला कलेक्टर द्वारा भेजे गये रिकार्ड) करके अंतिम रिपोर्ट लगा दी, जबकि कोर्ट ने शिकायत सही मानकर

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

मुकदमे को पुन: खोलने के आदेश दिये हैं? यदि हां, तो अंतिम रिपोर्ट लगाने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की छापुड़ा खुर्द ग्राम पंचायत में महानरेगा में फर्जी जाब कार्ड बनाने, कार्य पर उपस्थिति दर्ज करने तथा सरकारी कोष से भुगतान उठाने के संबंध में कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पुलिस मुकदमा निकटतम थाने (शाहपुरा) में दर्ज कराने के आदेश दिनांक 15.10.2009 को दिये गये थे। जिस पर संबंधित ग्राम सेवक, रोजगार सहायक, मेट व पोस्टमैन के विरुद्ध मुकदमा नम्बर 649/09 धारा 420, 120 बी भा. द .सं. में थाना शाहपुरा पर दर्ज किया गया। प्रकरण में पुलिस अनुसंधान में आरोपितों के दोषी साबित नहीं होने पर मामला अदमवकु ग़लतफ़हमी का पाया जाने पर अंतिम परिणाम ...(व्यवधान) मैं बता रहा हूं आप तसल्ली से जो भी पूछना चाहो पूछ लेना...परिणाम नं. 11/10 दिनांक 28.2.2010 को किता कर दिनांक 5.7.2010 को न्यायालय ए सी जे एम शाहपुरा में पेश की गई, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्ष महोदय, यह जो महत्वपूर्ण महानरेगा स्कीम है ....

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हां पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं। इसी संदर्भ में कल माननीय पंचायती राज मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, यह तो कह रहे हैं कि निर्दोष साबित हुआ है, वह मैं आपकी सेवा में पढ रहा हूं- "7 जाब कार्ड में फर्जी हाज़िरी भर कर राशि का भुगतान किया गया है। ग्राम पंचायत से प्राप्त विवरण के अनुसार इन 7 जाब कार्डधारी परिवारों को कार्य करते हुए राशि रुपये 29,848/- का भुगतान किया गया है। फर्जी राशि आहरित करने में जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पोस्टमैन तथा 7 मेटों को दोषी पाया गया है। दोषी पाये गये समस्त लोगों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करवायी गई तथा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को एक वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड से दंडित किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम रोजगार सहायक को संविदा समाप्ति करने हेतु नोटिस दिया गया है।" एक तरफ तो विभाग दोषी मान रहा है और एक तरफ ईमानदार गृह मंत्रीजी और ईमानदार पुलिस निर्दोष साबित कर रही है। यह समझ में नहीं आता।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक मिनट, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: पहले इनको मूल प्रश्न पूछ लेने दीजिए, फिर एक साथ ही जवाब दे देना।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, मैं जवाब ही दे देता हूं, उस जवाब से संतुष्ट हो जायेंगे ये। आप विराजो, एक मिनट मेरी बात सुन लो। आपने जैसा प्रश्न किया कि कोर्ट ने शिकायत सही मानकर मुकदमे को पुन: खोलने के आदेश दिये, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पुलिस ने अदालत में एफ आर पेश तो कर दी लेकिन अदालत ने उसको अभी तक मंजूर नहीं किया, उस पर फैसला नहीं किया। लेकिन मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, आप संतुष्ट हो जायेंगे, मैंने कल कुछ दस्तावेज देखे हैं और निश्चित तौर से मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, जो एफ आर पुलिस के द्वारा लगाई गई है। इसलिए जो नये फैक्ट्स मेरे सामने आये हैं मैंने यह आदेश दिये हैं कि एफ आर को वापस मंगवा लिया जाये, माननीय अदालत से निवेदन किया जाये कि वह एफ आर वापस कर दें और उसकी पुन: तफतीश की जाये तथा तफ़तीश कुनीन्दा जो था, उसके खिलाफ भी 17 सीसीए के नोटिस जारी करने के मैंने आदेश दे दिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, आप जवाब तो आने दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यादव साहब, आपने सुना नहीं, मैंने कहा है कि जिस आई ओ ने एफ आर लगाने की तैयारी कर ली या एफ आर लगाने के परिणाम पर पहुंच गया, उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के भी मैंने पुलिस को आदेश दिये हैं।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। पहले मूल प्रश्नकर्ता को अधिकार है सप्लीमेंट्री पूछने का।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्ष महोदय, यह पुस्तक है जो हमें सरकार से प्राप्त हुई है। इस पुस्तक के 158 नंबर पेज पर बड़ा टाइटल डाला है, 'नरेगा में भ्रष्टाचार का अनोखा मामला।' यह लीगल अथोरिटी, राजस्थान सरकार की पुस्तक है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न क्या है?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): वही कर रहा हूं, इसमें ग्राम सेवक को, रोजगार सहायक को, इनकी रिपोर्ट कह रही है कि मुझे चार्ज नहीं दिया गया, उनको तो पीनेलाइज्ड किया गया और सरपंच को छोड़ दिया गया । जो 152 राशन कार्ड फर्जी बने हैं जिसमें लाखों का भुगतान है, 27 टंकी बनीं नहीं...

श्री अध्यक्ष: इसका इस प्रश्न से क्या संबंध है?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): इसका इसलिए संबंध कि सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, सरपंच को छोड़ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप। माननीय कटारिया जी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने कह दिया ना कि तफ़तीश करवा रहा हूं, फिर क्या चाहते हो आप ?

श्री अध्यक्ष: हो गया ना आप बैठिए। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना बहुत अच्छी है लेकिन अगर यह प्रश्न आज इस विधान सभा के फ्लोर पर नहीं लगता और आप इसका यह जवाब नहीं देते तो आपकी पुलिस ने तो इसको दफन कर ही दिया था ना?

श्री अध्यक्ष: इससे यह मना कब कर रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ऐसा नहीं है। यह तो सवाल आ गया हाउस में और डिस्कशन में आ गया, इसलिए आप इसका यह पोजिटिव जवाब दे रहे हो लेकिन आप अपनी वर्किंग को देखो। जब हाउस में एक पंचायती राज मंत्री ने स्वीकार कर लिया, जांच अधिकारी ने मान लिया कि यह–यह दोष हुआ, यह-यह गड़बड़ हुआ, मरे आदमी को दिखाकर पेमेंट उठा लिया, सब कुछ जांच होकर कलक्टर ने मुकदमा दर्ज करा दिया और आपका एक एस एच ओ उसको अदमवकु बनाकर एफ आर पेश कर दे, इससे ज्यादा आपके डिपार्टमेंट की तस्वीर और क्या हो सकती है? आप यहां बड़े बादशाह बन रहे हो कि हमने तो कर दिया यहां, क्या पत्थर कर दिया? क्या कर दिया? इसको हंसी में मत टालिये, इस बात को हंसी में मत उड़ाइए, केवल इसको मजाक में उडा कर खतम मत कीजिए ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इतने सीनियर सदस्य बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह आपके प्रशासनिक ढांचे को दिखाता है। यह तो ठीक है कि यह जवाब पंचायती राज मंत्रीजी को देना था,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आज संयोग से उनका काम आपको मिल गया और आपने अपनी पुलिस की गलती को स्वयं स्वीकार कर लिया लेकिन पुलिस के इस एटिट्यूड के खिलाफ यह विभाग कितना सीरियस है और आपका अधिकारी कितना सीरियस है, यह इसको शो कर रहा है। आप यह बताइए, जिस अधिकारी ने आपको यह सजेस्ट किया कि इसमें एफ आर लगाई जाये, उसके खिलाफ सामान्य कार्यवाही से काम नहीं चलेगा, निश्चित रूप से उसकी इस मंशा को कुचलना पड़ेगा ताकि भविष्य में कोई भी एस एच ओ इस प्रकार की एविडेंस मिलने के बाद भी इस प्रकार का दुष्कृत्य नहीं कर सके। इसकी गारंटी दो।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): ×××

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए, मंत्रीजी जवाब देने के लिये खड़े हुए हैं । (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा, कृपया विराजें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं स्वयं।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): मंत्रीजी के बारे में मैं एक शब्द बोल रहा हूं, माननीय सदस्य ने गृह मंत्रीजी के लिये यह शब्द उपयोग में लिया है कि ये तो खुद +++ है। इस शब्द को एक्सपंज किया जाये और माननीय सदस्य को सदन के द्वारा प्रताड़ित किया जाये। इस तरह की भाषा का सदन में उपयोग नहीं करें।

श्री अध्यक्ष: मैं कार्यवाही देख लूंगा। मैं कार्यवाही देख लूंगा। अगर कोई ऐसी बात है तो एक्सपंज कर दी जायेगी। (व्यवधान) मैं कार्यवाही देख लूंगा, कोई अनुचित बात होगी तो उसको देखकर एक्सपंज कर दूंगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, व्यवधान के कारण मैं अच्छी तरह सुन नहीं पाया हूं, मंत्रीजी भी नहीं सुन पाये हैं, अगर कोई आपत्तिजनक शब्द कार्यवाही में है तो मैं देखकर उसको एक्सपंज कर दूंगा।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, लगातार अगर इस तरह की टिप्पणी माननीय सदस्यों की तरफ से आ रही है...(व्यवधान) आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य, विराजें। मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय कटारिया साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने ये शब्द मेरे लिये काम में लिये हैं कि मैं +++ हूं?

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी ने नहीं कहा, कटारिया जी ने नहीं कहा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष: इतनी जानकारी कटारिया जी की नहीं है। यह कटारिया जी की जानकारी में नहीं है, इन्होंने नहीं कहा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय कटारिया साहब ने फरमाया कि प्रश्न लगने के बाद में आपने कार्यवाही की, मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे पास जो ओरिजिनल शिकायतकर्ता था, जिसने कि कलक्टर को लिखकर दिया, चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर को लिखकर दिया कि इस-इस तरह से गड़बड़ियां इस नरेगा के मामले में हुई हैं, उस हरीशचन्द्र ने ही दुबारा एक दरख्वास्त मुझे दी और वह मेरे पास रिसीव हुई 29.01.2010 को। 29.01.2010 के बाद में फिर जब इसमें इंक्वायरी की गई, तो यह प्रश्न लगाया इन्होंने फरवरी में, मैंने कार्यवाही कर दी इसकी जनवरी में। जनवरी में कार्यवाही कर दी, इसलिये आपने जो सुझाव मेरी वर्किंग के बाबत दिया है, उसका तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह बात सन् 10 की कर रहे हो

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

या सन् 11 की कर रहे हो? आप तो सन् 10 की बात कर रहे हैं, 29.01.2010। फिर तो आप 14 महीने पीछे चल रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 29.01.2011, हां 29.01.2011 है। (व्यवधान) इससे ज्यादा कार्यवाही आप खुद, स्वयं बता दें कि जो मैं कर सकता था, क्या उससे ज्यादा भी कोई कार्यवाही हो सकती है इस केस में? एफ.आर. वापस मंगवाने के आदेश दे दिये; जिस आई.ओ. ने एफ.आर. लगाने के लिये कहा, उस आई.ओ. के खिलाफ 17 सी.सी.ए. का नोटिस जारी कर दिया; दुबारा से तफ्तीश कर दी। अब इससे ज्यादा और कार्यवाही, आप भी गृह मंत्री रहे हुए हैं, आप स्वयं बता दें कि और कोई कार्यवाही हो सकती थी क्या, इसमें जो मैंने कार्यवाही की है? आप स्वयं बता दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, पिछले 17 साल से पुलिस ने मेरे को फरार दिखा रखा है।

श्री अध्यक्ष: वह बात समाप्त हो गई, अभी वह नहीं चल रही है। अंकित नहीं होगा। आपकी फरारी का प्रश्न नहीं है अभी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अभी प्रश्न दूसरा है, आप विराजें। अन्य किसी तरीके से उठा सकते हैं, इसमें नहीं। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने केवल माननीय कटारिया जी को अलाउ किया है, आप विराजिये। माननीय कटारिया जी। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। (व्यवधान) प्रार्थना इस तरह से नहीं, नियमों में प्रावधान के अनुसार प्रार्थना करिये। अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। सदन का समय जाया हो रहा है। दो प्रश्न और आ जाएंगे। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है, आप विराज जाएं। मेहरबानी करके विराज जाएं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे

(श्री अध्यक्ष)

विवश होकर नाम पुकारना पड़ेगा, कृपया विराज जाएं। (व्यवधान) श्री रणवीर पहलवान, कृपया विराज जाएं। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

धरना

(माननीय सदस्य श्री रणवीर पहलवान द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, आपकी भावना पर मेरे को कोई सन्देह नहीं है लेकिन जो एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, यह केवल एक घटना है जो यहां विधान सभा में आई, इसी प्रकार के कई केसेज हैं जिनमें सब प्रकार के तथ्य प्रमाणित हो जाने के बाद भी जो मुकदमे दर्ज करायें, उनमें से अधिकांश मुकदमों में पुलिस ने एफ.आर. लगाई। कृपा करके, अगर आपके मन में थोड़ा भी दर्द हो, इस व्यवस्था के, इस हालात से तो आप उन सब, विशेषकर के पंचायती राज और नरेगा में जो भ्रष्टाचार हुआ और जिनके अन्दर एफ.आई.आर. दर्ज हुई, उनमें भी कितने केसेज में सारे तथ्य होने के बाद भी एफ.आर. लगा दी गई, उन केसेज को भी वापस ओपन करिये। उसके बाद आप देखिये कि इस प्रकार का पुलिस का एक छोटा सा अधिकारी इतने बड़े जुर्म को इस तरह से बचा लेगा तो उसके खिलाफ भी उतनी सख्त कार्यवाही हो। यह एक तो केस है जो आज आ गया, ऐसे कई केसेज हैं जिनमें सब प्रकार के प्रमाण दे देने के बाद भी, विभाग और सारे अधिकारियों के मान लेने के बाद भी आपकी पुलिस ने उसको रसातल में डालकर बंद कर दिया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी इन्होंने ट्रांसफर कर दिये सी.आई.डी. में। बाकी जिनमें एफ.आर. नहीं लग सकती थीं, उनको डिले करने के लिये उन्होंने सी.आई.डी. में ट्रांसफर कर दिया गृह मंत्रीजी ने। तो उनको बचाने का काम, उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो सुनिये। आप जवाब तो सुनिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। कटारियाजी के प्रश्न का जवाब आने दीजिए पहले आप।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): एक छोटा सा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा, कृपया विराजें। कृपया विराजें आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): गृह मंत्रीजी, पाली जिले के सारे नरेगा के जो केसेज दर्ज हुए हैं, वे सभी के सभी पड़े हैं। उनमें कोई कार्यवाही नहीं करते।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए, कृपया विराजिये। कृपया आप विराजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय कटारिया साहब ने जो चिन्ता व्यक्त की, निश्चित तौर पर वह वाकई चिन्ता का विषय है। मैं भी मानता हूं उसको। राजस्थान में जनवरी, 2009 से फरवरी, 2011 तक महानरेगा से सम्बन्धित फर्जी जाब कार्ड, फर्जी उपस्थिति और बढ़ाई गई उपस्थितियां, सरकारी कोष से नियम विरुद्ध तरीके से राशि भुगतान एवं अन्य प्रकार के दर्ज प्रकरण, कुल मिलाकर 454 दर्ज हुए हैं। उन 454 प्रकरणों में से 190 में पुलिस ने चालान पेश कर दिया लेकिन 182 में एफ.आर. भी दी गई और 82 करीब-करीब लम्बित हैं। आपका जो शक है कि एफ.आर. दे दी जाती है, उस मामले को अदम-वकु बताकर के उसको समाप्त कर दिया जाता है, निश्चित तौर पर इस प्रकार के कई केसेज सामने आते हैं और जब-जब सामने आते हैं, तब त्वरित गति से उसकी कार्यवाही की जाती है जैसे इस प्रकार से की गई। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर और भी किसी माननीय सदस्य की जानकारी में इस प्रकार का कोई तथ्य आता है तो मेहरबानी करके वह तथ्य मुझे भी बताएं ताकि उस पर कोई अग्रिम कार्यवाही की जा सके। (व्यवधान)

धरना

(माननीय सदस्य श्री जीवाराम चौधरी द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अध्यक्ष: समाप्त। समाप्त करें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): एक मिनट, साहब, इसी प्रश्न के अन्दर पूरक प्रश्न पूछा था।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलाल खराड़ी। अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल खराड़ी। मैं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी सीट पर विराजिये। यह तरीका नहीं है। नियमों के प्रावधान के अनुसार अपनी बात कहेंगे तो मैं आपको इजाजत दे दूंगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्ष महोदय, 252 लोगों के फर्जी कार्ड हैं। सरपंच को बचाया जा रहा है, सरपंच को।

श्री अध्यक्ष: कृपया अपनी सीट पर जाकर बैठें। अंकित नहीं होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप मुझसे अलग से मिल लें, चैम्बर में आपसे बात कर लूंगा। नियमों के तहत आप उठाएं तो मैं अलाउ करूंगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। नियमों के तहत आप देंगे तो मैं परमिशन दूंगा।

(माननीय सदस्यों द्वारा सदन-कूप में धरना समाप्त)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराज जाएं। अंकित नहीं होगा।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र की बंद जलोत्थान योजनाएं

147. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सामुदायिक जलोत्थान योजनायें संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितनी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त में से कुछ योजनायें बंद हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी योजनायें किन-किन कारणों से?

(3) क्या सरकार अब उक्त बंद योजनाओं को चालू कराने के संबंध में कोई कदम उठाने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दें। अंकित नहीं होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री महेन्द्र जीत सिंह) : (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं हेतु आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है, तत्पश्चात् योजनाओं का संचालन लाभांवित कृषक समूहों द्वारा किया जाता है।

विभिन्न जिलों में अब तक स्थापित योजनाओं की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

क्र.सं.	जिले का नाम	योजनाओं की संख्या
1.	उदयपुर	148
2.	डूंगरपुर	120
3.	बांसवाड़ा	170
4.	प्रतापगढ़	80
5.	सिरोही	09
	कुल	**527**

(2) जी हां। बंद योजनाओं की सूची मय कारण परिशिष्ट अ-1 से 5 तक संलग्न है। जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	योजनाओं की संख्या
1.	उदयपुर	34
2.	डूंगरपुर	39
3.	बांसवाड़ा	44
4.	प्रतापगढ़	63
5.	सिरोही	2
	कुल	**182**

(3) विभिन्न विभागों एवं संबंधित एजेंसियों से विचार-विमर्श कर नीतिगत निर्णय लेकर भविष्य में सफल संचालन की कार्य योजना बनाई जायेगी।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने जो मुझे सूचना दी है, परिशिष्ट-अ-1 पर जितनी भी लिफ्टें बंद पड़ी हैं, वे एक ही तारीख में हो सकती हैं क्या? 4 वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष। यह शायद उत्तर, इस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं। या तो अधिकारियों ने इस सूचना को गलत दिया है। मुझे मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

लिफ्टें कौन-कौन सी तारीख से लेकर के बंद रहीं? प्रश्न नम्बर-दो, आपने यह योजना बंद होने का कारण जो बताया है बिजली के बिल और लाइट के कोई फाल्ट की वजह से या उनके पार्टस चोरी होने की वजह से, ये चोरी हुए। दूसरा मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो सूचना दी है, पानी की कमी, तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी लिफ्टें हैं जो वास्तव में पानी की वजह से बंद हैं? यह बताने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का तो जवाब आने दीजिये।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने लिफ्टें एक साथ बंद होने के बारे में जो पूरक प्रश्न किया है, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि ये लिफ्ट मात्र एक सीजन में चलती हैं और उसी सीजन में पानी लिफ्ट से पिलाया जाता है। उस वक्त अगर यह लिफ्ट उस समूह के द्वारा चलाई जाती है, अगर वह लिफ्ट खराब है तो उस टाइम ही वह लिफ्ट खराब मानी जाएगी। जहां तक आपके विधान सभा क्षेत्र के बारे में आप जो जानकारी चाह रहे हैं, वह पूरी लिस्ट मैंने सदन की मेज पर रखी है। अब इसके बाद भी आप अलग से चाहेंगे तो मैं अलग से आपको अवगत करा दूंगा।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि यह एक ही तारीख में लिफ्टें क्यों बंद रहीं? क्योंकि कोई चार साल से, कोई तीन साल का भी तो होना चाहिए, कोई दो साल का होना चाहिए, इससे ज्यादा का भी होना चाहिए। कोई लिफ्टें ऐसी हैं जो इससे भी ज्यादा समय की बंद हैं। यह जो अधिकारियों ने आपको सूचना दी है, यह गलत है, यह मैं अब भी आपसे कह रहा हूं।

दूसरा, जैसे मैंने कहा कि बिजली के बिल ऐसे हैं, जो गर्मी के समय में काश्तकार उसका उपयोग करता नहीं है और काश्तकार को यह पता नहीं होता है कि मुझे गर्मी का जो बिल है वही भरना होता है। वह बिल वर्ष-वार चढ़ता जाता है। बिजली का बिल वह फिर ज्यादा बढ़ने के बाद काश्तकार नहीं चुकाता, उसके कारण है। तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसे मामलों को दिखाकर विभाग उन लिफ्टों को पुन: चालू कराने के लिए बिजली का बिल वहन करेगा या नहीं करेगा?

नम्बर-दो, जैसा आपने यह बताया, उसके बाद में मैं पूछना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ लिफ्टें हमारी पूर्व सरकार थी, उस समय स्वीकृत हुईं,

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

कार्य-आदेश जारी हो गये और काम चालू हो गया, आधा-अधूरा काम चालू हुआ और आज भी वे लिफ्ट बंद पड़ी हैं, चालू नहीं कर पाये हैं। तो वे लिफ्ट कब तक चालू करेंगे? यह बतायें।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लिफ्टों का संचालन सरकार अपने स्तर पर नहीं करती है। एक समूह बनाया जाता है, समिति बनाई जाती है और कृषक स्वयं इन लिफ्टों का संचालन करता है। इसलिए अगर कोई बंद लिफ्ट है और उस लिफ्ट को अगर वापस प्रारम्भ करना है तो समूह को ही चाहिए कि उसकी अलग से बैठक बुलाये और जो टूटी-फूटी हुई है, बिजली का बिल बाकी है, वह स्वयं अपने स्तर पर इसको भरे। जो लिफ्ट इर्रिगेशन की नीति बनी हुई है, वह इसी तरह से बनी हुई है।

इसके अलावा अभी माननीय सदस्य ने कोटड़ा के बारे में जितनी जानकारी चाही है, अभी इस सत्र में हमने पचास लाख रुपये की इसकी अलग से व्यवस्था रखी है। आवश्यक होगा तो हम उसका परीक्षण करवाएंगे और आवश्यक होगा तो आपके इस कोटड़ा की जो लिफ्ट है, उसको हम वापस शुरू करवा सकते हैं। एक प्रश्न और कह रहे हैं कि एक ही तारीख में बंद हुईं, यह बिलकुल गलत है। कोई 1986 में बंद हुई है कोई 1996 में बंद हुई है। इस तरह से अलग-अलग वर्षों में ये लिफ्टें बंद हुई हैं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): तो यह चार वर्ष ही क्यों आए? टाइम तो अलग-अलग होना चाहिए कि कोई तीन वर्ष से है, कोई चार वर्ष की है, कोई पांच वर्ष की हुई है। यहां इसमें मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन जो बिजली के बिल हैं, वे इतने चढ़ गए हैं कि वह किसान, एक बीघा की जोत है, दो बीघा की है, तीन बीघा की है, पांच बीघा ज्यादा से ज्यादा है और वह काश्तकार, पचास हजार, साठ हजार, इससे भी ज्यादा का बिल है, आपने बिल बताया नहीं कि कितना है, यह बताएंगे तो आप ताज्जुब करेंगे, इतना एक गरीब काश्तकार नहीं दे सकता। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि विभाग जनजाति के लिए काम करता है, काश्तकार को इतनी जानकारी होती तो वह भरता, उनकी जानकारी के अभाव में वह रह गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिपार्टमेंट का बहुत पैसा है और इस बार पैसा है, हम डिपार्टमेंटवाइज देंगे तो उसका उपयोग करके उनका निस्तारण करके चालू करवाओ। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन जल

(डा. दिगम्बर सिंह)

योजनाओं को माननीय मंत्री महोदय का शुरू कराने का मानस तो नहीं लगता। बाकी जो जनजाति क्षेत्र में बची हुई हैं, वे आप कब तक बंद करवा देंगे, यही बता दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल जी मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मेरे एक अतारांकित प्रश्न संख्या 1263 में माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि डेढ़ सौ लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम्स बंद पड़ी हैं ट्राइबल सब-प्लान एरिया में और आज की तारीख में मेरे प्रतापगढ़ जिले में 80-81 परसेंट लिफ्टें बंद हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो कारण लिफ्टें बंद होने के बारे में बताया है कि पानी की कमी, बिजली बिल का बकाया, मोटर खराब होना, पाइप लाइन टूटी हुई है, अतिवृष्टि से हुई है, स्टार्टर केबल चोरी लेकर चले गए, इसमें उस आदिवासी काश्तकार की क्या गलती है जिसकी वजह से ये लिफ्टें बंद हैं? वे सरकार की नेग्लिजेंस की वजह से बंद हैं। मैं यह कहना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि जब 80 परसेंट के ऊपर लिफ्टें सारे ट्राइबल सब-प्लान एरिया की बंद हैं...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): प्रश्न मेरा यह है कि 81 परसेंट से ज्यादा लिफ्टें बंद हैं तो क्या आपने कोई ऐसी योजना पिछले दो वर्ष में बनाई है? क्योंकि योजना की भी क्या जरूरत है, बिजली के कनेक्शन करवाने हैं। पाइप लाइन चुरा कर ले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चालीस-चालीस हार्स पावर की मोटरें लगा रखी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, आप विराजो।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रतापगढ़ के बारे में भी बात कही है। 63 लिफ्टें बंद हैं। यह मैं पूर्व में भी बता चुका हूं, माननीय सदस्य भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, खुद वे मंत्री रहे हैं हमारे सरकार में ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): आपकी सरकार में नहीं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): यह पूरी सरकार अपनी सबकी सरकार है। एक किसी की सरकार नहीं है, सबकी सरकार है।

श्री अध्यक्ष: सरकार तो सभी की होती है।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सरकार सबकी होती है, किसी एक की नहीं होती। प्रदेश की सरकार है।

मैं इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह लिफ्ट लगाई जाती है तब समूह द्वारा अपनी मीटिंग करके दस प्रतिशत पैसा पब्लिक की तरफ से हम देंगे और इस संचालन को पूरी तरह से करेंगे, रख-रखाव करेंगे, बिजली का बिल भरेंगे, समय-समय पर हमारे खेत में पानी जाएगा उसका...(व्यवधान)पैसा हम अकाउंट में जमा करेंगे। इन टर्म्स एंड कंडिशंस के साथ खुद करते हैं। हमारा जनजाति विकास विभाग इन लिफ्टों को नहीं करता है। हम से कोई भी विभाग, इर्रिगेशन हो, चाहे स्वयंसेवी संस्था हो, कोई भी हो, हमसे रुपया मांगता है और हमारा काम है, मात्र उस लिफ्ट को चलाने के लिए रुपया देना। आगे उस लिफ्ट को चलाना उस स्वयंसेवी संस्था का काम है, उस डिपार्टमेंट का काम है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बकाया बिल दे दो। आप तो बकाया बिल बिजली का दे दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मंत्री महोदय, बहुत अच्छी सोच के बाद ये जलोत्थान योजनाएं अपने ट्राइबल एरिये में अपन ने प्रारम्भ कीं यह सोचकर कि किसानों का जीवन स्तर किसी भी तरह से पानी देकर खेत को अच्छा किया जा सकता है। मैं सोचता हूं कि जब अपन महाराष्ट्र पैटर्न, जब अपन अपने एरिया का जितनी पापुलेशन है, 7.6 का खर्चा इसमें दे रहे हैं, कोई सिस्टम को बदलिए कि आप इससे पर-बीघा जो कुछ बुवाई आप करते हैं, उसका आप पैसा तय कर लीजिए, उससे वह पैसे के रूप में ले लीजिए पर एजेंसी आपका डिपार्टमेंट अगर रहेगा और उसकी सुपरविजन में अगर यह चलेगा तो यह जो हमारे करोड़ों रुपया खर्च हुआ है इन 518 योजनाओं के ऊपर, अपना अगर हिसाब लगाएंगे तो कई करोड़ रुपया खर्च हुआ है और केवल बिजली के बिल के पीछे उस किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। मैं सोचता हूं कि इस पर पुनर्विचार करो और पुनर्विचार करके सिस्टम में जहां-जहां कमियां हैं, उनको सुधारो और सुधारने के बाद उस किसान से जितना वह कमाता है, उतना उससे हर साल हर फसल पर ले लो।

श्री अध्यक्ष: कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उसको वह जाकर देगा। क्या यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चेंज करने का कोई मन-मानस है कि उसका लाभ उस किसान को मिलता रहे? उसके लिए सरकार और आपका डिपार्टमेंट कुछ करना चाहता है क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिए आप। इस एक प्रश्न का जवाब देकर तुरन्त समाप्त करिए।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में मैंने माननीय सदस्य साहिबान का जो प्रश्न है, उसका उत्तर दिया है कि जिन एजेंसीज ने इन लिफ्टों को बनाया है, उन एजेंसीज के साथ तो हमको बात करनी पड़ेगी। डाइरेक्ट हम इसमें इन्वाल्व हैं ही नहीं। हम उनसे बात करेंगे, बात करके देखेंगे कि किस लिफ्ट में कितने पैसे की आवश्यकता है। अगर कोई किसान ही अपने पाइप निकालकर ले जा रहा है, मोटर ही खुद चोरी कर रहा है तो कितना पैसा हम उसमें लगाएंगे? अगर कम पैसे में वह लिफ्ट अगर संचालन हो सकती है तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे लेकिन शत-प्रतिशत आप, 182 लिफ्टें बंद पड़ी हैं, 182 लिफ्टों को हम चालू तो करना चाहते हैं, करेंगे आगे के लिए, धीरे-धीरे लेकिन पूरी लिफ्टों का पैसा एक साथ लगा दें, मैं जहां तक समझता हूं कि शायद हम इसको नहीं कर पाएंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत। अगला प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): दो-चार करोड़ रुपया भी नहीं लगेगा। (व्यवधान)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किचन इक्विपमेंट्स खरीद में अनियमितताएं

148. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा विगत वर्षों में उसकी होटल/मोटल इकाइयों हेतु मोड्यूलर किचन इक्विपमेंट क्रय किए गए थे? यदि हां, तो किस-किस यूनिट हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त यूनिट्स में से किन-किन यूनिट्स द्वारा कब-कब उक्त इक्विपमेंट की मांग की गई? यूनिट्स द्वारा इस संबंध में भेजे गए मांग-पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त इक्विपमेंट संबंधित यूनिट्स में कब-कब भेजे गए और वहां

(श्री निर्मल कुमावत)

पर कब इंस्टाल किए गए? क्या वर्तमान में क्रय किए गए समस्त इक्विपमेंट इंस्टाल कर दिए गए हैं?

(4) क्या यह सही है कि अभी भी बिना जरूरत भेजे गए उक्त किचन इक्विपमेंट यूनिट्स में रखे हुए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब से? क्या सरकार बिना जरूरत के सामान क्रय करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त संबंध में इंजीनियर्स की एक टीम जांच हेतु गठित की गई है? यदि हां, तो कब व उसके कौन-कौन सदस्य थे और उक्त टीम ने अपनी क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्रीमती बीना काक) : (1) जी हां। निगम की विभिन्न इकाइयों में भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने व किचन को आधुनिक रूप देने एवं प्रचलित बाजार प्रतिस्पर्धा को मध्यनजर रखते हुए विभिन्न इकाइयों में भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरण की खरीद कर इकाइयों में स्थापित कराए गए हैं। इस मद में कुल 23 इकाइयों में उपकरणों की खरीद हेतु राशि रुपये 74.69 लाख का कार्य आदेश दिया गया। इसकी सूचना परिशिष्ट-'अ' 'पर संलग्न है।

(2) उपकरणों के क्रय हेतु किसी भी इकाई से कोई मांग-पत्र नहीं लिया गया था।

(3) विभिन्न इकाइयों की किचन में उपकरण इंस्टाल करने की तिथि परिशिष्ट-ब व स में दर्शाई गयी है। जी हां, वर्तमान में क्रय किये गये समस्त इक्विपमेंट्स इंस्टाल कर दिये गये हैं।

(4) जी नहीं। किसी भी इकाई में बिना जरूरत कोई उपकरण नहीं है तथा सभी उपकरण आवश्यकतानुसार उपयोग में लिये जा रहे हैं। अत: इस मामले में किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है।

(5) जी नहीं।

(सूचना व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो आवश्यकता इन इकाइयों द्वारा दी

(श्री निर्मल कुमावत)

जाती है वह तो ये सप्लाई करते नहीं हैं और बिना आवश्यकता की चीजें ये भेज देते हैं। कौन-कौनसे उपकरण आपने खरीदे, उसका ब्योरा आपने नहीं दिया। मैंने जानना चाहा था, उपकरण तो आपने बता दिये खरीदे हैं, पर कौन-कौनसे उपकरण खरीदे, इसका ब्योरा नहीं दिया। कब इसकी निविदा आमन्त्रित की गयी, उसकी कोई जानकारी नहीं दी गयी। किन-किन कम्पनियों ने इसमें भाग लिया, किस कम्पनी को इसका ठेका दिया गया और किस ब्रांड की मशीनें लगाई गयीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गयी।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि इन उपकरणों को स्थापित करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? जब इनके विभाग द्वारा कोई मांग-पत्र ही नहीं मिला तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इनको जबरदस्ती खरीदकर देना पड़ा? और इसका सत्यापन किसने किया कि इंस्टाल कर दिये गये हैं? ये कौन अधिकारी हैं या कौन कर्मचारी हैं जो वहां जाकर देखते हैं कि आपने जो इक्विपमेंट इकाई के लिये भेजे, वे वहां जाकर पहुंच गये और काम में आ रहे हैं? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? इसकी आप जानकारी दें कि आज की तारीख में यह इक्विपमेंट, जो सूची आपने मुझे दी है, वह इंस्टाल किये हुए हैं मौके पर ये आपको किसने सत्यापन करके दिया, इसकी आप मुझे जानकारी दें।

तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि 2009-10 के कुछ अखबारों से यह मालूम पड़ा कि करोड़ों के मोड्यूलर किचन बेकार पड़े हैं और इसमें तत्कालीन एम.डी., आर टी डी सी के, इन्होंने यह आश्वासन दिया कि इसमें इंजीनियर्स द्वारा जांच कराई जा रही है और पता लगाया जायेगा कि उपकरण काम में क्यों नहीं लिये जा रहे हैं। आपने प्रश्न के भाग संख्या 5 में कहा है कि जी नहीं, कोई जांच कमेटी गठित नहीं की गयी, जबकि समाचार पत्र में आपके आर टी डी सी के चेयरमैन ने छापा है कि हम इसके लिये जांच करवा रहे हैं कि ये क्यों तो खरीदे गये और कहां लगाये गये और क्यों नहीं काम में आ रहे हैं। तो बड़े आश्चर्य की बात है। मंत्री महोदय, इसके लिये जो खरीद की गयी है, इसके लिये मेरा सरासर आरोप है कि ...

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये। जवाब आने दीजिये। मंत्रीजी।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): पूरे अधिकारियों द्वारा मनमर्जी की गयी है और इसमें पूरे विभाग को मालूम नहीं है। कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, कोई ब्रांड तय नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप जवाब दें। जवाब आने दीजिये।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि निगम की होटलों में रसोई घर, किचन के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण हेतु जैसा कि आपने स्वयं ने बताया 2009 में निर्णय लिया गया। प्रारम्भिक रूप में करीब 36 इकाइयों में 187 और कुछ लाख स्वीकृत किये गये थे लेकिन इसे पुन: संशोधित किया गया और अखबारों के अन्दर बकायदा इसकी निविदा प्रकाशित की गयी।

दूसरा सवाल आपका था कि किचन के आधुनिकीकरण के लिये किस-किस प्रकार के इक्विपमेंट काम में लिये गये, तो जो इक्विपमेंट काम में लिये गये, वह थे- वेज प्रोसेसर, सेंडविच ग्रिलर, इडली मेकर, सिंक यूनिट, डोसा प्लेट, वेट ग्राइंडर, प्रिपेरेशन टेबल मय सिंक, कुकिंग बर्नर्स, प्लेनेटरी मिक्सर, कटलरी स्टर्लाइजर, बारबेक्यू, एस.एस.तन्दूर इत्यादि-इत्यादि। हालांकि उक्त कार्य हेतु आपने पूछा कि कितने लोगों ने भाग लिया, कितनी कम्पनियों ने भाग लिया तो इसमें चार फर्मो ने भाग लिया और इनमें से दो को यह कार्य दिया गया। जिनमें थी नेशनल हाइटेक इंडस्ट्रीज न्यू देहली, दूसरी आर.के. इंजीनियरिंग वर्क्स, जयपुर, तीसरी थी अस्ट्रर आई.एन.सी. दिल्ली तथा चौथी थी पवन कंस्ट्रक्शन कम्पनी, अलवर। अब आपने पूछा कि इनमें से किन दो को दिया गया। तो वह दो थीं आर.के.इंजीनियरिंग, जयपुर और दूसरी थी नेशनल हाइटेक इंडस्ट्रीज दिल्ली।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो काम कराये गये, यह जरूरत को देखकर करवाये गये। लेकिन मैं माननीय सदस्य से इस चीज से तो वास्ता रखती हूं कि यूनिट से किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गयी थी, वह बगैर मांगे गये थे। ये सारे इक्विपमेंट्स की खरीद कर ली गयी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसके क्या कारण थे ?

श्री अध्यक्ष: बैठिये, आप जवाब आने दीजिये।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बोलने से पहले मैं तो खुद ही एडमिट कर रही हूं। आप पहले ही जवाब देना चाह रहे हो। (व्यवधान) बता रही हूं मैं। तो यह हुआ।मुझे खुद को यह महसूस हुआ कि जब तक रिक्वायरमेंट भी आज वही करनी चाहिये। जब यह सवाल लगा, मैं तो एडमिट करती हूं, यह सवाल लगा तो मैंने खुद ने दो-तीन यूनिट्स में जब लिस्ट देखी, चूंकि यह कारपोरेशन है तो मंत्री के पास स्वीकृति के लिये तो आती नहीं है, तो मैंने खुद ने देखा कि 2-3 यूनिट ऐसी भी थीं जो मेरे ख्याल से बंद के कगार पर थीं, वहां पर भी इक्विपमेंट्स स्वीकृत किये गये। मैंने मेरी

(श्रीमती बीना काक)

एम डी को फोन करके कहा कि इसकी जरा तस्वीर खींचकर बताया जाये, मैनेजर बताये कि यह इक्विपमेंट लगा भी है कि नहीं लगा है तो उससे पता चला कि इक्विपमेंट्स खरीद तो लिये गये थे एक इर्रेशनल, इर्रेटिक किस्म की जल्दबाजी और ओवर-एन्थुसियाज्म के अन्दर, जो मैं मानती हूं, वह भूल हो गयी उनसे, लेकिन उसके बाद फिर ये जो इक्विपमेंट थे जैसे फोर एग्जाम्पल मिडवे महुआ का मैंने देखा कि वह नहीं चलता है, उसमें चार-पांच लाख के इक्विपमेंट्स की कहां जरूरत थी? मुझे बाद में बताया गया कि आपके सवाल आने के बाद में पार्टली उसे इंस्टाल किया गया, बाकी उसको मिडवे बहरोड़ में भेजा गया, शाहपुरा में भेजा गया और मीनल में भेज दिया गया।

तो मैं तो मान रही हूं कि ये कुछ चीजें जल्दबाजी में हुई थीं और मैं मानती हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिये था और जिसकी गलती हुई है, उसकी रेस्पांसिबिलिटी फिक्स भी की जायेगी और मैं इसके ऊपर इंक्वायरी कर लूंगी। मैं एडमिट करती हूं।

श्री अध्यक्ष: निर्मल कुमावत जी।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्पेसिफिक सवाल हैं। इन्होंने उपकरण खरीदे, क्या उसके लिये स्टाफ को ट्रेनिंग दी गयी थी उनको चलाने के लिये? वर्तमान स्थिति में जो आपने लिस्ट दी है, क्या इसकी आप उच्च-स्तरीय जांच कराने का पक्ष रखती हैं कि ये वहां पर मौजूदा समय में चालू हैं कि नहीं हैं? क्या आप दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगी ? इतना मुझे बता दें।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अब यह बकायदा जितने भी इक्विपमेंट्स इंस्टाल्ड होने थे, ये हो चुके हैं, सब यूनिट्स के अन्दर पहुंच चुके हैं जैसे मूमल का पहुंचा दिया गया, शाहपुरा मिडवे, रतनगढ़ का पहुंचा दिया गया है, ढोलामारू और वृन्दावती, बूंदी का पहुंचा दिया गया है। यह सब कुछ हुआ है और इसमें रेस्पांसिबिलिटी फिक्स की जायेगी। इसकी इंक्वायरी करके जांच करवाई जायेगी और एक्शन लिया जायेगा और सब इंस्टाल्ड हैं, दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, मैं इतना कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंह जी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह तो मान लिया कि बिना डिमांड और जल्दबाजी में यह सब कुछ खर्च किया गया। यह भी कामनवैल्थ गेम्स के घोटालों में से एक छोटा घोटाला है। छोटा है, अध्यक्ष महोदय, यह कामनवैल्थ से जुडा हुआ है। माननीय अध्यक्ष

(डा. दिगम्बर सिंह)

महोदय, कामनवैल्थ गेम्स की आड़ में आनन-फानन में यह सामान खरीदा गया।

श्री अध्यक्ष: कितनी राशि इन्वाल्व है इसमें?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बात राशि की नहीं है। यहां पर कहीं भी इस प्रकार की दुर्गंध तक नहीं आती कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन ..(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इतनी जल्दी चीजें खरीद ली गयीं, गुणवत्ता बनाने के लिये, जिनको कि बांट दिया गया। बाकी कहीं पर कोई गुंजाइश ही नहीं है भ्रष्टाचार की। इस सरकार में गुंजाइश ही नहीं है। उस एंगल में तो आप इस सवाल को ले मत जाओ। बिल्कुल सही है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, परर्फोर्मेन्स का सवाल है दिगम्बर सिंह जी का।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल कमीशन खाने की दृष्टि से, जरूरत है कि नहीं, यह तो देखा ही नहीं और जैसा आर टी डी सी का मिडवे वहां की किचन की चिमनी का साइज किचन से बड़ा था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: +++ । (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपकी परर्फोर्मेन्स का सवाल है, मान लिया हमने।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कमेंट्स किये हैं, +++ एक्सपंज कर दिया जाये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप तो मेरे से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, माननीय सदस्य भी परिचित हो जायेंगे। (व्यवधान) मैं आपको निवेदन करना चाह रहा था कि बर किचन के अन्दर जो किचन का साइज है, उस साइज से बहुत बड़ी चिमनी भेज दी गयी। अगर यह डिमांड ली जाये, आज बर में कितने लोग जाते हैं, आज सिलिसेढ़ में जाकर देख लीजिये, कितने ट्यूरिस्ट वहां जाते हैं। इस सामान को खरीदकर वहां भेजना, इसमें मुझे लगता है...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह भाषण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप तो विराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, हम तो विराज जायेंगे, लेकिन इनको अनुमति कैसे? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा ... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जब जरूरत नहीं थी तो खरीदा क्यों? आप खुद कह रही हैं कि चल ही नहीं रहे हैं तो खरीदे क्यों ?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल यही कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये, मंत्रीजी इसका आश्वासन दें...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह जो इतना खर्चा हुआ है, इसकी विस्तृत जांच कराकर अधिकारी की जिम्मेदारी आप तय करेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। बस यह कमिटमेंट करें आप।

(12.00 बजे)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आर टी डी सी द्वारा किचन इक्विपमेंट क्रय का निर्णय बिना किसी पर्याप्त आधार के किया गया और खरीद के पूर्व किसी भी यूनिट से रिक्वायरमेंट तक नहीं ली गयी लेकिन अब उन सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर लिया गया है। इसमें भ्रष्टाचार जैसी कोई बात नहीं है। कई बार अधिकारी ओवर-एन्थुसियाज्म, ओवर-एक्साइटमेंट के अन्दर काम्पीटिशन को देखते हुए अपने आप को बहुत फार्वर्ड साबित करने के लिए कर देते हैं। उसको हम लोग इसमें कमेटी का गठन कर इसकी जांच करवायेंगे और अगर इसमें किसी अधिकारी की गलती पायी जाती है तो एक्शन लेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। प्रश्नकाल समाप्त।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री दीपचन्द तथा जापान में आये भूकम्प तथा सुनामी में मारे गये लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

दीपचन्द, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री दीपचन्द का जन्म 25 जनवरी, 1925 को चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के कालरी ग्राम में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री दीपचन्द वर्ष 1980 में सातवीं राजस्थान विधान सभा के लिए सादुलपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति तथा कृषि, पशुपालन (दुग्ध विभाग सहित), एकीकृत ग्रामीण एवं विशिष्ट योजना विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आप अपने क्षेत्र के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री दीपचन्द वर्ष 1947 में छह माह जेल में बंदी भी रहे।

श्री दीपचन्द का दिनांक 12 मार्च, 2011 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत श्री दीपचन्द के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत की आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

जापान के सेंदई क्षेत्र में भूकम्प व सुनामी से मृत व्यक्ति

दिनांक 11 मार्च, 2011 को जापान के सेंदई क्षेत्र में आये 8.0 रिक्टर तीव्रता वाले भूकम्प तथा इसके पश्चात् आये सुनामी से उत्तर-पूर्वी जापान के कई क्षेत्र प्रभावित हुए। इस प्राकृतिक आपदा में हजारों लोग मारे गये तथा बड़ी संख्या में लोग लापता हुए। इस आपदा से इन क्षेत्रों में सभी नागरिक सेवायें बाधित हुई हैं और सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ है।

मैं इस प्राकृतिक तबाही में मारे गये व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(माननीय सदस्यों द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि दी गयी)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री शंकर सिंह रावत एवं नौ अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान की रावत, महेरात एवं कठात जाति को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में आरक्षण न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
2. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर नगर निगम की उदासीनता एवं लापरवाहीपूर्ण कार्य पद्धति से आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
3. श्री सूरजभान धानका, सदस्य की ओर से भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय के पत्र के आधार पर धानका जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
4. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से जिला श्रीगंगानगर में जन सहयोग से निर्मित अस्पताल की दुर्दशा एवं डाक्टरों द्वारा ड्यूटी समय में निजी प्रैक्टिस किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
5. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से जिला राजसमंद में एन आर एच एम के तहत नियुक्त 26 जी एन एम की सेवायें माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के स्थगन आदेश के बावजूद भी समाप्त कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
6. श्री हेमसिंह भड़ाना एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में पाण्डुपोल हनुमान जी मंदिर में दर्शनार्थियों को लाने वाले वाहनों पर रोक लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
7. श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से जयपुर के मूर्ति कला उद्योग को शहर की घनी आबादी से दूर स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से गुजरात से हरियाणा जाने वाली हाईटेंशन लाइन के खेतों में बनाये जा रहे टावरों में आने वाली किसानों की भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
9. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जोधपुर के उम्मेद अस्पताल

(श्री अध्यक्ष)

में संक्रमित ग्लूकोज के कारण प्रसूताओं की मौतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

10. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जिला जोधपुर के थाना रातानाड़ा क्षेत्र में नवजीवन योजना के अन्तर्गत संचालित विद्यालय के अध्यापक द्वारा नाबालिग बालिका के साथ किये गये दुष्कर्म से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

11. श्री पवन दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान के पैरा खिलाड़ियों के साथ हो रहे भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

12. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित जय ग्लास्को के प्रबन्धकों/मालिकों द्वारा श्रम कानून की अवहेलना किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

13. श्री हरिसिंह रावत एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम के ग्राम भीम में भू-माफियाओं तथा अतिक्रमियों द्वारा भूमियों पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

14. प्रो. वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से जिला अजमेर में जेनेरिक दवाइयों के नाम पर सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

15. श्री बाबू सिंह राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश के मण्डी प्रांगणों में निर्मित किसान भवनों को लीज/ठेके पर होटल व्यवसायियों को देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

माननीय सदस्यों को पर्ची के माध्यम से बोलने की अनुमति दी गयी है। अत: इन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

16. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई में जले हुए ट्रांसफार्मरों से आम जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

17. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से जिला पाली, सिरोही, बीकानेर, मारवाड़, अहमदाबाद को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे की चौड़ाई कम होने

(श्री अध्यक्ष)

के कारण आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

18. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली जिले की रोहट तहसील की ग्राम पंचायत निम्बलि उर्रा में ग्राम सेवक द्वारा वृद्धा एवं विकलांग पेंशन के पात्र व्यक्तियों के आवेदनों को गलत टिप्पणियों से निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

19. श्री छोटूसिंह भाटी एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जिला जैसलमेर में अकाल राहत के अन्तर्गत पशु शिविरों एवं तहसील फतेहगढ़ की बाजरी का फसल बीमा का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री ज्ञानचन्द पारख एवं श्री छोटू सिंह भाटी को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

नदबई में जले हुए ट्रांसफार्मरों से जनता को हो रही परेशानी

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत जिले में जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलवाने के सम्बन्ध में।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फार्मेशन के तहत एक बात उठाना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। आपको परमिशन नहीं दी है मैंने। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। इनसे बात हो गयी थी मेरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): मैं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा में तीन तहसीलें हैं व नदबई में 37 पंचायत हैड-क्वार्टर्स हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी विधान सभा नहीं, आपके विधान सभा क्षेत्र में; विधान सभा तो यह है।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): विधान सभा क्षेत्र में। विधान सभा क्षेत्र में नदबई तहसील में 37 पंचायत हैडक्वार्टर हैं, रूपवास तहसील में 18 पंचायतें हैं और सेवर में 12 पंचायतें हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह टोटल मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के अब तक 68 पंचायत हैडक्वार्टर होते हुए...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्रीजी, आप क्यों खड़े हैं ?

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): 68 पंचायत हैडक्वार्टर होते हुए इन इलाकों में जहां-जहां किसानों के घर के कनेक्शन के बिजली के ट्रांसफार्मर फुंक जाते हैं, वे समय पर बदले नहीं जाते हैं, यानी फेल्यर रिपोर्ट आपकी एक-एक, दो-दो महीने के बाद बनती है। तब तक किसान इन लोगों के, विभाग के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, और कोई काम नहीं करते हैं। जब भी हम जाकर के एस.ई. साहब से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि आपकी फेल्यर रिपोर्ट नहीं आयी है तो किसानों के ट्रांसफार्मर कैसे बदले जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहती हूं कि अगर किसान ऐसे ही परेशान होता रहेगा तो आम जनता का क्या होगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चाहती हूं कि जो ए.ईएन. बैठता है नदबई में, इसका व्यवहार सही नहीं है। आम जनता का वह सही जवाब नहीं देता और कभी-कभी वह आफिस में बैठता ही नहीं है। जनता से यह कहता है कि भरतपुर जाओ और स्टोरकीपर से अपना ट्रांसफार्मर ले आओ। दुर्भाग्य की बात यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में मेरा रेजिडेंस जहां है, मेरे बगल में ही आर.एस.ई.बी. का आफिस है तो पूरे जिले की आम जनता वहीं आती रहती है जब इनको ट्रांसफार्मर की दिक्कत आती है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसे ए.ईएन. को मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई से हटाया जाय और किसी ए बी सी डी को लगा दो वहां पर और आम जनता को संतुष्ट तरीके से जवाब दिया जाय जिससे इनको ट्रांसफार्मर की कोई दिक्कत नहीं आये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आपके मीटर हैं। मीटर जले हुए

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा))

हैं, मीटर के पैसे जमा हो जाते हैं, मीटर चेंज नहीं किये जाते हैं। क्योंकि यह मार्च क्लोजिंग चल रही है, किसानों की कमर ऐसे निचोड़ देते हैं कि फ्लैट रेट में इनके बिलिंग आती है और दुगने-तिगुने बिल हो जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि भरतपुर में सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर्स की कमी है, 16 के.वी. के और 25 के.वी. के। मैं आपसे, मंत्रीजी, पहले भी मिल चुकी हूं, आपके सी.एम.डी. साहब से भी फोन पर बातकर के मैंने उनसे भी कहा है कि इनको जल्दी से जल्दी भेजा जाए जिससे हम को यह सुविधा उपलब्ध हो सके क्योंकि अब बच्चों की परीक्षा आने लगी है, बोर्ड की परीक्षा है, बिजली मिल नहीं रही है, आपके कई फीडर डाउन हो जाते हैं और इनकी पढ़ाई में लगातार दिक्कत आती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेकर इतना विश्वास दिलाती हूं, माननीय मंत्रीजी, कि मेरी सुविधाएं हैं, मीटर और ट्रांसफार्मर 16 के.वी. के और 25 के.वी. के जल्दी से जल्दी चेंज कराये जाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पाइंट आफ इन्फार्मेशन में आप कुछ व्यवस्था...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री पुष्पेन्द्र सिंह। श्री पुष्पेन्द्र सिंह। अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय पुष्पेन्द्र सिंह। अंकित नहीं होगा। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है। मैंने माननीय पुष्पेन्द्र सिंह जी को अलाउ किया है।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय पुष्पेन्द्र सिंह जी को मैंने अलाउ किया है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ×××

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर, विराजें आप। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी बजट पर बोलना है, माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी बजट पर बोलना है, काफी समय उसमें जायेगा। मैं चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य बोल सकें तो उनके समय का सदुपयोग हो। इसलिए मेहरबानी करके कृपया सहयोग करें।

केवल माननीय पुष्पेन्द्र सिंह जी को मैंने अलाउ किया है, और किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपके व्यवधान उत्पन्न करने से बहुत से माननीय सदस्य समय का उपयोग नहीं कर पायेंगे, आज बोल नहीं पायेंगे। आप समय का ध्यान रखें, कृपया डिस्टर्ब न करें। कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह। श्री पुष्पेन्द्र सिंह। (व्यवधान) आपके दल के सदस्य हैं, इनसे प्रार्थना कर लीजिए आप। (व्यवधान) आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने आपको इजाजत दी है।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। इस मुद्दे पर मंत्रीजी का स्टेटमेंट हो चुका है, चर्चा हो चुकी है, सारी बात होने के बाद रोज, बार-बार अगर आप उठायेंगे तो ...(व्यवधान) कृपया विराजें। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री अध्यक्ष:...(व्यवधान) बोल नहीं पायेंगे, समय इसमें पूरा हो जायेगा। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, कृपया पुष्पेन्द्र सिंह जी को बोलने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपके व्यवधान के कारण बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं, समय के अभाव में वे नहीं रख पायेंगे। कृपया व्यवधान पैदा नहीं करें।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री अध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर विराजें। श्री पुष्पेन्द्र सिंह। (व्यवधान) श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आप हाउस को तो आर्डर में लाएं, क्या बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप प्रार्थना कर लीजिए, मैं तो निवेदन कर चुका हूं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आप ही ला सकते हैं, मैं तो कैसे ला सकता हूं आर्डर में?

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी पार्टी के सचेतक से भी निवेदन कर चुका हूं, इनसे भी निवेदन कर चुका हूं कि कार्यवाही चलने दें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में आप ला सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: समय इसी में खराब हो जाएगा। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): हाउस को आर्डर में आप ला सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं कैसे ला सकता हूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं आज अलाउ नहीं करूंगा, किसी सूरत में अलाउ नहीं करूंगा और समय बहुत कम है। मैं माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देना चाहता हूं। आपकी सूची के अनुसार सदस्य बोल नहीं पायेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अध्यक्ष महोदय, कल का समय तय कर दें, सबको बोलने का मौका मिल जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में जोर-जोर से बोला जाना)

श्री अध्यक्ष: आपकी वजह से और माननीय सदस्य आज बोल नहीं सके। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल का टाइम दे दें, कल का टाइम दे दें तो हाउस आर्डर में आ जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। गलत बात है, यह तरीका नहीं है। मैं पुन: निवेदन कर रहा हूं अन्तिम बार आपसे कि और माननीय सदस्य बोल नहीं पायेंगे आपकी सूची के, समय इसी में पूरा कर रहे हैं। मैं पुन: आपसे निवेदन कर रहा हूं।कृपया अपने स्थान पर विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह। नहीं बोलना चाहते? (व्यवधान) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, शुरू करिये। (व्यवधान)

सोजत-पिण्डवाड़ा क्षेत्र के राजमार्ग की कम चौड़ाई के कारण कारित दुर्घटनाएं

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने स्थगन प्रस्ताव के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जिक्र कर रहा हूं स्टेट हाईवे का जो सोजत से लेकर पिण्डवाड़ा तक गुजरता है, लगभग तीन चार नगरपालिकाएं इसके बीच में आती हैं और दस -पन्द्रह गांव हैं जो दस हजार से ऊपर आबादी वाले हैं। यह हाईवे नेशनल हाईवे सोजत रोड़ से पिण्डवाडा जाता है, उससे लगभग पैंसठ किलोमीटर दूरी का यह शार्ट रास्ता है और इस रास्ते में आये दिन इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में सादड़ी से लेकर पिण्डवाडा के बीच में कई बड़ी सीमेंट फैक्ट्रीज जैसे बिनानी है, जे के सीमेंट है, वाल्केन माइन्स है और उदयपुर के जितने भी आपके मार्बल व्यवसायी के काम हैं, आबू रोड़ से जो भी मार्बल व्यवसायी का काम है, इसी रोड से निकलता है। जो आज आपकी सड़क है, वह लगभग तीन मीटर चौड़ी है और स्टेट हाईवे है।

आये दिन ट्रैफिक का देखें तो आपके जो नार्म्स हैं उसके हिसाब से

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

छह हजार पी यू सी से ज्यादा है। आज यह हालत है सड़क की। तीन मीटर यह चौड़ी सड़क है, उसके दोनों तरफ नरेगा में डेढ़-डेढ़ मीटर इसको खोदा गया है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि नरेगा में पिछले दो साल से यह काम चल रहा है, दो साल से यह पटरी खुदी हुई है। आज नरेगा पी डब्ल्यू डी एजेन्सी है, आज दो साल हो गये उस पटरी को, आज दिन तक नरेगा के तहत मेटल का काम नहीं हुआ जिससे आये दिन या तो कोई मोटर साइकिल वाला उसमें गिर रहा है, कोई ट्रैक्टर वाला गिर रहा है, कोई जीप वाला गिर रहा है या कोई न कोई ट्रक गिर रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि यह जो रोड सोजत रोड से पिण्डवाड़ा जो नेशनल हाईवे है, बाहरी घाटे के कारण जितने भी ट्रक्स हैं, बाहरी घाटे से चढ़ने से घबराते हुए वहां एक्सीडेंट को देखते हुए इस साइड से गुजरते हैं।

मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह इस जिले की बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है रामासिया से लेकर गोमती सड़क, ग्यारह किलोमीटर चौड़ा करने का जो आपने हाथ में लिया है, ब्रिज कार्पोरेशन द्वारा जो आप काम चला रहे हैं, मैं आपसे पुन: निवेदन करूंगा कि आज यह जिले की मुख्य सड़क है जो सोजत रोड से लेकर आज पिण्डवाड़ा तक दो जिलों को जोइन करता है, वह वापस नेशनल हाईवे आबू रोड से होते हुए अहमदाबाद जाती है सड़क। इस पर सीमेंट फैक्ट्रीज का जो लोड है, मार्बल व्यवसायी का जो लोड है, आये दिन वहां ट्रैफिक जाम रहता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है मण्डियों तक जाने के लिए। आपके जो पी यू सी नार्म्स हैं छह हजार उससे भी ज्यादा तादाद में वहां वीकल्स निकलते हैं ।

मैं समझता हूं, यह जिले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है जो आज आपका स्टेट हाईवे है, तीन मीटर उसकी चौड़ाई ,है कम से कम सात मीटर इसकी चौड़ाई करिये ताकि आम आदमी को इस परेशानी से गुजरना नहीं पड़े । नरेगा के माध्यम से आपने जो काम चालू किया, जो पिछले दो साल से चल रहा है, उसकी पटरी खुदी हुई पड़ी है, दो साल से मेटल कम्पोनेंट का काम नहीं हो रहा है। ठेकेदारों ने उस काम को पैंतीस परसेंट बिलो ले लिया है। या तो वह ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं तो उनको निरस्त किया जाए और वापस टेंडर लगाया जाए जिससे वापस यह काम हो। दो साल से आपकी जो पटरियां खुदी हुई हैं, आज दो साल से मेटल कम्पोनेंट का काम नहीं हो रहा है। इसलिए वह सड़क खुदी हुई पड़ी है और आम आदमी जो वहां से गुजरता है, उसको काफी तकलीफ होती है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द जी पारख।

निम्बली उर्रा ग्राम पंचायत (पाली) में देय पेंशन प्रकरणों की ग्राम सेवक द्वारा अनियमित निरस्ति

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे समाज में ऐसे बहुत से वृद्ध हैं, वृद्धा हैं, विकलांग हैं और विधवा हैं जो किन्हीं परिस्थितिवश अपना गुजारा करने में अक्षम हैं और उनके लिए पेंशन की योजना सरकार ने लागू कर रखी है। जनता से चुने हुए जन प्रतिनिधि और उनके द्वारा बनायी गयी सरकार तो उनकी पीड़ा को समझती है और यह प्रयास भी करती है कि बजट में ऐसे प्रावधान किये जाएं कि जो भी असहाय हैं उनको सरकार की ओर से कुछ न कुछ सहायता मिल जाए ताकि वे अपना पेट पालन कर सकें। सरकार ने बहुत सारी पेंशन की योजनाएं बनाईं और उन योजनाओं के लिए मापदण्ड भी निर्धारित किये कि कौन-कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो पेंशन की पात्रता रखते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे सरकार अच्छी से अच्छी योजना बना दे, चाहे सरकार की नीति बहुत अच्छी हो लेकिन जब तक नीचे के कर्मचारी ईमानदारी से उस योजना को लागू नहीं करेंगे तो सरकार जिस व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है, वह लाभ उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद यह स्वीकार कर चुके थे, उनका अख़बार में स्टेटमेंट आया था कि लोगों को पेंशन के लिये बाबू चक्कर लगवाते हैं, महीनों-महीनों तक उनकी पेंशन स्वीकृत नहीं की जाती। जब सरकार के मुखिया इस बात को मानते हैं तो जो भी ऐसे बाबू हैं, जिसका हक उनको मिलना चाहिये, देने से वंचित रखते हैं, ऐसे बाबुओं के ऊपर कोई कठोर कार्यवाही नहीं की तो सरकार की जो मंशा है राहत पहुंचाने की, सहायता पहुंचाने की, वह मंशा अधूरी रह जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की रोहट पंचायत समिति के गांव निम्बलि उर्रा में विकास अधिकारी ने ग्राम सेवक को जो पेंशन के आवेदन थे उनकी जांच के लिये 7 महीने पहले फार्म दिये कि आपको जांच करनी है। जिस-जिस आवेदक ने उससे सेटिंग कर ली, उसको खुश कर दिया, उनके आवेदन तो स्वीकार करके उसने 3-4-5-10 दिनों में भेज दिये लेकिन बहुत सारे ऐसे आवेदन जिनको 7 महीने हो गये, उस ग्राम सेवक ने पंचायत समिति के कार्यालय में नहीं पहुंचाये। हमारे पाली के जो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जिला कलक्टर हैं, वे खुद जब पंचायत समिति के निरीक्षण में आये थे तो उन्होंने माना कि वाकई में ग्राम सेवक ने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है, बहुत लापरवाही की है, बदमाशी की है। पर सज़ा क्या उसकी? मात्र 17 सीसीए का नोटिस दे दिया। इससे ये सुधरने वाले नहीं हैं। यदि जांच में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है, जांच में बेईमानी, भ्रष्टाचार होता है, कोई कठोर सज़ा देंगे तब ही आपकी यह योजना सार्थक होगी, वरना सार्थक होने वाली नहीं।

इससे भी आगे बढ़कर, माननीय अध्यक्ष...

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी)

पेंशन के स्वीकृत आवेदन जिनकी जांच हर स्तर पर हो गयी, ग्राम सेवक ने जांच कर ली, पटवारी ने जांच कर ली, आई आर ने जांच कर ली, तहसीलदार ने जांच कर ली, विकास अधिकारी और उप-खण्ड अधिकारी ने स्वीकृति के आदेश जारी कर पी पी ओ बनाने के लिये ट्रैजरी में भिजवा दिये लेकिन वहां के कनिष्ठ लेखाकार की नीयत ठीक नहीं। 400 आवेदन स्वीकृत करके भिजवाये और 400 में से 250 में उसने आपत्ति लगा दी। जब यह छह स्तर पर जांच हुई, एस डी एम और विकास अधिकारी खुद ने स्वीकृति के आदेश भेजे तो कनिष्ठ लेखाकार इतनी बड़ी पोस्ट पर नहीं है कि वह उनके आदेशों की पालना नहीं करे और कोई आपत्ति लगा दे। आपत्ति लगा दी, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र पेश करो। कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, राशन कार्ड में आयु लिखी होती है, पटवारी आयु प्रमाणित करता है। उसके बाद आपत्ति लगा दी और वे फार्म अभी इधर से उधर धक्के खा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब विकास अधिकारी के यहां से, जब उप-खण्ड अधिकारी के यहां से पेंशन जारी करने के, पी पी ओ जारी करने के आदेश जारी होते हैं तो उसमें पेंशन भुगतान तिथि अंकित होती है कि इस तारीख से इसको पेंशन का भुगतान होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा आपको और सदन को कि जो भुगतान तिथि विकास अधिकारी और उप-खण्ड अधिकारी ने अंकित की, कनिष्ठ लेखाकार ने अपनी इच्छा से उसमें परिवर्तन कर दिया, 4-5 महीने आगे बढ़ा दिया। 4-5 महीने कोई मामूली बात नहीं और ऐसे भी पेंशन के आवेदन हैं, ऐसे परिवार जो बी पी एल में है, पेंशन की पात्रता रखते हैं, बी पी एल की सूची हर ग्राम सेवक के पास मौजूद है, कुलथाना ग्राम सेवक ने तो जो परिवार बी पी एल में थे, आवेदन पर उनके क्रमांक लिखे हुए, उसके बावजूद भी लिख दिया ये बी पी एल में नहीं हैं जबकि उनके नम्बर लिखे हुये थे। उसकारण वे पात्र व्यक्ति भी पेंशन से वंचित रह गये।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी सरकार ने बीच में संयुक्त वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्ति थे, उनके लिये नीति बना दी कि दोनों के अलग-अलग आवेदन कर दो, दोनों के अलग-अलग पी पी ओ जारी कर दो, और दोनों को समान पेंशन दो। पेंशन सरकार ने बढ़ायी 200 रुपये महीने की मात्र, उनके पी पी ओ अलग-अलग जारी करने थे, पेंशन रोकनी नहीं थी, पर उस कनिष्ठ लेखाकार ने कई पेंशन जो पहले से मिल रही थीं, इस अलग-अलग करने के नाम पर कइयों की पेंशन रोक दी कि नये आवेदन करके लाओ। जब पेंशन पहले से प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें नये आवेदन की आवश्यकता कहां है? 7 महीने से ऐसे बहुत सारे स्वीकृत आवेदन होंगे, मात्र आन-लाइन करने हैं कि यह आन-लाइन हो गये तो इनको पेंशन चालू हो जाए, पर वही बाबुओं का कारनामा, जिसने खुश कर दिया उसकी आन-लाइन कर दी, जो खुश नहीं कर पाया आन-लाइन के लिये अभी लम्बित पड़े हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है। सरकार चाहती है, सरकार ने इतनी बड़ी-बड़ी छूट दी है, इतनी बड़ी-बड़ी राहत दी है तो जो राहत जनता को नहीं मिलेगी तो आपका यह बजट काम क्या आयेगा? मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि पिछली बार भी आपने एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया था कि इन-इन ग्राम सेवकों ने जांच में अत्यधिक विलम्ब किया है, जब तक आप उनको दंडित नहीं करोगे, कठोर सज़ा नहीं दोगे, आपकी और आपकी सरकार की मंशा पूरी होने वाली नहीं। गरीब तो वैसे ही तड़पता रहेगा पेंशन के लिये..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वृद्ध, विधवा, विकलांग चक्कर लगाते रहेंगे, पेंशन के लिये भ्रष्टाचार होगा, बेईमानी होगी। माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि जिन-जिन ग्राम सेवकों ने इसमें बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है, देरी की है, विलम्ब किया है, उनको आप कठोर सज़ा दिलवाओ। वरना आपकी यह योजना है ना, इसका लाभ जनता को मिलने वाला नहीं।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वाकई में बहुत ही दुःखी हूं। मैंने कई बार टेलीफोन लगाया। हजारों व्यक्तियों की पीड़ा वाकई में मैं आपको बता रहा हूं। माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि उनके ऊपर रहम खाये यह सरकार, उन वृद्ध, विधवाओं के ऊपर। मैं यह नहीं

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कहता कि नियमों में छूट दे दो, जो पात्रता रखते हैं उनको पेंशन समय पर मिल जाए। माननीय मंत्री महोदय, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि जिस-जिस ग्राम सेवक ने इसमें बेईमानी की है, अनावश्यक विलम्ब किया है, उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट माननीय मंत्रीजी को बुलवा दें। दो मिनट के लिये मेरा निवेदन है..

श्री अध्यक्ष: श्री छोटूसिंह भाटी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): वाकई बहुत गम्भीर विषय है। मैं कई बार इसके बारे में निवेदन कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष: गम्भीरता को देखते हुए ही मैंने आपको समय दिया है। कृपया विराजें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: स्टेटमेंट दिलाना जरूरी नहीं है। श्री छोटूसिंह जी भाटी। कृपया विराज जाएं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय मंत्रीजी, ऐसे गम्भीर विषय पर... (व्यवधान) मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि यह गरीबों, असहायों से जुड़ा हुआ मुद्दा है...

श्री अध्यक्ष: मैंने आपकी बात सुन ली। प्लीज विराज जाएं। कृपया आप विराज जाएं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ऐसा होने के बाद इनको सज़ा नहीं दी गयी तो उनके हौसले बुलन्द होंगे और ये आवेदन लम्बित करेंगे।

जैसलमेर में पशु शिविरों तथा फतेहगढ़ तहसील में फसल बीमा का भुगतान नहीं किया जाना

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 2011 में पशु शिविर खुलवाए...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब विराज जाएं। कृपया विराजें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): इसका जवाब दिलवा दो आप।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठ जाएं।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): और सरपंचों द्वारा उन पशु शिविरों का संचालन किया गया। माननीय मंत्री महोदय विराजे हैं, मेरा निवेदन है सरकार से कि बिफोर लास्ट ईयर अकाल राहत में पशु शिविर खुलवाए, उन पशु शिविरों का संचालन ग्राम पंचायत के द्वारा हुआ, सरपंचों द्वारा पशुओं का चारा डाला गया लेकिन उन पंचायतों के कई सरपंच आज तक भुगतान के लिये भुगत रहे हैं। केवल नाम मात्र का भुगतान हुआ है। पशु शिविरों में खूब घोटाले हुए, खूब भ्रष्टाचार हुआ लेकिन हकीकत में सरपंच जिन्होंने ईमानदारी से काम किया, वह मार्च से आज मार्च दूसरा आ रहा है, उनको भुगतान नहीं हुआ। करोड़ों रुपयों का भुगतान पशु शिविरों का जैसलमेर में आज भी बकाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन सरपंचों पर रहम करो जिनके अथक प्रयास से आपकी सरकार आयी है। उन सरपंचों के साथ सरकार का इस प्रकार का व्यवहार है, एक साल हो गया उनको भुगतान नहीं हुआ।

इसी के साथ किसानों की भी समस्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले में मेरे क्षेत्र की फतेहगढ़ ग्राम तहसील में आज तक बाजरी का भुगतान नहीं हुआ। जैसलमेर में ही पोकरण में हो गया, जैसलमेर में ही जैसलमेर तहसील में हो गया लेकिन फतेहगढ़ तहसील का भुगतान आज तक नहीं हुआ। कहां रुका, कहां नहीं रुका, प्रशासन-गांवों-की-ओर में भी खूब कहा गया, कहने के बावजूद यही जवाब आया कि कागज हमने आगे भेज दिया है। भुगतान क्यों नहीं आया? यह मिस्टेक अधिकारियों की लापरवाही से हुई है। सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। किसानों का पास हुआ क्लेम बीच में कागजों में कहां अटका है, यह कौन जाने? सरकार इस गम्भीर मामले को गम्भीरता से लेकर के किसानों को भुगतान तुरंत दिलाये।

साथ में पशु शिविरों में सरपंचों ने अपनी जेब से खर्च करके, ब्याज से पैसा लाकर के गायों को बचाया। उनको वाउचर पेश किये हुए एक साल हो गया है, ना उनको भुगतान मिला है और ना ही सही प्रकार का जवाब अधिकारी दे रहे हैं जैसलमेर जिला कार्यालय में। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अकाल राहत मंत्रीजी खुद विराजे हुए हैं, आप यह बता दीजिये कि उन सरपंचों को भुगतान कब किया जायेगा। माननीय मंत्री महोदय, आप विराजे हो, एक साल हो गया है, वाउचर सरपंचों ने पेश कर दिये फिर भी भुगतान आपने क्यों नहीं किया, कारण स्पष्ट बतायें। सरपंचों के पास पैसा नहीं था, पैसा सरपंच

(श्री छोटूसिंह भाटी)

लाये थे गौ-धन बचाने के लिए, पशुपालकों के धन को बचाने के लिए। आपने पशु शिविर खोले। एक साल हो गया, भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है, मंत्री महोदय, इसकी जानकारी दें सदन में। मंत्री महोदय, बताइये, क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा है भुगतान?

अध्यक्ष महोदय, एक साल हो गया है, गांवों में पशु शिविरों में सरपंचों ने इधर-उधर से उधार लाकर के गौ-धन को बचाया लेकिन उनको भुगतान नहीं हो रहा है। वाउचर पेश कर दिये, तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं, एस डी एम आफिस के चक्कर काट रहे हैं, यही कह रहे हैं कि पैसे ऊपर से आ नहीं रहे हैं, पैसे नहीं आये हैं। क्या कारण है कि पैसे नहीं आ रहे हैं? इसमें उनका कोई गुनाह नहीं है। ग्राम पंचायत के सरपंचों का कोई गुनाह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, साथ में बहुत बड़ी समस्या किसानों के साथ है। मैं दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील जैसलमेर में फसल बीमा बाजरे का क्लेम हो गया, तहसील पोकरण में फसल बीमा बाजरे का क्लेम हो गया, फतेहगढ़ ने क्या गुनाह किया है? एक ही क्षेत्र है, दूरी मात्र 10 या 15 किलोमीटर की है, उनको भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है, किस कारण से उनका रुका हुआ है? सरपंचों और ग्रामवासियों द्वारा कहा गया है लेकिन जवाब नहीं आ रहा है। प्रशासन-गांव-के-अन्दर बहुत वाहवाही हुई कि सब कामों का निस्तारण हो गया है, सब काम हो गया, हो जायेगा लेकिन यह काम क्यों नहीं हो रहा है? उनको भुगतान होना चाहिए, बाजरे के क्लेम का। संवेदनशील है सरकार, फिर भी किसानों के साथ में कुठाराघात कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि कृपया इसके बारे में सोच-विचार करें, उन किसानों के प्रति आप रहम बरतें। किसानों से सरकार चलती है। किसानों को भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, कृपया मंत्री महोदय इसके बारे में भी हमें बतायें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें आप (व्यवधान).आप बहुत दयालु हैं, गरीबों के प्रति आपके मन में बहुत दर्द है। मेरा निवेदन सुन लें आप। सैकड़ों व्यक्ति पेंशन से वंचित रहे हैं जो पात्र हैं... (व्यवधान)

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलायें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ग्राम सेवक और अधिकारियों के कारण ...(व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय विराजे हैं। भुगतान कब होगा, इसका जवाब दिलायें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी विराजें हैं ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप बहुत दयालु हैं ...(व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष: आसन पावों पर है, आसन पावों पर है। कृपया विराजें।...(व्यवधान)प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

1. श्री रमेश चन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के राजकीय महाविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किये जाने के संबंध में।

2. श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से भिवाड़ी से अलवर राजमार्ग संख्या 25 के निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में।

3. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा शहर में पेयजल एवं सीवरेज की लाइनों के मिल जाने से आम जनता को प्राप्त हो रहे दूषित जल के संबंध में।

4. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के संबंध में।

5. श्री सुखराम नेतड़िया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में बेमौसम की बरसात से रबी की फसल को हुए नुकसान के संबंध में।

6. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से निदेशालय आयुर्वेद विभाग में बैकलाग पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति के नर्स/कम्पाउंडरों को पूरा वेतन नहीं दिये जाने के संबंध में।

7. कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री नवलकिशोर मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में परिवहन निगम की बसें चलाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की उप-तहसील सूरजगढ़ को तहसील में परिवर्तन करने के संबंध में।

10. श्री नगराज मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धरियावद में धरियावद-बान्सी सड़क मार्ग का सुदृढ़ीकरण किये जाने के संबंध में।

11. श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना की तहसील बयाना एवं रूपवास में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्रीमती मंजू देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल में डोसियन कम्पनी द्वारा दिये जा रहे शुद्व जल की उच्च स्तरीय जांच कराने के संबंध में।

चूंकि आज समय की थोड़ी कमी है और माननीय सदस्यों को काफी बोलना है, अगर आप सबकी इजाजत हो तो 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाये। धन्यवाद।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 295 मेरा भी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषयों पर। आज दिनांक 15 मार्च, 2011 को शून्य काल में बोलने हेतु 36 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें श्लाका के द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयी हैं जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री हरिसिंह रावत, देवगढ़ नगरपालिका का मास्टर प्लान राजस्थान नगर सुधार अधिनियम के सामान्य नियम 1962 की भावनाओं के अनुरूप तैयार नहीं किये जाने के संबंध में।

2. श्री वासुदेव देवनानी, अजमेर जिले में जेनेरिक दवाइयों पर बढ़ रहे भ्रष्टाचार व जीवन के साथ हो रहे खिलवाड़ के संबंध में।

3. श्री बाबूसिंह राठौड़, मंडी प्रांगण में निर्मित किसान भवनों को लीज/ ठेके पर होटल व्यवसायियों को देने की प्रक्रिया के विरोध के संबंध में।

4. श्री अभिषेक मटोरिया, हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में नोहर फीडर से साहवा लिफ्ट योजना के गांवों में हो रही आबियाना वसूली बंद करने के संबंध में।

श्री हरिसिंह रावत।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सरपंचों को भुगतान कब होगा? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय विराजे हैं, ओला साहब। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय विराजे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री बिराजे हुए हैं, कृपया जवाब दिलायें। (व्यवधान) मंत्रीजी विराजे हैं, जवाब दिलायें। (व्यवधान) भुगतान कब होगा सरपंचों को?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): जांच करवा दें, मंत्रीजी को जांच में लगे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बात आ गयी सारी, आपने ध्यान में ला दी ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, आप बहुत दयालु हैं ... (व्यवधान)

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): मंत्रीजी विराजें हैं, जवाब दिलायें। जवाब दिलायें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): बहुत दर्द है और मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा अन्याय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी बात आ गयी सारी, कृपया आगे चलने दें। समय खराब हो रहा है ...(व्यवधान) पाबंदी है, सीमा है समय की।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का काम है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा (व्यवधान) श्री हरिसिंह।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

देवगढ़ नगरपालिका का मास्टर प्लान राजस्थान नगर सुधार अधिनियम के अनुरूप तैयार नहीं किया जाना

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका देवगढ़ जिसकी स्थापना 30 अक्टूबर, 1952 को हुई थी, आज 59 वर्ष उस नगरपालिका को हो

(श्री हरिसिंह रावत)

गये। इसके अन्तर्गत कुछ समय पहले राजस्थान नगर सुधार अधिनियम (सामान्य नियम) 1962 की भावनाओं के अनुरूप इसके पुन: विस्तार हेतु योजना बनायी गयी थी। अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि देवगढ़ में मास्टर प्लान को वित्तीय वर्ष 2032 मानकर जो प्लान तैयार किया गया है, वह मास्टर प्लान नगर सुधार अधिनियम के सामान्य नियम 1962 की भावनाओं के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है। किसी भी कस्बे का मास्टर प्लान कालांतर में बढ़ते हुए नगर के निवासियों को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उक्त प्लान को बनाते समय क्षेत्र का भौतिक सर्वे नहीं किया गया, न ही मौके की स्थिति को देखा और ना ही देवगढ़ में संचालन मंडल से परामर्श किया गया, बल्कि कार्यालय में बैठे-बैठे ही विसंगतिपूर्ण मास्टर प्लान तैयार कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन है कि पुन: इसका विस्तारपूर्वक सर्वे कराया जाये, वापस यह मास्टर प्लान तैयार किया जाये ताकि जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जा सके। जब भी यह मास्टर प्लान तैयार करें, उस वक्त हमारे देवगढ़ के संचालन मंडल से भी परामर्श किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, आज देवगढ़ में पेयजल का भी भारी संकट है, आये दिन टैंकरों द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है। मेरा आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन है कि पेयजल के लिए जो पुरानी पाइप लाइन है, उसका विस्तार किया जाये। उसके साथ-साथ ही, अभी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि आमेट नगरपालिका को बाघेरीनाका पेयजल योजना से जोड़ा जायेगा। मेरा यह निवेदन है कि जब 100 किलोमीटर बाघेरीनाका से पानी आमेट आ सकता है तो आमेट से 25 किलोमीटर दूर देवगढ़ नगरपालिका को पानी क्यों नहीं आ सकता है? उस योजना के माध्यम से आमेट से होते हुए 25 किलोमीटर दूर स्थित देवगढ़ नगरपालिका के लिए भी पेयजल व्यवस्था करायी जाये ताकि वहां भी जो हमेशा टैंकरों द्वारा पेयजल की व्यवस्था की जाती है जिसमें कि भयंकर भ्रष्टाचार होता है, वह भ्रष्टाचार भी रुक सकेगा और देवगढ़ की पेयजल व्यवस्था भी सुदृढ़ हो सकेगी।

मुझे आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर में जेनेरिक दवाइयों में बढ़ रहा भ्रष्टाचार व स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे मुद्दे की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाह रहा हूं जिससे अजमेर में लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। अजमेर के जिलाधीश ने 1 सितम्बर, 2010 को एक आदेश जारी कर जिले के सभी चिकित्सकों को जेनेरिक दवाइयां लिखने के निर्देश दिये। साथ में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह आदेश पारित कर दिया कि उनका पुनर्भरण बिल तभी लिया जायेगा जबकि वे जेनेरिक दवाइयों के लिए होंगे और कोष कार्यालयों को भी इस प्रकार के आदेश दे दिए। साथ में पेंशनधारियों को भी इस प्रकार का करने के लिए कहा। इसका जो कारण बताया गया कि चूंकि चिकित्सा के बिल करोड़ों और लाखों रुपए के ज्यादा आते हैं, सरकार के खाते में पैसा नहीं है, यह सरकार 'पैसा नहीं है', 'पैसा नहीं है', 'खजाना खाली है' का रोना रोते हुए आई है, उसी के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है और उसमें लिखा है, सरकारी कोष में बचत करने के लिए यह आदेश जारी किया जाता है। यह केवल अजमेर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारी जनता के लिए ही किया, सारे राजस्थान के लिए क्यों नहीं लागू किया गया? चिकित्सा विभाग यदि सारे राजस्थान में लागू करता तो बात समझ में आती लेकिन वहां लागू नहीं करके केवल यहीं लागू किया गया।

इसका भी दुष्प्रभाव हुआ। वह इस प्रकार हुआ कि इस आड़ में उपभोक्ता भण्डार, 'अपना बाजार' लो क्वालिटी की दवाइयां खरीद कर जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में 4 कम्पनियां हैं, आर डी पी एल, पी डी पी एल, टी डी पी एल, कर्नाटक फार्मास्यूटिकल्स समेत चार सरकारी कम्पनियां हैं जो जेनेरिक दवाइयां बनाती हैं लेकिन इन कम्पनियों से न खरीद कर ऐसी कम्पनियों से खरीदा गया जो गुजरात सरकार द्वारा पांच साल के लिए प्रतिबंधित हैं और पुड्डुचेरी में भी सरकार ने इनको प्रतिबंधित कर रखा है। उनकी दवाइयों की अजमेर में, राजस्थान में खरीददारी करने के लिए, उनसे यह सारी हल्के स्तर की दवाइयां खरीदी जा रही हैं जिसके कारण से न केवल गुणवत्ता से समझौता हुआ है बल्कि सब स्टेंडर्ड जेनेरिक दवाइयां खरीदी जा रही हैं। उसके कारण से आज अजमेर के हजारों हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर और डाइबिटीज की बीमारी से सम्बन्धित लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये सब-स्टेंडर्ड दवाइयां उनको किसी प्रकार से राहत प्रदान नहीं कर रही हैं। और तो

(श्री वासुदेव देवनानी)

और, एक बार जब 'अपना बाजार' की दवाइयों के सैम्पल लेने के लिए गए, चार सौ दवाइयां वहां पर थीं, उनमें से पांच के सैम्पल लिए गए जिनमें से चार का अभी तक कहीं पता ठिकाना नहीं है और एक सैम्पल की रिपोर्ट आई, तो वह सैम्पल फेल हो गया।

इस प्रकार से फेल होने वाली दवाइयां आज खुलेआम धड़ल्ले से अजमेर में बिक रही हैं और हमारा चिकित्सा विभाग और ड्रग इंस्पेक्टर उसको खुली आंखों से केवल देखते रहे हैं। इस प्रकार खुलेआम भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी हो रही है। इसकी आड़ में अजमेर उपभोक्ता होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार और 'अपना बाजार' खुलेआम कई दवाइयों को ब्रांडेड दवाइयों के मूल्यों से भी अधिक मूल्यों पर बेच रहे हैं, 25 प्रतिशत अपना मुनाफा उस पर ले रहे हैं। इस प्रकार से यदि दवाइयां बिकेंगी तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर की जनता का क्या हाल होगा?

गुजरात सरकार ने जिनको प्रतिबंधित किया, मैसर्स जेग्सन लेबोरेट्रीज, मैसर्स जेग्सन लाइफसाइंस और इस तरह की स्थिति है कि उन्होंने टेंडर किया, 20 कम्पनियों के टेंडर आए और इस कम्पनी का कोई टेंडर भी उसमें नहीं है, फिर भी दवाइयां उन्हीं से खरीदी जा रही हैं। कहीं न कहीं इसमें कोई मिलीभगत है जो सामने ध्यान में आ रही है। अजमेर के सारे पेंशनधारी परेशान हो रहे हैं, सरकारी कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, उनके बिल पास नहीं हो रहे हैं। वे हमारे पास आकर कह रहे हैं कि हमारे बिल भले ही पास न हों लेकिन हम अपने परिवार वालों को मरने नहीं देंगे। इस प्रकार की स्थिति आज पैदा हो गई है। पेंशनधारी रो रहे हैं, वे आकर कह रहे हैं कि हमको ऐसी दवाइयां मत दो, हमारा जीवन सुरक्षित करो। इस प्रकार की सब-स्टेंडर्ड दवाइयां खुलेआम अजमेर के इन सहकारी उपभोक्ता भण्डार और 'अपना बाजार' में बिकेंगी तो हमारी जनता का क्या होगा?

मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से मांग करूंगा कि वे सरकारी कम्पनियों से जेनेरिक दवाइयों की खरीद करें, इसके आदेश तुरन्त जारी करें क्योंकि इस प्रकार की सब-स्टेंडर्ड की दवाइयां आएंगी तो उस पर मुनाफाखोरी होगी, भ्रष्टाचार भी होगा और जनता की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ भी होगा। साथ में, यदि कोई दवाइयां वहां पर ली जाती हैं तो उनके सैम्पल सबसे पहले टेस्ट कराए जाएं ताकि वे सैम्पल सब-स्टेंडर्ड के नहीं हों। बिना उस स्टेंडर्ड के लिए जाएंगे तो इस प्रकार का कभी नहीं होगा। साथ में, ऐसी सभी दवाइयों का

(श्री वासुदेव देवनानी)

नहीं है जिनके लिए जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हों, जो जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हैं, वे सभी प्रकार की नहीं हैं। इसलिए इस तुगलकी आदेश को वापस लिया जाए। यदि जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं तो ब्रांडेड दवाइयां खरीदने और लिखने की अनुमति दी जाए, कम से कम हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज जैसी गम्भीर बीमारियों के लिए तो ब्रांडेड दवाइयां लिखने की अनुमति दें। साथ में यह प्रतिबन्ध समाप्त किया जाए और बिना पहले टैस्ट कराए सैम्पल की कोई भी दवाई मार्केट में नहीं आए और उन कम्पनियों के लिए जिनकी दवाइयां खरीदी हैं, जिनको दी गई हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी तुरन्त कार्यवाही करके राहत प्रदान की जाए ताकि लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ रोका जा सके, उनकी सेहत ठीक की जा सके। यह मैं आपसे पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): चिकित्सा मंत्रीजी से जवाब दिलवाइए। चिकित्सा मंत्रीजी इस पर कुछ कह दें। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वे तैयार हैं, आप उनसे पूछें तो सही।

मंडी प्रांगण में निर्मित किसान भवनों को लीज/ठेके पर होटल व्यवसायियों को दिया जाना

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर जो किसान भवन बने हैं, उन किसान भवनों को पी पी पी मोडल पर व्यवसायियों, कम्पनियों, होटल व्यवसायियों को देने के लिए 4 फरवरी, 2011 को निदेशक, कृषि विपणन ने एक आदेश जारी किया है। मैं इसके विरोध में अपनी बात रखना चाहूंगा।

माननीय वसुन्धरा जी की पूर्ववर्ती सरकार ने यह सोचा था कि हमारा किसान आधुनिक किसान बने, हमारा किसान विकासशील किसान बने। जो खाद्यान्न समस्या का समाधान कर रहा है, धरती के सीने को चीरकर अन्न पैदा कर रहा है, अपने पसीने से अन्न पैदा कर रहा है, उन किसानों के लिए जितने भी राजस्थान के जिले हैं उनके मुख्यालयों पर किसान भवन बने हुए हैं। वहां पर उनको सस्ती दरों पर ठहरने के लिए सुविधा मिली हुई है। वहां पर कृषि जिन्सों, आदानों के लिए उनको एक ही स्थान पर सुविधा मिले, किसानों के लिए वहां पर शोरूम बनाए जाएं, जिन शोरूम में खाद, बीज और वहां पर उनको प्रशिक्षण मिले, उनको कृषि विपणन की नवीनतम जानकारी मिले। इसके लिए

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर किसान भवन बनाए गए और उनका जो नक्शा बनाया गया, वह एक हेरिटेज नक्शा था। लेकिन सरकार ने किसान विरोधी यह निर्णय कर दिया है कि किसानों के जो किसान भवन हैं, उनको पी पी पी मोडल पर पांच वर्षों के लिए लीज पर दिया जाय और उसमें केवल मात्र 25 प्रतिशत आरक्षण ही किसानों के लिए होगा। ऐसा आदेश 4 फरवरी, 2011 को निकाला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सस्ती दरों पर किसान जिला मुख्यालयों पर ठहरें, जब सभी किसान वहां पर आते हैं तो उनका आपसी विचार-विमर्श हो, नई तकनीक के बारे में वे चर्चा करें और उनका प्रशिक्षण हो, उनकी सेमिनार और नई आधुनिक तकनीकों के बारे में उनको जानकारी मिले, सुविधा मिले लेकिन सरकार ने सस्ती दरों पर वसुन्धरा जी के समय में जो किराया तय किया गया था डोरमेटरी के लिए 30 रुपए, अब इसको आदेश निकालकर जो व्यवसायी कम्पनी लीज पर लेगी, वह इसका किराया 50 रुपए करेगी, डबल बेड का जो 150 रुपए था वह 200 रुपए कर दिया गया और जो ए सी रूम साढे तीन सौ का था, उसको सात सौ रुपए करेंगे। इस प्रकार से वह जो लीज पर लेगा, वह किराया बढ़ाएगा। उसके साथ लीज के लिए जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी में भी निदेशक महोदय ने केवल अधिकारियों और कर्मचारियों को रखा है जबकि वहां संचालक बोर्ड बना है और निगरानी समिति भी है। उसमें न तो बोर्ड के चेयरमैन को रखा है और न ही संचालक मण्डल के सदस्य को रखा है, न जन-प्रतिनिधियों को रखा है और इन्होंने अपनी मनमर्जी से उसकी कमेटी भी बना दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के लिए वहां पर किस-किस प्रकार के कार्य शुरू हुए थे लेकिन इन्होंने विधि के अनुसार सम्बन्धित संचालक मण्डल की सहमति लिया जाना भी आवश्यक नहीं समझा। इस प्रकार पूरे किसान भवन का फर्नीचर बरबाद हो रहा है। मण्डी के जो शोरूम हैं, अब जब लीज पर दे दिए गए तो रूम जो किसानों के काम आने वाले थे, खाद-बीज मिलने वाले थे, वहां पर शराब की दुकानें खुलेंगी, वहां पर जूतों की दुकानें खुलेंगी और वहां दूसरे आयाम स्थापित होंगे।

इसको रोकने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि किसान हमारे विकासशील किसान हों, यह हमारी परिकल्पना थी लेकिन अब स्थिति यह बन गई है कि आप वापस किसान को धर्मशाला में धकेलना चाहते हो जबकि उसके लिए आधुनिक किसान भवन बने हुए हैं। इस प्रकार से यह किसान

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

विरोधी सरकार ऐसा निर्णय कर रही है। आप किसानों के अहित के पक्ष में हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 4 फरवरी, 2011 का जो आदेश है उसको वापस लिया जाए और यह किसान भवन ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। श्री अभिषेक मटोरिया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री अभिषेक मटोरिया।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

(13.00 बजे)

नोहर क्षेत्र में किसानों से जबरन वसूला जा रहा आबियाना

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से सदन का ध्यान हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील और मेरे विधान सभा क्षेत्र नोहर की नोहर फीडर और चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना के तहत पड़ने वाले गांवों में किसानों से सिंचाई विभाग द्वारा जबरन और असंवैधानिक रूप से वसूल किये जा रहे आबियाने अर्थात् सिंचाई कर की तरफ दिलाना चाहूंगा।

नोहर फीडर के गांव भूकरका, भगवान देईदास, टोपरिया आदि तथा चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के गांव नीमला, भिराणा, राणीसर, पाण्डुसर, भवलदेसर, बालासर आदि में जरूर सिंचाई विभाग के लोग काश्तकार से जबरन आबियाना वसूली का कार्य कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। और तो और, अध्यक्ष महोदय, यह आबियाना न केवल गत वर्ष का लिया जा रहा है परन्तु पिछले चार-पांच सालों का बकाया निकालकर एक बहुत बड़ी भारी-भरकम राशि का समावेश करके उसमें ब्याज जोड़कर किसानों से जबरन वसूल किया जा रहा है। इस आबियाना वसूली के लिए सिंचाई विभाग के कर्मचारी

(श्री अभिषेक मटोरिया)

और अधिकारी आये दिन निरन्तर गांवों में जाकर यह आबियाना भरने के लिए या सिंचाई कर भरने के लिए लोगों पर दबाव बना रहे हैं, किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अब मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि तुरन्त प्रभाव से उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को, उन सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारियों को रोका जाए और जो बकाया आबियाना है, उससे जरूर उनको रोका जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के सिंचाई कर के साथ-साथ जो पिछले चार-पांच सालों का आबियाना किसानों से वसूला जा रहा है, वह सरासर अधिकारियों की अनदेखी और उनकी लापरवाही का नतीजा है। घर बैठकर, अपने आलीशान दफ्तर में बैठकर इन बड़े-बड़े अधिकारियों ने सारे का सारा जो आबियाना पूर्व सालों का भी है, वह पांच साल का जोड़ दिया और काश्तकारों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है जो कि बिलकुल ही न्यायोचित नहीं है क्योंकि इसके लिए आबियाना अधिनियम के तहत न तो काश्तकारों को किसी प्रकार के नोटिस दिये गये, न ही किसानों को किसी प्रकार से सूचित किया गया, जो कि गलत है। इस प्रकार की वसूली से पहले पूर्व की वसूली निर्धारित करने का जो अधिकार सरकार को है, उसका सरासर दुरुपयोग किया जा रहा है और उसके लिए किसानों को आज दिनांक तक किसी माध्यम से सरकार द्वारा, विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।

वास्तविकता में हुआ क्या कि इस वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष का जो आबियाना वसूल किया जा रहा है वह इसलिए गलत है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस बार वर्षा अच्छी हुई परन्तु पिछले कई सालों में उक्त गांव अकाल की चपेट में थे और अकाल की चपेट में थे तो उस समय निश्चित रूप से पानी की व्यवस्था वहां पर कमजोर थी, वहां पानी नहीं लगा, फिर भी आबियाना उनसे वसूला जा रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय के इनके पिछले से पिछले अभिभाषण में सरकार ने आबियाना वसूली को स्थगित करने की बात कही थी, हम सब ने उसका धन्यवाद दिया था, मेजें थपथपाई थीं, यह बहुत अच्छी पहल थी। उसके परिणामस्वरूप वह स्थगित की गई आबियाना वसूली आज वापस हमसे पिछले साल की, उससे पिछले साल और उससे पिछले साल की, दोनों साल की मिलाकर और इस साल की मिलाकर, पांच साल की जोड़कर, उसमें भी ब्याज जोड़कर वसूली जा रही है। या तो उस समय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया था जिसमें उसके स्थगित करने की बात

(श्री अभिषेक मटोरिया)

थी, वह गलत थी और अगर सही थी तो वह आज हमसे एक साथ नहीं वसूल की जानी चाहिए।

इस साल की आबियाना वसूली अगर सही तरीके से की जाती है, अपासी और गिरदावरी रिपोर्ट के आधार से की जाती है, उचित अधिकारियों द्वारा सही तरीके से की जाती है तो वह हम भरने के लिए तैयार हैं परन्तु पिछले 5 साल का आबियाना हमसे लेना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक ही काश्तकार के अगर 20 बीघा जमीन है तो उसके मात्र पांच बीघा में अपासी रिपोर्ट करवाकर आबियाना वसूली की जा रही है और अगर किसी के 15 बीघा जमीन है तो 11 बीघा में अपासी की रिपोर्ट करवाकर आबियाना वसूली की जा रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। एक काश्तकार से दो सालों का आबियाना लिया जा रहा है और उसी चक में दोहरी नीति अपनाकर सिंचाई विभाग के अधिकारी काश्तकारों से पांच और छह सालों का आबियाना ले रहे हैं, वह भी ब्याज जोड़कर।

अध्यक्ष महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपसे यह मांग करना चाहूंगा कि यह जो आबियाना वसूली पूर्व सालों की की जा रही है, वह बंद की जानी चाहिए। गत वर्ष की जो आबियाना वसूली सरकार सिंचाई कर के रूप में हमसे वसूल करना चाहती है नोहर फीडर और चौधरी कुंभाराम आर्य परियोजना की, उसकी सही और उचित तरीके से नहरी पटवारी के माध्यम से, उच्चाधिकारियों के माध्यम से रिपोर्ट करवाकर इस वर्ष में जो सही बनता है, जितना-जितना अपासी रिपोर्ट के आधार पर बनता है, उतना ही कराया जाना चाहिए क्योंकि आज भी हमारे नहरी और फीडर में 10 से 15 पंचायत पर एक नहरी पटवारी है, यानी हजारों बीघा भूमि एक नहरी पटवारी के हवाले है तो आप अंदाजा लगा लीजिए, किस प्रकार एक पटवारी पूरे क्षेत्र की अपासी और गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर किसानों से आबियाना वसूलेगा। तो निश्चित रूप से वह घर बैठे कर्मचारी वह आबियाना गलत तरीके से वसूल कर रहे हैं। इसलिए अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने बजट भाषण में कही गयी यह पूर्व की आबियाना वसूली का माफ करें, इसको खतम करें और वाजिब जो आबियाना बनता है, सिर्फ वही वसूली करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना, पंचायती राज विभाग। श्री शांती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

पंचायती राज विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.4(8)एमे/रूल्स/लीगल/पीआर/10/433 दिनांक 11.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (वर्ष 2010-11) के प्रतिवेदन (क्रम सं0 52 से 67)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति 2010-11 के निम्नांकित 16 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2003-04 में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 8.1 से 8.2.11, 8.3.1 एवं 8.3.2 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 52वां प्रतिवेदन;
2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07 के अनुच्छेद संख्या 1.7.4, 2.6 तथा 4.3.11 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 53वां प्रतिवेदन;
3. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट पर्यावरण विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 3.3 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 54वां प्रतिवेदन;
4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2003-04 का अनुच्छेद संख्या 1.7.5, खनिज, वित्त, पर्यटन एवं यातायात विभाग वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 1.7.1 वन व राजकीय उपक्रम विभाग तथा वर्ष 2007-08 के अनुच्छेद संख्या 1.6.1 वन व राजकीय उपक्रम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 4.4.11 खाद्य एवं खनिज विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 55वां प्रतिवेदन;

5. विनियोग लेखे वर्ष 2006-07 में बताये गये दत्तमत्त, अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेकों के मामले पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 56वां प्रतिवेदन;

6. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2005-06 में समाविष्ट जल संसाधन विभाग के अनुच्छेद संख्या 2.6, 4.1.11, 4.2.7 तथा 4.3.3 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 57वां प्रतिवेदन;

7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000-2001 के अनुच्छेद संख्या 4.1 सिंचाई विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 58वां प्रतिवेदन;

8. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001-02 का अनुच्छेद संख्या-4.4 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 59वां प्रतिवेदन;

9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2003-04 के अनुच्छेद संख्या 3.3 पर प्राथमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 60वां प्रतिवेदन;

10. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 3.1 आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 61वां प्रतिवेदन;

11. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2005-06 के पैरा संख्या 4.1.4, 4.2.1 वर्ष 2006-07 के पैरा संख्या 4.1.1, 4.5.6, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.10, 4.5.12 एवं वर्ष 2007-08 के पैरा संख्या 4.1.2, 4.4.5, 4.4.6 व 4.4.7 उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 62वां प्रतिवेदन;

12. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट वन विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 के अनुच्छेद संख्या-3.4 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 63वां प्रतिवेदन;

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

13. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07 में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या-2.5, 3.1 तथा 4.1.2 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 64वां प्रतिवेदन;

14. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2004-05 में समाविष्ट देवस्थान विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 65वां प्रतिवेदन;

15. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2005-06 में समाविष्ट परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 66वां प्रतिवेदन; एवं

16. वर्ष 2006-07 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-2011 का 67वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: डा. दयाराम परमार।

प्राक्कलन समिति 'क' (वर्ष 2010-11) का प्रतिवेदन (क्रम सं. 3)

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति 'क' 2009-10 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'क' 2010-11 के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011। श्री शांती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री अध्यादेश को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका संशोधन अध्यादेश, 2010 (वर्ष 2010 का अध्यादेश संख्या 01)को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12 पर वाद-विवाद। श्रीमती अनिता भदेल।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12 पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय , आपकी आज्ञा से वर्ष 2011-12 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट क्षमा करें।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं, बजट पर जो चर्चा हुई है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को आबंटित थे 8 घंटे 8 मिनट जिसमें 7 घंटे 53 मिनट का उपयोग हो चुका है, 15 मिनट शेष हैं; भारतीय जनता पार्टी को 6 घंटे 19 मिनट आबंटित हुआ था, उसमें 5 घंटे 44 मिनट का उपयोग हो गया है, 35 मिनट शेष हैं; 35 मिनट में आपकी सूची 14 माननीय सदस्यों की है; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 15 थे, 15 मिनट समाप्त हो गये हैं, आपका समय शेष नहीं है। मैं क्या करूं? आपके माननीय सदस्य ज्यादा ले गये। जनता दल (यूनाइटेड) 5 मिनट, उनका पाँच मिनट शेष है; समाजवादी पाँच मिनट था, 16 मिनट उपयोग कर लिया, 11 मिनट का अतिरिक्त उपयोग हो चुका है; लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 5 मिनट थे, उनका 5 मिनट शेष है; वहां पर एक घंटे 3 मिनट थे जिसमें 12 मिनट का उपयोग हुआ है, 51 मिनट इनके शेष हैं। (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं, 4 बजे माननीय प्रतिपक्ष के नेता का भाषण होगा और 5 बजे माननीय मुख्य मंत्रीजी का होगा। समय की मेरी भी मजबूरी है, इसलिए आप लोग कृपया समय का ध्यान रखें।

श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं समय का पूरा ध्यान रखूंगी लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं, उनको जरूर बोलना चाहूंगी और आपकी कृपा शायद मुझ पर बनी रहेगी।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो वर्ष 2011-12 के बजट प्रावधान रखे गये हैं, उनके बारे में पढ़कर के कुछ मैंने विश्लेषण किया है और कुछ बातें इसमें से निकाली हैं, उनकी ओर सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी का सबसे पहले मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि राजस्थान के आम घर के अन्दर जो हालात बने हैं उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कुछ चीजों पर टैक्स कम किया है और वे चीजें है चकला, बेलन, चिमटा, फूकनी, मूसली। यह उन्होंने घर के अन्दर की बात को झांककर देखा है और इसलिए उन्होंने इन सब पर टैक्स कम किया है क्योंकि वे यह जानते हैं कि महंगाई की मार से जब घर का मुखिया घर के अन्दर जाता है और वह उस महिला की जो उसकी गृहस्थी चलाती है, उस बजट में गृहस्थी जब पूरी नहीं होती तो चिमटा, फूकनी और बेलन उस घर में चलते हैं और ये चिमटे, फूकनी, बेलन चलते हैं, इसके कारण से वे रोज-रोज टूटते हैं और फिर रोज-रोज खरीदे जायेंगे, इसलिए उन पर टैक्स कम हो गया है। पहले तो कभी चिमटे, फूकनी और बेलन रोज-रोज खरीदे नहीं जाते थे क्योंकि महंगाई नहीं थी और वे चलते नहीं थे घरों में। अब शायद ऐसा महसूस होता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के घर में भी ऐसा ही हो रहा है, माननीय सुनीता जी भी महंगाई की मार से बहुत त्रस्त हैं और त्रस्त होने के कारण से उन्होंने यह उपाय सोचा कि इन पर टैक्स कम किया जाए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महंगाई के कारण से जो ये हालात पैदा हुए हैं, उसके कारण से उन्होंने टैक्स कम किया है इसलिए उनको बधाई देती हूं।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट बनाया है उस बजट के लिए, इस बजट को यदि चार हिस्सों में बांटकर के देखा जाए तो ¾ हिस्सा तो टैक्स के रूप में और ¼ हिस्सा फैक्ट्स, जो वास्तव में फैक्ट्स हैं, उसमें बजट का ¼ हिस्सा ही उन फैक्ट्स का है, जो आम धरातल की चीजें हैं। इसलिए यह बजट पूरी तरह से आंकड़ों का मायाजाल है और आंकड़ों का मायाजाल होकर के आम व्यक्ति को ऐसा घुमाया गया है, उसको ऐसे दर्शन कराये गये हैं, ऐसी भावना दिखाई गई है कि हम आम व्यक्ति को गणेश मानकर के उसकी पूजा करते हैं, उसके लिए दाल-रोटी की व्यवस्था हम करना चाहते हैं। मैं पिछले जो दो बजट हैं, उनके पैरा नम्बर पढ़कर के उनमें जो बातें

(श्रीमती अनिता भदेल)

लिखी गई हैं, उनको पढ़कर के सदन का ध्यानाकर्षित करूंगी कि आंकड़ों के मायाजाल में हमें प्रशासनिक दीर्घा में जो लोग बैठे हैं, वे कैसे घुमाते हैं। सभापति महोदय, आप देखिये कि स्टाम्प ड्यूटी जो मोर्गेज बांड पर घोषणा की है, अब स्टाम्प ड्यूटी पर मोर्गेज बांड पर उन्होंने जो घोषणा की है, क्या यह सरकार के पास करने का अधिकार है कि वह ऐसा काम कर सकती है? पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही किया। एक प्रावधान इसमें रखा, उन्होंने यह कहा है, बजट 2011-12 के पैरा नम्बर 319 में उन्होंने यह बात कही है कि पंजायती राज संस्थाओं और नगर निकायों का वित्तीय सशक्तिकरण करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत देय स्टाम्प ड्यूटी पर 10 प्रतिशत दर से सरचार्ज लगाकर राशि जुटायी जानी प्रस्तावित है ताकि यह जो धन आयेगा वह पंचायती राज और नगर निकायों पर आप खर्च कर सकें।

(13.15 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्ष में जो आपने बजट प्रस्तुत किया था उस बजट में भी आपने एक बात लिखी थी, एक बात कही थी। जो पिछले वर्ष 2010-11 का बजट है उसके पैरा नम्बर 279 को अगर हम पढ़ें तो उसमें यह बात लिखी है कि "इर्रिवोकेबल पावर आफ अटार्नी के दस्तावेजों का पंजीयन पहले से ही अनिवार्य है। अब रिवोकेबल पावर आफ अटार्नी को भी अनिवार्यत: पंजीयन किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए पंजीयन अधिनियम में नियत प्रक्रिया से संशोधन किया जायेगा।" यह पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, सभापति महोदय, और मैं इसको वापस पढ़ना चाहूंगी, "इसके लिए पंजीयन अधिनियम में नियत प्रक्रिया से संशोधन किया जायेगा इसके उपरांत रिवोकेबल पावर आफ अटार्नी के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी दो प्रतिशत से घटाकर 0.2 प्रतिशत कर दी जायेगी।" यह जैसे ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पंक्ति पढ़ी तो सत्ता पक्ष के समस्त सदस्यों ने बहुत जोर-जोर से टेबलें बजाईं, बहुत तालियां बजाईं कि स्टाम्प ड्यूटी 2 प्रतिशत से घटकर 0.2 प्रतिशत हो गई है। पर, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहूंगी, हमारे माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था यह बजट आने के बाद में और प्रश्न के माध्यम से उन्होंने जवाब चाहा था कि यह रिलीफ जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी तो राजस्थान प्रदेश में रहने वाले लोगों को कितना फायदा हुआ। यह प्रश्न इसी पैरा के आधार पर लगाया गया जिसका उत्तर आप सुनेंगे

(श्रीमती अनिता भदेल)

तो पूरा एक वर्ष बीतने के बाद भी वह जो अधिनियम है, उसमें संशोधन नहीं हो सका। मैं पढ़कर के सुनाना चाहूंगी, "क्या यह सही है कि बजट वर्ष 2010-11 में सरकार द्वारा रिवोकेबल पावर आफ अटार्नी का अनिवार्य पंजीयन किया जाना प्रस्तावित किया गया था? यदि हां, तो क्या लागू कर दिया है?" यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सभापति महोदय, "तो क्या लागू कर दिया गया है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आदेश की प्रति प्रस्तुत करेंगे।" जिसका जवाब सरकार ने ही दिया है, जवाब है, "जी हां, बजट वर्ष 2010-11 में सरकार द्वारा रिवोकेबल पावर आफ अटार्नी के दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित किया गया था। बजट घोषणा के अनुसार पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17(1)(g) के संशोधन का प्रारूप तैयार करके विविक्षा हेतु विधि विभाग भिजवाया हुआ है। विविक्षा उपरांत कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त कर बिल का प्रारूप महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति हेतु भिजवाया जायेगा।" यह उत्तर है। अब जब राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति नहीं मिली तो आपने यह रिलीफ इस बजट में कैसे दे दी? और यदि रिलीफ दी है बजट में तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति पूर्व में क्यों नहीं ली गई? और यदि पूर्व में नहीं ली गई तो आप यह तो कह सकते थे कि जो भी इस प्रकार के दस्तावेज पंजीयन होंगे उन पर आप रिलीफ करो, बाद में अधिनियम के माध्यम से उनको रिलीफ दिया जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया।

अब आगे जो प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का जवाब भी मैं पढ़कर के सुनाना चाहती हूं। 1 अप्रेल, 2010, यह बजट 1 अप्रेल, 2010 से ही प्रारम्भ हुआ था क्योंकि यह पिछले वर्ष 2010-11 का बजट है। "1 अप्रेल, 2010 से अब तक रिवोकेबल पावर ऑफ अटार्नी के पंजीयन के पेटे स्टाम्प शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि वसूली जा चुकी है जिसका जिलेवार विवरण प्रस्तुत करें।" माननीय सभापति महोदय, आप देखिये कि इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब आया है सरकार का, वह सरकार ने जवाब दिया है कि दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लेकर के वे रजिस्ट्रेशन किये गये हैं। तो जो आपने रिलीफ दिया है, इसमें 2 प्रतिशत से घटाकर 0.2 प्रतिशत किया है तो वह रिलीफ क्यों नहीं दिया? और जो आय सरकार को अर्जित हुई है, उसका कुल आंकड़ा है 15,86,82,489 रुपये। लेकिन यदि यह रिलीफ मिल जाती तो गवर्नमेंट की आय घटती और वह आय कितनी घटती, 14,28,14,240 रुपये की आय कम होती और इसके पेटे जो सरकार को आय होती वह सिर्फ 1,58,00,259 रुपये होती।

(श्रीमती अनिता भदेल)

तो, सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि इस प्रकार की थोथी घोषणाएं इन बजटों में करके, पिछली बार भी आपने यही कहा कि हम अधिनियम में संशोधन करेंगे लेकिन अधिनियम में संशोधन पूरे एक साल बीतने के बाद भी नहीं हुआ। विधि विभाग तो कम्बल ओढ़कर के सो गया, उसको कोई लेना-देना नहीं। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी, मीडिया ने छाप दिया, वाह-वाही मिल गई और अब जो पंजीयन कराने जायेगा उसी का वास्ता पड़ेगा। उसको जब पता पड़ेगा कि बजट में तो 0.2 प्रतिशत है और दो प्रतिशत कैसे ले रहे हैं, तो वह ही उससे रूबरू होगा, दूसरा आम व्यक्ति तो रूबरू होगा नहीं परन्तु वाह-वाही तो पूरे राजस्थान से मिली।

इसी प्रकार से आपने जो इस वर्ष 2011-12 में स्टाम्प कानून में संशोधन करने की बात कही है लेकिन स्टाम्प कानून में संशोधन नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, जो 10 प्रतिशत आपने सरचार्ज लगाया है, वह पंजीयन विभाग के लोग 10 प्रतिशत सरचार्ज बिना अधिनियम में संशोधन किये वसूलने लग गये हैं। तो यह दोहरी नीति क्यों? जब हमको पैसा लेना हो तो हम अधिनियम में संशोधन ना करें और पैसा वैसे ही वसूल कर लें और जब हमको रिलीफ देना हो तो हम यह बात कर लें कि अधिनियम में संशोधन होगा तब हम रिलीफ देंगे। अब वह अधिनियम में संशोधन पता नहीं, कितने सालों बाद होगा, तब तक तो यह सरकार चली जायेगी। तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा यह कहना है, सदन के ध्यान में लाना है यह बात कि इस प्रकार की जो थोथी घोषणाएं की जा रही हैं, वे थोथी घोषणाएं आम आदमी को राहत प्रदान नहीं करती हैं।

अब दूसरा यह है कि तीसरे साल का मुख्य मंत्रीजी का बजट है, उसके दूसरे बिन्दु की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। दूसरा बिन्दु यह है, माननीय सभापति महोदय, कि राज्य सरकार ने वर्ष 2009-10 में 150 एम्बुलेंस-108 खरीदने की घोषणा की थी और उनकी कुल लागत उन्होंने बताई थी 25 करोड़ रुपये। मैं 2009-10 की बात कर रही हूं। 2010-11 में पुन: उन्होंने इस बात को रिपीट किया कि हम 150 एम्बुलेंस-108, संख्या तो वही रखी 150 की 150, 150 से नहीं बढ़ी है, आने वाले 2010-11 का जो बजट है, उसमें भी उन्होंने यह बात कही कि हम 150 एम्बुलेंस खरीदेंगे लेकिन उसके लिए जो वित्तीय प्रावधान किया गया है, उसमें राशि का अंतर आया है। आप देखिये, 2009-10 में 150 एम्बुलेंस के लिए 25 करोड़ रुपये, वर्ष 2010-11 में 150 एम्बुलेंस के लिए 37.50

(श्रीमती अनिता भदेल)

करोड़ रुपये। तो यह 25 करोड़ से 37 करोड़ की राशि कैसे हो गई? अगर हम वास्तव में एम्बुलेंस खरीदना चाहें और एम्बुलेंस का मूल्य देखें तो इस मूल्य के आधार पर, 37 करोड़ के आधार पर एक एम्बुलेंस की कीमत है 25 लाख रुपये लेकिन यदि वास्तव में हम खरीदना चाहेंगे तो उसका वास्तविक मूल्य 12 लाख रुपये है। माननीय सभापति महोदय, तो यह बाकी का पैसा कौनसी रिश्वत में जायेगा? कौन अधिकारी इसको रिश्वत के रूप में लेंगे? सरकार का पैसा गाढ़ी कमाई का पैसा है, यह आम जनता का है, यह फ्री में लुटाने के लिए नहीं है कि आप हमेशा एक ही एक घोषणा किये जाओ और उसकी वित्तीय लागत बढ़ाये जाओ। जैसे-जैसे योजना का समय व्यतीत होता जाता है, उसकी लागत भी बढ़ती जाती है। इसलिए मैं सरकार से यह कहना चाहूंगी कि जिस वित्तीय वर्ष में वह प्रावधान करती है, उस योजना को उसी वित्तीय वर्ष में पूरा करे अन्यथा तो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और योजना की लागत भी बढ़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो ही विषय अभी तक रख पाई हूं, मैं प्रथम वक्ता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समय सीमा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं समय सीमा का बिलकुल ध्यान रखूंगी। मैंने ज्यादा विषय को छूने की न तो कोशिश की है, लेकिन जो प्रमुख बातें हैं, जिनसे आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, उनको मैं रखना चाहती हूं सदन के माध्यम से।

तीसरी बात मैं, सभापति महोदय, यह कहना चाहूंगी कि सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं कीं, सरकार ने यह कला और संस्कृति के बारे में कहा, हमारी पर्यटन मंत्रीजी भी यह कहती हैं कि मैं संस्कृति के मामले में बहुत निष्पक्ष हूं, बहुत फेयर होकर के कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है, पूरे राजस्थान को पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहती हैं, इसलिए हर संभागीय मुख्यालय पर हर क्षेत्र में चाहे वह कला का हो, कोई दूसरी विधा का कोई व्यक्ति हो, हम उसको सम्मानजनक स्थिति में खड़ा करना चाहते हैं और यह बात पिछले तीन वर्षों में एक ही पैरा, एक ही भांति, एक ही भाषा लिखी जाती है, मैं उसको पढ़ना चाहती हूं। वर्ष 2009-10 का बजट है, 2009-10 के बजट में लिखा गया है कि "कला, संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को राजस्थान रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।" अब मुझे आप बता दीजिये, यह 2009-10 की घोषणा है, 2010-11 निकल गया, 2011-

(श्रीमती अनिता भदेल)

12 का नया बजट आ गया, 2009-10 निकल गया, राजस्थान के कितने लोगों को राजस्थान रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उनको कितनी-कितनी राशि दी गई? क्या उनको सम्मानजनक स्थान दिया गया, कोई शील्ड वगैरह दी गई? यह आज तक कोई बताने को तैयार नहीं है। अब फिर पुन: 2010-11 के बजट को आप उठाकर देख लीजिये, उसी बात को अन्य तरीके से कहा गया है, "कला और संस्कृति के क्षेत्र में ख्यातनाम कलाकारों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु विभिन्न संस्थानों को आगामी वर्ष में एक करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।" फिर आप इस बजट को उठाकर देख लीजिये, यह 2011-12 का बजट है, इसमें पुन: पैरा नम्बर 209 में लिखा गया है, "कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में वाद्य, गायन, नृत्य, अभिनय, मूर्तिकला, पेंटिंग तथा फोटोग्राफी जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान हेतु, प्रदेश के प्रतिष्ठित कलाकारों का सम्मान किया जायेगा। "

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब आप सम-अप करें। माननीय सदस्या, मेरे लिए मजबूरी है। मैं घंटी नहीं बजाना चाहता लेकिन मेरी मजबूरी है। नहीं, अब आप सम-अप करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आप तो मुझे मेरे प्रश्न का एक बार जवाब मुख्य मंत्रीजी से दिलवा दें कि तीन साल से लगातार ये घोषणा कर रहे हैं लेकिन तीन साल में अभी तक कुछ किया क्यों नहीं उन्होंने?

श्री सभापति: नहीं, अब आप सम-अप करें। बिलकुल ठीक है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं एक-एक बिन्दु को लेकर अपना भाषण समाप्त करने वाली हूं, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इतना निवेदन करना चाहती हूं कि मैं शहर से आती हूं और यह कहा गया कि प्रशासन-गांवों-के-संग में बहुत सारे काम हुए। पिछली बार प्रशासन-गांवों-के-संग से पहले प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान चला लेकिन, माननीय सभापति महोदय,. ..

श्री सभापति: माननीय सदस्या, डिमांड पर बोल लेना ना आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं खतम कर रही हूं। मैं तीन पाइंट कंटिन्यू उठाकर खतम कर रही हूं माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: आज ऐसा क्या है? बजट के ऊपर बोल जाओ ना। अब आप, माननीय सदस्या, डिमांड पर बोल लेना ना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं इतना कहना चाहूंगी कि सरकार...

श्री सभापति: समय सीमा सबके लिए है। समय सीमा के लिए आसन से पहले व्यवस्था दी जा चुकी है मुझे। चार बजे प्रतिपक्ष की नेता महोदया को भी बोलना है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं समय सीमा को ध्यान में रख रही हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि प्रशासन-शहरों-के-संग जब दो अक्टूबर को शिविर प्रारम्भ हो तो पूरा प्रशासन पूरी तैयारी के साथ जाये क्योंकि...

श्री सभापति: चार बजे वे बोलेंगी, पांच बजे सदन के नेता महोदय बोलेंगे। सदन का समय नहीं बढाऊंगा मैं। माननीय सदस्या, अब आप सम-अप करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आप मत बढ़ाइये, मैं तो अपनी बात को समाप्त कर रही हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अजमेर भी इस राजस्थान का एक मुख्यालय है, संभागीय मुख्यालय है, क्या अजमेर के बारे में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ध्यान रखेंगे? पिछले दो वर्ष के बजट में कुछ नहीं कहा है। इस वर्ष के बजट में सिर्फ एक पुलिस चौकी दी गई है, एक उर्दू की एस.टी.सी. दी गई है और हमारे जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में 108 शय्याओं की बढ़ोतरी की गई है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें बहुत सारे आर.ओ.बी. के बारे में कहा गया है। यातायात व्यवस्था को लेकर रोज अजमेर में जाम लगता है, दिनों-दिन वहां की बढ़ती आबादी के कारण से खुद कलक्टर और संभागीय आयुक्त सड़कों पर निकले हैं लेकिन कुछ छोटी-छोटी जरूरतें हैं, जो हमारी पूरी होनी चाहिए। यदि यहां 29 आर.ओ.बी. दिये गये हैं, उसमें जोधपुर की भांति, जयपुर के समान नहीं, जयपुर के आधे तो हमें दे दो। जोधपुर में छह आर.ओ.बी. और अजमेर को मात्र दो आर.ओ.बी.। ऐसा अजमेर के लोगों ने क्या पाप किया है? तो मेरा आपसे निवेदन है, यह मुख्य मंत्रीजी कहें। मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि अजमेर...

श्री सभापति: अब आप विराज जायें। माननीय सदस्या, अब विराजिये। आप डिमांड पर बोल लेना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं इतना कहना चाहती हूं कि

(श्रीमती अनिता भदेल)

अजमेर के अधिकारों की रक्षा करना मुख्य मंत्रीजी का भी दायित्व है क्योंकि वहां से कांग्रेस के लोग चुनकर आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि अजमेर के अधिकारों की उपेक्षा की गई...

श्री सभापति: डिमांड पर बोल लेना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ...तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं...

श्री सभापति: हां, अब आप विराजो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं इस बजट का बड़ा पुरजोर विरोध करती हूं। इसमें एस.सी. के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। शिक्षा के लिए बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गईं...

श्री सभापति: अब आप विराजो। सुश्री रीटा चौधरी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ...17,000 पदों को भरेंगे लेकिन एक भी पद नहीं भरा गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब आपका अंकित नहीं होगा। अब आप विराजिये।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने अपना वित्त मंत्री के रूप में यह तीसरा बजट पेश किया है और यह बजट सुनकर महसूस किया जा सकता है कि यह बजट आम जनता का बजट है और वे तीसरे बजट में भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को नहीं भूले, यह मैं कहना चाहूंगी इस सदन के अन्दर। यह जो बजट है 2011-12 का, यह विकास कार्यों को गति देने वाला और आम आदमी को राहत देने वाला है। मेरे प्रतिपक्ष के साथी तीन दिन से डिबेट में भाग ले रहे हैं और मैंने माननीय कटारिया जी को भी सुना, मैंने माननीय राव राजेन्द्र जी को भी सुना और कल राजपाल जी को सुना। इन लोगों को इस बजट के अन्दर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसकी ये बुराई यहां पर कर सकें मात्र आंकड़ों का मायाजाल इन्होंने प्रस्तुत किया है। जब हम गांवों में जाते हैं या ढाणियों में जाते हैं, सभापति महोदय, तो वहां की जनता को, गरीब जनता को इससे मतलब नहीं है कि राजस्व हानि कितनी हुई, राजस्व घाटा कितना हुआ, जी.डी.पी. कितनी है, उनको यह मतलब है, बजट जब आता है तो वे यह सोचते हैं कि सरकार ने आम लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए क्या प्रावधान किये, क्या कर में कटौती की, क्या उनको सुविधा दी। यहां पर इस बजट के अन्दर

(कुमारी रीटा चौधरी)

मेरे प्रतिपक्ष के साथी संसाधनों में कमी की बात भी कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगी, परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार के सदस्यों का विकास कैसे हो, उनकी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति कैसे हो, अब उनकी पूर्ति के लिए चाहे उसको कर्जा लेना पड़े। सभापति महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि कर्जे का उधार कितना लिया, संसाधन की क्या कमी है, यहां पर प्रश्न केवल और केवल है कल्पनाशीलता का। मैं कहना चाहूंगी कि 1929 के अन्दर जब कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी तो उनके पास कौनसे संसाधन थे? आज मैं अपने सभी साथियों को पूछना चाहूंगी, कभी वे साबरमती आश्रम गये हैं, उन्होंने देखा है कि वहां पर झोपड़ियों की एक कतार बनी हुई है सभापति महोदय..

और हम जब वहां जाते हैं, वे हमारी प्रेरणास्रोत हो सकती हैं, हम वहां जब जाते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक सवाल आता है कि इन झोंपड़ियों में बैठने वाले जो लोग थे, उन्होंने शक्तिशाली अंग्रेजों से कैसे टक्कर ली।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अकेले कांग्रेस ने नहीं ली, पूरा देश साथ में था। (व्यवधान)

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): मेरी बात सुनें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): 1929 का आंदोलन कोई कांग्रेस की देन है क्या? क्या कांग्रेस की जेब में से निकला था वह आंदोलन?

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उसमें देश का प्रत्येक इन्सान था। देश का प्रत्येक इन्सान था। भगत सिंह थे, सुभाष चन्द्र थे। कोई कांग्रेस की देन ही नहीं अकेले की 1929 का आंदोलन।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): गांधीजी कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं?

श्री सुखराम (बसेड़ी): पार्टी मत कहो। कांग्रेस शासन को पार्टी मत कहो, कांग्रेस पार्टी की देन नहीं है।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): नहीं, कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं गांधीजी। जब प्रतिपक्ष का कोई सदस्य बोलता है हम लोग बीच में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, अगर आपको मेरी बात सही नहीं लगती है तो कृपा करके आप बाहर जा सकते हैं। मैं जब आप लोग बोलते हैं, बीच में नहीं बोलती हूं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मुझे बाहर भेजने का, माननीय सदस्या, सभापति कह सकते हैं, आप नहीं।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): नहीं, मैं सिर्फ निवेदन कर रही हूं, अगर आपको...

श्री सुखराम (बसेड़ी): और एक चीज, कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकते। 1929 में कांग्रेस पार्टी नहीं थी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अपितु 1929 का आंदोलन पूरे देश का आंदोलन था, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): आप पहले इतिहास पढ़ें, आप इतिहास पढ़ें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैंने पढ़ा है।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): आप इतिहास पढ़ें, आप इस तरह से नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): कांग्रेस पार्टी को सवा सौ साल हो गये इस देश में।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैडम, आपसे ज्यादा पढ़ा-लिखा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, टोका-टाकी मत करो, भई।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): हमें अपने लक्ष्यों की कल्पना करनी है और उस कल्पना को पूरा करने के लिए यह बजट रखा है 2011-12 । जब मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट यहां रखा था और बजट जब समाप्त हुआ और हम लोग अपने घर गये, सभापति महोदय, जब मैं अपने घर गई तो मेरे पिताजी श्री रामनारायण चौधरी जी ने मुझे गेट पर ही बहुत शाबास दी, बोले आज तो तुम लोगों ने बाजी मार ली। उन्होंने कहा कि मैं सात बार विधान सभा का सदस्य रहा लेकिन इतना सुंदर बजट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यह उनकी प्रतिक्रिया थी।

मैं मेरे प्रतिपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगी, उन्होंने शैडो कैबिनेट एक बना रखी है और लोकतंत्र के अन्दर शैडो गवर्नमेंट और कैबिनेट अधिकतर देशों

(कुमारी रीटा चौधरी)

में बनती हैं। आप लोग आलोचना कर रहे हैं, किस आधार पर? आप लोगों की शेडो कैबिनेट है, आप पहले एक प्रारूप तो तैयार करें बजट का और उस बजट को हमारे बजट से मिलाने की कोशिश करें। अगर आप अपने पिछले पांच साल के कार्यकाल के बजट का अध्ययन करेंगे तो मैं कहना चाहूंगी कि This budget is more and more excellent than your budgets. आम आदमी को राहत, आप गांव में जायें, सभापति महोदय, आम आदमी पूछेगा खाने की चीज सस्ती हुई, हमारे लिए गांव के अन्दर कोई नर्स की व्यवस्था हुई, गांव के अन्दर कोई हास्पिटल की व्यवस्था हुई, आवागमन के लिए कोई सड़क की व्यवस्था हुई: तो, सभापति महोदय, जितने भी प्रावधान एक गांव के विकास के लिए, एक आम आदमी के विकास के लिए चाहिए, वे इस बजट के अन्दर हैं।

जब हमारे मुख्य मंत्रीजी, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे और जब कर प्रस्ताव के अन्दर हमारी यूपीए अध्यक्षा का नाम लिया सोनिया गांधीजी का, तो हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के स्प्रिंग लगी हुई है, सीटों पर उछल पड़ते हैं, सोनिया गांधी का नाम आता है तब; जब नाम आता है उछल पड़ते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगी। जब हमारी इन्दिरा गांधी जी का देहांत हुआ था, स्वर्गवास हुआ था उस समय देश की जनता के अन्दर एक चर्चा थी कि अब देश को कौन संभालेगा। यह एक आम चर्चा होती है, जब किसी बड़े नेता की मृत्यु होती है, उसके देहावसान के बाद में। मेरे विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में भी एक चर्चा ने जोर पकड़ा कि अब, साहब, देश को कौन संभालेगा, क्या होगा इस देश का। तो चाय की थड़ी पर एक बुजुर्ग नेता बैठे थे, पुराना कोई आदमी था विधान सभा क्षेत्र मण्डावा का, वह बड़ी सोच, माथा पकड़ के बैठ गया, बोला, साहब, मेरे को तो लगता है कि अब इस देश को रामनारायण ही संभाल सकता है। मैं इसलिए कह रही हूं यह बात कि मण्डावा की जनता को रामनारायण जी पर विश्वास था और भारत की जनता को गांधी और नेहरू परिवार पर विश्वास है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि बजट के अन्दर उन्होंने युवाओं के रोजगार की बात की है। जब अमेरिका के अन्दर एक इसको लेकर, इकोनोमी को लेकर, जो क्राइसिस आई थी उसके अन्दर ओबामा थे उन्होंने विचार करा और एक टीम का गठन करा कि किस तरीके से हम इसको रोक सकें, तो उन्होंने जो टीम बनाई, उसका मैनेजर हमारा भारतीय था, एक इंडियन उस टीम का था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी

(कुमारी रीटा चौधरी)

कि हमारा देश है वह युवाओं का देश कहलाता है सबसे बड़ा और युवाओं को रोजगार देने के साथ, हम कैसे हमारे गांव के अन्दर विकास हो सके, ढाणी के अन्दर विकास हो सके, उसके लिए योजना हमें बनानी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे युवा देश के काम आ सकें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे मण्डावा विधान सभा क्षेत्र को लेकर इस बजट के अन्दर प्रावधान करा। उन्होंने हमारे झुंझुनूं जिले को एक स्पोर्टस यूनिवर्सिटी देने की घोषणा की क्योंकि हमारा मण्डावा, जो झुंझुनूं जिला है, वह शिक्षा में ही नहीं अपितु खेल के अन्दर भी बहुत आगे रहा है और यह हम लोग देख चुके हैं कामनवेल्थ के अन्दर और एशियाई गेमों के अन्दर। यह हमारे मुख्य मंत्रीजी की दूरदृष्टिता है कि उन्होंने एक स्पोर्टस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की और वह भी शेखावाटी इलाके के अन्दर झुंझुनूं जिले के अन्दर।

मैं झुंझुनूं जिले की जनता की तरफ से उनका आभार प्रकट करना चाहूंगी और मैं मण्डावा कस्बे की तरफ से भी मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने पर्यटक दृष्टि से मण्डावा को बढ़ावा देने के लिए मण्डावा की हवेली और वहां की सड़कों की देखभाल के लिए बजट के अन्दर प्रावधान किया।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगी आपके माध्यम से, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बहुत सालों से मांग रही है तहसील की। विधान सभा क्षेत्र में तहसील नहीं है मेरे। तो मैंने पहले भी निवेदन किया था और जब पहला बजट आया था तो मुख्य मंत्रीजी ने एक झटके के अन्दर तहसीलों को एसडीओ मुख्यालय बना दिया था, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी जनता बहुत दिनों से और बहुत सालों से सोच रही है कि मण्डावा के अन्दर एक तहसील बनाई जाय और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मलसीसर जो उप-तहसील है, उसको तहसील का दर्जा दिया जाय। सभापति महोदय, दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है, वह मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कोई भी सरकारी कालेज नहीं है, मैं चाहूंगी आपके माध्यम से, मुख्य मंत्रीजी वहां पर सरकारी कालेज का प्रावधान रखें ताकि वहां के बच्चे और बच्चियों को सस्ती शिक्षा हासिल हो सके।

अंत में, मैं इतना ही कहूंगी सभापति महोदय, कि यह बजट आम आदमी का बजट है, गरीब, किसान का बजट है, लेकिन मुख्य मंत्रीजी से एक

(कुमारी रीटा चौधरी)

बात कहना चाहूंगी कि इस बजट का, आपने बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बजट दिया है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही जरूरी है। मैं एक थोड़ा, छोटा सा सुझाव देना चाहूंगी कि आप एक सेल का गठन करें हमारे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और वह अपने जो बजट के लिए जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट हर तीन या छह महीने में दे ताकि यह जो बजट आपने इतना सुंदर प्रस्तुत किया है उसका क्रियान्वयन भी उतने ही सुंदर ढंग से हो जाय।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय जी, बजट 2011-12 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। पिछले चार दिनों से राजस्थान की इस गरिमामयी विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो 2009, 2010 और 2011 का जो बजट प्रस्तुत किया गया, उस पर सभी माननीय विधायकों ने अपनी क्रिया और प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं। उक्त बजट 2011-12 जो पेश हुआ, वह सम्पूर्ण राजस्थान के विकास का बजट नहीं है, आम जन, किसान, मजदूरों, नवजवानों, गरीबों पर इस बजट में कार्यदिशा नहीं दी गई है। 2009 और 10 के बजट की जो पूर्व की घोषणाएं थीं उनके कार्यादेश आज दिन तक जारी नहीं किये गये हैं और न ही विकास के कार्य शुरू किये गये हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी को जिन्होंने अपने शासनकाल में सम्पूर्ण राजस्थान के बेरोजगार युवक-युवतियों, प्रशासनिक विभागों, औद्योगिक व नगरीकरण के विकास के साथ-साथ आम जनता, काश्तकारों व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को क्रियान्वित करके लागू किया और विकसित और विकासशील राजस्थान की जनता के लिए हमेशा संकल्पबद्ध रहीं।

मैं मेरे क्षेत्र की पेयजल समस्या के बारे में, माननीय सभापति महोदय जी, आपको अवगत कराना चाहूंगी कि सोजत में 2700 से 2800 टीडीएस फ्लोराइडयुक्त पेयजल समस्या को दूर करने के लिए मैंने पिछली बार जब-जब भी मुझे विधान सभा में मौका मिला, मैंने विधान सभा के सदन में पुरजोर मांग की। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि पिछले बजट में सोजत की पेयजल मांग जो अधूरी रखी थी, वह पूर्ववर्ती सरकार की जो जवाई पाइप लाइन योजना में चौथा और पांचवां पैकेज जो पाली से सोजत

(श्रीमती संजना आगरी)

होते हुए जैतारण जा रहा है, उक्त बजट में पाली-सोजत चौथे पैकेज की वित्तीय स्वीकृति जारी की। उक्त कार्य को राजनीति से परे रखते हुए अतिशीघ्र पूरा कराया जाए ताकि सोजत क्षेत्रवासियों को इस 2800 टीडीएस फ्लोराइडयुक्त पानी से निजात मिल सके। सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, वहां पर पानी का स्थाई जल स्रोत आज भी नहीं है। विशेष तौर से सोजत व सोजत के पश्चिमी क्षेत्र व रायपुर की 12 पंचायतें जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आती हैं, वहां ट्यूबवेल, हैंडपम्प व कुओं का जलस्तर गिर गया है। वहां इन क्षेत्रवासियों को आज भी पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त बजट के अन्दर संशोधन करके मेरे क्षेत्र की आम जनता व मूक पशुओं के लिए आने वाली मई, जून व जुलाई की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए ट्यूबवेल, हैंडपम्प खुदवाये जाएं और साथ ही सोजत क्षेत्र के लिए दो वाटर-ट्रेंस उपलब्ध करवायी जाएं ताकि सोजत क्षेत्र की जनता को टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जा सके। मैं बताना चाहूंगी कि पिछली कंटिनजेंसी योजना के अन्दर जो ट्यूबवेल और हैंडपम्प आपने यहां पर स्वीकृत किए थे, वे कई हैंडपम्प आज भी मेरे मगरा क्षेत्र के अन्दर नहीं खुदे हैं और आज भी कई हैंडपम्प ऐसे हैं जो खराब पड़े हैं, उन्हें अतिशीघ्र ठीक कराया जाए।

शिक्षा के क्षेत्र में मेरे क्षेत्र को इस बजट में दरकिनार किया गया है। मैंने पूर्व विधान सभा सत्र में इस सदन में मेरे विधान सभा क्षेत्र के सोजत में, सोजत शहर में राजकीय महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने बाबत स्नातकोतर महाविद्यालय (पीजी) की मांग की थी। मेरे क्षेत्र का एक बड़ा कस्बा रायपुर है, उसके आसपास में 10-12 सीनियर सेकंडरी स्कूल हैं। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश हेतु ब्यावर, पाली या जोधपुर जाना पड़ता है जिनकी दूरी 75 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। आम आदमी व गरीब किसान परिवारों को समय के साथ आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है और छात्र-छात्राओं की शिक्षा पूर्ण नहीं होने के कारण उनका भविष्य गर्त में जा रहा है। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त बजट के अन्दर सोजत शहर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय जो 2010-11 में खोला गया था, उक्त महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति आज तक नहीं हो पाई और न ही प्रयोगशाला में प्रायोगिक सामग्री उपलब्ध कराई गई, जबकि आज सभी विद्यालयों के अन्दर, महाविद्यालयों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। उक्त समस्या का अतिशीघ्र निस्तारण किया जाए।

(श्रीमती संजना आगरी)

मैंने एक समस्या मेरे सोजत शहर महाविद्यालय की और रखी थी कि जहां आज महाविद्यालय चल रहा है, उसका परीक्षा केन्द्र आज भी अन्य विद्यालयों और महाविद्यालयों के अन्दर है। तो उक्त समस्या का भी आप समाधान कराये। यह जो परीक्षा का केन्द्र है, यह सोजत शहर के इस महाविद्यालय के अन्दर आप इसको शिफ्ट कराये। सोजत तहसील के स्तर पर जो भी स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं, उन स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति आज तक नहीं की गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, यह डिमांड्स पर बोल लेना आप। यह डिमांड्स पर बोल लेना आप।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माध्यमिक स्कूलों में आज भी मिडल स्कूलों के अध्यापक अध्ययन करवा रहे हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, थोड़ा सम-अप करो आप। यह डिमांड्स पर बोल लेना आप।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): जिससे शैक्षणिक योग्यता दिन-ब-दिन गिरती जा रही है और लोगों को मजबूरी में अपने बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा दिलाने के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है। निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों के परिजनों से गर्मी की छुट्टियों के साथ जो छात्र-छात्राएं निरन्तर अध्ययनरत हैं, उनके परिजनों से प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है। वाहन शुल्क भी स्कूलों की तरह ही छुट्टियों का भी वसूल करते हैं जो एक साधारण परिवार के लिए बोझ है। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त बजट के अन्दर संशोधन करके ऐसे कठोर नियम बनाकर उक्त संस्थाओं को नियमों का पालन करने के लिए पाबंद किया जाए ताकि साधारण आम नागरिकों को आर्थिक हानि नहीं उठानी पड़े।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब आप विराजो।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे सोजत के अन्दर एक बहुत ही गम्भीर मसला है, वह आपको बताना चाहती हूं। सोजत ऐतिहासिक ताम्र नगरी व मेहंदी नगरी के नाम से विश्वविख्यात है। आज इस मेहंदी नगरी के आम नागरिकों व काश्तकारों को भूमिहीन करके उक्त जो मास्टर प्लान बनाया गया है, वह पक्षपातपूर्ण तरीके से भूमि माफिया को फायदा पहुंचाने की नीयत से बनाया गया है, आम नागरिक व सोजत क्षेत्र

(श्रीमती संजना आगरी)

के तमाम काश्तकारों का भूमिहीन व संपत्तिहीन करने की नीयत से बनाया गया है। रियासत काल के बाद व आजादी के बाद, नगरपालिका सोजत के गठन के बाद आज तक सोजत नगरपालिका की सीमा का राजपत्र के अन्दर कहीं भी प्रकाशन उपलब्ध नहीं है। आपके रेकार्ड के अनुसार मास्टर प्लान बनाने हेतु दिनांक 13 जनवरी, 2010 को अधिसूचना जारी करने के पूर्व ही दिनांक 20 अगस्त, 2009 के आदेश से आवास विकास लिमिटेड द्वारा कौनसा मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार कर लिया गया? अब कौन से मास्टर प्लान को अतिरिक्त बनाकर सम्मिलित किया गया है? ऐसा कोई स्पष्ट प्रारूप नहीं होने के कारण सोजत का सम्पूर्ण मास्टर प्लान है, जो निरस्त किया जाए।

श्री सभापति: चलिए, यह आप डिमांड्स पर बोल लेना। माननीय सदस्या, अब विराजो। अब आप विराजो। श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): वह मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए जिस संस्था को अधिकृत किया गया था, उसने कोई भी भौतिक सत्यापन और सर्वे नहीं किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, विराजो आप। माननीय सदस्य, सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं। डिमांड्स पर बोल लेना, माननीय सदस्या।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के बारे में मेरे क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। माननीय मंत्रीजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो राजकीय चिकित्सालय हैं, उनके अन्दर 50 परसेंट पोस्टें आज भी वैकेंट हैं। मैंने पिछले दो सालों में माननीय मुख्य मंत्रीजी को अवगत कराया है कि मेरे क्षेत्र के अन्दर नेशनल हाइवे-14 पर जो हमारा अस्पताल बना हुआ है, उसमें आज भी डाक्टरों की कमी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, चिकित्सा की जो डिमांड आएगी, उस पर बोल लेना आप। चलिए, आप विराजें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): सोजत विधान सभा क्षेत्र के साथ मारवाड़ जंक्शन, रायपुर और बिलाड़ा क्षेत्रों से सभी जो गम्भीर रोगी हैं, माननीय मंत्री महोदय, वे भी इस सोजत राजकीय अस्पताल के अन्दर आते हैं। मेरा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त बजट में आप हमारे सोजत की अस्पताल की जो भी व्यवस्था है ,उसको आप पूर्ण करावें।

श्री सभापति: अब आप विराजो। श्रीमती कमसा मेघवाल। अब आप विराजो।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): इसके साथ ही बिलावास के अन्दर ऐलोपैथिक अस्पताल की जो हमने मांग रखी है.. .

श्री सभापति: अब आपका अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्या। आप मेरे बार-बार निवेदन को ठुकरा रही हैं। अब विराजो आप।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। आज देश को आजाद हुए 63 साल बीत गए हैं और सरकार ने, एक कहावत है मारवाड़ी में कि सास बहू को कहती है कि दौड़ बहू, दीपावली आई; दौड़ बहू, दीपावली आई; सोचती है कि घर का काम जल्दी-जल्दी कर लें, दीपावली आ रही है, कुछ अच्छी मिठाइयां और कुछ अच्छा तोहफा लेकर के आएगी। इसी तरह से राजस्थान की जनता ने राजस्थान की सरकार से आशा रखी कि बजट आने वाला है और राजस्थान की महिलाओं के लिए, राजस्थान के विकास के लिए कुछ नया लेकर के आएगी लेकिन जब वह दीपावली आई तो खाटी छाछ और अन्दर की किसेडी आई। बहू ने सोचा, इतनी उम्मीद लगाये बैठे थे और खाटी छाछ तो हमेशा मिल जाती है, किसेडी आई उसके अन्दर। वे भी और बजट पेश करते हैं, महिलाओं को 63 साल तोहफा मिला। सीएम साहब ने बहुत ही सोच-विचार करके और जो अधिकारी, इस बजट बनाने के अन्दर जिसका भी योगदान रहा, उन्होंने सोचा था कि चकला, बेलन, फुंकनी, चिमटा, इनके ऊपर से टैक्स घटाने से महिलाओं का विकास हो जाएगा। सभापति महोदय, मैं सोचती हूं कि आज की महिलाएं, आज के युग की बच्चियां चकला, बेलन और चिमटे से काम नहीं चला सकतीं, उनको चाहिए कलम और शिक्षा। इसके आधार पर ही राजस्थान आगे बढ़ सकता है और महिलाओं का विकास होगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल 54 ग्राम पंचायतें हैं लेकिन आजादी के बाद में महिलाओं को पहली बार आरक्षण मिला। माननीय वसुंधरा राजे जी जब राजस्थान की मुख्य मंत्री बनीं, तब उन्होंने सोचा कि समाज दो ही होते हैं, महिला और पुरुष, अगर दोनों समाजों का पूरा विकास नहीं हुआ तो देश और राजस्थान आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को 50 आरक्षण देने का प्रावधान रखा। अब मैं सरकार से यह मांग करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 54 पंचायतें हैं लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बारहवीं स्कूल, बच्चियों की स्कूल मात्र एक है। अब बच्चियों को चाहिए, हर गांव, हर ग्राम पंचायत में सीनियर बालिका स्कूल चाहिए।

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

वसुंधरा जी ने भोपालगढ़ क्षेत्र के अन्दर कालेज खोला था जब वे मुख्य मंत्री थीं लेकिन आज स्थिति यह है कि उस कॉलेज के अन्दर न तो पढ़ाने वाले व्याख्याता हैं और न उसमें मूलभूत सुविधाएं हैं। तो सरकार को चाहिए कि वह जो कॉलेज खुली है, उस कालेज के अन्दर बालिका छात्रावास खोला जाए। बालिका छात्रावास खुलेगा तो गांव की बच्चियां वहां पढ़ने के लिए आ सकेंगी और उनको रहने के लिए सुविधाएं मिल जाएंगी क्योंकि आज स्कूल में, मां सरस्वती के प्रांगण में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। यह आज सुबह ही साबित हुआ था कि शिक्षकों द्वारा स्कूलों में बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार होता है। वह बार-बार अखबारों के माध्यम से और कई तरह के माध्यमों से हमें पता चलता है कि शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है। तो इसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए कि जहां पर भी कॉलेज हैं, वहां बालिकाओं के लिए छात्रावास हो जिससे बालिकाएं सुरक्षित रह सकें।

मुझे यह भी कहना है कि अगर विद्युत की लाइन से आम आदमी अगर खतम हो जाए तो उसके लिए राशि बढ़ा दी, यह तो अच्छी बात है लेकिन आज का समय ऐसा है कि विद्युत से कम मरते हैं और शराब और यातायात दुर्घटना से बहुत ही ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी 19 महिलाएं खतम हो गयी थीं और एक्सीडेंट में कुल 26 जने मरे। एक ही परिवार के 15 आदमी खतम हो गये। मैंने यहां बोलने की कोशिश की तो उस दिन आप ही विराज रहे थे, आपने कहा कि अंकित नहीं हो रहा है। मुझे खुशी है कि मेरा आज अंकित हो रहा है और इस बजट में मैं यह भी मांग करना चाहती हूं कि ऐसे परिवार जिसके 5-5, 6-6 सदस्य चले गये, उनके परिवार को अलग से बजट और अलग से पैकेज देकर उन परिवारों को आगे बढ़ने के लिए, जो महिलाएं खतम हो गयीं, उनकी बच्चियों की शिक्षा के लिए एक प्रावधान किया जाए। जो ये यातायात के एक्सीडेंट होते हैं, उसके लिए भी कुछ बजट में अलग से पेश किया जाए।

मुझे यह भी उम्मीद है और मैं यह भी कहना चाहती हूं कि बार-बार बजट बनता है तो बजट के अन्दर आता है कि एस.सी./एस.टी. वालों के लिए ये योजना हो गयी, बी.पी.एल. के लिए ये योजना, ए.पी.एल. के लिए ये, मुख्य मंत्री सहायता ये, लेकिन मैं कहते हुए भी सोचती हूं कि मैं तो पहली बार विधान सभा में आयी हूं लेकिन 63 साल आजादी को हो गए, आजादी के बाद 63 साल में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस पार्टी ने किया है और आज जो दलित पिछड़े हुए

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

हैं, जिन दलितों के आज मकान नहीं हैं रहने के लिए, उनकी गलियों के अन्दर कितना कीचड़ है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है; इसका जिम्मेदार कौन है, ये कांग्रेस पार्टी है जिसने इतने साल तक राज किया। आज भी दलित और एस.सी. वाले पिछड़े हुए हैं।

तो सरकार को यह चाहिए, आप कितनी बार बजट बनायेंगे, कितनी योजनाएं बनायेंगे, कब यह गरीबी हटेगी, जब-जब योजनाएं बनी हैं तब-तब कितने घोटाले हुए हैं, कभी ए.राजा, कभी कलमाड़ी; पता नहीं, किस-किस की जेबें ऊपर उठती जा रही हैं और गरीब नीचे गिरता ही जा रहा है। तो ऐसी योजनाएं बनायें जिनसे गरीब ऊपर उठे और गरीबों का अच्छी तरह से विकास हो। गांवों में आज, किसी गांव में चले जाएं, गांव और शहर के विकास में बहुत फर्क है, शहरों के विकास के लिए तो नगरपालिकाएं हैं और गांवों के अन्दर कुछ भी नहीं हैं। जब तक गांव के आदमी और गांव की महिलाएं सक्षम नहीं होंगी तब तक राजस्थान का विकास नहीं हो सकता। यह जो इंदिरा आवास की योजना है, उसमें मकान के लिए सरकार पैसे देती है लेकिन मैं सरकार से मांग करती हूं कि इसके साथ-साथ में एक गाय खरीद कर दें, उन गरीब परिवारों को दूध पीने के लिए गाय मिले।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब थोड़ा संक्षिप्त करो।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): संक्षिप्त ही है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): इनको तो बोलने दो; नये सदस्य हैं, साहब बोलने दो थोड़ा।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): एक-एक उनको गाय और उनके लिए चारे की व्यवस्था की जाए ताकि वे गरीब परिवार आगे बढ़कर अपना कुछ विकास कर सकें और दूध पी सकें।

सभापति महोदय जी, जो महाविद्यालय दूरदराज में हैं मैंने उनके बाबत बता दी। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार ने इसमें पैरा नंबर-40 में यह लिखा है कि एक या दो बालिकाओं के जन्म पर जो नसबन्दी आपरेशन करवा लें, उन महिलाओं को रोल माडल के रूप में समाज में ज्योति योजना चलायी जाएगी। मैं तो सरकार से यह मांग करती हूं कि यह ज्योति योजना हो चाहे रोल माडल हो, उन बच्चियों की जिम्मेदारी सरकार ले। जो एक बच्चे या दो बच्चियों पर आपरेशन करवाती हैं महिलाएं, उनकी शिक्षा तो हो गयी, वे तो पढ़-लिख गयीं जितना पढ़ना चाहती थीं लेकिन जिन बच्चियों ने जन्म लिया है,

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

जिन बच्चियों के बाद वे नसबन्दी करवा रही हैं, उन बच्चियों की शिक्षा और आगे के लिए उनकी सुविधा के लिए आप इस बजट में कुछ नया रखें।

अभी जो यह गांव-गांव में प्रशासन-गाँवों-के-संग शिविर हुआ था, सभी माननीय सदस्यों ने यह मांग उठायी कि...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

...दो मिनट।

श्री सभापति: सिर्फ एक मिनट।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ...जो विधवा महिलाएं होती हैं उनके पच्चीस वर्ष का पुत्र होने के बाद वह पेंशन बंद हो जाती है, तो मेरा तो सरकार से निवेदन है कि उनको आजीवन पेंशन मिले। ये जो विकलांग हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो पचास साल से ऊपर की आज के दिन विधवा महिलाएं हैं, उनका भी सर्वे करवा कर उनको पेंशन देने की आप ...

श्री सभापति: अब विराजो आप।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): एक मिनट और। मैं अंत में कहना चाहती हूं कि विकास करवा लो राजस्थान का, अवसर मिले न बारम्बार; अवसर मिले न बारम्बार, कड़ियां जुड़ें न बारम्बार। अगर अब राजस्थान पीछे रह गया तो आगे कभी विकास नहीं हो पाएगा। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती ममता भूपेश।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने इस बजट भाषण को पढ़ने के साथ-साथ इस राजस्थान की जनता का जो उत्तरदायित्व उनके कंधों पर है और जो राजस्थान की जनता उनसे उम्मीदें रखती हैं, उन उम्मीदों पर खरे उतरने का जो प्रयास इस बजट के माध्यम से मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने किया, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सभापति महोदय, यह एक महज किताब नहीं थी, न ही कागज के पन्ने थे जो कि मुख्य मंत्रीजी ने हमारे सदन के माध्यम से हम सब लोगों को पढ़कर सुनाये, ये वह आइना था और वह तस्वीर थी जो राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने अपनी आंखों से राजस्थान की ग्रामीण जनता के लिए देखी थी और उस तस्वीर का एक-एक प्रारूप, उसका एक-एक पेज, उसका एक-एक अक्षर मुख्य मंत्रीजी ने हमारे राजस्थान के किसानों को, ग्रामीण जनता को और गांवों और ढाणियों में रहने वालों को जो समर्पित किया है, उसके लिए उनका साधुवाद देना चाहूंगी।

(श्रीमती ममता भूपेश)

प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान, एक बहुत ही सुन्दर अभियान की राजस्थान में मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र से शुरुआत की। सर्वप्रथम मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान के तहत आये और मुझे फख्र है इस बात का कि जो ग्रामीण, गांव के अन्दर रहने वाले लोग जो विभिन्न विभागों के अन्दर कर्मचारी और अधिकारियों के सामने चक्कर काट-काट कर परेशान हो जाते थे, उन 18 विभागों को मुख्य मंत्रीजी ने एक छत के नीचे बैठा कर जो ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है वह एक ऐतिहासिक और सराहनीय काम मुख्य मंत्रीजी द्वारा किया गया जिसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहूंगी। इस अभियान के माध्यम से लगभग नब्बे लाख लोग लाभान्वित हुए, चाहे वे नि:शक्तजन हों, चाहे वे विधवाएं हों, चाहे वे बेसहारा लोग हों, चाहे उनको पट्टे वितरण का कार्य हो, चाहे आबादी बसाने का कार्य हो और खास तौर से जो नि:शक्तजनों की पहचान पर मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान के तहत जो मुख्य फोकस किया गया, शायद पूर्व सरकार उन लोगों को भूल गयी थी कि राजस्थान में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पैर नहीं हैं, जिनके हाथ नहीं हैं और जो सुनने में और बोलने में अपने-आपको असहाय महसूस करते हैं, उन लोगों की पहचान जो राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने की और इस बजट के पैरा-64 से 68 के अन्दर जो मुख्य मंत्रीजी ने नि:शक्तजनों को लाभान्वित करने की विभिन्न प्रकार की योजनाएं चाहे वह आर्टिफिशियल पैर हो, चाहे वह ट्राइसाइकिल्स हों, चाहे उनका शैक्षणिक दृष्टि से सुधार करने की बात हो और खास तौर से पहली बार राजस्थान में नि:शक्तजनों के लिए आई.आई.टी. और आई.आई.एम. और ए.आई.आई.एम.एस. की शिक्षण संस्थाएं खोलने का जो ऐतिहासिक कदम इस बजट में दिया गया, उसके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहूंगी। प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान एक बहुत ही सुनहरा अभियान राजस्थान में रहा।

साथ ही, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने का कार्य हमारे हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी का सपना था। अभी हमारी बहन कह रही थीं कि वसुन्धरा जी के समय में पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिला, मैं कहना चाहूंगी इस सदन के माध्यम से कि राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में महिलाओं को स्थान मिलने का जो सपना इस हिन्दुस्तान में देखा था, उस सपने का साकार करने में मुख्य मंत्रीजी ने जो पांच विभाग, जो छोटे-छोटे विभाग और इस तरह से कहूंगी कि गांवों की,

(श्रीमती ममता भूपेश)

प्रशासन गांवों के हाथ में सौंपकर जो उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई है, उसके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रगुजार करना चाहूंगी। साथ ही बी.पी.एल. परिवारों के लिए जो आवास योजना में दस लाख घर बनाये जाएंगे आगामी तीन सालों में, जो गांव के अन्दर रहने वाला आदमी जिसको 2 जून खाने को रोटी नहीं और 2 गज जमीन नहीं अपने बच्चों को रखने के लिए, उनके लिए जो एक सुनहरा सपना राजस्थान की सरकार ने दिखाया है, मैं मानूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस योजना के अन्तर्गत हमारे दस लाख परिवार जो लाभान्वित होंगे, वे मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान की इस कांग्रेसनीत सरकार के अपने हृदय से और अपनी भावनाओं से इतने अहसानमंद रहेंगे हमारी सरकार के और इतने खुश होंगे इस बात से, जब उन घरों में वे लोग रहने जाएंगे।

मैं मुख्य मंत्रीजी को, जो हमारी पार्टी के सभी सम्माननीय सदस्यों की और पूरे सदन की मांग एक लम्बे समय से चली आ रही थी कि हम लोग मिसिंग लिंक चाह रहे थे, मुख्य मंत्रीजी ने जो 16 किलोमीटर मिसिंग लिंक और 30 से 40 किलोमीटर के सुदृढ़ीकरण का जो तोहफा हम विधायकों को दिया है, उसके लिए मैं तमाम सदन की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। अभी शुक्रवार को जब इस बजट भाषण के दौरान में यहां बैठी थी और हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बहादुर सिंह जी कोली ने कहा कि सड़कों की हालत खराब हो चुकी है और हमारी सरकार के टाइम जो सिर्फ दो साल पहले थी, उस समय दो-दो मीटर मोटी सड़कें हमने बनायीं, मैं पूछना चाहती हूं, सभापति महोदय, कि वे कहां गईं दो-दो मीटर की सड़कें? अचानक ही क्या इनकी सरकार के साथ-साथ ही वे सड़कें भी चली गईं ? तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य हर बात पर बहुत ही अपने अनुभव बताते रहते हैं, उस समय ये ही पी डब्ल्यू डी मंत्री थे, इनके कार्यों की क्या गुणवत्ता थी कि अचानक ही वे सड़कें गायब हो गयीं राजस्थान से। मुझे समझ में नहीं आई यह बात।

(14.00 बजे)

पेयजल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति के गांव और ढाणियों को पेयजल की दृष्टि से सुदृढ करने के लिये इसी वर्ष 3,414 बस्तियों को लाभान्वित किया जायेगा जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के जो कि अपने स्वयं के पैसों से हैंड पम्प नहीं लगा सकते, जो डार्क जोन में आ चुके हैं और जो एक–एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, उनकी जो पीड़ा मुख्य मंत्रीजी ने समझी है, उस बात के लिये उनको साधुवाद देना चाहूंगी कि आगामी वर्ष में पेयजल नीति के

(श्रीमती ममता भूपेश)

तहत पुन: कहूंगी कि 3,414 ग्रामीण बस्तियों और ढाणियों को जोड़ा जायेगा, इस बात का भी मैं धन्यवाद दूंगी। साथ ही साथ हमारे जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है और हम लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है, ऐसे में आने वाली गर्मी में हमारी पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ करवाने और हमारे जो हैंड पम्प नाकारा साबित हो चुके हैं, उनको ठीक करवाने और नई स्कीमें बिना एस सी, एस टी की बस्तियों में भी लाने का जल्दी प्रयास करें जिससे आने वाली गर्मी में हमारी जनता को पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा।

मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजस्थान की जनता को इस वर्ष मिलेंगे, पिछली बार 20 मिले थे लेकिन एक निवेदन इसके साथ यह करूंगी कि पिछली बार के दो बजट में मुख्य मंत्रीजी ने और स्वास्थ्य मंत्रीजी विराजमान हैं, आपने जो भी 20-20 पी एच सी दी थीं वे डेजर्ट और ट्राइबल इलाके में दी थीं। इस बार मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि राजस्थान की आम आवाम स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रही है, उसको भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जरूरत है, उनको भी हास्पिटल्स की जरूरत है; चाहे वे ट्राइबल एरिया में रह रहे हों, चाहे डेजर्ट में नहीं रह रहे हों, उसके बावजूद भी उनको इन चीजों की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस बार जो आपने 50 पी एच सी दी हैं, उन पी एच सी को आप उन इलाकों में दें जिनको निश्चित तौर पर इनकी जरूरत है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रीजी से एक निवेदन और करना चाहूंगी कि चूंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र सम्पूर्ण ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र मेरे क्षेत्र में नहीं आता, ऐसे में जो आप डाक्टर्स लगाते हैं, खास तौर से आप महिला डाक्टर्स के पदों पर महिला डाक्टर्स ही लगायें जिससे हमारी ग्रामीण महिलाएं इलाज कराने में सुगमता महसूस करें ।

मैं हमारे शिक्षा मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगी और मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने दसवीं क्लास की बच्चियों को पिछले साल साइकिल वितरण करने का एक ऐतिहासिक कार्य राजस्थान के पटल पर रखा और इस बार उन्होंने जो आठवीं पास करके नवीं क्लास में जो लड़कियां आ रही हैं, उनको भी साइकिल वितरण का एक बहुत ही अच्छा तोहफा राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है जिससे चिह्नित की हुई लड़कियां जो इस वर्ष नवीं में पास करके आयेंगी, वे लगभग डेढ़ लाख बच्चियां जो आठवीं पास करके नवीं में आयेंगी, उनको भी साइकिल दी जायेगी जिससे वे शैक्षणिक

(श्रीमती ममता भूपेश)

दृष्टि से आत्मनिर्भर बनेंगी और उनका वह सपना साकार होगा, उनके परिवार वालों का, वे चाहेंगे कि हमारी बच्ची भी राष्ट्र निर्माण में पढ़-लिखकर अपनी भूमिका अदा कर पाये।

मैं मुख्य मंत्रीजी से एक निवेदन और करूंगी कि शैक्षणिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा माहौल हमारे राजस्थान में बन रहा है लेकिन जिस तरह से बिजली विभाग ने हर तीन-तीन ग्राम पंचायतों के बीच में 33 केवी का सब-स्टेशन बनाया है, उसी हिसाब से तीन-तीन ग्राम पंचायतों के बीच में विज्ञान संकाय बारहवीं में जरूर खोला जाये जिससे हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं, वे टेक्निकल एजुकेशन पढ सकें और वे भी डाक्टर, इंजीनियर बन सकें। साथ ही मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इस बजट में कम से कम पाँच पाँच दसवीं के गर्ल्स के स्कूलों का प्रावधान रखा जाये और कम से कम तीन दसवीं से बारहवीं के विद्यालय नये अपग्रेड किये जायें जिससे हमारे बच्चे उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर पाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, डिमांड पर बोल लेना।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, मैं तो अभी पांच मिनट भी नहीं बोली, मैं भी घड़ी की तरफ ही देख रही थी।

श्री सभापति: पांच मिनट का ही समय है, माननीय सदस्या।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, इस वर्ष हमारे 186 ब्लाक जिनमें महिला साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम है, चूंकि मैं एक महिला सदस्य हूं और महिलाओं की पीड़ा के बारे में बोलने का अधिकार इस सदन में हमको दिया गया है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो 134 ब्लाक में माडल स्कूल खोले जा रहे हैं उनमें सिकराय को भी लिया जाये। सिकराय विधान सभा क्षेत्र हमारा अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य इलाका है और शैक्षणिक दृष्टि से हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो मॉडल कालेज है वह भी खोली जाये।

श्री सभापति: आप डिमांड पर बोल लेना।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, हमारा क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से कोई बहुत ज्यादा अग्रिम नहीं है और पीपीपी माडल की कालेज हमारे क्षेत्र में खुलना एक तरह से असंभव नजर आता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमारे यहां पर पीपीपी माडल के कालेज के बजाय राजकीय महाविद्यालय सिकराय में खोला जाये जिससे हमारे जो बच्चे अनुसूचित

(श्रीमती ममता भूपेश)

जाति, जनजाति बाहुल्य इलाके के रहने वाले हैं, उनको वहीं शैक्षणिक सुविधा दी जाये।

श्री सभापति: अब विराजो आप।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे मेहंदीपुर बालाजी चौकी को थाने में परिवर्तित किया और उप अधीक्षक कार्यालय जिसकी बहुत लम्बे समय से मांग हमारे क्षेत्र में चली आ रही थी, उसको भी इसी बजट में खोलने की जो सुविधा उन्होंने दी है, उसका भी हार्दिक स्वागत करती हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब आप विराजो।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): साथ ही मैं पत्रकार बंधुओं को दी गई मुख्य मंत्रीजी की सौगात का भी स्वागत करना चाहती हूं कि उन्होंने हर जिला हैडक्वार्टर पर एक आई टी सेंटर उपलब्ध करवाया जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार हमारे लिये कुछ न कुछ लिखते रहते हैं और हमारी बातें जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनको जो व्यवहारिक समस्याएं आती हैं, उनको दूर करने का मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट में प्रावधान रखा है उसके लिये धन्यवाद देना चाहूंगी।

साथ ही दैनिक उपयोग की चीजें, बहुत से लोग, जिस दिन मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि चकला, बेलन, चिमटा को कर-मुक्त किया जा रहा है तो सदन में विराजे हुए बहुत से साथी इस बात का मखौल उड़ा रहे थे लेकिन मैं उस बात की पीड़ा को इसलिए समझ रही थी कि जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा और एक गरीब का बच्चा शहर में पढने के लिये आता है तो उसके मां-बाप उसको पांच सौ रुपये का नोट देकर उसे यह कहते हैं कि तू तेरी रोटी बनाने का सामान इस पांच सौ रुपये में खरीद लेना और अगर उसके उसमें सौ--पचास रुपये भी बचते हैं तो जो सुदूर इलाके में रहता है औरे जो छोटी सी ढाणी और गांव से सपना लेकर अपने बच्चे को शहर में भेजता है, उसका सपना साकार होते हुए वह देखता है, उसके लिये पचास रुपये भी बहुत बड़ी चीज होती है।

श्री सभापति: अब आप विराजो।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, मैं इन सब चीजों के लिये मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही हम सभी यह चाहेंगे कि विधायक निधि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये किया जाये, यह मांग हम तमाम सदस्यों की है।

(श्रीमती ममता भूपेश)

आपने मुझे सदन में अपनी बात रखने का जो मौका दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे सभी साथियों से यही कहना चाहूंगी कि दाल-रोटी खाओ और गहलोत के गुण गाओ। राम-राम साहब।

श्री सभापति: श्री कल्याण सिंह चौहान।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट में गरीबों, महिलाओं, वृद्धों व बेरोजगारों के साथ अन्याय किया गया है। 250 करोड़ की राहत देकर 500 करोड़ रुपये के नये टैक्स लगा दिये गये हैं। यह तो वही हुआ कि चवन्नी डालकर अठन्नी उठा ली गई।

सभापति महोदय, सदन में अपने वर्तमान कार्यकाल का तीसरा बजट प्रस्तुत करने वाले माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत श्रीनाथजी के आशीर्वाद और नाथद्वारा की जनता के सहयोग से मुख्य मंत्री बने हैं। इन्होंने नाथद्वारा के लिये पुरानी योजना सीवरेज को दोहराकर और कोई भी नई योजना एवं विकास कार्यों की घोषणा नहीं करके नाथद्वारा के साथ सौतेला व्यवहार किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नाथद्वारा क्षेत्र के लिये निम्न मांगों के लिये बजट में प्रावधान करने के लिये मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं। सबसे पहले नाथद्वारा भगवान श्रीनाथजी के नाम से ही समस्त विश्व में जाना जाता है, अत: नाथद्वारा का नाम श्रीनाथजी या श्रीनाथद्वारा किया जाये। नाथद्वारा में 200 बेड के अस्पताल की स्वीकृति है किन्तु ना तो 200 बेड स्थापित किये गये हैं ना ही पर्याप्त स्टाफ है, अत: इनकी व्यवस्था की जाये। निश्चेतना विशेषज्ञ एवं स्त्री विशेषज्ञों की नियुक्ति की जायें। नाथद्वारा में दानदाताओं के सहयोग से आई सी यू सुविधा उपलब्ध है अत: इसे टेली मेडिसिन सेवाओं से जोड़ा जाये जिससे हृदय के एवं अन्य रोगियों को दूर जाकर महंगा इलाज नहीं करवाना पड़े। नाथद्वारा में ब्लड बैंक के लिये स्टाफ और लैब टेक्निशियनों की नियुक्ति की जाकर अन्य समस्त रिक्त पदों को भरा जाये। नाथद्वारा में ट्रोमा हास्पिटल शीघ्र शुरू किया जाये। विधान सभा क्षेत्र के होम्योपेथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में स्टाफ की कमी है, उसे दूर किया जाये। सलोदा में दानदाताओं द्वारा बनवाये गये स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ की नियुक्ति की जाकर उसे चालू किया जाये और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर स्टाफ की नियुक्ति की जाये। नाथद्वारा के होम्योपेथिक

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

चिकित्सालय को केशव काम्प्लेक्स में स्थानांतरित किया जाये। लगभग एक सप्ताह पूर्व जिला कलक्टर के आदेश से वहां के उप-खण्ड अधिकारी ने स्थानांतरित कर दिया किन्तु मंदिर मण्डल के निष्पादन अधिकारी, सी.ई.ओ. ने अपनी हठधर्मिता से वहां बैठने से मना कर दिया है। इसलिये इस बजट में बिल्डिंग का प्रावधान किया जाए ताकि नाथद्वारा की जनता को राहत मिल सके।

नगर के नाथूवास, गिरधर सागर और सिंहाड़ तालाबों तथा पुरानी बावडियों का संरक्षण किया जाये और बजट पारित किया जाए ताकि उनका रखरखाव हो सके। यमुना विकास योजना को इस बजट में सम्मिलित किया जाये। चित्रकूट स्टेडियम को विकसित किया जाये एवं इस बजट में सम्मिलित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाये और रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाये।

नाथद्वारा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक का कार्य, जो अधूरा है, उसको कराया जाए एवं इस बजट में प्रावधान किया जाए। महाराणा प्रताप राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार को पुन: शुरू किया जाये। यह पुरस्कार 18 जून, 1997 को एक बार दिये जाने के पश्चात दोबारा नहीं दिया गया है, उसके बाद यह बंद कर दिया गया है, इसे पुन: चालू कराया जाए एवं इस बजट में प्रावधान कराया जाए। हल्दीघाटी का पूरा विकास किया जाये और मेवाड़ काम्प्लेक्स योजना में मचीन्द शिशोदा कोठारिया, रकमगढ़, घोड़ाघाटी को शामिल किया जाये और मेवाड़ काम्पलेक्स योजना का विस्तार करके बजट में प्रावधान किया जाए। हल्दीघाटी के पर्यटन विकास एवं चैत्री गुलाब व्यवसाय का संरक्षण किया जाये और सस्ते ऋण, सब्सिडी तथा सरकारी सहायता उपलब्ध करवाई जाये। मोलेला की विश्वविख्यात टेराकोटा कला, नाथद्वारा की मीनाकारी एवं चित्रकारी कला का संरक्षण एवं इनका भौगोलिक पेटेंट कराया जाये।

रेलमगरा से वाया नाथद्वारा कुम्भलगढ़ के लिये एवं रेलमगरा से नाथद्वारा, खमनोर उदयपुर के लिये रोडवेज बस चालू कराई जाये। उदयपुर से वाया दरीबा रोडवेज बस शुरू कराई जाये। रेलमगरा में कृषि मण्डी की स्थापना की जाये। रेलमगरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाये और विधान सभा क्षेत्र में समस्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायें। पंचायतों का पुन: सीमांकन किया जाकर नई पंचायतें बनाई जायें और आकोदड़ा, परावल, बेरण उसरवास को नई पंचायतों का दर्जा दिया जाए। मंदिर मण्डल विस्तार को बजट

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

राशि का आबंटन किया जाय और योजना को समय पर पूरा किया जाकर योजना के प्रभावितों को देहली वाली धर्मशाला में दुकानें दी जायें। योजना में भंयकर भ्रष्टाचार हो रहा है और योजना का बजट कई गुना बढ़ा दिया गया है। इसकी सी.ए.जी. जांच कराई जाए।

नाथद्वारा मंदिर की सुरक्षा के लिये अलग से थाना और कोठारिया के लिये अलग से थाना बनाने की इस बजट में घोषणा की जाए। रेलमगरा में पुलिस अधीक्षक एवं सर्किल इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाये। 24 घण्टे की नौकरी करने वाले पुलिसकर्मी एवं अन्य सुरक्षा सेवाओं के जवानों को साप्ताहिक अवकाश स्वीकृत हो और उनकी ड्यूटी समय-समय पर कम की जाकर उनके वेतन-भत्ते इत्यादि की बढ़ोतरी की जाए।

इस बजट में बाघेरीनाका परियोजना से आमेट को जोड़ने की घोषणा की गई। मैं माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नाथद्वारा नगर और नाथद्वारा की पंचायतें और नाथद्वारा के रेवेन्यू विलेज, गांव पानी के लिये तरस रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि घर का बेटा तो कंवारा है और पड़ोसियों के फेरे करवा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि आप आमेट को जोड़िये, इसका विरोध नहीं करते हैं लेकिन यह योजना जब बनी थी, 128 करोड़ बाघेरी की योजना वह ग्रामीण क्षेत्र के लिये बनाई गई, न कि शहरी और नगरपालिका क्षेत्र के लिये बनाई गई। फिर भी अगर आप नगरपालिकाओं को इस योजना से जोड़ते हैं तो सबसे पहले नाथद्वारा नगर को जोड़ा जाए और नाथद्वारा की ग्रामीण इकाइयों को जोड़ा जाए, उसके बाद अगर यहां पानी बचता है तो आमेट को भी जोड़ें, हमें कोई एतराज नहीं है।

नाथद्वारा में भूमिगत विद्युत केबल डाली जाये और ग्रामीण काश्तकारों को 10 घण्टे बिजली आपूर्ति कराई जाए।

श्री सभापति: डिमांड्स पर बोल लेना, माननीय सदस्य।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): डिमांड और बजट एक ही है, साहब।

श्री सभापति: डिमांड्स पर अभी और चलेगा।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): और बोलेंगे तो आप टोकेंगे?

श्री सभापति: आप थोड़ा जल्दी समाप्त करें।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): हां, जल्दी कर देता हूं। छूट गये

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किये जायें। गांवों, ढाणियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार 250, 500, 1000, 1500 की आबादी होने पर ही कई मूलभूत सुविधाएं, पेयजल, इत्यादि उपलब्ध कराती है जबकि मूलभूत सुविधाओं पर सबका हक है। एक तरफ राज्य सरकार परिवार नियोजन को बढ़ावा दे रही है तो दूसरी तरफ ढाणियों, मजरों की जनसंख्या कम होने के कारण वहां न पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, न वहां ट्यूबवेल खोदा जाता है। तो, सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और इनको कहना चाहूंगा कि एक तरफ 1500 की आबादी होती है फिर वह गांव सड़क से जुड़ता है, पानी से जुड़ता है और सब सुविधाओं से जुड़ता है और दूसरी तरफ जो सौ घरों की बस्ती है, ढाई सौ की आबादी है तो क्या उन गांव वालों को कहें कि अगर आपको ये सब सुविधाएं उपलब्ध करवानी हों तो बच्चे-बच्ची पैदा करो और 1500 की आबादी तक आप यह जनसंख्या बढ़ाएंगे तो आप इस व्यवस्था से जुड़ पाएंगे।

सभापतिजी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नाथद्वारा के लिये पेरि-फेरी नियमों एवं निर्माण निषेध के नियमों को कड़ाई से लागू किया जाये या उनको समाप्त किया जाये। देलवाड़ा को इस बजट में नायाब तहसील बनाया जाये। मंदिर मण्डल कामगार यूनियन के अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किया जाये। मंदिर के सेवा वालों, नामेदारों को राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन भत्ते दिये जायें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करो आप।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): हमारी नेता माननीया वसुंधरा जी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान की गई सवर्ण गरीबों के लिये आर्थिक आधार पर 14 प्रतिशत की घोषणा को लागू किया जाये।

अंत में मैं अपना वक्तव्य इस आशा के साथ समाप्त करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय, श्रीनाथजी और नाथद्वारा की जनता ने बहुत कुछ दिया है, अत: वे भी हमारी छोटी-मोटी मांगों पर ध्यान देकर इसमें घोषणा करें।

श्री सभापति: श्री पवन दुग्गल। (व्यवधान) श्री पवन दुग्गल।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): मैं माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, (व्यवधान) अभी मेरे साथियों ने यू.पी.ए. की माननीय अध्यक्षा का नाम लिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप। विराजिये आप, मैंने नाम पुकार लिया। श्री पवन दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से..

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): सभापतिजी, आप लोग-बाग +++ की बहुत तारीफ कर रहे थे +++ को पता ही नहीं है। वे एक बार नाथद्वारा गई थीं और ग्रामीणों ने उनको भोजन कराया था और उनको मक्के की एक रोटी और ग्वार-फली का साग दिया।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): वे ग्वार-फली का साग तो खा गईं और वह मक्के की रोटी वापस यह कहकर दे दी कि यह लो तुम्हारी प्लेट।

श्री सभापति: आप विराजो। यहां बजट पर बोलो, माननीय सदस्य। आप विराजो।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): ये ऐसे तो इनके मुखिया हैं। वे रीति-नीति को जानती नहीं हैं, कुछ भी नहीं जानतीं।

श्री सभापति: अब अंकित नहीं होगा। विराजो।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हूं। महोदय, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का तीसरा बजट भाषण था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय कम है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मैं शोर्ट में, 2-3 शब्दों के ऊपर ही, सभापति महोदय, अभी बोलना ही शुरू नहीं किया है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने, अगर कोई व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उनके खिलाफ कोई बात बोली है तो आप उसको एक्सपंज कराएं।

श्री सभापति: जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उनका एक्सपंज कर दो।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, हमारा पूरा प्रदेश कृषि पर आधारित है... (व्यवधान)

श्री सभापति: असंसदीय नहीं है, असंसदीय नहीं है। विराजो, विराजो। असंसदीय किसने कहा, विराजो। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): और कृषि व्यवस्था के ऊपर, किसान

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

के ऊपर किस प्रकार से अपने बजट भाषण में कुठाराघात किया है, मैं सदन में इस बात को लेकर आ रहा हूं। सभापति महोदय, यह सही है कि प्रदेश में कोई प्यासा नहीं मरे मगर यह भी सही है कि जितना एरिया सिंचित हो, उस एरिये की सुरक्षा की जाए। अभी कल ही बजट भाषण पर हमारे माननीय सदस्य, शाले मोहम्मद जी बड़े जोर-शोर से खुशियां मना रहे थे कि द्वितीय चरण के अन्दर राजस्थान की सरकार ने 2500 हेक्टेयर जमीन को कमांड कर दिया। सभापति महोदय, हालत यह है कि तीन साल के अन्दर, मैं कमांड पर अपनी सारी बात रखूंगा, इन तीन बजट के अन्दर लगातार, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी पहले साल 2009-10 में पैरा संख्या 35 में एक लाख हेक्टेयर भूमि को कमांड करने का प्रस्ताव सदन में लेकर आये, 2010-11 में पैरा संख्या 24 पर 35,500 हेक्टेयर को कमांड करने की बात कही और 2011-12 में पैरा संख्या 26 पर 2500 हेक्टेयर जमीन को कमांड करने की बात की। मैं यह पूछना चाहता हूं, जब माननीय मुख्य मंत्रीजी अपनी बात रखें, आप कमाण्ड करें मगर आप किस आधार पर भूमि को कमांड कर रहे हो? आपके पास पीने का पानी नहीं है प्रदेश के अन्दर और सिंचाई के लिये आप लगातार भूमि को कमांड करके यह कोशिश कर रहे हो कि पूरे प्रदेश का किसान गृह युद्ध जैसी हालत के अन्दर आ जाए। ऐसा पूर्व में भी हुआ है, 2004-05 के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के राज में भी गंगानगर जिले में गोलियां और लाठियां चली थीं। मगर जिस प्रकार से अब आप यह नीति कर रहे हो...(व्यवधान) वाह-वाह करने की जरूरत नहीं है, किसान फिर आपके सामने मुकाबले के लिये सड़कों पर उतरेगा। माननीय सभापति महोदय, किसान ने अपने पैसे देकर जमीन नहीं ली बल्कि जमीन जो ली है, उसमें पानी की कीमत दी है और ये लगातार जिस हिसाब से जमीन कमांड कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर की जनता के साथ इस दूसरे चरण की जनता को लड़ाने का काम अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर जो एक जीवन-दायिनी है छह-सात जिलों की, उसके लिए यह हालत क्या कर रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, इसकी मरम्मत के लिए उन्होंने 2010-11 में 25 पैरा नम्बर पर 952 करोड़ रुपए की योजना की बात की और अब फिर 2011-12 में पैरा नम्बर 25 पर फिर कह रहे हैं कि 952 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृत कर आगामी वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, पूरे गंगानगर जिले के अन्दर, हनुमानगढ़ जिले के अन्दर सैकड़ों बार नहरें माननीय

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत के बनने के बाद टूट रही हैं और जितनी नहरें पंजाब की सीमा के अन्दर आई हैं, माननीय सभापति महोदय, मैंने इस सदन में पचासों बार इस बात को कहा है कि उस नहर की 312 और 313 आर.डी. के ऊपर पंजाब सरकार ने कट लगा रखा है मगर राजस्थान सरकार के अभी जूँ तक नहीं रेंग रही है। सड़कों पर लड़ रहे हैं, विधान सभा में बोल रहे हैं मगर ये इस बात पर गुप-चुप बैठे हैं और इसके ऊपर आगे यह कमांड करने की घोषणा करके अपनी मेजें थपथपा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात को कहते हुए दुःख भी है कि आने वाले समय में अगर ये इसी प्रकार से भूमि को कमांड करेंगे तो यह केवल सिंचाई ही नहीं, यह पीने के पानी के लिए भी राजस्थान के किसान को और राजस्थान के लोगों को मरने के लिए मजबूर करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई परियोजना पर इन्होंने क्या किया है, वर्ष 2009 में पैरा संख्या 38 पर मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि 96 करोड़ 94 लाख की स्वीकृति, 2010-11 में फिर 23 नम्बर पैरा पर कहा है कि इस बार 777 करोड़ 58 लाख और इस बार फिर 2011-12 में पैरा संख्या-20 पर 715 करोड़ 97 लाख; यह दे किसको रहे हो, यह पैसा लग कहां रहा है और कौनसी नहरों पर लग रहा है? यह मुख्य मंत्रीजी जब अपना अभिभाषण दें तो उस समय सदन को अवगत करायें।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग की हालत क्या है? तीन साल के अन्दर कितने अध्यापक राजस्थान में लगे हैं? एक-एक नौजवान ओवर एज हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, 27 लाख इस राजस्थान के अन्दर बी.एड., एस.टी.सी. किए हुए नौजवान इन्तजार कर रहे हैं, राजस्थान सरकार की तरफ देख रहे हैं मगर राजस्थान की सरकार ने एक अलग ही सिस्टम चला रखा है, विद्यार्थी मित्र लगा रखे हैं, उन विद्यार्थी मित्रों को जो दो-दो हजार, आपकी सेवा कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, रोज धरने-प्रदर्शन करने को मजबूर हो गये हैं। हम तो ज्योति नगर के पास रहते हैं, रोज ही हो-हल्ला होता है, विद्यार्थी मित्र आते हैं अपनी आवाज के लिए, अपनी मांग के लिए टीचर्स आते हैं। कल-परसों ही आशा सहयोगिनी बहनें आई हुई थीं, उनको भी इन्होंने क्या किया है, पांच सौ रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया और फिर मेजें थपथपाईं।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जब वे अपना जवाब प्रस्तुत करें तो उसके अन्दर, मुझे

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

याद है, दो अभिभाषण जब हुए तो राजस्थान की सरकार ने, मुख्य मंत्रीजी ने नरेगा के ऊपर मेजें थपथपाई। सोनिया गांधीजी की इन्होंने बहुत बड़ी, राहुल गांधीजी की बहुत बड़ी बड़ाई की, कहा कि नरेगा चला दी पूरे देश के अन्दर। आज नरेगा कहां चली गई आपकी? एक शब्द भी इस बजट के अन्दर नरेगा का नहीं कहा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने। इसलिए आपकी नीति से स्पष्ट होता है कि आप इस योजना को जो वास्तव में गरीब तक पहुंचाना चाहते थे, आज पूरी तरह से बंद करने का षड्यंत्र राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, माननीय सभापति महोदय, रच लिया है।

इसके अलावा, जहां तक दूसरा खेल नीति का सवाल है, हमारे माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, माननीय सभापति महोदय, खेल नीति क्या है प्रदेश की? (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्य, अब आप डिमांड पर बोल लेना।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): इस प्रदेश का युवा, माननीय सभापति महोदय, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर, आप बात तो सुनो, माननीय सभापति महोदय, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2010 में एशियाई गेम्स हुए थे, उस पैरा एशियाई गेम्स के अन्दर हनुमानगढ़ का एक नौजवान जिसका नाम जगसीर सिंह है, माननीय सभापति महोदय, एथलेटिक्स ट्रिप्पल जम्प...(व्यवधान) ... में गोल्ड मेडल लेकर आया, जो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक के ऊपर है, मगर राजस्थान सरकार ने आज तक, उसको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, मगर उसको बधाई संदेश देना भी मुनासिब नहीं समझा। आज वह गलियों में घूम रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह इस देश की खेल नीति है, यह इसकी हालत है इस देश की। मैं मांग करता हूं कि आपने उसी एशियाई गेम्स 2010 के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराज जाएं।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): हमारे एक खिलाड़ी बजरंगलाल को 15 लाख रुपये दिये, मैं बधाई देता हूं आपको इस बात की; आपने आवासन मंडल में उन्हें एक रिहायशी प्लाट दिया, हम धन्यवाद करते हैं; आपने लंदन की तैयारी के लिए उसे पांच लाख रुपए दिये, हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं, उसको डीवाई.एस.पी. की पोस्ट दी, तो इस भले मानस जगसीर ने आपका क्या गुनाह कर दिया जो आपने उसको एक रुपया देना आज तक मुनासिब नहीं

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

समझा? मैं माननीय मंत्रीजी से कहता हूं कि इनका भी नम्बर आएगा तो यह भी हमारे इस मामले में मदद करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप डिमांड्स पर बोल लेना। अब आप समाप्त करो।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कह कर खतम करूंगा। कांग्रेस सरकार कह रही है, मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि गरीब, दाल-रोटी खाओ, अशोक गहलोत के गुण गाओ। क्यों? माल तो सारा आप खाते हो, बढ़िया पुडी-हलवा यह खाते हैं और गरीब दाल-रोटी खाये, यह कहां का न्याय है? आपने ऐसी हालात पैदा कर दी कि गरीब सोच नहीं सकता कि उसके घर में भी कोई बढ़िया व्यंजन बनेगा और वह दाल-रोटी के लिए, आप तो आजादी के 63 साल बाद, मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि आप दाल-रोटी खाओ, गरीबों इससे ऊपर नहीं उठ सकते। इससे ऊपर आपकी औकात नहीं है। शर्म आनी चाहिए, इस प्रकार के आप लोग वक्तव्य देकर गरीब की पैरवी कर रहे हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। श्री रोहिताश कुमार शर्मा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): गरीब के वोट लेकर आप सत्ता के अन्दर आये हो। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने अन्तिम शब्दों के अन्दर इस बजट का घोर विरोध करता हुआ इस बजट की निन्दा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब यह दो साल के बाद जनता के बीच में जाएंगे ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अब अंकित नहीं होगा। अब अंकित नहीं होगा। अब आपका अंकित नहीं होगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, मुझे 13वीं विधान सभा के इस तीसरे...(व्यवधान) क्या?

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आपकी सिफारिश से बोलने की इजाजत मिल गई है मुझे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इस 13वीं विधान सभा का जो तीसरा बजट दिया गया है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ये अपनी सीट से बोलें, अपनी सीट के अलावा नहीं बोलें।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मुझे इस बजट भाषण पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए सचमुच में मैं आपका हृदय से आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर इस बजट भाषण पर अपनी-अपनी बात रखी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि भारत के संविधान के अनुसार विधान सभा में सत्तारूढ़ पार्टी के लीडर को मुख्य मंत्री का दर्जा मिलता है और हाउस आफ लीडर कहलाता है। हाउस आफ लीडर के पीछे मंशा क्या रही संविधान के निमार्ताओं की, मंशा यह रही कि पूरे प्रदेश का मुख्य मंत्री ध्यान रखेंगे, यह संविधान के निमार्ताओं के मन का सोच था उस वक्त। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो जिस तरह का बजट पेश किया है, माननीय सभापति महोदय, इसमें टोटल क्षेत्रवाद का, इसमें पूरा क्षेत्रवाद झलकता है। जो सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली लोग थे, उनके क्षेत्रों में तो काम का पैसा दे दिया; जो लोग प्रतिपक्ष के लोग थे, माननीय सदस्य जो सदन के अपने माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपना नेता मानते थे, उन्होंने बिलकुल भी विपक्ष के नेताओं और प्रतिपक्ष के विधायकों का ध्यान नहीं रखा और हमारे अलवर जिले का तो बंटाढार ही कर दिया। हमारा अलवर जिला वैसे भी दोहरी प्रशासनिक प्रणाली से जूझ रहा है, एक तरफ एन.सी.आर. और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार... (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): हाउस आफ द लीडर नहीं, लीडर आफ द हाउस है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हां, मैं संशोधन करता हूं, लीडर आफ द हाउस।

तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अब यह जो बजट रखा है और इसमें बहुत वाहवाही लूटी गई है कि यह 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो 2011-12 की, जो इस वित्तीय वर्ष में 28,461 करोड़ रुपये की योजना माननीय मुख्य मंत्री ने बड़ी बहादुरी से, बड़ा वित्तीय प्रबंधन करके और यह सब बनाई है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह बात साधारणत: कोई अगर गांव में भी कहें तो आज आजादी के 60-62 साल के बाद में हर गांव का आदमी इतना समझदार हो गया कि उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। लच्छेदार भाषण देने

(श्री रोहिताश कुमार)

से, तारीफ करने से काम नहीं चलता। 28,461 करोड़ की योजना आप लेकर आये। मैं पूछना चाहता हूं, इस योजना को बनाने वाला कौन था? इसके पीछे दिमाग किसका था? आप भूल गये, यह 2007-2012 की पंचवर्षीय योजना है और इस पंचवर्षीय योजना का काम माननीय मुख्य मंत्री का पांच साल में उस रुपये का राजस्थान की धरती पर, राजस्थान के रहने वाले लोगों के भले में, उनके वेलफेयर में और बिलकुल संतुलन के साथ सारे क्षेत्र में इसका विधिवत वितरण करके विकास और परिसम्पत्तियां डवलप करने का था। इनके जिम्मे तो इतना-सा काम था। ब्रेन था वसुन्धरा राजे सिंधियाजी का जिन्होंने इतनी बड़ी योजना, 31 हजार करोड़ की दसवीं पंचवर्षीय योजना जो माननीय अशोकजी गहलोत ने बनायी, उसका आकार एकदम बढ़ाया। उस बात को यह भूल गये और यह 28 हजार करोड़ की योजना लेकर आ रहे हैं, यह 23 हजार की, 2008-09 की लेकर आये 14,020 करोड़ की। यह क्या है? आपका काम सिर्फ इतना था कि इससे बहुत ढंग से राजस्थान की जनता का विकास करना था। विकास में आप पिछड़ गये। मैं आंकड़ों के आधार पर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, 2007-08 में जब यह योजना बनी, माननीय वसुन्धराजी ने 11,638.86 करोड़ के मुकाबले खर्च कितने किये, 13,794.69 करोड़। यह तो है विजन और वित्तीय प्रबन्धन। इसी पंचवर्षीय योजना का दूसरा साल, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसी पंचवर्षीय योजना का दूसरा साल 2008-09, जिसका कुछ हिस्सा आपने भी लिया, यह था 14,020 करोड़ रुपये का और इसके विरुद्ध खर्च कितने कर पाये, 14,923.35 करोड़, यानी 903 करोड़ रुपये अधिक। इसको कहते हैं विजन और वित्तीय प्रबन्धन। अब आप आ गये, श्रीमानजी जय हो, जय हो; देश का नेता कैसा हो, गहलोत साहब जैसा हो। जय हो। अब आ गया आपका वर्ष 2009-10...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एम.पी. चुनावों में भी तो आपने जय बोली थी गहलोत साहब की, अब भी बोलो तो क्या फर्क पड़ता है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): 2009-10 में 18,634 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना आप लेकर आये और खर्च कितना कर पाये, 18,022 करोड़ और खर्च कितना नहीं कर पाये, 612 करोड़ रुपये। राजस्थान के विकास को आपने चूना लगा दिया। यह है आपका वित्तीय प्रबन्धन। वर्ष 2010-11 की मैं आपसे बात करूं, 23,822 करोड़ रुपये की योजना थी और जनवरी, 2011 तक कितना खर्च कर पाये, 14,037 रुपये और घाटा कितना रहा, 9,785 करोड़ रुपये। यह क्या

(श्री रोहिताश कुमार)

वित्तीय प्रबन्धन है? आप किस दिशा में इस प्रदेश को ले जाना चाहते हो, यह मेरी समझ के बाहर है। अब आप लेकर आये हो 2011-12, 28,461 करोड़ ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लिखने वाले ने गलत लिखा है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): यह फिगर सही करो, गलत लिख दिया है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): लिखने वाले ने गलत नहीं लिखा है। मैं इस हाउस का सीनियर मेम्बर हूं, आपकी तरह से पहली या दूसरी बार नहीं हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं टोकूंगा। आप जो आंकड़े दे रहे हो, बहुत शानदार दे रहे हो, माननीय सदस्य।

श्री करणसिंह (छबड़ा): आप तो रंग बदलकर आते रहते हो। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): 22,461 करोड़ रुपये की यह 12वीं वार्षिक योजना, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पिछले दो साल में आप नहीं कर पाये और मुख्य मंत्रीजी का ध्यान पिछले टेन्योर की ओर ले जाना चाहता हूं, पिछले टेन्योर में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो मुख्य मंत्रीजी की कार्यशैली और आदत है, वह आदत यह है कि भैरोंसिंह जी ने योजना बनाई थी 1997-2002 की, वे चले गये 1998 में और गहलोत साहब आ गये मुख्य मंत्री और गहलोत साहब ने 27,650 करोड़ के मुकाबले, योजना थी 27,650 करोड़ की और खर्च कितना कर पाये, 19,566.22 करोड़, यानी 8,084 करोड़ रुपये आप खर्च नहीं कर पाये। तो क्या वित्तीय प्रबन्धन और क्या तरक्की! और इस साल कैसे कर लोगे आप, मैं पूछना चाहता हूं? मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं कि आप टैक्सेज बढ़ाते हो, आचार्य चाणक्य ने कहा है, माननीय उपाध्यक्षजी, प्रमुख अर्थशास्त्री, प्रमुख अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने कहा है...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): उपाध्यक्ष कैसे जी? क्या बोल दिया आपने? ये सभापति जी हैं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ये उपाध्यक्ष बनें, यह मेरी इच्छा है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): आप सीनियर सदस्य हो, सभापति बोलो। ऐसे क्या करते हो ?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य,

(श्री रोहिताश कुमार)
चाणक्य ने कहा है, अभी इन्होंने 500 करोड़ के टैक्स बढ़ाये, लेकिन यह छिपा हुआ है, यह 500 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ के लगभग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जायेगा। चाणक्य ने कहा है ''Taxation should not be painful for the people. There should be…(interruptions)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): चाणक्य को तो अंग्रेजी आती ही नहीं थी। चाणक्य को अंग्रेजी कहां आती थी? गलत बात है। चाणक्य अंग्रेजी का ज्ञाता नहीं था, संस्कृत का ज्ञाता था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अंग्रेजी में भी बोलते थे चाणक्य।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) : Chanakya was a Professor in Takshasila University.

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय, संस्कृत का ज्ञाता था। संस्कृत का प्रोफेसर था, संस्कृत का था।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था चाणक्य। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): रात को कहा होगा उन्होंने, रात वाला स्टेटमेंट होगा। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सुनिये, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैंने तो पहले ही कहा था, ये धोखा देंगे आपके दोस्त और हंसी करवायेंगे। आप इनके चक्कर में मत रहो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह राठौड़ साहब ने कहा होगा कि अंग्रेजी का प्रोफेसर था।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): You do not know about the Chanakya. I know about Chanakya. I am going to let you know who is Chanakya.

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह धोखेबाजी, मुझे ही नहीं बख्शा, आपको कहां बख्शेंगे? यह तो इनकी फितरत में है। फंसा दिया आपको बिना बात। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): Chanakya (c.350-c.275 BC) also known as Kautilya or Vishnugupta, was an Acharya of Political Science at the Takshasila University. He is regarded as one of the earliest known political thinkers, Economists and Kingmakers. What do you mean? You do not know about Chanakya and you are telling me like this.

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह कौन से अख़बार में लिखा हुआ है, साहब? कौन से ग्रन्थ में है? यह कौटिल्य ने लिखा है?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह हिस्टरी है। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): नहीं, किसमें लिखा हुआ है ?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): I am quoting the number and book. Yes, I am quoting.

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आगे अंग्रेजी में ही चालू रखो। सगीर साहब ने बोला, आप भी अंग्रेजी में बोलें, मजा आ जायेगा। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हां, अंग्रेजी में बोलता हूं। और सुनिये, आपके मुख्य मंत्रीजी की मानसिकता बता देता हूं। यह विकास क्यों नहीं हुआ, इस पर पूरा इम्प्लीमेंटेंशन क्यों नहीं हुआ, राजस्थान में समान दृष्टि से क्यों नहीं हुआ और ...(व्यवधान) अंग्रेजी में बोलता हूं।

There was a Jean Baptiste Colbert, a Minister of Finance in the Govt. of France and he has also been termed the best economist of the world. He quoted that: "In democracy there is a time limit…" राजाओं की तरह से नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हिन्दी में नहीं, अंग्रेजी में। हिन्दी नहीं, अंग्रेजी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): OK. I will speak in English, don't worry. "In democracy there is a time limit…" means…(interruptions)

एक माननीय सदस्य: There is no time limit in democracy.

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): डेमोक्रेसी में टाइम लिमिट नहीं होती, आप गलत पढ़ रहे हो इसमें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ''a leader who …" (interruptions)

श्री सभापति: अब समअप करो, माननीय सदस्य।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आपने क्या कहा, सुनिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इंग्लिश, इंग्लिश में।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मैं इंग्लिश में बोलूंगा। ''...a leader who uses shallow language…" listen please, "..a leader who uses shallow language and expresses baseless charges on its opponents, suffers from the handicap of psychological pressures of inferiority complex and, hence, cannot survive the people of the State, honest and impartial manners like in this budget." तो यह कोई इम्पार्शल बजट का फैसला नहीं हुआ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): I would request you to please carry on in English. You are a wise person of this House.

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): My dear, there are only a few members who can understand English. But there are so many members who are villagers and educated like me. So they do not understand English.

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): Means, whatever you have quoted in this House, they were not able to understand. You know it then why have you spoken in English?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): This is not a compulsion.

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): No. But you have to complete your speech.

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराजो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपके लिए वह अंग्रेजी बोलूंगा कि this is ऊंट पर से गिर पड़ा, क्योंकि डिक्शनरी वाली अंग्रेजी आप समझोगे नहीं।

श्री सभापति: डाक्टर साहब, अब आप विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सभापति महोदय, my one point is very important because this government is going to fool us. I am quoting that… "This is ऊंट पर से गिर पड़ा''

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप तो विद्वान हैं, आप तो अंग्रेजी में बोलो, साहब।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर बड़ी-बड़ी बातें कही गयीं, विश्व-स्तरीय शहर, इन्टरनेशनल सिटी और एक नया शहर, वर्ल्ड क्लास सिटी। ट्यूरिज्म मिनिस्टर यहां पर बैठी हुई हैं, हमें यह जानकर बड़ी खुशी होगी, जयपुर इन्टरनेशनल मैप पर हेरिटेज सिटी के नाम से मशहूर होगा, आप तो हेरिटेज बनाना चाहती हैं; धारीवाल साहब नया शहर बनाना चाहते हैं; और राहुलजी आये तो मुख्य मंत्रीजी की भाषा बदल गयी, मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हम इंटरनेशनल सिटी बनायेंगे। There are three statements from the side of the government. What is this?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हम सब आल-इन-वन हैं, हम सबको एक करके वन कर देंगे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): Excuse me. मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, एक मिनट और लूंगा। I am grateful to my best friend. विपक्ष वाले हम लोग बोलते हैं, तैयारी करके आते हैं, हमारा काम तो इन प्रेस वालों ने कर दिया। मुख्य मंत्रीजी का प्रेस अरैजमेंट बहुत बढ़िया है। इतना अच्छा है,

(श्री रोहिताश कुमार)

इन्होंने क्या कर दिया, पहले तो इन्होंने मुख्य मंत्रीजी को एक नम्बर कह दिया, पहले टेन्योर में। वे नम्बर दो पर आये ही नहीं, नम्बर वन ही चलते रहे हवा में। अबकी बार इन्होंने ऊंची बात कह दी। इन्होंने कह दिया कि मुख्य मंत्रीजी की एक्टिंग है, जो वेश भूषा है, जो खान-पान है और जो काम करने का तरीका है, this is equal to Gandhian philosophy. अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुझे खुशी है, गांधीवादी शैली अपनाने की तो मुझे खुशी है पर आप गांधीवादी शैली में इंटरनेशनल सिटी कैसे बनायेंगे। यहां तो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, इंटरनेशनल सिटी में आप बार कैसे खोलेंगे? आप बार खोल देंगे? रात को बार, डिस्को और मेरे सामने वाली खिड़की में, नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन। राजस्थान की वर्तमान संस्कृति और व्यवस्था में आप आमूलचूल परिवर्तन कर पाओगे?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वह तो मित्रों का ख्याल रखना पड़ता है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): And do you know, what is the definition of international city?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): आप सदन का स्तर कितना गिरायेंगे, नीचे? आप नाच करके दिखा रहे हैं यहां पर। सभापति महोदय, यह सदन का स्तर इतना गिर रहा है, सचेतक महोदय कुछ नहीं कह रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इसमें ऐसी क्या बात है? क्या आप यहां पर पुलिस अफसरी का रौब दिखा रही हैं? पुलिस अफसरी का रुतबा दिखा रही हैं यहां पर? (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): This is not wrong. यह कोई गलत नहीं है। नाचने वाले और गाने वाले लोक सभा में चुनकर आते हैं। नृत्य कोई गलत नहीं है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): शर्म आनी चाहिए प्रतिपक्ष के लोगों को, आपके सदस्य ने यहां पर डांस करके दिखाया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप बतायेंगी कि हमें क्या बोलना है? (व्यवधान) दूध के दांत टूटे नहीं हैं, बड़े नेता बन गये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सभापति महोदय, नाचना सदियों से चला आ रहा है। राम राज्य में भी था, कृष्ण लीलाओं में भी था और महाभारत में भी था। नाचने को किसने खराब बता दिया?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एक गाना वह भी तो है कि 'क्या करूं राम, मुझे बुड्ढा मिल गया।'

श्री सभापति: डाक्टर साहब, अब आप समाप्त करो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अन्त में एक और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: नहीं, अब नहीं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम तरक्की करने के लिए आये हैं, पिछले कबाड़े में क्यों जाने की कोशिश करते हो, क्यों भागते हो?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, इन्होंने पिछला कबाड़ा बोला है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अगर यह असंसदीय है तो हटा दो। मेरा मतलब यह है, आप कुछ भी कह लो। मैं यह कहता हूं कि यहां पर हर बात में वसुन्धराजी का पिछला टेन्योर, वसुन्धराजी का पिछला टेन्योर। वसुन्धरा जी भूत दिखाई देती हैं क्या मुख्य मंत्रीजी को? यह क्या तरीका हुआ? दूसरी बात, मुख्य मंत्रीजी काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जयपुर में वसुन्धराजी दिखाई देती हैं और दिल्ली में सी पी जोशी साहब दिखाई देते हैं।

श्री सभापति: श्रीमती कान्ता भील।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मैं कनक्लूड कर रहा हूं, बस एक मिनट और।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह सारा मामला बजट पर ही है क्या?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हां, बजट पर ही है। मतलब जब ये दिखाई देंगे तो फिर काम कैसे होगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराजें। श्रीमती कान्ता भील।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आपने समय दिया, आपको धन्यवाद। मुझे शब्द याद नहीं आ रहे, उन शब्दों में इस बजट की निन्दा करता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): रोहिताशजी, आपने क्या-क्या कहा, मजा नहीं आया।

श्री सभापति: श्रीमती कान्ता भील।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): रोहिताशजी, सपने वे नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वे होते हैं जिन्हें पूरा किये बगैर नींद नहीं आती है। आप तो बात ही बात करते रहे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): जब श्रवणजी मेरे साथ होंगे तो मिलकर पूरे कर देंगे।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से बजट भाषण 2011-12 के पक्ष में सदन के समक्ष मैं अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूं। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत ने 09 मार्च, 2011 को अनुमानित बजट सदन के समक्ष पेश किया, जो एक ऐतिहासिक बजट है, जिसका मैं स्वागत करती हूं।

सभापति महोदय, विपक्ष के माननीय वरिष्ठ सदस्य सम्माननीय रोहिताशजी अभी कह रहे थे कि इस बजट में क्षेत्रवाद झलकता है लेकिन इस बजट में बोलने के लिए विपक्ष के पास में कोई मुद्दा या मसाला नहीं है। इसका ताजा-ताजा उदाहरण अभी चन्द मिनट पहले माननीय वरिष्ठ सदस्य ने सदस्यों का ध्यान बांटने के लिए अपने श्रीमुख से कहा कि कुछ सदस्य अंग्रेजी जानते हैं तो आपके सदस्यों की समझ में नहीं आया और इस बजट की कमजोरी का मुद्दा था नहीं, इस वजह से पिछली पुरानी बातों में समय गंवाया।

सभापति महोदय, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आम आदमी, गरीब, पिछड़े, महिलाएं, बेरोजगार, व्यापारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का ख्याल रखा है। सभापति महोदय, यह बजट एक संतुलित बजट है जिसकी आम जनता ने खुले शब्दों में प्रशंसा की है। सभापति महोदय, विशेषकर महिलाओं की रसोई को सस्ता किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। यह बजट आम आदमी का बजट है और इस बजट ने सही मायने में जनता को जनता के राज का अहसास कराया है। माननीय सभापति महोदय, जनता ने महसूस किया है कि हमारे द्वारा बनायी हुई सरकार ने हमारी पीड़ा एवं तकलीफ को करीब से समझा एवं उनके समाधान का इस बजट में प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे वागड़ क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी का कोटिश: आभार व्यक्त करना चाहती हूं एवं उन्हें धन्यवाद देती हूं कि पिछले 60 वर्षों से लम्बित वागड़ का जो रेल का सपना है, वह सपना था जो माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से पूर्ण हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो निजी पावर प्लांट की स्वीकृति दी और इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा रेलवे निर्माण की कुल लागत की 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने का जो निर्णय लिया है, इसकी वजह से रेल घोषणा का सपना साकार हुआ है।

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

माननीय सभापति महोदय, इस रेल घोषणा के दिन पूरे वागड़ का माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आगामी वर्ष के बजट में एस.टी., एस.सी. के घटकों हेतु 16.66, 13.2 का प्रावधान सम्बन्धित विभागों में, विभागों के मद में अलग से इंगित किया है जो इन वर्गों के लिए कल्याणकारी होगा, जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की हृदय से आभारी हूं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि इस वास्तविक प्रावधान की सम्बन्धित विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से क्रियान्विति सुनिश्चित हो, इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन बनायी जानी चाहिए ताकि उस निर्धारित अनुपात में राशि खर्च करने के लिए सम्बन्धित विभाग बाध्य हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में जो नहरों का निर्माण हुआ है, वह लगभग 35 वर्ष के पूर्व हुआ था। उन नहरों के रख-रखाव एवं मरम्मत के अभाव में सारी नहरें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी हैं, टूट चुकी हैं जिससे सीपेज की समस्या सामने आयी है और सीपेज की वजह से वहां की जमीन ऊसर हो रही है। माननीय सभापति महोदय, बीच में पानी का रिसाव होता है जिसकी वजह से टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दोनों बायीं और दायीं, माही परियोजना की जो मुख्य नहरें हैं, उन दोनों नहरों का टेल का एरिया मेरा विधान सभा क्षेत्र है जो रिकार्ड में तो सिंचित है लेकिन मौके पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है और वहां के लोगों को सिंचाई कर, बिना जमीन सिंचित किये सिंचाई कर वहां पर अदा करना पड़ता है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीया सदस्या, डिमांड पर बोल लेना आप। (व्यवधान) कल ही है न, कल ही है। माननीय सदस्या, यह विषय आप दूसरी तरह से उठाना।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, पिछली बार भी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को पैसा दिया था और इस वर्ष के भी, आगामी वर्ष के बजट में भी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को पैसा दिया है। माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इस

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

बजट प्रावधान में मेरी इस मांग को जोड़ते हुए, क्योंकि अभी बजट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इस मांग को जोड़ा जाए ताकि वहां के लोगों की जो समस्या है उस समस्या का स्थायी हल निकाला जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि एक तरफ जहां आज हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने पानी के बचाव के लिए काफी सारे इसमें प्रावधान किये हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि माही डैम का पानी, जिसका 40 टी.एम.सी. पानी ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मेरी बात के लिए थोड़ा-सा मुझे समय दें।

श्री सभापति: कल है न आपका, कल आप बोलना। (व्यवधान)

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): सभापति महोदय, 40 टी.एम.सी. पानी गुजरात को जाता है और सिर्फ 16 टी.एम.सी. पानी बांसवाड़ा जिला उपयोग करता है। सीपेज की वजह से उस 16 में से भी चार से पांच टी.एम.सी. पानी बहकर गुजरात को चला जाता है और हमारे वहां के काश्तकारों की सिंचाई नहीं हो पाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपर लेवल कैनाल के सर्वे के लिए एक करोड़ रुपया दिया था लेकिन मैं आज इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को और इस विभाग के माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहती हूं, उस सर्वे के टेंडर अभी तक नहीं हुए और उस टेंडर की आज अंतिम तारीख है। सभापति महोदय, अपर लेवल कैनाल की सर्वे तक नहीं हुई है और हाई लेवल कैनाल, दोनों भागों में जो असिंचित एरिया है, उस असिंचित एरिया के लिए ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कल बोल लेना; कल है, कल डिमांड है।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): उस असिंचित एरिये के लिए बजट में प्रावधान किया जाए ताकि उसका सर्वे कराकर के उस क्षेत्र के वंचित एरिया के विकास के लिए, उसकी सिंचाई के लिए पानी दिया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब माही डैम बना, उस समय राजस्थान का और गुजरात का एक समझौता हुआ था और समझौता यह हुआ था...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कल बोल लेना आप, मेरे पास समय की सीमा है।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत बड़ी परियोजना है, 'परियोजना पूर्ण हो गयी है', करके अब बजट नहीं दिया जा रहा है...

श्री सभापति: कल बोल लेना।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): लेकिन मौके पर यह परियोजना जो है, इसके आधे काम आज भी बाकी हैं, सिर्फ इसके निर्माण का काम। मैं निवेदन करना चाहती हूं, सिर्फ 16 टी.एस.सी. पानी का हिस्सा ही बांसवाड़ा उपयोग कर पा रहा है, सभापति महोदय, और बाकी क्षेत्र के लिए क्योंकि इस योजना को बंद कर दिया गया है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरह से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए पैसा दिया जा रहा है, उसी तरह से बांसवाड़ा के लिए भी पैसा दिया जाए। यह मेरा अनुरोध है।

श्री सभापति: ठीक है, अब सम-अप करो।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): सभापति महोदय, अंत में एक निवेदन और करना चाहती हूं कि उदयपुर संभाग जहां अधिकांश भील और अन्य जनजातियां निवास करती हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि यह काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और आरक्षण का अर्थ होता है कि जो पिछड़ा हुआ है, उन पिछड़ों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। सभापति महोदय, एक से नौ की पे-स्केल में उदयपुर जो टी.एस.पी. एरिया है, उसमें 45 प्रतिशत आरक्षण एस.टी. को दिया जाता है लेकिन, सभापति महोदय, जो राज्य की अन्य प्रशासनिक सेवाएं हैं उन प्रशासनिक सेवाओं में हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है और जो बाहर के अधिकारी आते हैं वे जितनी भी योजनाएं उस टी.एस.पी. के लिये बनती हैं, उनकी क्रियान्विति सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के जो लम्बे समय से वहां के एस.टी. के लोग हैं उनकी मांग है कि जो राजस्थान का साढ़े 12 प्रतिशत आरक्षण है, उसमें से साढ़े 5 प्रतिशत आरक्षण हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र, उदयपुर संभाग को दिया जाए...

श्री सभापति: ठीक है, विराजो।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): ताकि वहां के जनजाति के लोग राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में जाएं और हमारे क्षेत्र का विकास हो सके।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): अंत में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो नौ तारीख को बजट भाषण सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करती हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: संक्षिप्त करना, माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): बस शुरू ही किया है, साहब।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का यह बजट भाषण पूरे सदन में पक्ष और विपक्ष की तरफ से सुना गया। माननीय सभापति महोदय, वृद्धावस्था पेंशन जो बुड्‌ढा हो जाता है और जो माता बुड्‌ढी हो जाती है, उनके लड़के जवान होने के बाद अपने बीवी-बच्चों का ध्यान रखते हैं, बुड्‌ढे मां-बाप का कोई ध्यान नहीं रखते हैं और इसलिए 58 साल के बाद में जो उनको पेंशन दी जाती है, बालक पुत्र का हवाला उसमें से हटाना चाहिए ताकि उनको पेंशन मिल सके। यह सही लाभ तब उनको मिल पायेगा। इसी प्रकार से जो बहन विधवा हो जाती है उसका इस दुनिया में सब कुछ उजड़ जाता है। उसमें भी बालक पुत्र के हवाले से जो पेंशन मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है, बालक पुत्र का हवाला देकर के पेंशन निरस्त कर दी जाती है। इसी प्रकार विकलांग है, उसके परिवार के अन्य सदस्य का हवाला देकर के और उनको पेंशन से वंचित किया जाता है, उसको भी हटाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें रावत, मेहरावत जाति के लोगों को इस अति पिछड़े वर्ग के अन्दर नहीं जोड़ा गया है, वह जोड़ा जाना चाहिए। आज जितनी भी पत्थर पीसने की फैक्टरियां हैं, उनके अन्दर काम करने वाले मजदूर 99 प्रतिशत लोग इन्हीं जाति के हैं लेकिन इनको इस धारा से विमुख किया गया है। इसलिए ये जुड़ने चाहिए।

(15.00 बजे)

शिक्षा का स्तर इस सरकार के अन्दर गिरता जा रहा है। मेरा सुझाव है, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर दूरदराज में टीचर नहीं जा पाते हैं, वहां शिक्षा कर्मी के माध्यम से स्कूलें खोली जानी चाहिए और शिक्षा कर्मियों को वहां लगाया जाना चाहिए।

सरकार को सुझाव है कि हरित राजस्थान की जगह अंग्रेजी बम्बूल रहित राजस्थान चालू किया जाए, यह काश्तकारों के हित में रहेगा।

पीने के पानी की योजना पिछली सरकार में माननीय वसुन्धरा जी ने शुरू की थी वह अभी तक भी चालू नहीं हुई है क्योंकि जो पेयजल मंत्री हैं, ये

(श्री शंकर सिंह)

द्वेषता से काम करते हैं। जहां पर कांग्रेस के सदस्य हैं, वहां-वहां पर देखकर के उस योजना को चालू किया जाता है। इसलिए ऐसे मंत्रियों को मैं कह रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपको हटाना चाहिए। सरकार का नाम नहीं होता है। बजट के अन्दर किसी प्रकार का काम दिया नहीं है पंचायतों के अन्दर, नरेगा के अन्दर इतना बजट खर्च किया जा रहा है। नरेगा का बजट निश्चित तौर पर पंचायतों में अनावश्यक खर्च हो रहा है। इस पैसे को, मेरा सुझाव है, गंगा और यमुना का पानी लाने के लिए लगाना चाहिए।

जिस प्रकार आज राजस्थान में सबसे ज्यादा हत्याएं अजमेर जिले में हो रही हैं, ग्यारह साल के सूरज का अपहरण होकर के हत्या हुई, आज तक कोई पता नहीं चला। उसी दिन मोटा सिंह रावत की हत्या हुई, उसके महीने भर बाद वहां के महन्त की हत्या हो गयी पुष्कर में, अभी तक किसी प्रकार का राज नहीं खुला। आठ हत्याएं ताड़गर थाने के अन्दर हुई हैं। तीसरी मंजिल के ऊपर लाश मिलती है, उस होटल के अन्दर उसका कोई इन्द्राज नहीं। जिस राजस्थान का गृह मंत्री दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर +++ पकड़ा जाए और वहां तलाशी के अन्दर उसकी जेब में कारतूस मिले, इस राजस्थान की इज्जत कितनी बढ़ी होगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, उसमें भी कम से कम सुधार होना चाहिए।

मेरा सुझाव है, शासन चलाने के लिए अधिकारियों के ऊपर नकेल कसनी चाहिए। आज नकेल कैसे कसी जाती है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना था आपने, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, अन्तिम हिन्दू सम्राट थे। जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को एक बार गिरफ्तार किया, सोलह दफे हार खाने के बाद सत्रहवीं बार में उनको गिरफ्तार किया तो उनके सबसे पहले हाथ काटने चाहिए, पांव काटने चाहिए, उनकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए लेकिन उन्होंने पहले उनकी आंखें निकलवाई। तो उस आंख निकालने वाले ने पूछा, आप इसके पांव कटा लेते, सिर कटा लेते, आंखें क्यों निकलवाई, तो मोहम्मद गौरी ने कहा, चुप, तुम्हें पता नहीं है, यह जब मेरी तरफ देखता है तो इसकी आंखें बहुत बड़ी हैं पृथ्वीराज चौहान की, यह मेरी तरफ देखता है तब मुझे कपड़े बदली करके आने पड़ते हैं। इस प्रकार इस देश के अन्दर शासन करने वाले जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, जो हमारी माताओं-बहनों के ऊपर तो कहते हैं, इन नर्सों की चोटियां पकड़कर खींचों। इस सदन के अन्दर, इस प्रकार की भाषा क्षेत्र के अन्दर ...(व्यवधान) हमारे गांव में स्कूल खोल दो, क्या +++

(श्री शंकर सिंह)

स्कूल खोल दूं। इस भाषा का प्रयोग क्षेत्र के अन्दर करने वाले मंत्रियों को इस सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

मेरा सुझाव है, राज करना है तो मुख्य मंत्री महोदय के शासन का राज देखना है, हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी के नाम से देखना चाहिए। अधिकारी कांपते थे और गश खाकर के नीचे गिर जाते थे। वे किसी को पीटती नहीं थीं, मारती नहीं थीं लेकिन दिमाग से काम लेती थीं और अच्छा शासन चला। आज की सरकार के अन्दर अगर कोई अधिकारी ने बिल्कुल आंख निकाल कर के बात की हो तो इन मंत्रियों को कपड़े बदली करके आने पड़ते हैं। ऐसी हालत इस सरकार की हो रखी है।

इसलिए माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं।

श्री सभापति: डा. श्री गोपाल जोशी। विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): इस सरकार के अन्दर इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार होने जा रहा है, मैं कह रहा हूं, यहां नगर परिषद् में कांग्रेस का बोर्ड, दिल्ली में कांग्रेस का बोर्ड...

श्री सभापति: अब अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। अंकित अब आपका नहीं होगा। और जो-जो भी...(व्यवधान) शब्द बोले हैं गृह मंत्रीजी के लिए उनको एक्सपंज कर देना।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं हो रहा। विराजो आप, विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। अंकित नहीं हो रहा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। 2011-12 का बजट अनुमान पेश किया गया है, 337 तो पैरा हैं इसमें, 96 पेज हैं, 28,461 रुपये का अनुमान है और 961 अनुमोदित योजनाओं से अधिक हैं। अच्छा है, सभापति महोदय, कोई भी रचना जब होती है, किसी भी चीज की रचना होती है, महाकाव्य की भी रचना होती है तो पहले ईश प्रार्थना होती है। ईश प्रार्थना में यह होता है कि वह यह देखते हैं

(डा. गोपाल जोशी)

कि मैं यह जो काम हाथ में ले रहा हूं, यह बहुत सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाएगा, इसमें बाधा नहीं होगी। चाहे वह कितने भी बड़े लेखक की हो।

एक माननीय सदस्य: रघु जी चाहते हैं, राठौड़ साहब, आप बोलें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमारी हार्दिक इच्छा है, आपसे ज्यादा अच्छा हमारा कोई विरोध कर नहीं सकता, आपको कसम है, आज जरूर बोलना पड़ेगा आपको।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): विरोध आप पहले बात तो करने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): +++ आप कौन हो मेरे को बोलने वाले? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप कौन होते हैं जवाब देने वाले?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हम तो, सभापति महोदय से अनुरोध कर रहे हैं कि तारानगर से आने वाले लच्छेदार....

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): सभापति महोदय, यह समय जो जा रहा है वह आपको जोड़ना पड़ेगा। रघु जी, आप मेरे बीच में क्यों बोलते हो? मैं कभी बोलता ही नहीं हूं, आप बीच में बोल गये। मेरे को बोलने दो। ऐसा है, मैं यहां कभी बोलता ही नहीं हूं और आप बीच में बोल रहे हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेहरबानी करके आपस में चर्चा मत करो आप। (व्यवधान) मैं सबके लिए कह रहा हूं। कोई एक व्यक्ति या एक माननीय सदस्य के लिए नहीं है, सबके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) अब वह आपकी आपस की ऐसी समझ है, मैं क्या करूं? (व्यवधान) अब आपकी और उनकी बहुत अच्छी समझ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बाकी इस सदन के अन्दर खम्भों के हाथ लगा कर देख लो ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, वह व्यवस्था जरूर सुनिश्चित करवाएं।

श्री सभापति: समय देखो आप। चार बजे ....

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): बजट पर प्रारम्भ करने से पहले, तो ईश प्रार्थना सभी लोग करते हैं, उधर से भी करते हैं, इधर से भी करते हैं। ईश प्रार्थना के अन्दर यह है कि जैसे अपने करते हैं कि जय शिव देवा, तो उसी

(डा. गोपाल जोशी)

ढंग से यहां पर भी पहले-पहले नाम जो है, किसी का लेना जरूरी होता है। हम लोग इस तरह से नाम लेते हैं कि क्या है कहकर के, क्या कह देते हैं, उसका भाव यह है कि—

दिल है कदमों पे किसी के, सिर झुका हो या न हो
बंदगी तो अपनी फितरत है, खुदा हो या न हो।

तो यह फितरत चालू रहती है, इधर से भी, उधर से भी, सभी जगह से। फिर भी अपनी-अपनी बात कहते हैं और यह कहते हैं कि हमारे समय में जो काम हुआ है और अभी जो काम हुआ है, उससे अच्छा तो कभी काम हुआ ही नहीं। अभी जो बजट बना दिया, उससे अच्छा तो कोई बजट कभी बना ही नहीं। यह भी बड़ी अच्छी बात है।

अब यह जो बजट बना है, अब इसमें आंकड़े तो जिस तरह से मेरे से पहले माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उनको रिपीट मैं नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत ज्यादा बात हो चुकी उनके ऊपर। कुछ एक आंकड़े, कुछ एक योजना, उनको यों की यों, साल-दर-साल, लगातार ऐसे की ऐसे उसके अन्दर छाप दी गयी; वही पेज, वही पैरा, वही रुपये; सारी की सारी उस तरह से जैसे कि ज्यों की त्यों धर दी चदरिया। कबीर कहते हैं जो चादर सुर, नर, मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीन्ही चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। अब यह है कि हमने जो बनाया है बजट वह सबसे अच्छा है, इससे पहले जिस किसी ने भी बनाया, कबीर जी भी यही कहते हैं कि इस चादर को सुर, नर और मुनि सबने ओढ़ ली, मैली कर दी। उन्होंने वास्तव में उस चादर को ढंग से नहीं ओढ़ी लेकिन मैंने, कबीर ने यह कहा है कि जतन से ओढ़ी और ज्यों की त्यों धर दी। तो उन्होंने भी ज्यों की त्यों, जितनी हार्ड जो योजना थी वैसी की वैसी इसके अन्दर धर दीं। अब उनमें कोई नयापन नहीं है लेकिन गीत गाने वाले तो गायेंगे ही गायेंगे। क्योंकि कारण यह है कि—

'ऊं जय गुरु देवा, ऊं जय सी एम देवा,
तुम बिन और न कोई मेरा, तुम हम सबके दाता,
जो ध्याता मेवा पाता, ऊं जय सी एम दाता।'

तो यह सारे किसी न किसी रूप में कहते हैं अशोक जी ने यह कर दिया, अशोक जी के बिना ऐसा बजट हो ही नहीं सकता। ऐसे तो जितने गुण हैं, उन गुणों के अन्दर मैं तो नहीं समझता कि अब इतना लिख पाता हूं, फिर भी एक संत ने लिखा है कि—

(डा. गोपाल जोशी)

'सात समंद की मसीकरो, लेखन सब बन राय,

धरती सब कागज करो, सी एम गुण लिख्या न जाय।'

अब यह सारे के सारे इस ढंग के चल रहे हैं।

मैं यह सारे आंकड़े नहीं दूंगा, लोग जो उम्मीद करते हैं कि इस बजट के अन्दर क्या-क्या उनको राहत मिलनी चाहिये उसकी बात मैं करूंगा। जैसे वाणिज्य कर के अन्दर वैट अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य पंजीयन हेतु जो टर्नओवर सीमा है, वह पिछले साल 5 से 10 लाख रुपये बढ़ा दी। लोग चाहते हैं कि जैसे मूल्य वृद्धि हुई है उसके अनुसार कम से कम 20 लाख बढ़ा देना चाहिये, टर्नओवर लिमिट 20 लाख कम से कम करनी चाहिये। क्योंकि कम्पोजिशन स्कीम के अन्दर 50 लाख से 60 लाख रुपये तक बढ़ा दी गयी है।

ट्रैक्टर को छोड़कर वाहनों पर 14 परसेंट वैसा का वैसा, दूसरों पर। अब एक करामात इन्होंने क्या की है, जैसे करामात वैसे के वैसे रखने की की, उसी तरह 1 परसेंट एंट्री टैक्स था उसको माफ लेकिन उसको जोड़ दिया दूसरे वाहनों के अन्दर और उसको 15 परसेंट कर दिया।

अब देखिये, फिर डेजर्ट कूलर को तो 5 परसेंट कर दिया, 14 परसेंट को गये लेकिन, सभापति महोदय, आजकल फाइबर के ज्यादा कूलर बनते हैं। उसमें न तो कोई बिजली का झटका लगता है और न ही जंग लगता है। यदि उनकी भी वैट रेट कम कर दी जाए तो अच्छा है।

एन एच 11 से मैं जाता हूं बीकानेर। इस रास्ते में जैसे दूदू के अन्दर एक्सीडेंट हुआ, कई एक्सीडेंट-प्रोन जगह हैं जहां रोज एक्सीडेंट होते हैं और आदमी मरते हैं। इसलिये इसको फोर लेन का बनाया जाए। तो यह बन सकता है फोर लेन विथ डिवाइडर। मेरी मांग है कि यह किया जाए तो ज्यादा उचित रहेगा।

देखिये यह है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जीत करके आते हैं तो यह जीत का एक ऐसा, the taste of victory is the burden of responsibilities. यह जीत का जो टेस्ट है इसके अन्दर आपके ऊपर एक बोझ आता है रेस्पांसिबिलिटी का, जिम्मेदारी का। तो आप यह जिम्मेदारी उस ढंग से निभाएं। न कि यह कि हम कहें तो हमारी बात न मानें और आपकी तरफ से जो लोग कहें उनकी बात मान लेवें।

डी एल सी रेट बीकानेर में साल-डेढ़ साल में चार दफा बढ़ी हैं। पिछला जो बजट सेशन हुआ था उससे पहले बीकानेर में मीटिंग करके डी एल सी दरें

(डा. गोपाल जोशी)

बढ़ा दीं 100 परसेंट, 200 परसेंट, 300 परसेंट उसके बाद जब यहां बजट पेश हुआ तो फिर यहां बढ़ा दीं, दो दफा बढ़ीं। अब के भी इस बजट में सरकार ने 15 परसेंट बढ़ा दी और इससे पहले नवम्बर, 2010 में बीकानेर के अन्दर डी एल सी की मीटिंग में बढ़ा दीं। 20 परसेंट, 30 परसेंट, कितने ही परसेंट बढ़ा देते हैं। चार दफा साल-डेढ़ साल में बढ़ गयीं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

साइकिल लड़कियों को देने की बात, राइट-टू-एजुकेशन की बात कहते हैं, लड़कियों को स्कूल जाने के लिये जो साइकिल दी जाती थी, वह पहले से ही है लेकिन इन्होंने 300 की जगह 100 कर दिया, अच्छा किया लेकिन एक गांव से दूसरे गांव जाने वाली लड़की को साइकिल नहीं मिलेगी। 300 रुपये लेते थे उसकी जगह 100 लेंगे लेकिन एक गांव से दूसरे गांव जायेगी तो लड़की को मिलेगी। अगर उस गांव में लड़की पढ़ती है तो उसको नहीं मिलेगी। इन्होंने ऐसा किया।

बीकानेर के अन्दर सीमेंट और मंजिया की टाइल बनती हैं उन पर 14 परसेंट वैट है लेकिन मार्बल और ग्रेनाइट पर जो ज्यादा पैसों की चीजें हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग इनको काम में लेते हैं, उस पर 4 परसेंट। टाइल्स जो सस्ती मिलती हैं मंजिया की और सीमेंट की बनायी हुई, उस पर 14 परसेंट किया है। इस पर ध्यान देने की बात है।

शुद्ध-के-लिये-युद्ध की बात अगर करते हैं तो मैं सलाह देना चाहूंगा, यह मांग है मेरी कि यदि आप शुद्ध-के-लिये-युद्ध करते हो तो बहुत अच्छा करते हो लेकिन क्या आप दूध, मावा, दही, घी, ये सारे शुद्ध रूप में करा पाओगे? करा दोगे क्या? अगर करा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं जानता हूं कि किसी भी हालत में आप यह चीजें उपलब्ध नहीं करा सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं करा सकते। जब आप शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं करा सकते तो किस ढंग से इस पर आप कहते हो कि शुद्ध रूप में आप काम में लें? व्यापारियों पर तो आप अंकुश लगा सकते हो जो इसकी चीज बनाकर लाते हैं।

अब एक खास बात जो मैं कहना चाहूंगा...

श्री सभापति: अब आप सम-अप करो, माननीय सदस्य। अब आप थोड़ा सा, डा. साहब, सम-अप करो।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): देखिये, अभी 3 बजकर 7 मिनट पर आपने मेरे को शुरू किया है। मैं दो-चार मिनट के अन्दर कर देता हूं।

श्री सभापति: नहीं, समय की सीमा, चार मिनट तो बहुत ज्यादा हैं। डिमांड्स पर बोल लेना।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): देखिये, कुछ बातें ऐसी हैं, अब आप मेरे से इतनी बात करोगे, उतने में तो मैं काम कर दूंगा। मैं कर रहा हूं ना। कुछ बात अगर नहीं कहूंगा तो...

श्री सभापति: नहीं, थोड़ा जल्दी, संक्षिप्त करो। डिमांड्स पर बोल लेना। डिमांड्स पर भी तो काफी अपने को बोलना है। सदन चलेगा।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): डिमांड पर बोलूंगा तब भी आप कहोगे, विराजो। इसलिये अभी तो पूरा दे दो।

श्री सभापति: उसमें थोड़ा विस्तारित रहेगा।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): मेरे को बोलने दो थोड़ा। थोड़ा-सा बोलने दो।

श्री सभापति: सब्जेक्ट एक ही रहेगा। जरा जल्दी करो।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): बहुत कम बोलता हूं मैं तो। मेरे को नहीं बोलने देते आप। सबको तो बोलने दिया आधा-आधा घण्टा।

आउटडोर कैटरर को इन्होंने छूट दे रखी है। जो आउटडोर नहीं होकर कहीं ढाबा बनाकर बैठा है, दुकान बनाकर बैठा है, उनको क्यों नहीं है वह छूट ? उनको भी छूट देनी चाहिये। बात तो वही की वही है, परोसना उनका वही का वही है।

अब यह कहते हैं, हमने गेहूं के अन्दर वैट बिलकुल माफ कर दिया। गेहूं को फाका नहीं जाता, गेहूं को ऐसे खाया नहीं जाता सीधा, आटा पीसकर उसकी रोटी बनानी पड़ती है। रोटी और दाल के लिये इन्होंने कहा, हमारा कृतसंकल्प है कि दाल और रोटी कम दामों पर उपलब्ध करायेंगे। दाल और रोटी के अन्दर 14 परसेंट वैट है। गेहूं को आपने छोड़ दिया। तो यह 14 परसेंट सिर्फ दाल और रोटी पर ही है। फिर आप कृतसंकल्प कहां पर हैं? गेहूं के बिना रोटी बनती नहीं है। चावल को कर-मुक्त किया तो कच्चे चावल ऐसे फाके नहीं जाते, पका कर खाना पड़ता है। पकाकर बेचेगा तो उस पर 14 परसेंट वैट लग जायेगा। दही पर वैट नहीं है लेकिन लस्सी पर है। रसगुल्ला बनता है सिर्फ दूध और चीनी से। दूध और चीनी पर वैट नहीं है लेकिन रसगुल्ले पर वैट है। लगी तो वह बिना वैट वाली चीज ही। इसका इनपुट भी नहीं मिलता। बीकानेर के

(डा. गोपाल जोशी)

रसगुल्ले बंगाल और आसाम तक जाते हैं। एनीवे, मैं कहता हूं, मनोरंजन से अधिक रोटी, दाल, सब्जी, दूध, दही की आवश्यकता है। मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है। चकला, बेलन करके पापुलिस्ट कोई बात कहनी हो तो भले ही से कह दो।

यहां बजट भाषण में तो कुछ नहीं कहा लेकिन कल जो पढ़ा है, डोडा-पोस्त को गुपचुप अधिसूचना निकाल करके टैक्स-फ्री कर दिया। अफीम पर 50 और अंग्रेजी शराब पर 30 परसेंट है। 'भांग, डोडा-पोस्त को लोक हित में कर मुक्त किया गया है', यह लोक हित में भांग और डोडा पिलायेंगे, खिलायेंगे। यह भी अजीब सी बात है। दूर रहने का संदेश दिया है तो इससे तो तीन बंदर रख देते कि बोलो ही नहीं हमारे लिये, कि बोलना ही मत...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): प्रसाद है शिवजी का।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): वाह, यह तो होली में प्रसाद है शिवजी का। शिवजी का प्रसाद है, बहुत बढ़िया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। माननीय सदस्य।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): बाकी डिमांड के अन्दर बोल दूंगा लेकिन यह बहुत जरूरी है कि जो खाने-पीने की चीजें हैं रोटी, दाल, सब्जी, दही, दूध, इन पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होना चाहिये, ये कर-मुक्त होनी चाहिये। सिर्फ गेहूं पर करने से कुछ नहीं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, इस सदन में 9 मार्च, 2011 को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने बतौर वित्त मंत्री जो बजट पेश किया, उस बजट के पक्ष में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। दिसम्बर, 2008 को राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनायी। 8 जुलाई, 2009 को प्रथम बजट, परिवर्तित बजट के रूप में पेश किया गया और 9 मार्च, 2010 को दूसरा बजट पेश किया गया और 9 मार्च, 2011 को तीसरा बजट पेश किया गया।

सभापति महोदय, जब से यह बजट पेश हुआ है, तब से बजट के पक्ष में और विपक्ष में सब अपनी-अपनी बात को कह रहे हैं। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी इसकी कई रूप से आलोचना की है। मैं यह मानता हूं कि यह बजट जो पेश किया है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, यह सभी समाज का, सभी वर्गों का और सभी का चहेता बजट है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कसर

(श्री महेन्द्र चौधरी)

नहीं रखी गयी है। माननीय प्रतिपक्ष के साथियों ने जो विरोध के रूप में अपनी बात कही है, वह कहना उनकी जवाबदारी है क्योंकि इस जनता ने कांग्रेस को सरकार में बैठाया है और उन्हें विपक्ष के अन्दर बैठाया है।

सभापति महोदय, एक किसान के बेटे ने यह बजट पेश किया है और किसान के हित की भी इसके अन्दर पूरी बात रखी गयी है। प्रतिपक्ष में जब पहले बजट पेश किये जाते थे, जब इनकी सरकार थी, उस वक्त महलों के कंगूरों पर बैठकर किसानों के हित की बात की जाती थी। महलों के कंगूरों पर बैठकर बजट के अन्दर किसानों का विकास होगा, किसानों का ज्यादा से ज्यादा विकास होगा, इस प्रकार की बात किया करते थे। लेकिन जब इस बजट की और पूर्व बजट की तुलना की जाती है तो मैंने यह नोट किया है, 9 तारीख के बाद में जब से साथियों को जो यह बजट की पुस्तिका मिली है, तब से ये इसमें मात्राएं ढूंढ रहे हैं, मात्राओं में कहां किस प्रकार की गलती है उसको उजागर किया जा रहा है। एक प्रूफरीडर जो एक पुस्तक छापने से पहले कार्य करता है, वह कार्य विपक्ष के साथी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें उसमें कुछ और देखने का काम नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर किसान की पूरी बात की गयी है। जिस भी सरकार ने किसान के हित की बात अपने बजट में कही है, उसको किसान ने सराहा है क्योंकि इस प्रदेश की धरती पर आज भी 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं, 80 प्रतिशत किसान आज भी बिजली पर आधारित हैं। सभापति महोदय, सरकार बनते ही किसानों के हितैषी मुख्य मंत्रीजी ने पांच वर्ष तक किसानों की बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, उसकी घोषणा की; सात घंटे लगातार किसानों को बिजली मिलेगी, आज सवा दो-ढाई साल का कार्यकाल हुआ है लेकिन किसानों को बराबर सात घंटे बिजली मिल रही है। दो वर्ष के अन्दर 1 लाख 52 हजार किसानों को कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं, 65 हजार किसानों को इस वर्ष कृषि कनेक्शन देने का और 500 किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पम्प सेट प्रदान किये जाने का इस बजट के अन्दर प्रावधान रखा गया है। सभापति महोदय, अगर कृषि के काम में विद्युत दुर्घटना हो जाती है तो पहले 25 हजार का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर के मुख्य मंत्रीजी ने 2 लाख 50 हजार का कर दिया है।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, धन्यवाद देना चाहता हूं ऊर्जा मंत्रीजी को कि मेरे नावां विधान सभा क्षेत्र में 33 केवीए के 6 जी

(श्री महेन्द्र चौधरी)

एस एस इसी साल इन्होंने सैंक्शन किये। मैं मांग भी करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर 132 का जी एस एस इन्दोखा के अन्दर और चित्तावा के अन्दर ए.ईएन. कार्यालय खोला जाये।

सभापति महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि हम किसान के वोट से जीतकर आते हैं। किसान के हित की बात कहीं नहीं होती है तो वह हमें हमारी सरकार के सामने रखने में भी किसी प्रकार का एतराज नहीं है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो ट्रांसफार्मर जल जाता है और किसान जब बिजली बोर्ड में जाता है तो मीटर का चार्ज 3300 रुपये जो उससे लिया जाता है उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस प्रकार की इस बजट के माध्यम से मेरी सरकार से मांग भी है। मांग-पत्र राशि के अन्दर जो लोग रह गये हैं, उनको भी फिर मौका देना चाहिए। आफ-सीजन में जो मिनिमम चार्ज है उसको भी कम किया जाना चाहिए। 5 किसानों के समूह को कनेक्शन जो बंद कर दिये गये हैं उनको भी चालू किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने जब यह कहा था कि कांग्रेस के राज में सन् 1998 के अन्दर ट्रांसफार्मर में एक बत्ती वाले मीटर लगा दिये, हमारी सरकार आ जायेगी तो हम इन मीटरों को हटा देंगे, पूर्ववर्ती सरकार में वे मीटर तो नहीं हटे लेकिन दो बत्ती वाले मीटर जरूर आ गये। अगर किसान का पहले हजार रुपये का बिल आता था तो वह दो हजार रुपये का बिल आने लगा। जब -जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तब-तब विद्युत का उत्पादन हुआ है। 1998 में भी 1750 मेगावाट का उत्पादन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1000 मेगावाट से भी कम उत्पादन हुआ जो कि आंकड़े दर्शाते हैं, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पानी के मामले की जब बात आती है, कल पानी के ऊपर भी बात आयेगी लेकिन जब पानी का इतिहास आता है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी का काला इतिहास याद आता है। आजादी के 63 साल के इतिहास में पिछले 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा, चाहे घड़साना, रावला का कांड हो, चाहे किसान खेती के लिए पानी मांग रहा हो तो उस पर गोली चलाने का मामला हो, चाहे हंसा देवी जो एक गर्भवती महिला थी, उस गर्भवती महिला को गोली मारने का मामला हो, वे सारे इस पिछले शासन में हुए।

सभापति महोदय, 'पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ।' यह

(श्री महेन्द्र चौधरी)

मांग हुई थी मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत की, पिछले शासन में भारतीय जनता पार्टी आयी तो उस नारे को मिटा दिया गया। लेकिन फिर सरकार आयी है और सरकार ने वापस यह नारा उजागर कर दिया है कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। मुख्य मंत्रीजी ने किसान के हित की पहले भी बात कही, 1998 में कुएं गहरे कराये, काश्तकारों के निजी कुएं, निजी टांके बनायें। जब किसान आंदोलनरत थे तो मुख्य मंत्रीजी खुद बीकानेर में जाकर जन सभाओं के अन्दर जन-प्रतिनिधियों से मिले, लोगों से मिले लेकिन पिछली सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री के बयान, जब दूषित पानी से मरने लगे लोग राजधानी के अन्दर तो यह कहा गया कि जो आयेगा सो जायेगा। लोकतंत्र में इस प्रकार के झूठे बयान देने वाली जो पिछली सरकार थी, उसको भी जब पानी की मांग आती है तो याद किया जाता है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने विधायकों का कोटा बढ़ाया, 80 लाख से 1 करोड़ रुपया किया। यह मुख्य मंत्रीजी की सोच रही कि 20 लाख रुपये उसके अन्दर भी पानी के ऊपर खर्च किये जायेंगे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): और बढ़ाओ।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): और बढ़ायेंगे। बाबूसिंह जी आपने बात कही है, मैं मांग करता हूं कि यह जो एम.पीज. का बजट बढ़ाया है, उसको देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी विधायकों के 1 करोड़ के कोटे को भी 3 करोड़ करने की कोशिश करेंगे। यह हमारी इस सदन के माध्यम से मांग है।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से जीतकर आया हूं, नावां विधान सभा क्षेत्र नागौर जिले का लावणिक क्षेत्र जहां पर नमक बनता है, जहां पर फ्लोराइडयुक्त पानी है, टीडीएस, खारा पानी है, लोगों को घुटनों के अन्दर दर्द रहता है, मैंने मुख्य मंत्रीजी से मांग की थी कि मेरे क्षेत्र के अन्दर आर.ओ. प्लांट लगाये जायें, मुख्य मंत्रीजी ने और मदेरणा साहब, दोनों ने मिलकर मेरी उस मांग को स्वीकार करते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में 18 करोड़ रुपये सैंक्शन किये, उसके लिए मैं सदन के माध्यम से उनका बहुत-बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय, एस.सी., एस.टी. बस्तियों में भी नलकूपों द्वारा, पाइप लाइनों द्वारा पानी पहुंचाने का पूरा कार्य किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डा. राजकुमार शर्मा जी को भी कि उन्होंने आकर पहली बार मेरे क्षेत्र के एक गांव में इस प्रकार का प्लांट लगाकर

(श्री महेन्द्र चौधरी)

प्रयोग शुरू किया, जिसके माध्यम से हमें दूसरी जगह भी काम करने का मौका मिल रहा है।

सभापति महोदय, मैं मांग भी करना चाहूंगा कि नागौर जिला डार्क जोन के अन्दर है, भू-जल नीचे गहरा चला जा रहा है, लेकिन नमक उत्पादकों के लिए वह पानी ही कच्चा माल है जिसके माध्यम से नमक पैदा किया जाता है। नावां और कुचामन के अन्दर जो लीज की शर्तों के अनुसार मापदंड भी हैं, उसमें जो नावां और कुचामन डार्क जोन हैं उनको डार्क जोन से मुक्त किया जाये, इस प्रकार की भी मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, बीसलपुर परियोजना हो या इंदिरा गांधी नहर की सेकंड फेज की योजना हो, जो कि नागौर तक आ चुकी है, लाड़नूं, डीडवाना, नावां, मकराना और परबतसर, इन विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर सेकंड फेज में पानी आना है। उस योजना को भी जल्दी से जल्दी मुख्य मंत्री लायेंगे तो वहां की जनता भी उससे लाभान्वित होगी।

सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से 4 करोड़ रुपये का प्रावधान, धार्मिक स्थलों को मिसिंग लिंक से जोड़ने का प्रावधान, एक-एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 7-7 करोड़ के कार्य होंगे, 16-16 किलोमीटर की मिसिंग लिंक बनेंगी, 30 से 40 किलोमीटर तक सुदृढ़ीकरण और पेचवर्क का कार्य होगा। मैं पी.डब्ल्यु.डी. मिनिस्टर जी से मांग करना चाहता हूं कि नारायणपुरा से नावां सड़क जो पीपीपी योजना के अंतर्गत ली जा रही है, अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से नावां के अन्दर एक ओवरब्रिज की भी मांग करता हूं।

सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अन्दर भी अनेक उल्लेखनीय योगदान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किये हैं। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष बीपीएल योजना पूरे प्रदेश के अन्दर प्रसिद्ध हो चुकी है। मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना के लिए दिल्ली में भी जाकर बात कही है कि यह योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए। इस योजना के अन्दर 66 लाख मरीजों का इलाज किया जा चुका है। 108 एम्बुलेंस चिकित्सा सुविधा हमें दी जा चुकी हैं, जेनेरिक दवाइयों की दुकानें खोली जा चुकी हैं, कुचामन के अन्दर भी कार्य दिये जा चुके हैं। मैं मांग करता हूं कि कुचामन के चिकित्सालय को 50 बेड से 100 बेड में क्रमोन्नत करने की घोषणा करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कूकनवाली और मारोठ को भी सी एच सी के अन्दर लाने की कोशिश करें।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में इस प्रकार के कैम्प लगाए गए। यह पहली बार इतिहास एक बना है पूरे राजस्थान के अन्दर। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके अन्दर नहीं जाते थे और कहते थे कि यह कांग्रेस ने प्रचार करने के लिए कैम्प लगाए हैं लेकिन जब इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई तो आखिरी के दिनों में चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हों, वे लोग भी इन कैम्पों में शामिल हुए। क्षेत्र की जनता को मदद मिली। नि:शक्तजनों को प्रमाण पत्र हों, मूल निवास प्रमाण पत्र हों, जाति प्रमाण पत्र हों, विधवा पेंशन प्रमाण पत्र हों, विकलांग प्रमाण पत्र हों, बी पी एल लोगों को नि:शुल्क पट्टों का मामला हो, हर प्रकार से कार्य करने का अवसर मिला।

इस बजट के ऊपर जब माननीय मुख्य मंत्रीजी बोल रहे थे तो कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने अल्पसंख्यकों की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि खाली अल्पसंख्यक ही पूरे राजस्थान के अन्दर हैं क्या, दूसरे नहीं हैं क्या। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आप लोगों की फितरत के अन्दर है, अल्पसंख्यक विरोध करना आप लोगों ने सोच रखा है क्योंकि आप लोगों की जब सरकार थी उस वक्त भी आपने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाने का प्रयास किया था। महामहिम राज्यपाल महोदय ने विधेयक को लौटा दिया था लेकिन आपने दुबारा लाने का प्रयास किया था। उसके अन्दर आप लोगों ने कहा कि मुसलमान तो हिन्दू धर्म धारण कर सकता है लेकिन हिन्दू मुसलमान धर्म धारण नहीं कर सकता। इस प्रकार का आप लोगों का प्रयास है।

अल्पसंख्यकों के हित के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में प्रावधान किया ताकि तालीम के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय का विकास हो सके। कन्याओं के छात्रावास का निर्माण जयपुर के अन्दर, अजमेर के अन्दर, कोटा के अन्दर और मदरसों को यू पी एस, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बराबर क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। हज यात्रियों को भी सुविधाएं दी गई हैं।

कृषि और पशुपालन के अन्दर किसान को बूंद-बूंद सिंचाई के लिए 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसको 90 प्रतिशत कर दिया है। उसके लिए उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। गौशालाओं का अनुदान हो, चाहे चारा डिपो हो, पशु शिविर हों, इस प्रकार का भी प्रयास किया गया है। सहकारिता के माध्यम से जो कैम्प

(श्री महेन्द्र चौधरी)

लगाए गए हैं, हमने उन सबका फायदा उठाया है। किसानों को पास बुक वितरित करवाई है और किसानों को हाथोंहाथ लोन दिलाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सहकारिता मंत्रीजी को कि उन्होंने इस प्रकार का इसमें कार्य किया है और 6 हजार करोड़ के फसली ऋण का लक्ष्य भी इस बजट के अन्दर रखा गया है, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। नावां में भूमि विकास बैंक के लिए मैं आपसे मांग करना चाहता हूं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के मामले में इस हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी गवर्नमेंट नहीं जो बी पी एल परिवार को दो रुपए किलो गेहूं दे सके लेकिन यह राजस्थान की कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार है जो एक बी पी एल परिवार के व्यक्ति को दो रुपए किलो गेहूं दे रही है। शुद्ध-के-लिए-युद्ध का अभियान भी सफल रहा। बी पी एल की संख्या आप लोगों के कार्यकाल में घटी, उसको स्टेट बी पी एल का दर्जा मानते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 10 लाख लोगों के लिए इन्दिरा आवास का प्रावधान किया है।

शिक्षा के मामले में आप लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं रखी। इनके कार्यकाल के अन्दर चार-चार शिक्षा मंत्री बदले गए। अगर किसी बच्ची को साइकिल भी वितरित की गई तो उसको भी भगवा कलर करके दी गई, अगर बच्चों को स्कूल का बैग भी दिया गया तो उसको भगवा रंग करके मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री का नाम दर्ज करके दिया गया। शिक्षा मामले में बंटाढार किया है आप लोगों ने। जाते-जाते जिन स्कूलों को क्रमोन्नत किया, उनमें शिक्षकों की भर्ती नहीं की। उसकी वजह से आज यह दिक्कत आ रही है।

श्री सभापति: जब डिमांड आए तब बोल लेना, माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): गवर्नमेंट ने 50 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है। राइट-टू-एजुकेशन एक्ट लागू होने के बाद 25 हजार प्रधानाध्यापक लगाएंगे और विधवा-परित्यक्ताओं, मुख्य मंत्री सम्बल योजना में उनके लिए कोशिश की जाएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम-अप करो। श्रीमती नसीम अख्तर।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट का समय और लेना चाहता हूं।

श्री सभापति: नहीं, अब आप विराजो, बाद में बोल लेना।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): युवा एवं खेलकूद मामले में हमारे माननीय मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि हमारे नावां और कुचामन का जो स्टेडियम है, उसका भी विकास हो। राजस्व मंत्रीजी बैठे हैं, तो कुचामन की जो अतिरिक्त तहसील है उसको पूर्ण तहसील का दर्जा मिले। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि देव स्थानों के लिए, उन्होंने हमारे नागौर जिले की पूजनीय तीर्थ स्थली तेजाजी के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की है।

श्री सभापति: श्रीमती नसीम अख्तर। अब आप विराज जाओ।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): उधर के मेरे विपक्षी सदस्यों को तकलीफ हो रही है, माननीय मुख्य मंत्रीजी जब गांधीवाद की बात करते थे तो उनको बहुत तकलीफ होती थी लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सोचा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए और जिस स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन 10 हजार थी, उसको 15 हजार राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

मानसून के लिए क्या-क्या कहा करते थे कि राजस्थान में अकाल पड़ता है जब कांग्रेस की सरकार आती है, अशोक गहलोत मुख्य मंत्री बनते हैं तब अकाल पड़ता है लेकिन सरकार आई और बरसात हुई तो इन लागों ने कह दिया कि अशोक गहलोत अमेरिका गए हुए हैं और गहलोत जब वापस आ गए और बरसात हुई, मावठ में भी बरसात हुई तो कह दिया कि 'कांग्रेस के लोगों, अशोक गहलोत को कह दो कि इस बरसात को थाम देवें।' 'हम मान गए, आप लोग जीत गए', इस प्रकार की बातें ये किया करते थे। यह सब आप लोगों के सामने है।

हमारी बहनें कहती थीं कि चकला, बेलन, चिमटा, इमामदस्ता, मूसली, झर, यह इस प्रकार की बात हंसी में, मजाक में उड़ा रहे हैं। दाल और चावल के ऊपर, गेहूं के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं गरीब का मखौल उड़ा रहे हैं। यह गरीब जब काम करने के लिए जाता है, मैं खुद, मेरी मां आज भी, मेरी खुद की मां, विधायक की मां ही नहीं, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, 1962 के अन्दर जब मेरे पिता निर्दलीय विधायक थे नावां से, उस वक्त भी मेरी मां खेती और रसोई का काम करती थी, चूल्हे के ऊपर रोटी पकाती थी। आज भी वह चूल्हे के ऊपर रोटी पकाती है। जब मुख्य मंत्रीजी ने बजट में यह किया और उसके बाद मैंने घर पर जाकर उनको बताया, मेरी मां खुश हुई, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बजट पेश किया है, गरीबों का हित भी इसमें सुना गया है। यह आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं।

पत्रकार कल्याण के लिए भी बात की।

श्री सभापति: अब, माननीय सदस्य, विराजो। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती नसीम अख्तर।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2011-12 का जो बजट प्रस्तुत किया है वह बजट लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुखी है, इससे प्रदेश का समग्र विकास होगा। यह बजट गांव, गरीब, किसान, महिला, अल्पसंख्यक, एस सी, एस टी और आमजन के साथ हर एक वर्ग को समर्पित बजट है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शानदार बजट प्रस्तुत किया है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए धार्मिक सड़क योजना के तहत दो वर्षों में 100 किलोमीटर धार्मिक सड़कों का निर्माण होगा जिससे लोगों को धार्मिक स्थलों पर पहुंचने में सुगमता होगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मिसिंग लिंक्स का निर्माण होगा। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 16 किलोमीटर की मिसिंग लिंक्स का निर्माण किया जाएगा और 30 से 40 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा। इससे प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की जो समस्या थी, वह भी सोल्व हो जाएगी और सड़कें अच्छे रूप में आ जाएंगी ताकि ग्रामीण जनता को सुविधा हो सके।

विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में राज्य आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक 400 के वी का सब-स्टेशन, दो 132 के वी के सब-स्टेशन और नौ 33 के वी के सब-स्टेशन स्वीकृत किए हैं जिनका कार्य प्रगति पर है, उसके लिए मैं पुष्कर की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूं।

नि:शक्तजनों के लिए निदेशालय बनाने की घोषणा से उनकी समस्याओं का निदान बेहतर ढंग से होगा। संभाग मुख्यालयों पर मानसिक विमंदित पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी की स्वागत योग्य है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करना चाहती हूं कि विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के नियमों में छूट देकर विकलांगों और विधवाओं को राहत प्रदान करिये।

नया अल्पसंख्यक विभाग बनने से अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाएं एक ही छत की नीचे क्रियान्वित होंगी। अल्पसंख्यकों को कारोबारी

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

ऋण समय पर चुकाने पर दो प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। संभाग मुख्यालयों पर अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास खोले जाएंगे। अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए ऋणों को समय पर चुकाने पर ब्याज माफ किया जाएगा। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का सराहनीय कदम है, इससे अल्पसंख्यक छात्रों को भारी राहत मिलेगी। अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देना सराहनीय कदम है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं।200 मदरसों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने से अल्पसंख्यक क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार होगा। मदरसा पैराटीचर्स का मानदेय साढ़े तीन हजार किया है, इसके लिए पूरे राज्य के मदरसा पैराटीचर्स माननीय मुख्य मंत्रीजी का कोटि-कोटि धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पैराटीचर्स की सुध ली और उनका मानदेय बढ़ाया है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुधर सके और वे शिक्षा की गुणवत्ता को मदरसों में अच्छी तरह से निभा पाएं। अल्प भाषा की एस टी सी अजमेर में थी जिसकी लम्बे समय से मांग चली आ रही थी, वह पहले बंद कर दी गई, 8 साल पहले, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि अल्प भाषा की एस टी सी अजमेर में पुन: खोली जाएगी। इसके लिए पूरा अल्पसंख्यक वर्ग उनका शुक्रगुजार है और तहेदिल से शुक्रिया अदा करता है। पांच अल्पसंख्यक आई टी आई खोलने की घोषणा भी की है। इससे अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों में भारी उत्साह है। वक्फ बोर्ड को 50 लाख का अनुदान दिये जाने की घोषणा की, उसके लिए पूरा वक्फ बोर्ड माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता है।

सच्चे मायनों में माननीय मुख्य मंत्रीजी, हमारी सरकार अल्पसंख्यकों की हितैषी है। सामने बैठे मेरे प्रतिपक्ष के भाई कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को यह दे दिया, वह दे दिया तो माननीय प्रतिपक्ष के साथियों से मैं कहना चाहूंगी कि अल्पसंख्यक भी आप ही के भाई हैं, अल्पसंख्यक भारत में निवास करते हैं, जिस तरह आप इस भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, उसी तरह से अल्पसंख्यक भी भारत के नागरिक हैं, उनका भी अधिकार बनता है, उनका भी बजट में हक बनता है। वह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है तो पूरा अल्पसंख्यक वर्ग माननीय मुख्य मंत्रीजी का कोटि-कोटि धन्यवाद करता है।

अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृति में 50 परसेंट की अनिवार्यता, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

ओर दिलाना चाहूंगी कि अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृति में 50 परसेंट की जो अनिवार्यता की गई है, उनके लिए भी एस सी, एस टी की तरह 50 परसेंट की अनिवार्यता को खतम कर दिया जाए ताकि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को इससे राहत मिल सके; उनको पास होने पर भी छात्रवृति मिलनी चाहिए। छात्रों को पास होने पर नई कक्षा में जाने पर छात्रवृति के लिए नये फार्म भराये जाते हैं, यह नये फार्मों की अनिवार्यता खतम कर दी जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, कारोबारी ऋण में बीस चेक की जो अनिवार्यता रखी गई है, उस बीस चेक की अनिवार्यता को खतम कर दिया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से, हमारी सरकार से निवेदन है कि इस वर्ष हाजियों को बहुत तकलीफ हुई है तो मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि जयपुर में हज हाउस बनना जरूरी है। माननीय सामने बैठे हुए प्रतिपक्ष की सरकार थी तब उन्होंने हज हाउस नहीं बनने दिया। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरी पुरजोर गुजारिश है कि जो तकलीफ इस बार हाजियों को हुई, वह आने वाले समय में हाजियों को नहीं हो, इसके लिए हज हाउस जयपुर में, जगह का हमको मतलब नहीं, आप कहीं भी बनायें पर हज हाउस बनना जरूरी है और हज की फ्लाइट सारी जयपुर से होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हाजी यहां जयपुर आएं और जयपुर से उन्हें फिर दिल्ली भेजा जाए। हज हाउस बनना जरूरी है और मैं पुरजोर मांग करती हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी से, हमारी सरकार से कि हज हाउस बनाया जाए।

बूंद-बूंद सिंचाई और अनुदान राशि को 70 से 90 परसेंट करने पर सौ करोड़ की लागत आएगी; इसका 90 परसेंट अनुदान करने पर माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

शुद्ध-के-लिए-युद्ध अभियान सरकार का सराहनीय कदम है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं। राज्य के 10 हजार गरीब परिवारों को मकान बनाकर दिये जाएंगे, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। यह गरीबों की सुध माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ली है। 50 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, उसमें 500 ऊर्दू टीचर...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप डिमांड पर बोल लेना।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): 500 ऊर्दू टीचरों का भर्ती में स्थान रखा है, उसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हैं। रीको द्वारा भूमि आबंटन में नि:शक्तों को 15 परसेंट के स्थान पर 50 परसेंट, महिलाओं

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

को 10 परसेंट के स्थान पर 25 परसेंट देने से रीको में उद्योग के नये आयाम स्थापित होंगे। (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो लम्बे समय से मांग है, नरोहर गांव में रीको स्थापित किया जाए ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र में (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट बोलना चाहूंगी, उसके बाद खुद बैठ जाऊंगी।

श्री सभापति: एक मिनट।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): ठीक है।

राज्य में 32 आर ओ बी सैंक्शन किये गये हैं, उसमें से एक आर ओ बी 42 करोड़ लागत का मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। पुष्कर थाना क्रमोन्नत करने पर माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय गृह मंत्रीजी का कोटि-कोटि आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि पुष्कर में कानून-व्यवस्था बेहतर होगी और पुष्कर क्षेत्र की लम्बे समय की मांग पूरी होगी। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

जगतपिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, इस नगरी के विकास के लिए अलग से बजट दिया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करती हूं कि तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए क्योंकि वहां अन्तरराष्ट्रीय स्तर का मेला भरता है, पशु मेला भरता है, उसके साथ पर्यटन स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है और पौराणिक स्थल भी है, इसके लिए अलग से बजट दिया जाना चाहिए। इसके पुष्कर क्षेत्र की 24 कोसीय परिक्रमा धार्मिक पर्यटन में आती है, पुष्कर में 24 कोसीय परिक्रमा स्थल को विकसित किया जाना चाहिए और बूढे पुष्कर में पानी की आवक को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सावित्री माता का मंदिर जो पहाड़ी पर स्थित है, जहां लोग, श्रद्धालु जाते हैं, आये-दिन दुर्घटनाएं होती हैं। तो जो प्रस्तावित रोप-वे है, उस रोप-वे को जल्दी लगाया जाए ताकि पर्यटकों की और धार्मिक श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो सके और लोगों को सुविधा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके बारे में मैं एक

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

मांग करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रूपनगढ़ कस्बा जो मेगा हाईवे पर स्थित है, आये-दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

श्री सभापति: अब तो आप विराजें, माननीय सदस्या।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): तो, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के रूपनगढ़ कस्बे में पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान कराएं।

श्री सभापति: श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: विराजें, विराजें।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, पेरिफेरी गांव की, अजमेर जिले की मांग उठ रही है इसलिए आपको साथ देना होगा...

श्री सभापति: विराजो। (व्यवधान)

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, पुष्कर क्षेत्र की पेरिफेरी ग्राम पंचायत......(व्यवधान) पट्टे दिये जाएं। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही नहीं, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों की, 111 गांवों की समस्या है। क्योंकि आबादी विस्तार नहीं हुआ है 72 से, आबादी तो तीन गुना बढ़ गई है ......(व्यवधान) चाहे पट्टे यू आई टी दे या पंचायत दे, देना जरूरी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बहुत अच्छा बोल गयीं आप। (व्यवधान) आप विराजो। आप बहुत अच्छा बोल गयीं, आप विराजो अब। (व्यवधान)

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): मैं एक शेर से खतम करना चाहूंगी ......(व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): आपको पानी की जरूरत है, प्लीज आप पानी पी लें। (व्यवधान)

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। (व्यवधान) मैं बोल लूंगी।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): हमको आपकी चिंता लग रही है। (व्यवधान)

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, यह उनके फैले हुए पर बोलते हैं; वे रहते हैं खामोश सदा, राज्य में जिनके हुनर बोलते हैं।

मैं पुरजोर समर्थन करती हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट का। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: समय का ध्यान रखें।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): बिलकुल, बिलकुल, मैं तो शार्ट में बोलूंगी, मैं आपको घंटी बजाने का मौका नहीं दूंगी।

9 मार्च को जो 2011-12 का बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा पढ़ा गया, वाकई जादुई बजट था। उन्होंने अपनी जो छड़ी घुमाई और जादू से सबकी वाहवाही लूटने का जो मौका मिला, सबने बोला कि बहुत अच्छा बजट है लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि मैंने एक बार जादू देखा था तो उसमें एक छड़ी थी, उसमें पंख लगे हुए थे। तो जो पंख होते हैं, जो एक छड़ी होती है, वह जादूगर अपने ऐसे हाथ करता है तो गुलाब का फूल भी खिल जाता है और दुबारा वह हाथ फेरता है तो वह अन्दर चला जाता है, वह गुलाब का फूल गायब हो जाता है। लेकिन जो समझने वाले हैं कि गुलाब का फूल कहां गायब हो गया, उन्होंने तो ताली बजा दी, जिन्होंने नहीं समझा उन्होंने तो ताली बजा दी और समझ गया, वह ताली नहीं बजा पाया।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समय बहुत कम है, आप जल्दी-जल्दी जो बजट पर बोलना है, वह बोलें आप।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): तो मैं यही कहना चाहूंगी कि यह बजट भी ऐसा ही है, जिनके समझ आ गया, उन्होंने ताली नहीं बजाई लेकिन जिन्हें समझ नहीं आया, उन्होंने ताली बजा दी। अब इस बजट पर एक गाना और ठीक बैठता है कि 'समझने वाले समझ गये, जो ना समझे वे अनाड़ी हैं।'

बजट में कहा गया कि गेहूं, चावल, दाल से वैट हटा दिया गया, बहुत अच्छी बात है कि आपने वैट हटाया, सभापति जी, यह बात बड़ी सोचनीय है कि गेहूं पर कितने रुपये कम हुए....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वह लिखा हुआ है उसमें।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): हां, तो मैं बता रही हूं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है। गेहूं के ऊपर 60 से 80 पैसे कम किये हैं। मुझे ताज्जुब है यह कहते हुए कि गेहूं एक किलो खरीदेगा तो सिर्फ 60 से 80 पैसे ही कम होंगे। एक गरीब इन्सान एक किलो गेहूं लेगा या एक किलो आटा लेगा

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

तो उस पर अगर इतने से पैसे कम हुए...। आज भिखारी भी 5 रुपये की डिमांड करता है। वह कहता है कि एक रुपये से काम नहीं चलेगा, 5 रुपये दो। आप 60 पैसे, 80 पैसे की बात कर रहे हैं। यह क्या सस्ता हुआ? चावल की बात करते हैं, चावल पर कितना कम हुआ?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अन्दर जाकर के क्या बंटता था, कुछ पता नहीं।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): देखो, शर्मा जी, आप चुपचाप बैठिये अभी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, मेरे को सीधा-सीधा निर्देश दे रही हैं, बताओ। इतनी सी बात है।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): नहीं तो फिर क्या करें?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कल इनको बहुत जोश आ रहा था, बहुत जोश आ रहा था कल इनको।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): हां, बहुत जोश आ रहा है। अब भी बोलूंगी कि चकला-बेलन क्या रोजाना खरीदे जाते हैं क्या?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपका तो मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): नहीं जी, आप आते हो मेरे घर बनाने। आप आते हो क्या घर खाना बनाने? मैं खाना खुद बनाती हूं, यह आप सबको बता दूं। मैं पूरा घर का काम करती हूं। ठीक है ना।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): पता ही नहीं है हमको।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): सभापति महोदय, कहने का मतलब यह है कि अगर 30 पैसे, 25 पैसे, 60 पैसे, 80 पैसे की अगर यह दर कम की है तो मैं नहीं समझती कि गरीब इन्सान का कोई भला हुआ है बल्कि महिलाओं के साथ एक तरह से मजाक हुआ है। आज, मुख्य मंत्रीजी, मैं तो यह कहती हूं कि जो बजट के आपके सलाहकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी कि जो सब्जी रिटेल काउंटर पर मिलती है, उस पर 5 प्रतिशत कम कर दिया। क्यों, क्योंकि वे लोग सब्जी मण्डी खरीदने नहीं जाते हैं; वे लोग एसी गाड़ी में बैठकर के सीधा रिलायंस फ्रेश या बिग बाजार में जाते हैं और पालीथीन में लेकर के आ जाते हैं। तो उन्होंने अपना फायदा देखना है, न कि आम जनता का फायदा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, सदन में इधर-उधर घूम रहे हैं कुछ लोग। ये सदन में बार-बार कुछ लोग इधर-उधर घूम रहे हैं, सभापति महोदय, जैसे बिगड़े हुए ब्याह में कौन घूमता है।

श्री सभापति: विराजो।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): माननीय सदस्य जी, आपसे निवेदन है कि आप चुपचाप बैठें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अच्छे नहीं लग रहे हैं इस तरह से। एक महिला विधायक बोल रही है और आप इस तरह से टिप्पणियां कर रहे हैं।

जो बजट के सलाहकार थे वे मण्डी नहीं जाकर के रिलायंस फ्रेश या बिग बाजार से सब्जी खरीदकर लाते हैं। इसलिए इन्होंने रिटेल काउंटर पर 5 प्रतिशत कम कर दिया। मैं कहती हूं कि आम जनता, गरीब और मजदूर सब्जी मण्डी जाता है तो फुटपाथ पर जो सब्जी बेचने वाले बैठते हैं, वहां से सब्जी खरीदता है, रिलायंस फ्रेश या बिग बाजार से नहीं। इसलिए अगर सब्जियां पर कम करना है तो पूरी सब्जियों के जो मार्केट हैं, जो मण्डियां लगती हैं, वहां पर भी कम करो। रिटेल काउंटर पर ही क्यों? यह एक तरह से गरीब जनता और मजदूरों के साथ मजाक किया है आपने। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आम किसान और जो जनता है, वह यही कहेगी –

'खुश हूं कि मयस्सर हैं मुझे टाट के टुकड़े,
कुछ लोग अभी नंगे बदल डोल रहे हैं।
सब कुछ है मेरे प्रदेश में, रोटी नहीं तो क्या,
वायदे लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या।
तेरे वादे-इरादे का ऐतबार नहीं,
तूने हर बार मेरा भरम तोड़ा है।
चलो, फिर तेरा मैं की कर लूं
तूने फिर मौन-ए-गुफ्तगू तोड़ा है।'

सभापति जी, मुख्य मंत्रीजी ने तीन बार बड़े हंसते हुए या मुस्कराते हुए बोला चकला, बेलन और पूरा सदन हंसा था। यहां तक कि उनकी धर्म पत्नी भी बैठी थीं वे भी मुस्कराये बिना नहीं रहीं। तो मैं यह समझती हूं कि यह बेलन, चकला कोई हथियार नहीं है, यह जो आटा नरम-नरम आटा होता है, उसको बेलने का साधन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, सबको पता है।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): नहीं पता, तभी तो कहती हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सदस्या कह रही हैं कि हथियार नहीं है और माननीय सभापति महोदय कह रहे हैं कि हथियार है।

श्री सभापति: हथियार नहीं है, सबको पता है।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): तो मैं पूछना चाहूंगी कि इस तरह की यह टिप्पणी क्यों की? जब आपको पता है कि चकला, बेलन और चिमटा है, वे फुटपाथ पर बंजारा समाज के लोग खूब बेचते हैं। कभी उनसे वैट लिया आपने? आज तक आपकी रेवेन्यू में 0.001 भी रेवेन्यू आई हो तो मुझे बताया जाए। फिर किस बात की वाह-वाही ले रहे हो आप कि हमने वैट हटा दिया, सस्ते कर दिये? कभी भी कोई मजदूर या बंजारा समाज का व्यक्ति वैट नहीं देगा और दुकानों पर इस तरह से नहीं मिलते हैं। एक बात और बता दूं, ये चीजें ऐसी हैं कि दादा खरीदे और पोता बरते। ठीक है न? इसको हर महीने या ऐसे नहीं खरीदा जाता। ये महिलाएं-बहन जानती हैं कि हमने एक बार चकला, बेलन और चिमटा, झर लिया है तो अब तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी होगी आपको। फिर किस बात की वाह-वाही लूटी गई? यह जब बजट आया तब महिलाएं बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनकर खुश हुईं लेकिन जब उनको पता चला कि यह तो ऐसा है, हमने तो ऐसे दिये ही नहीं हैं, ये तो इतने रुपये में मिलता है तो कहते हैं कि खाक दिया है बजट में, सिर्फ महिलाओं का मजाक और उड़ा दिया और यहां पर सदन में तीन बार उन्होंने मुस्कराते हुए चकला, बेलन का नाम लिया।

(15.57 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष जी, बालिका शिक्षा पर मैं बोलना चाहूंगी। कहा गया है कि साइकिलें दी जायेंगी। बालिका शिक्षा में, 10वीं तक की बच्चियों की शिक्षा में, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर 5वीं तक के स्कूल हैं और उसके बाद बच्चियों को पढ़ने के लिए शहर नहीं भेजा जाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि 10वीं तक के जो स्कूल हैं या 12वीं के जो स्कूल हैं वे हर पंचायत में 2 या 3 खुलवायें और जहां पर बच्चियों की संख्या ज्यादा हो तो उनको वहां पर विशेषकर खुलवाया जाए तब उनको उस साइकिल का लाभ भी मिल जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर पानी की बात चली थी। एस सी, एस टी का केन्द्र सरकार का बजट था। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि आज तक एस सी, एस टी की जो लिस्ट मैंने दी थी, वे हैंडपम्प नहीं लगे। मंत्रीजी मौजूद नहीं हैं, फिर भी मैं आपके माध्यम से यह बात पहुंचाना चाहूंगी कि वह लिस्ट अभी भी ए.ईएन. लेकर बैठा हुआ है और जहां से उसको पैसा मिल जाता है तो उसके लगा देता है हैंडपम्प। इस तरह का काम हमारे चाकसू में हो रहा है।

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

यातायात की बात करूं तो चाकसू में अभी तक लो-फ्लोर बस चालू नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखें, माननीय सदस्य।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): चौमूं में हो गई, बस्सी में हो गई लेकिन चाकसू को अभी तक लो-फ्लोर बस नहीं मिली जबकि टोंक रोड मेन है। इतने कम साधन हैं, कोई बस नहीं रुकती। कोई बात नहीं, आप चाकसू को नेग्लेक्ट करो, मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी सरकार को जनता इतनी गालियां दे रही है, इतना कोस रही है कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन फिर भी लड़-झगड़ कर मैं चाहूंगी कि मेरे चाकसू को अनदेखा नहीं किया जाए। चाहे वह बीसलपुर का पानी हो, चाहे यातायात का हो या फिर जो भी आपकी घोषणाएं हों, जो कह रहे हैं, वे हों। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगी कि :-

''मीरा के देश में आ गई 'नीरा'
चन्द्रगुप्त के देश में आ गये 'ए.राजा'।
कहीं 2जी स्पेक्ट्रम, तो कहीं 'कलमाड़ी'
कहीं स्विस बैंक खाते, तो कहीं 'आदर्श सोसाइटी'।
'थॉमस' को तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया वापस।
कहीं मुर्गी खाना, जलमहल, अरविन्द गृह निर्माण सोसाइटी
तो कहीं मोहनोत और कोठारी।
कहीं लूट, तो कहीं भुखमरी।
अस्मत भी, जहां नहीं है महफूज,
ऐसा हो गया है 'राजस्थान के गांधी का देश'
धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रतन देवासी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मीरा की जगह नीरा कैसे हो गई?

श्री अध्यक्ष: घनश्याम होगा वहां तो मीरा ही होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): घनश्याम होगा वहां तो मीरा होगी पर यह नीरा कहां से आ गई, नीरा राडिया? यह कहां से आ गई?

श्री अध्यक्ष: स्लिप आफ टंग हो गई होगी। श्री रतन देवासी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, चार दिनों से माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण के बाद में इस सदन के अन्दर इस बजट के ऊपर काफी चर्चाएं हुईं और जो चर्चाएं हुईं उस चर्चा के अन्दर हां वालों ने हां कहा और ना वालों ने ना कहा जबकि इस चर्चा के अन्दर बजट में भले कमियां हों, अच्छाइयां हों, उनके बारे में जोर-शोर से बात आनी चाहिए थी। मैं तो कम समय में ही, माननीय अध्यक्ष जी, इस

(16.00 बजे)

प्रदेश का भूगोल भी वही है और इस प्रदेश का इतिहास भी वही है, जन भी वही है और तंत्र भी वही है, केवल बदला है यह, तो नेतृत्व बदला है और इस बदले हुए नेतृत्व की सोच और दृष्टिकोण के साथ में इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है। इस बदली तस्वीर का एक खाका माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन के समक्ष बजट के रूप में रखा। यह संयोग ही है, माननीय अध्यक्षजी, यह 9 मार्च का जो बजट है, एक ऐसा संयोग हो गया है कि पिछले छह सालों के अन्दर तीन बार ऐसा समय आया है कि वर्ष 2007 के अन्दर, 2010 के अन्दर और 2011 के अन्दर जब 9 मार्च को इस सदन के अन्दर बजट रखा गया है। माननीय अध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब 8 जुलाई, 2009 को इस सदन में अपना पहला बजट रखा, उसी दिन इस सरकार की मंशा और तस्वीर साफ कर दी थी। कोई भी बजट कोई भी व्यक्ति अगर रखता है तो वह उसके मन की, उसकी एक कल्पना होती है, उसकी एक सोच होती है, वह सोच के द्वारा रखता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 8 जुलाई, 2009 को बजट के अन्दर कहा था कि यह बजट जो रख रहा हूं, इस बजट से प्रदेशवासियों को मंदी की मार सहनी नहीं पड़ेगी, अत: मेरा यह बजट आम और गरीब को समर्पित बजट है और आज इस बजट से हम परिकल्पना कर सकते हैं कि यह बजट वास्तव में आम और गरीब व्यक्ति को समर्पित बजट है। माननीय अध्यक्षजी, इन तीनों बजटों के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट का समापन करने के पहले गांधीजी द्वारा कही हुई बातों का उल्लेख किया।

मैंने देखा कि चार दिन से और पिछले बजट में भी देखा कि हमारे सामने बैठे हुए प्रतिपक्ष के जो साथी हैं, उन्होंने आंकड़ों का जाल बताकर इस बजट को पेश किया, उन्होंने आंकड़ों का सहारा ज्यादा लिया और आंकड़ों के माध्यम से यह दर्शाना चाहा कि इस प्रदेश का यह अच्छा बजट नहीं है। 'आप

(श्री रतन देवासी)

लोस में जा रहे हैं', 'आप प्रदेश को महंगाई की तरफ धकेल रहे हैं', 'आप इस बजट को महंगाई की तरफ ले जा रहे हैं', आपने आंकड़ों में बताया और आंकड़ों के द्वारा अपनी बात ज्यादातर कही है मगर मैं बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, कुछ वरिष्ठ सदस्य यहां प्रतिपक्ष के बैठे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं उस बात को और मैं यह बताना चाहता हूं कि आपकी कही हुई बात को आप भूल गये। आपकी सरकार के अन्दर जब बजट पेश होते थे तो जो आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय अध्यक्षजी, 14 जुलाई, 2004 को जब यहां सामान्य वाद-विवाद हो रहा था, उस समय सदन के एक वरिष्ठ साथी ने, जिन्होंने आंकड़ों की बात कहकर इस बजट पर भाषण दिया, उस समय यह बात कही थी कि ''सोशल मेकेनिज्म और अरिथमेटिक में हमको नहीं जाना चाहिए, हमको नैतिक मूल्यों को देखना चाहिए, हमको वेल्यूज को देखना चाहिए और यह कोई महाजन का बहीखाता नहीं है कि हम केवल अरिथमेटिक के ऊपर डिपेंड होकर बजट को पेश करें। हमको आम और गरीब की बात देखनी पड़ेगी और हमारे संविधान ने सरकार को जो जिम्मेदारी दी है, उनका निर्वहन और दायित्व सौंपा है, उस दायित्व को पूरा करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए यह बजट देना पड़ेगा। केवल आंकड़ों में जाने की बात नहीं है।'' इस बात से यह सिद्ध होता है कि आप जो आंकड़ों की बात कह रहे थे, आप जब यहां बैठे थे, तब आपने यह बात कही थी, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो यह बजट दिया है, यह सरकार ने मानवीय दृष्टि से बजट दिया है।

एक और संयोग हुआ है, माननीय अध्यक्षजी, कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट के आखिरी में, 335वें पैरा में गांधीजी द्वारा बताये गये सात पापों के बारे में बताया और कहा कि हम लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जो इस जीवन में हैं, इस जो लोकतंत्र में हैं, डेमोक्रेसी में हैं हम लोग, हम लोग जो इस डेमोक्रेसी के अन्दर हैं तो यह 335वें पैरा के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बात कही थी सात पापों के बारे में, मैं आपका ध्यान, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, उस समय हमारे प्रतिपक्ष के एक माननीय वरिष्ठ साथी ने जब 14 जुलाई को अपनी बात कही यहां सामान्य वाद-विवाद में बजट पर, उन्होंने ये जो सात पाप माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 335वें पैरा में बजट में बताये हैं, उस समय उन्होंने

(श्री रतन देवासी)

इन सात पापों का उल्लेख करते हुए अपनी बात कही और ये सात चीजें उन्होंने उनकी बजट की चर्चा में बताई। अंत में एक लाइन और कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, अंत में एक लाइन में कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर इन सात बातों का ध्यान निर्वाचित सरकार चाहे किसी भी पार्टी की आये, वह रख ले तो पक्ष कितना ही अच्छा, जोर-शोर से समर्थन करे, विपक्ष को कहीं भी इस बात की इजाजत नहीं मिलेगी कि वह कुछ शब्द आलोचना के ढूंढ ले। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रतिपक्ष के उस साथी को कि उस समय जो आपने यह बात कही कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 335वें पैरा में यह बात रखी, इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि हमारा बजट अच्छा बजट है, लोकतंत्र में और आम जन के हित का बजट है। यह बात इस बात से बतायी है, यह 14 जुलाई, 2004 को माननीय सदस्य इस सदन के वरिष्ठ सदस्य जो वर्तमान में प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बात को कहा है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपका ध्यान हमारे पड़ोसी दो राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश की ओर ले जाना चाहता हूं। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर वहां का हम बजट देखें और वहां का बजट पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि राजस्थान का बजट कितना अच्छा और कितने मायने में अच्छा है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। कृपया व्यवधान नहीं।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्षजी, बात तो सच अब शुरू हुई है और मैं कोई गलत बात इस सदन में रखना नहीं चाहता। मैं मध्य प्रदेश और गुजरात की बात कर रहा था। मैं अपनी बात को लम्बी नहीं खींचूंगा मगर एक या दो बात जरूर कहना चाहूंगा। यह जो मध्य प्रदेश और गुजरात में बजट पेश हुए, मैं केवल ऊर्जा की बात कर लूं तो ऊर्जा के अन्दर मध्य प्रदेश ने इस पर 5,170 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है और गुजरात में 1,919 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जबकि आज राजस्थान की सरकार ने योजनागत व्यय

(श्री रतन देवासी)

प्रस्तावित किया है, वह 12,067 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो अपनी बात चालू रखो। (व्यवधान) व्यवधान नहीं।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्षजी, मैंने पहले ही कहा था कि जब हम बोलें, मेरा यह मानना है कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है, यह मैंने पहले ही कहा था।

माननीय अध्यक्षजी, और यही नहीं, एक सर्वे हुआ। एक अच्छी संस्था जो बजट पर परिचर्चा करती है, जो बजट पर चर्चा करती है, उस संस्था ने जिसका नाम है Centre for Budget and Governance Accountability यानी CBGA, CBGA ने जितने भी स्टेट के बजट हुए, उस स्टेट के बजट के बाद में अपनी राय पेश की और राय पेश करने के बाद में उनके डी.जी. अध्यक्ष जो CBGA के हैं मिस्टर अमिताभ मुखोपाध्याय, उन्होंने यह बात कही कि आज जरूरत है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस एण्ड प्रो-पीपल बजट की और उन्होंने धन्यवाद दिया राजस्थान को कि राजस्थान में एकीकृत वितीय प्रबन्ध प्रणाली और रीयल टाइम बेसिस पर इन्फोर्मेशन करने के लिए, बजट को अपडेट करने के लिए, विभाग को कम्प्यूटराइज करके लाने के लिए और भविष्य में दूसरे विभाग भी कम्प्यूटराइज्ड हों, उसके लिए राजस्थान सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया और ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस एण्ड प्रो-पीपल बजट के बारे में उन्होंने यह बात बताई है। यह CBGA का कहना था।

माननीय अध्यक्षजी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं कुछ समय भी लूंगा, माननीय अध्यक्षजी, आपका संरक्षण चाहिए। माननीय अध्यक्षजी, मैं काफी विषयों पर नहीं जाना चाहता, विभागों पर नहीं जाना चाहता, विभागों पर सारे माननीय सदस्यों ने चार बार अपनी बात कह दी, मैं उन पहलुओं को बताना चाह रहा हूं जिन पर इस सदन में किसी ने बोला नहीं होगा या समय के कारण बोल नहीं सके होंगे। माननीय अध्यक्षजी, यहां मुझे अफसोस हुआ कि छोटी सी बात, भावना की बात का आपने मजाक उड़ाया सदन के अन्दर। बेलन, चिमटा की बात आई, आपने मजाक उड़ा दिया। हमने इस कदर उस बात को प्रमोट किया कि हम एक दूसरे की हंसी करने लग गये इस सदन के अन्दर। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्षजी, कई हमारे माननीय सदस्यों ने पिछले बजट को लेकर यह बात कही कि 2009 के अन्दर भी मुख्य मंत्रीजी ने बजट में यही बात कही, 2010 के अन्दर यही बात कही और 2011 के अन्दर भी

(श्री रतन देवासी)

पिछला पैरा उठाया और कापी करके यह कर दिया। मैं एक उदाहरण दूंगा, 2007-08 के अन्दर आपकी सरकार ने, पिछली सरकार ने बजट पेश किया और 2008-09 का भी बजट पेश हुआ। 2007-08 के अन्दर आपने विधवा, विकलांग पेंशन को 250 रुपये प्रतिमाह से लेकर 400 रुपये बढ़ाने की बात कही और फिर आपने 2008-09 में जब बजट पेश किया तब आपने उन्हीं विधवा और विकलांग पेंशनों की बात की। आपने केवल शब्द चेंज कर दिये। आपने विकलांग की जगह हैंडिकैप्ड लिख दिया और आपने वापस कह दिया कि हम दो सौ से चार सौ रुपये कर रहे हैं। पहले आप ढाई सौ से चार सौ कर रहे थे, दूसरा बजट आपने पेश किया उसमें आप ढाई सौ को दो सौ पर ले आये और दो सौ को चार सौ वापस कर दिया। आप हमारी बात कर रहे थे, आपकी बात भूल गये।

अध्यक्षजी, इन्होंने बेलन, चिमटे की बात की, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, समय बहुत हो रहा है, मैं जानता हूं, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इन्होंने चिमटा, इमामदस्ते की मजाक की बात की, माननीय अध्यक्षजी, इनके समय में इन्होंने बजट के भाषण में, पिछली सरकार ने कहा कि राजस्थान के लोगों का स्वाद, खाने का स्वाद पापड़ के बिना अधूरा रह जाता है और लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए हम पापड़ के विनिर्माण में काम आने वाले पापड़ खार को हम बिलकुल फ्री करना चाहते हैं। जब आप बेलन और चिमटे को आप फ्री पर कर रहे हैं तो पापड़ खार के बारे में, आपने निर्माण की बात नहीं की। माननीय अध्यक्षजी, मैं सारी बातें...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): मैं समाप्त करता हूं, दो मिनट के अन्दर समाप्त कर देता हूं, अध्यक्षजी। मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूं, काफी बातें हैं पर समय काफी हुआ, मेरा नंबर देर से आया मगर फिर भी मैं दो मिनट में पूरा सम-अप कर दूंगा।

अध्यक्षजी, कई डिपार्टमेंटों की बात थी, मैं केवल किसी विभाग की बात नहीं करना चाहता, मैं दो चीज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम नर्मदा का पानी 2012-13 तक लायेंगे। इस नर्मदा की जो इस प्रदेश का और पश्चिमी राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसकी दुर्दशा आप लोगों ने की। 2008 के अन्दर और पिछले दो बजट में आपने उसका उल्लेख नहीं किया और 2008 के अन्दर जब चुनाव आने लगा तो विधान सभा चुनाव के पहले आपने गुजरात

(श्री रतन देवासी)

के मुख्य मंत्री के साथ में नर्मदा कैनाल पर राजस्थान में शिलान्यास करने की बात की। आपके यहां से गुजरात के मुख्य मंत्री के साथ में आपके फोटो छप रहे अखबारों के अन्दर और एकाएक रात को जब दूसरे दिन वहां शिलान्यास होने वाला था तो राजस्थान के डी पी आर की तरफ से गुजरात के मुख्य मंत्री का फोटो हटा दिया गया और उसी जगह जब राजस्थान की मुख्य मंत्री ने जहां शिलान्यास करने गईं, उसी के पास में गुजरात के मुख्य मंत्री ने शिलान्यास किया, केवल बीस किलोमीटर की दूरी पर। वे पानी नहीं देना चाहते थे इसलिए किया। आज सरकार पाइपलाइन ले आई, बागोड़ा से लेकर जालोर तक पाइपलाइन आ गई है। (व्यवधान) आहोर तक आ गई है। भूमि अधिग्रहण करने का मामला भी पूरा हो गया है, काश्तकारों को समझा लिया गया है, 150 से 50 हेक्टेयर पर हम लोग भूमि लेने के लिए आ गये और जल्दी पानी देने की बात कही है।

इसके अलावा, अंत में, आपने विशेष पिछड़ा वर्ग की बात कही थी, मैं उस पैकेज के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं और अंत में अपनी बात इस बात को कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): मैं समाप्त कर रहा हूं। अंत में यह बात कहकर कि इस बजट के अन्दर एक कल्पना थी, हम हमारी सोच रखते हैं, हमारी इच्छाशक्ति रखते हैं और इच्छाशक्ति रखते हैं तब बात पूरी होती है। माननीय अध्यक्षजी, एक बात बहुत बड़े पालिटिकल थिंकर एडमंड ब्रोक ने एक बात कही है जो हमारे सदन के नेता के लिए लागू होती है कि – “The nerve that never relaxes and the eye that never blinks..” माननीय हमारे वरिष्ठ नेता घनश्यामजी ने कहा कि हिन्दी में कहना है...

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, आप रोहिताशजी को कहिये, वे ज्यादा बोलते हैं।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): मैं, अध्यक्षजी, यही कह रहा था...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने इसलिए कहा कि वे माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए कह रहे हैं तो ऐसी भाषा में बोलें जिससे वे भी समझ जायें और मैं भी समझ जाऊं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें। प्लीज, प्लीज, बैठिये। कृपया समाप्त करें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्षजी, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं रोहिताशजी से आज इतना प्रभावित हो

(श्री रतन देवासी)

गया कि वे हिन्दी में शुरू हुए और पूरा भाषण उन्होंने अंग्रेजी में दे दिया सदन के कहने पर।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करिये।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): इसलिए मैं अंत में आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस बजट का मैं समर्थन करता हूं।धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: अब मैं, अमरारामजी, आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी का सारा समय समाप्त हो गया, उसके अलावा एक्सेस ले लिया है, आप अधिक से अधिक पांच मिनट में स्वयं विराज जायें। मुझे टोकना नहीं पड़े। वरना अंकित नहीं करूंगा, मेरी मजबूरी है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हां, बिलकुल। टोकूंगा ही नहीं, टोकना ही नहीं पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो बजट 2011-12 पर वाद-विवाद चल रहा है, मैं भी अपने आप को इसमें शामिल करते हुए, क्योंकि यह बजट न किसान के लिए है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर जाइये। मर्यादा में....

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): न गरीब के लिए है, न मजदूर के लिए है और न नौजवान के लिए है, यह बजट है तो केवल उदारीकरण और निजीकरण के लिए बजट है। आज तक हम बजट रखते आये हैं 45 से लेकर, 47 से लेकर आज तक लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, जब भी बजट रखा जाता है, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई बजट नहीं हो सकता, राजस्थान की जनता को समर्पित है; इधर कहते हैं, विरोध है। लेकिन लगातार 63 साल की आजादी के बाद आज किसान कर्जे में डूब रहा है, आज महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी का अम्बार लगा हुआ है, एक पद के लिए एक-एक हजार नौजवान हमारे रोजगार के लिए आते हैं। यह इस बजट का हमारे सामने चित्रण है।

अध्यक्ष महोदय, आज किसान, राजस्थान की 70 से 75 प्रतिशत आबादी जो यहां निवास करती है, राज्य में उसके लिए इस बजट प्लान में, बजट जो 28461.30 करोड़ का रखा है, उसमें से 75 प्रतिशत आबादी के लिए, कृषि और उसके एलाइड के लिए मात्र 3.84 प्रतिशत। मतलब 75 प्रतिशत आबादी के लिए मात्र चार प्रतिशत से भी कम बजट रखा जाय, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती।

(श्री अमराराम)

अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान की विधान सभा में, पहली विधान सभा में सीलिंग कानून लाया गया कि जो सीलिंग एक्ट से ज्यादा जमीन है, वह इस राजस्थान के भूमिहीन और गरीब व्यक्ति को मिलेगी लेकिन अफसोस है कि यह सब बजट करने के बाद भी आज की तारीख में भी, राजस्थान में पहली विधान सभा में पास करने के बाद सीलिंग कानून से ज्यादा 6 लाख एकड़ जमीन आज की तारीख में है। आज अगर पहली विधान सभा में पास करने के बाद 6 लाख उन परिवारों को जिनके पास इस राजस्थान में एक बिस्वा भी जमीन नहीं है, अगर एक-एक एकड़ जमीन भी उन राजस्थान के भूमिहीन किसानों को मिलती तो आज मैं समझता हूं, इस राजस्थान का नक्शा दूसरा होता। जिसकी एक लाख बीस हजार करोड़ की आज कीमत है वह भूमाफियाओं के पास, बड़े-बड़े लोगों के पास आज भी है। सरकार की इच्छाशक्ति नहीं है कि उनके खिलाफ कार्यवाही करके उन गरीबों के पास वह भूमि जो एक लाख बीस हजार करोड़ की है, वह उनके पास पहुंचे।

आज राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी अगर यह बात रखते कि राजस्थान की जनता जो महंगाई से त्रस्त है, राजस्थान में वैट जो हरियाणा और पंजाब से ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों पर है, जो इनका वादा था, वह अगर कम करते तो निश्चित रूप से राजस्थान की महंगाई से त्रस्त जनता को कुछ न कुछ लाभ मिलता, लेकिन वे नहीं करेंगे।

आज, सबसे बड़ा आज किसान के साथ, किसान के जब पैदा हो जाती है न जमीन के लिए, वह जमीन कुछ कम्पनियों को मालामाल करने के लिए, चार कम्पनियों को मालामाल करने के लिए झुंझुनूं में नवलगढ़ में बारह गांवों को तबाह करेंगे, नालेज सिटी डवलप करने के लिए दो गांवों को समाप्त करेंगे। मुख्य मंत्रीजी बात तो करते हैं कि उस किसान की जमीन हम नहीं लेंगे, उस किसान को बरबाद नहीं करेंगे लेकिन अजमेर बाइपास पर दो गांव जहां चार फसलें होती हैं सब्जी की, जहां निर्यात करने वाली सब्जी पैदा होती है, नालेज सिटी, वहां से एक किलोमीटर पर सरकारी जमीन है लेकिन वह नहीं लेंगे क्योंकि पूंजीपतियों को एक किलोमीटर चलने में परेशानी होगी। उस किसान को बरबाद करके राजस्थान का ऐसा विकास राजस्थान, मैं समझता हूं, नहीं चाहता। राजस्थान का किसान, बाजरा पैदा होता है, राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी ने कहा, बढ़िया बरसात हुई, बाजरा 45 लाख मीट्रिक टन हुआ, केन्द्र सरकार से 880 रुपये प्रति क्विंटल, इन्होंने क्रय केन्द्र भी खोले लेकिन एक क्विंटल बाजरा नहीं

(श्री अमराराम)

खरीदा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी घंटी नहीं बजने दूंगा, मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा, लेकिन एक क्विंटल बाजरा नहीं खरीदा गया। राजस्थान में मौसम आधारित बीमा कराया गया है लेकिन उसमें आज भी ओलावृष्टि नहीं है। आज राजस्थान में चाहे वह फसल बीमा हो, चाहे मौसम आधारित बीमा हो, सात सौ करोड़ राजस्थान की सरकार देती है, दो सौ करोड़ प्रीमियम किसान देता है लेकिन उसके लिए...

श्री अध्यक्ष: अब बजानी पड़ेगी, अब।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आज तक भी किसी भी साल में 900 करोड़ रुपये नहीं है। मैं समाप्त करूंगा, अध्यक्ष महोदय। हमारे मुख्य मंत्री ने बजट रखते हुए आखिर में महात्मा गांधी को याद किया। जिन महात्मा गांधी, मैं नहीं समझता मुख्य मंत्रीजी किन महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो महात्मा गांधी की यह आटोबायोग्राफी में जिस 1925 का इन्होंने डाक्युमेंट बताया है, जो आटोबायोग्राफी सबसे आथैंटिक है, जो तेंदुलकर ने लिखी है एक-एक दिन की बायोग्राफी, 1934 में जिस महात्मा गांधी ने कहा, यह कांग्रेस, किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, यह कांग्रेस में, फैले भ्रष्टाचार तथा अवसरवादी राजनीति से दुःखी होकर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। (व्यवधान) यह कापी जो तेंदुलकर की है...

श्री अध्यक्ष: वह पुरानी बात हो गई।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जो वह कांग्रेस, जो भ्रष्टाचार से लिप्त हो गई...

श्री अध्यक्ष: वह पुरानी बात थी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पुरानी कहां?

श्री अध्यक्ष: आप समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 1925 का...

श्री अध्यक्ष: आप समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह सात गिनाये और यह 1935 में जिस महात्मा गांधी का आपने उद्धरण किया वह महात्मा गांधी कहते हैं, यह कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूब चुकी है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें मेहरबानी करके।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह स्वच्छंद लोगों की है इसलिए मैं इसका

(श्री अमराराम)

त्याग पत्र देता हूं और कभी भी नहीं रहूंगा। मैंसमझता हूं, उन गरीबों के लिए काम करें तो यही सबसे बेहतर होगा लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों को करने के लिए बजट दें, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा सदन के सभी माननीय सदस्यों को कि प्रतिपक्ष के नेता और सदन के नेता दोनों का भाषण होगा, मैं निवेदन करूंगा सभी माननीय सदस्यों से कि मर्यादा का ध्यान रखते हुए कृपया बीच में किसी तरह का इंटरप्ट नहीं करें। श्रीमती वसुंधरा राजे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, किसी भी स्टेट की जिंदगी में एक समय आता है जब बोल्ड एक्शन लेने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर वह बोल्ड एक्शन लेता है...

श्री अध्यक्ष: कई बार मुझे लेना पड़ता है लेकिन फिर वह बुरा लगता है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): तो उससे राज्य की खुशहाली निखर के आती है। आज भारत 9 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़ रहा है और मैं यह दावा करती हूं कि आने वाला दशक, वह भारत का दशक होगा और हम उम्मीद करते हैं कि चीन से भी हम आगे आएंगे। India will be known as the fastest growing economy in the world. यह सपना लेकर के हर स्टेट के लोग इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। हमारे देश के जो नौजवान हैं उनके अन्दर भी एक भावना जागी है। उनको लग रहा है कि अब शिक्षा के उनको मौके मिलेंगे और उच्च शिक्षा के साथ-साथ स्किल्स सीखने का भी मौका मिलेगा और उसके साथ-साथ उनको रोजगार का भी बहुत मौका मिलेगा। मेन चीज तो यही है और मैं समझती हूं कि यह आपका समय आ गया है, जब सरकारें कोई ठोस निर्णय लें, बड़े-बड़े सपने देखें और बड़ी-बड़ी सोच रखें। परन्तु हमें यहां क्या देखने को मिल रहा है? एक कमजोर नेतृत्व की एक कमजोर सरकार, एक कमजोर बजट लेकर के हम सबके सामने आई है। उसमें न तो कोई सोच है, न कोई विजन है और मैं समझती हूं कि इस बजट से राजस्थान की जनता को कितना लाभ होगा, वह आगे चलकर के हमको देखने को मिलेगा। राज्य का बजट साल में एक दफा प्रस्तुत होता है और हम सबको यह मौका मिलता है जब राजनीति के ऊपर उठकर के हम लोग विकास के बारे में, हमारे आर्थिक स्थिति के बारे में गम्भीर रूप से सोच सकें। यह पहलू है राजनीति का और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इसके ऊपर अपने को ध्यान देने की जरूरत है। प्रदेश का कुशल वित्तीय प्रबंधन राजनीति का एक पहलू है। आर्थिक व्यवस्था अगर हमारी ठीक नहीं होती है तो आगे चलकर के प्रदेश का, राज्य का विकास नहीं हो सकता है। जस्ट इमेजिन कि स्वतंत्रता के साठ साल बाद आज भी किसान गरीबी से घिरा हुआ है, युवाओं को नौकरी सही तरीके से नहीं मिलती, जो स्किल डवलपमेंट करने की जरूरत होती है वह स्किल डवलपमेंट का इंतजाम हम लोगों ने नहीं किया है। मैं इस विचार से पूरी तरह से सहमत हूं कि जब किसी को आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है तभी वह स्वतंत्रता एक ठोस स्वतंत्रता होती है। इसीलिए मेरा कहना है कि जो भी हमको काम करना है चाहे वह राज्य की सड़कों पर हो, चाहे वह शिक्षा के विकास पर हो, चाहे वह पानी का इंतजाम करने में हो, चाहे वह हास्पिटल की सेवाएं देने में हो, उनको जल्दी-जल्दी करना चाहिए ताकि इनका भी लाभ लोगों को जल्दी-से जल्दी से मिले।

अब मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने यह करने की कोशिश की और सक्सेसफुली किया भी। राज्य में पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, रेवेन्यू सरप्लस की बात हुई। सालों बाद ओवर-ड्राफ्ट की जो स्थिति थी, वह समाप्त हुई। फिस्कल डेफिसिट 2 प्रतिशत पर आकर सीमित हो गया। राजस्थान के अन्दर हमने दो फंड बनाये, राजस्थान पोवर्टी एलिविएशन फंड और राजस्थान इंवेस्टमेंट फंड जिनके अन्दर हमने पैसा डाला, उनको वित्त पोषित किया और कुशल वित्तीय प्रबंधन का यह फल निकला कि पांच वर्षों के अन्दर हज़ारों किलोमीटर नई सड़कें बनीं, नए विद्यालय खुले, नए अध्यापकों की नियुक्ति हुई, बहुत सारे स्वास्थ्य केन्द्र बने। डाक्टर्स, पैरामेडिकल्स, नर्सिंग स्टाफ, इनकी भर्ती की गई। यह सिर्फ हम लोगों का कहना नहीं था, हमारी पार्टी का कहना नहीं था। यह एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी की रिपोर्ट को अगर अपन देखें तो उससे अपने को क्लीयरली यह निकल के आ जाती है और वह है भारत के सी ए जी जिन्होंने अपने 2006-07, 2007-08 और 2008-09 की रिपोर्ट में बहुत अच्छी तरह से इस बात को स्पष्ट किया था।

अब कुछ फिगर्स आपको मैं देना चाहूंगी। रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति जो हमारी थी, वह 2010-11 में 888 करोड़ का एक रेवेन्यू डेफिसिट अनुमानित बन गया। फिस्कल डेफिसिट 2010-11 के अन्दर उभर के 7 हजार 500 करोड़ पर आया और 2011-12 में बढ़कर यह 8 हजार करोड़ होने की संभावना है। अगर घाटा होगा तो स्वाभाविक है कि उसमें उधार लेने की जरूरत है। तीन वर्ष में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

यहां इस सरकार ने 26 हजार करोड़ की शुद्ध उधारी ली है। अगर इसको पर्सपेक्टिव में अपन डालें तो हमसे पहले जो सरकार थी, उस समय उन्होंने अपने पांच साल के अन्दर, 25 हजार करोड़ की उधारी ली थी। हम लोगों ने अपने पाँच साल के अन्दर, जबकि प्लान साइज इसका बहुत सारा दुगुना भी हुआ, इसके बावजूद भी 25 हजार करोड़ के अन्दर उधार लेकर के उसको सीमित किया। पहले तीन वर्षों में आपने 26 हजार करोड़ की उधार ले ली है और निश्चित रूप से पांच-पांच वर्ष पूरे होते-होते यह 45-50 हजार करोड़ पर जाकर के पहुंचेगी। इसीलिए मैं सत्ता संभालने वाले माननीय सदस्यों को यह कहना चाहती हूं कि इन्होंने जोर-जोर से पहले कहा था कि पूर्व सरकार जो है, राज्य के ग्रास डेट को पूरी तरह से बढ़ाने में लगी हुई है। अब उनसे राज्य के ग्रास डेट के ऊपर मैं विचार उनके सुनना चाहूंगी। मैंने सदन के अन्दर यह भी कहा था कि उधार लेकर अगर हम लोग प्रोडक्टिव एसेसट्स बनाये, फिर कोई प्राब्लम नहीं है; उधार लेना भी ठीक है परन्तु यह राजस्व ख़र्चे के ऊपर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब उदाहरण दूंगी, अगर एक व्यक्ति 10 लाख रुपए लेकर के अपना घर बनाता है तो वह उधार गलत नहीं है परन्तु दूसरा व्यक्ति वह 10 लाख रुपए लेकर के रोजमर्रा के खर्चे के ऊपर ही उसको उड़ा देता है तो वह कंगाली की ओर निश्चित जा ही रहा है। हमारे बजट में रेवेन्यू सरप्लस था और हमने प्रोडक्टिव एसेट्स का उसमें निर्माण किया। यह सरकार ने उधार के साथ क्या किया है, यह तो उधार केवल लेकर के अपने ऋण को जो है, उसको खतम करने की कोशिश कर रही है, चुका रही है। 2010-11 के अन्दर शुद्ध उधार आपका 7,155 करोड़ था, उस पर ब्याज 7,405 करोड़; 2011-12 में जो अनुमानित शुद्ध उधार है वह 8,162 करोड़ और उधारी पर ब्याज 8,012 करोड़ रुपया होने जा रहा है। यानी आपने तो सारा उधार केवल उधार चुकाने में खतम कर दिया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर यह जाएगा तो नैचुरली बैंकरप्सी की ओर स्टेट तो बढ़ेगा ही।

अब केन्द्र सरकार, यह भी हमको बहुत सुनने को मिला, केन्द्र सरकार के करों का हिसाब, एक अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। 2009-10 के अन्दर 9,250 करोड़, 2010-11 को बढ़कर यह 12,900 करोड़ 2011-12 में अनुमानित यह 15,400 करोड़ रुपया। दो वर्ष में इसका मतलब यह है कि 66 परसेंट वृद्धि, 9 हजार करोड़ से 15 हजार करोड़ तक और फिर भी राजस्व घाटा और फिर भी बोरोइंग। यहां यह अचम्भा खतम नहीं होता। केन्द्रीय करों में इतनी सारी बढ़ोतरी और राज्य

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

के करों की वृद्धि क्यों नगण्य? अगर आप उसको देख लो तो इस वर्ष 19,400 करोड़ राज्य कर अनुमानित हैं, अगले वर्ष यह 21,300 करोड़ रुपए हो जाएगा। यह वृद्धि सिर्फ 11 प्रतिशत हमारे सामने आती है। यह केन्द्र के अधिक पैसे आने के बाद भी, जी डी पी में ग्रोथ से हो गया, यही पहले आप लोग हमको कहा करते थे। अब जी डी पी में ग्रोथ है, केन्द्र की बढ़ती आय इस चीज को दर्शाती है। राज्य की कर आय में प्रपोर्शनेट बढ़ोतरी होनी चाहिए। वह क्यों नहीं हो रही है? यह एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। रेवेन्यू कलेक्शन में या तो कोई गड़बड़ है या कोई लीकेज है या कोई अक्षमता है। इसको चैक करना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यह बात इससे भी स्पष्ट है कि राज्य का टैक्स-टू-जीडीपी रेश्यो अब 6.44 प्रतिशत हो गया। कुशल कर प्रबंधन की दृष्टि से यह करीबन 8 प्रतिशत होना चाहिए। मैं यह और भी आपको बताना चाहूंगी कि हमारा रिकार्ड आप देख लोगे तो यह रेश्यो आपके सामने आ जाएगा। साथ में आपको यह ध्यान दिलाना चाहूंगी कि योजना में केन्द्र से जो पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, इनके अन्दर जो भी पैसे आ रहे हैं वे जिस तरीके से खर्च होने चाहिए, खर्च नहीं हो रहे हैं और आधे से ज्यादा खर्च नहीं हो पा रहे हैं। ये भी एक किस्म से हमारी अक्षमता है।

एक राजस्व आय हमको हमारी राज्य सरकार को प्राप्त हो रही है जो किसी भी राज्य सरकार को पहले प्राप्त नहीं हुई थी और वह है क्रूड आयल की, उसकी जो रायल्टी मिल रही है वह पहली बार किसी सरकार को मिल रही है। एक त्रिपाठी समिति गठित हुई थी जिसकी रिपोर्ट यह बाड़मेर क्रूड आयल प्रोडक्शन के बारे में है जो बताती है कि एवरी ईयर यानी प्रति वर्ष हम लोगों को 65 लाख टन क्रूड आयल का प्रोडक्शन मिलता है। क्रूड आयल के दाम आज मार्केट के अन्दर करीबन 4,800 रुपये प्रति बैरल है। इस रायल्टी का अगर मोटा हिसाब हम लोग करते हैं तो 3,000 करोड़ की वार्षिक आय हम लोगों को मिलनी चाहिए और अगर इस आय को हम अपने रेवेन्यू कलेक्शन से अलग कर दें तो हमको यह नेगेटिव ग्रोथ ट्रेंड दिखायी देगा। इसको इंवेस्टिगेट किया जाए कि टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, जिस तरीके से होना चाहिए था। क्रूड के ऊपर हम लोगों को 4 प्रतिशत वैट मिलना चाहिए था। हमारी सरकार के समय डिलिवरी पाइंट को राजस्थान से बाहर ले जाने की कोशिश हो रही थी और हम लोगों को यह 4 प्रतिशत वैट से वंचित रखने की कोशिश हो रही थी। इस इश्यु को लेकर हमने केन्द्र में बहुत जोरदार लड़ाई लड़ी, जीती भी फिर भी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हम लोगों को यह वैट नहीं मिला। कारण, कारण यह है कि कंपनी ने जाकर कोर्ट के अन्दर स्टे ले लिया और हम समझते हैं कि स्टेट को जिस तरीके से उसको परश्यु करने की जरूरत थी वह उस तरीके से उन्होंने परश्यु नहीं किया। अर्जेंट एप्लीकेशन जो हीयरिंग के ऊपर लगती है, अर्जेंट हीयरिंग की एप्लीकेशन तक नहीं लगायी और मैं यह बताना चाहूंगी, पिछले तीन महीने के अन्दर इस कंपनी ने करीबन दो हजार करोड़ का मुनाफा घोषित किया है। इसका मतलब इसकी वार्षिक आय तो एप्रोक्सिमेटली 8 हजार करोड़ की होगी। अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे राजस्थान की संपत्ति से आठ हजार करोड़ का लाभ ले रही है तो फिर वैट हम लोगों को मिलना चाहिए। उस पर हम लोग क्यों नहीं जोर डाल रहे हैं? वह जोर डालने की जरूरत है। या तो यह अक्षमता है या फिर किसी किस्म की मिलीभगत है। मैं समझती हूं कि इसको एस्पेडाइट करना जरूरी है और सरकार हमें बताये कि कितने और क्या कदम उठाने जा रही है? ये क्लेरिफिकेशन जरूर से आना चाहिए हम लोगों के पास, नहीं तो ध्यान में यह आता है कि कहीं ऐसा कोई एक बड़ा स्कैम न बन रहा हो।

सबने इस बजट को गौर से सुना है, इसको पढ़ा भी है और मुझे लगता है कि सबके माइंड में यह बात होगी कि यहां कोई ऐसी नयी या बड़ी सोच की बात इस बजट के अन्दर से निकल कर नहीं आयी। परन्तु माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक किस्म से हमारी सरकार की कहीं न कहीं बड़ाई तो की ही है क्योंकि मैं मानती हूं कि imitation is the best form of flattery. कई स्कीम ऐसी उसमें से निकल कर आयी हैं कि जिन स्कीम्स को हम लोगों ने चालू किया था। कई दिनों के लिए आपने उनको बंद करने की कोशिश की और बाद में आपके ध्यान में आया कि अच्छी स्कीम्स हैं तो आपने उनको निकाला और निकाल कर उनको फिर आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर कुछ के नाम लेना चाहती हूं। एक तो आपका लाइवलीहुड मिशन जो आप बजट में लाये, उसको लाइवलीहुड मिशन का नाम नहीं देकर कुछ दूसरा नाम देकर उसको लाने की कोशिश की। उसके अन्दर ये जाब मेले जो हम लोगों ने चालू करके, इतने सक्सेसफुली चालू किये थे वे भी उसमें शामिल हैं। स्कूल छात्राओं को साइकिल की योजना कोई नयी बात नहीं है, यह हम लोगों के समय में हमने चालू कर दिया था। दवाइयों की सेन्ट्रलाइज्ड परचेजिंग, यह भी कोई नयी बात नहीं है और चाहे वह रिडकोर कंपनी जो पी डब्ल्यू डी की हमारी सरकार ने बनायी थी पी.पी.पी. पाटर्नरशिप के अन्दर, रिडकोर, बी आर टी एस,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ट्रांसपोर्ट वाउचर, धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना, ये सब पहले पांच साल की उपज है और इसको आप लोगों ने लाकर और चालू करने की कोशिश की है तो मैं समझती हूं कि बहुत अच्छी बात की।

मुझे इतना ही बताइये माननीय मुख्य मंत्रीजी, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि यह सरकार इतनी महिला विरोधी क्यों है? हम लोगों ने फाइनेंशल इंक्लुजन को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ीऔर विस्तृत स्कीम सामने रखी थी, उसका नाम था भामाशाह योजना। हमने कोशिश की थी कि महिलाओं को, गरीब से गरीब महिलाओं को, बी पी एल परिवार की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का एक बहुत बड़ा काम हम करेंगे और आज आप देखें, देख रहे होंगे, पिछले एक साल में इस फाइनेंशल इंक्लुजन के ऊपर चाहे वह इकोनोमिक टाइम्स हो, चाहे आपके रिसर्च स्कोलर्स हों, चाहे गवर्नमेंट आफ इंडिया हो, इन सब लोगों ने आकर यही बात कही है कि फाइनेंशल इंक्लुजन ही सबसे बड़ी और अच्छी स्कीम है, जो गरीबों को किसी भी तरीके से एम्पावर करेगी। अगर यह भामाशाह योजना शुरू हो जाती तो इसका मतलब ये था, अध्यक्ष महोदय, कि 1,500 रुपये इंसेंटिव के तौर हम बी.पी.एल. परिवारों को, पचास लाख बी.पी.एल. परिवार की महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए दे देते और उस कार्ड के ऊपर 30 हजार रुपये की हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी थी। महिला कार्ड ले लेती और अपना बैंक अकाउंट खोलती, फाइनेंशली इंक्लूड हो जाती और इससे जो आपकी सरकारी स्कीम्स थीं वे सब सरकारी स्कीम्स चाहे वह विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे जननी सुरक्षा स्कीम हो, चाहे और भी कोई स्कीम जो सरकारी होतीं, वे सब डाइरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में चली जातीं और इससे जो लीकेजेज होती हैं वह खतम हो जाती और साथ-साथ वह महिला अपने पैर पर खड़ी हो जाती। उस परिवार के अन्दर उसकी रेस्पेक्ट होती। इसको भारत सरकार ने, राजस्थान के अन्दर जो ट्रायल एंड एरर का हुआ, उसको देखकर नंदन निलेकनी को लाकर उन लोगों ने यू आई डी स्कीम को भारत के अन्दर चलाया और यू आई डी स्कीम को उन्होंने महिलाओं से आगे ले जाकर सब लोगों को उससे जोड़ने की बात की और बहुत जोर-शोर से इसको वहां दिल्ली के अन्दर कहलाया। मैं यह पूछना चाहती हूं कि हम क्यों नहीं अपने लोगों को, अपनी महिलाओं को, अपनी गरीब महिलाओं को एम्पावर करना चाहते? अगर यह हम लोगों ने पहले ही बढ़ा दिया होता तो सोचो इस पूरे देश के अन्दर राजस्थान इस स्कीम के अन्दर, इतनी बड़ी स्कीम के अन्दर अगुवाई करता, पहले नंबर पर आता और यह हम सबके लिए बहुत गर्व की बात होती।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

परन्तु हमने नहीं किया। इस स्कीम के तहत आज सात लाख महिलाओं के 122 करोड़ रुपये पी एन बी के अन्दर जमा हुए। यह पैसा अगर हम लोगों ने महिलाओं को बांट दिया होता तो मैं समझती हूं कि उनको बहुत सारा फायदा होता और हमारी गरीब और ग्रामीण महिलाएं बहुत जोरदार तरीके से हमारी स्कीम के साथ जुड़ जातीं। अब महिलाओं के लिए जो हमने पैसा जमा किया है, वह महिलाओं को ही मिलना चाहिए। उनके खाते खुलने चाहिए और उनको एम्पावर हम लोगों को करना चाहिए। यह मामला मुझे लगता है कि ऐसे समाप्त नहीं होगा और इसके लिए जरूर-जरूर महिलाएं कहीं न कहीं और कभी न कभी आंदोलित होंगी।

कितनी सारी महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। बहुत सारी बातें हम लोगों को इस सदन में सुनने को मिलती हैं, बढ़ा-चढ़ा कर आप लोग महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हो पर एक्चुअली में ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है, वह सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोगों ने महिला आयोग बना कर उसको सशक्त किया। महिला थाने बनाये। महिलाओं के नाम, और इसमें मुझे गर्व है कि छोटी-छोटी बातें, महिलाओं के नाम पट्टे देकर उनकी भूमि या संपत्ति अगर उनके द्वारा आप स्थानान्तरण करें, उस स्टाम्प शुल्क का 50 प्रतिशत पेमेंट ही आपको करना पड़ेगा। इसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं आनर्स हो गयीं और मैं समझती हूं कि एक शुरुआत वहां भी हो गयी। कम्प्यूटर शिक्षा का निर्माण पूरी तरह से किया, वह नि:शुल्क होकर किया। निर्मल घाट योजना चालू की। और एक नया हम लोगों ने किया वह हाड़ा रानी बटालियन, जो मैं समझती हूं, जिसके लिए बहुत समय लगाया सब लोगों ने परन्तु आखिर में शायद उसकी परमिशन आ गयी है, वह बटालियन भी हम लोगों ने खोलने की बात की।

आपने ये घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिकार के नये कानून के प्रावधानों के तहत जिले के अन्दर स्वतंत्र सुरक्षा अधिकारी की घोषणा उस समय की थी परन्तु आज तक यहां कोई बना नहीं है। जिला मुख्यालय पर आपने कहा था कि जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए आप होस्टल बनाओगे, वह अभी तक कुछ नहीं हुआ और अत्याचार जो महिलाओं के ऊपर हैं, वह एक्सट्रीम पर पहुंच गया है। मुझे मालूम है, हमारे समय में यह बात होती थी कि महिला की चैन खिंच गयी तो फ्रंट पेज पर न्यूज हैडलाइन होती थी। आज तो शर्म से सिर झुक जाता है जब ध्यान आता है कि कोटा के थाने के अन्दर, चेचट थाने के अन्दर महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार और फिर उसकी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बेरहमी से हत्या कर दी गई। आज तक वह निकल कर नहीं आई है वह बात। मैं समझती हूं कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? पर इससे ज्यादा भी हम लोग गये हैं, दो साल की बच्ची के साथ कुकर्म। ऐसी सरकार, मेरी तो समझ में नहीं आता है, महिला अत्याचार में देश में चौथा स्थान हम लोगों को मिल गया है। इससे तो हमारा सिर शर्म से झुक जाना चाहिये था। फिर तो बड़ा फेमस केस हो गया महिला प्रसुताओं का जोधपुर में। पूरा हाउस उससे आहत है। कितनी सारी महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। 14 दिन लगे वहां मुख्य मंत्रीजी को जाने के लिये। किसी को क्या दिया है अभी तक, जिस तरह से हम लोगों ने पैकेज बना-बना कर दिये थे, वह अभी तक नहीं मालूम। हास्पिटल के अन्दर जो टीम आई हैं उन्होंने यह कहा है कि हास्पिटल थियेटर में, आपरेशन थियेटर में इंफेक्शन है, आईवी फ्लूड कंटेमिनेटेड है परन्तु आज तक किसी को पनिशमेंट नहीं दिया गया है। छोटे-मोटे लोग तो मरते हैं लेकिन कोई भी इन्क्वायरी सही तरीके से और कोई भी पनिशमेंट किसी भी व्यक्ति को आज तक नहीं मिला है। मैं समझती हूं कि यह भी एक बहुत शर्म की बात है और इससे हम सबका सिर शर्म से झुक जाना चाहिये।

एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा सा आप अपना ध्यान दें। हमारे समय में कृषि बजट में तीन गुणा वृद्धि हुई थी। कोशिश हमारी यह है कि नालेज-कम-मैनेजमेंट की क्रांति हम अपने प्रदेश में लाने की कोशिश करें। कई ऐसी क्रांति हैं जैसे प्रबंधन क्रांति है या हरित क्रांति है या पीत क्रांति है, ये सब क्रांतियां अश्वेत क्रांतियां हैं, इन सब क्रांतियों के समय से हम निकल चुके हैं। मैं यह देख रही हूं कि जहां हमारा कृषि बजट तीन गुणा बढ़ा, वहां 2010-11 में आपने एग्रीकल्चर प्लान साइज में 1175 करोड़ रुपये रखा था, जो रिवाइज प्लान साइज था और इस साल खाली आपने उसमें हजार करोड़ रखा हुआ है। यह डाउन ग्रेडिंग, मैं समझती हूं कि एग्रीकल्चर के लिये ठीक नहीं है। हमने एक सपना देखा है, एक सदाबहार, एवरग्रीन राजस्थान हम लोगों के सामने किसानों के लिये खड़ा हो जाये। मैं समझती हूं कि कुछ तो हमारी छोटी-मोटी कोशिशें जरूर थीं और वे कोशिशें जरूर तरीके से सफल हुईं। सबसे पहले प्रोडक्शन एन्हांसमेंट में हम लोगों ने काम किया था और जो सरकार दिल्ली में थी उस सरकार ने हमें इस पर इनाम दिया, एक करोड़ का इनाम मिला हम लोगों को और मैं समझती हूं कि यह हमारे लिये बहुत अच्छी बात थी। सीरियल्स के अन्दर 1.49 करोड़ टन हम लोगों ने जो पैदा किया, उसके अगेंस्ट आपके समय में 1.16 करोड़ टन का उत्पादन हो रहा है, उसमें गिरावट आई है। इसी तरह से दलहन में जहां 18 लाख

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैट्रिक टन हमारे टाइम में हुआ था, वहां 7 लाख मैट्रिक टन में आकर आप सीमित रह गये हैं। शैल्फ लाइफ इम्प्रूवमेंट, वगैरह यह बहुत जरूरी था और यह यहां हमें कहीं भी सीखने को नहीं मिलता था, इसलिए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया सौ किसानों का और उन सबको इजराइल भेजा। इजराइल भेज कर उनको बताया कि कई टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को आप अच्छी तरह से देखें, उनको समझें और यहां वापस आकर यह कोशिश करें कि अपने गांव में और अपने आजू-बाजू के सब लोगों तक इसको पहुंचायें ताकि और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। शैल्फ लाइफ इम्प्रूवमेंट हो या शेप, साइज एंड क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट हो या न्युट्रिशनल क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट हो, इन सब चीजों में आपको भी थोड़ा सा अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पहली दफा राजस्थान आर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का नोटिफिकेशन 7.1.2006 का हम लोगों ने किया। इसके ऊपर भी कोई काम हुआ नहीं है और मैं समझती हूं कि यह हमारे लिये एक बहुत जरूरी स्टेप फोरवर्ड है।

इजराइल के ट्रिप में हम लोगों ने आलिव कल्टीवेशन को बहुत अच्छी तरफ से समझने की कोशिश की और जैतून की खेती करीबन 240 हेक्टेयर में एक लाख पौधे हम लोगों ने पैदा किये जो कि बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। मैं समझती हूं कि यहां एक ट्राइपरटाइट एग्रीमेंट भी हुआ है। बहुत अच्छी तरह से पेड़ बड़े हुए हैं और अब इनको हम किसानों तक पहुंचाये, यह काम अब हम लोगों को करने की जरूरत है। सेंटर ने भी इसमें हमारी बात को सराहा और मैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूं। इनका एड्रेस था इजराइली एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ 2008 में जब उनकी मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने यह कहा – "I would like to compliment the Government of Rajasthan and the Israeli side for already having in place a project in olive cultivation through a special purpose vehicle. The significance of this initiative lies not only in expeditious implementation but also in devising an innovative mechanism for implementation through a special purpose vehicle. We need out-of-box thinking to translate useful ideas into realities quickly which many a times the plethora of rules and regulations may not permit easily." यह एक बहुत बड़ा काम्प्लीमेंट था अपने आप में और मैं समझती हूं कि इसको ध्यान में रखते हुए अपने को इस जैतून कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना है। किस तरह से बढ़ाया जाये, उसके ऊपर कुछ ब्रेन-स्टॉर्मिंग होनी चाहिये।

फिर साथ-साथ हमने टिश्यु कल्चर लैब की शुरुआत की झालावाड़, गंगानगर में और स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन इन एग्रीकल्चर को इंसेंटिवाइज करने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

की हम लोगों ने कोशिश की। यानी हायर सेकंडरी में कोई पढ़ रहा है और अच्छी तरह से पास करता है तो तीन हजार रुपये उसको मिलते, ग्रेजुएट होता है तो पांच हजार और पोस्ट ग्रेजुएट के लिये दस हजार रुपये हम लोगों ने उनको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की।

हमने जगह-जगह पर डिस्ट्रिक्ट में किसान भवन बनाने की कोशिश की और बनाये। 55 करोड़ रुपया अलग रखकर इनको बनाया। अब मैं सुन रही हूं कि उनको ठेके पर देने की तैयारी हो रही है और फीते काटने के चक्कर में वे अभी तक पड़े हुए हैं। मैं समझती हूं कि इतना काम, इतना पैसा उसमें लगा हुआ है, वे जल्दी से जल्दी हम लोगों को किसानों को दे देने चाहिये, काम करने में उनको लगाने की जरूरत है क्योंकि मैं समझती हूं कि उसका फायदा बहुत लोगों को मिलेगा। स्पेशल मार्केट भी हम लोगों ने चालू किये थे, विशेष मण्डी जहां उत्पादन, विपणन, उचित पैसा किसान को मिले, उसका इंतजाम हो। टर्मिनल मार्केट करीबन 228 हेक्टेयर पर हम लोगों ने खड़ा किया और पैक हाउसेज जो अपने आप में एक इनोवेटिव स्टेप है, एपिडा की मदद से हम लोगों ने चालू किया। यह जो टर्मिनल मार्केट है वह चौमूं में यहां जयपुर में, शाहपुरा में, टोंक में हम लोगों ने खड़े किये परन्तु मल्टी-कूलिंग चैम्बर, नई टेक्नोलोजी के बावजूद भी वे लॉक पड़े हैं। मैं समझती हूं कि जब इतना पैसा उसमें खर्च किया गया है तो उनको जल्दी से जल्दी यूज में लाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन जहां प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग और जहां एक्सपोर्ट, इसमें जीरा और धनिया हम लोगों ने आगे बढ़ाया था और दो तो हमारे बन कर रह गये और जो तीन थे, वह आपके टाइम में रुके पड़े हैं। उनको भी मैं समझती हूं कि जल्दी से जल्दी निकालने की जरूरत है।

ड्रिप इर्रिगेशन पर जो सब्सिडी थी वह 50 से 70 परसेंट हमने दी थी, आपने उसको 90 परसेंट तक बढ़ाया है । परन्तु हमने उसको स्टेट प्लान से निकाल कर वित्त पोषित किया था आपने इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा किया है। मैं समझती हूं कि जितना हम इनको मदद करेंगे, उससे हम लोगों को फायदा ही होगा। राजस्थान की जनता को, किसान को पानी किस तरह से कम से कम इस्तेमाल करके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट उससे मिले, वह जानकारी होती है तो अच्छा ही होता।

एनिमल हस्बेंड्री पर मुझे इस बजट में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह एक बहुत बड़ी जरूरत है हम लोगों के लिये और हमने कामधेनु स्कीम

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

के द्वारा जो नस्ल खतम होती जा रही थी, उन नस्लों को बढ़ावा देने के लिये राठी, थारपारकर, गीर और काकरेच के लिये अलग से फार्म स्थापित किये थे। इसमें ब्रीड कंफर्मेशन, स्पर्म सलेक्शन, मल्टीपल ओव्युलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर के साइंटिफिक मेथड हम लोगों ने चालू करने की कोशिश की थी। उदयपुर और बीकानेर के विश्वविद्यालयों को वित्तपोषित करके उनको भी कहा था कि इस काम में आप लग जाइए। परंतु अभी इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं मिल रही। इसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री में यही नहीं, फिशरीज भी है, पोल्ट्री भी है, कैमल भी है, पिगरी भी है, गोट एंड शीप भी है, यह सब है पर उन पर इस बजट में कुछ नहीं देखने को मिला।

मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जहां पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, राजस्थान में इतने बड़े फेमिन होने के बावजूद भी उस किसान की ताकत इसलिए है क्योंकि वह खाली वैदर पर निर्भर नहीं है बल्कि अपने जानवर पर भी है और उस जानवर की वजह से वह जिंदा रह सकता है। इसलिए उस एरिये को अपने को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और हमने इसको ध्यान में रखते हुए पशुपालक कल्याण बोर्ड का भी गठन किया था।

एक आपने मोनसेंटो के साथ करार किया हुआ है। मैं नहीं कहती हूं, आजकल के प्रतिस्पर्द्धा के जमाने में नई कम्पनीज को लाना और प्रदेश में बसाना या देश में लाना और बसाना, यह तो होना ही चाहिये परन्तु उसके अन्दर हम लोगों ने जो भी इतने सालों से काम किया है, unfettered rights of research, production, distribution of seeds, making it obligatory for research institutions to provide resources and infrastructure to them all, मैं तो नहीं समझती हूं कि इतना अपने को करना चाहिए। वह अपनी ग्रोथ अलग से करें और जो हम लोगों ने अभी तक रिसर्च वगैरह किया है, जिसमें काम किया है, हम अपना सब कुछ उनको दें। ऐसी स्थिति में हम लोगों को नहीं आना चाहिए। इसलिये जो किसान और सब लोग यहां विधान सभा के सामने आये थे, मैं समझती हूं कि उनकी बात को मंत्री महोदय ने सुना और अगर करार कर लिया है तो वह कैसे कह रहे हैं? क्योंकि अगर करार हो जाता है तो फिर उसमें स्टेप-बैक होना तो जरा मुश्किल काम है, परन्तु उन्होंने यह कह दिया है कि मैंने तो डेलीगेशन को यह कह दिया है कि हम उस एग्रीमेंट को होल्ड पर रख देंगे। अब देखेंगे, इसको कैसे अभी तक यह हो सकता है। अगर साइन किया है करार तो मैं सोचती हूं कि वह डिफिकल्ट मामला ही होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आपने यह काम पहले क्यों नहीं कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उनको पता नहीं था।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): पहले आप उसको डाल देते कम्प्यूटर्स पर, आप नेट के ऊपर डाल देते। सबको बुलाकर गोष्ठी कर लेते, बात कर लेते और बात करने के बाद में, क्योंकि इतना बड़ा डिसिजन है, बात करने के बाद उस डिसिजन को जमीन पर लाते। परन्तु यह नहीं करके आप लोगों ने इसमें जल्दबाजी की और इसका नुकसान भी हम लोगों को भुगतना पड़ेगा।

अभी-अभी, यह तो ठीक है, अच्छा हुआ, अभी राजस्थान के अन्दर अच्छी बारिश हुई है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे और मैं भी उनके साथ कहना चाहती हूं कि बहुत अच्छा बाजरा पैदा हुआ। समर्थन मूल्य 880 रुपये था, खरीद की व्यवस्था नहीं की तो किसान को 600 रुपये में अपना बाजरा बेचना पड़ा। दिखावे के लिये कुछ सेंटर्स खोले जरूर परन्तु बाजरे की खरीद नहीं करवाई और इसका नुकसान उस किसान को बीअर करना पड़ा। किसानों को कुछ चीजों की सख्त जरूरत होती है, उसमें खाद है, उसमें बीज है। इन दोनों के अन्दर हमने देखा जब सीजन आया तो किसान दर-दर भटकता रहा। खाद की आवाज जोर-जोर से उठती रही डिस्ट्रिक्ट्स से, बीज भी सही तरीके से उनको मिला नहीं और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कही कि जिस तरीके से बिजली मिला करती थी या मिलनी चाहिए थी, वह बिजली उस तरीके से उन लोगों को नहीं मिल रही है।

जब मैंने दिसम्बर, 2008 के अन्दर आफिस डिमिट किया था तो उस समय जनता को पर्याप्त बिजली मिल रही थी। एक तरफ हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च करके बिजली की खरीद की, दूसरी तरफ उत्पादन के लिये हम लोगों ने नये बिजलीघर भी स्थापित करने का काम चालू कर दिया था और एफ.आर.पी. के द्वारा लाइंस का पुनरुद्धार करके जो छीजत 40-42 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, उसको ठीक करके हमने 24 प्रतिशत तक लाने का बहुत बड़ा काम किया था। अन्फार्च्यूनेटली मैं यह देख रही हूं कि इस बहुत कम समय के अन्दर, डेढ-दो साल के अन्दर आप लोगों ने इसको फिर से 40 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है जो आगे चलकर हमारे प्रदेश के लिये नुकसानदायक होगा। हमने, जब इतना सारा काम हुआ तो इसका फायदा लेकर बहुत सारे कनेक्शंस भी दिये क्योंकि हमको लगता था कि अर्ली 2009 के अन्दर नये-नये हमारे जो ताप बिजलीघर हैं वे सब खड़े हो जाएंगे। परन्तु हमने क्या देखा कि आपने इसकी घोषणा अपने टाइम में कर तो दी, हमने तो अपनी निकाल दी थी, आपने अपनी वेटिंग लिस्ट खतम करने की घोषणा जरूर की परन्तु जब समय आया

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तो किसान का रोना हमको सुनने में मिला क्योंकि डिमांड तो उन्होंने कर दी थी परन्तु तीन महीने, चार महीने, कहीं 8 महीने, 9 महीने तक उनको रुकना पड़ा, उनको उनका कनेक्शन आसानी से नहीं मिला।

पीक सीजन के अन्दर भी हम लोगों ने यह तय कर लिया था कि 72 घण्टे के अन्दर, अगर ट्रांसफार्मर फुंक जाता है तो वह ट्रांसफार्मर उनको 72 घण्टे के अन्दर मिल जाना चाहिए। यहां तो 3-3 महीने निकल जाते हैं परन्तु कोई सुनने वाला नहीं है। यह यहां इस हाउस के अन्दर उठा भी था कि ट्रांसफार्मर के ऊपर मीटर लगाने का यह नया काम आप लोगों ने शुरू किया है। यह समझ में नहीं आता कि अगर वह ट्रांसफार्मर जल जाता है, उसके साथ-साथ मीटर भी जल जाएगा तो इससे किसान के साथ, क्यों किसान के ऊपर पड़ना चाहिए? 3-3 हजार रुपये उस किसान को देना पड़ता है। अगर उसके घर में यह मीटर होता और तब जलता तो अपन कुछ कह सकते थे। फिर यह है कि हमारे समय के अन्दर ए.ईएन. आफिसेज के अन्दर उपकरणों की भरमार लग जाती थी। आपको पोल्स की जरूरत थी, आपको ट्रांसफार्मर की जरूरत थी तो यह सब आराम से ले जा सकते थे। परन्तु यह उपकरण आजकल मिलते नहीं हैं और वह इंजीनियर्स वगैरह हैं, वे कहते हैं, हम क्या करें, हमारे पास हैं नहीं। मैं समझती हूं कि यह इसलिये होता है कि फिर उस किसान से पैसे लेने का काम हो जाता है। नहीं है, शोर्टेज है तो फिर उससे पैसा लिया जाता है। फिर यह कहा जाता है कि ठीक है, हम तो उसको आपके यहां नहीं ले जा सकते, आप अपने ट्रैक्टर, ट्रोलीज के अन्दर यह सब सामान ले जाकर अपने-अपने खेतों के अन्दर डालें। उनसे चार्ज भी लिया जाता है और उनको अपने पैसों से यह सब सामान भी ले जाना पड़ता है। फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि उनकी हालत पर कौन और कब, हम रहम करेंगे।

आपने अपने मेनिफेस्टो में यह कहा था कि बिजली की दर हम नहीं बढ़ाएंगे परन्तु ढाई साल के अन्दर 3-3 बार बिजली की दर बढ़ गई है और इसका नुकसान किसान वहन कर रहा है। 19 से 24 प्रतिशत तक बिजली दरों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा गया है। यह क्वेश्चन में हमने सुना था। यह मैं समझती हूं कि शहरी जनता के ऊपर 5 पैसे प्रति यूनिट दर बढ़ाने का काम, 10 पैसे वाटर टैक्स, 15 पैसा अरबन डवलपमेंट टैक्स, यानी पूरी तरह से उनके ऊपर बोझ डालकर के उनको घुटने के बल डालने की कोशिश हो गई। 36 हजार गांवों के अन्दर हम लोगों ने 20 घण्टे बिजली देने का

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

काम किया था, किसानों को 7 घण्टे तक बिजली मिलती थी। अब तीन या चार घण्टे उनको बिजली मिलती है और वह भी रुक-रुक कर।

पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट कम करने की आपने बात कही थी, तीन बजट के बाद आज तक उसमें कुछ हुआ नहीं है। फसल बीमा का समय पर भुगतान होता नहीं है। मौसम बीमा का अभी सबने कहा, ओलावृष्टि और यह सब दूसरी बातें जो थीं, उनको उसमें लेने की जरूरत थी परन्तु आज तक वह काम नहीं हुआ है। एक काम जब दिल्ली की सरकार ने यह कह दिया था कि किसान का बोझ हल्का करने के लिये हम 50 प्रतिशत सब्सिडाइज्ड उसको करने के मूड में हैं, 25 प्रतिशत दिल्ली की सरकार देगी, 25 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट देगी, फिर किसान का लोड हल्का हो जाएगा। इसको पंजाब ने तो उठा लिया, पंजाब के किसानों को 17 रुपये के हिसाब से डीजल मिलने लगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की इजाजत है कि कार्यसूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12 पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): पंजाब के किसान को 17 रुपये के हिसाब से सब्सिडाइज्ड होकर उनको डीजल मिला परन्तु राजस्थान की सरकार ने तो कह दिया कि हमारा खजाना खाली है, हम पैसा दे नहीं सकते हैं। इसलिये हमारा किसान जो है वह पूरी तरह से उस भार के नीचे मरा।

अब इर्रिगेशन के नीचे आपने 2-4 पैराग्राफ दिये। एक तो आपने जवाई, पाली की बात की। जवाई पाली के अन्दर आपने कहा कि हम सोजत तक पाइपलाइन ले जाएंगे। यह तो आपकी पिछली सरकार के अन्दर डिस्कशन में आ गया था, जवाई, पाली की पाइपलाइन बननी चाहिए परन्तु दो-ढाई साल आपने निकाल दिये, उसके ऊपर डिसिजन नहीं लिया। फिर हमारी सरकार आई,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हमने डिसिजन लिया और पाइपलाइन बनाई। अब यह तो रोज का काम है, यहां से वहां पाइपलाइन बनाना। बागेरी का नाका, बागेरी के नाके से पानी राजसमंद और नाथद्वारा तक, उसमें हमने यह डिसिजन कर दिया था जो फाइल पर है, उसमें हमने यह कहा कि आमेट को कभी-कभी पानी की जब गर्मी के अन्दर प्राब्लम होती है तो वह पाइपलाइन डाली जाए ताकि आमेट को भी पानी हम लोग देंगे। तो उसमें क्या बड़ी बात हुई? वही आपने जोधपुर में भी किया। मुझे समझ में नहीं आता है कि यह छोटी-छोटी बातों को अपन रिपीट करें। यह बजट के लायक तो हैं नहीं, ये तो होती रहती हैं। वह तो डिपार्टमेंट ही, मैं समझती हूं, करें। अभी गर्मी आने वाली है। जयपुर के अन्दर हाहाकार मचने लगा है। आगे भी डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर यह आवाज हमको सुनने को मिलेगी।

मैं खाली एक चीज बताना चाहूंगी आप लोगों कि यह पेयजल का हाहाकार, इसको हटाने के लिये हमने, यह सब आप लोगों ने भी तय किया था, 5,812 करोड़ रुपये की 38 योजनाओं को एप्रूव कर दिया गया था, उनमें सिर्फ 8 योजनाएं पूरी हुई हैं चार सौ करोड़ की। ये सब हमारी योजनाएं जो भी हैं, वे रद्दी में डाल दी हैं। आज योजनाओं के लिये पैसा नहीं है, खर्च कर नहीं पा रहे हैं। इसलिये इस दयनीय स्थिति पर अपन आकर रह गये हैं।

मैं इतना ही लास्ट में इन मुद्दों पर कहना चाहूंगी, जिसमें पानी-बिजली का काम है उसमें इतना ही कहना चाहूंगी कि 2011-12 के अन्दर आपने प्लान आउटले पावर के लिये 12 हजार करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है। जनरेशन के अन्दर, 2011-12 के अन्दर गवर्नमेंट जनरेशन और प्राइवेट जनरेशन को अगर हम मिला लें तो करीबन 2600 कुछ मेगावाट हम पैदा करने जा रहे हैं। 2009 के अन्दर सूरतगढ़, कोटा थर्मल, छबड़ा, मरुधर पावर और विंड पावर को अगर हम ले लें जो अब कम्पलीट हो चुके हैं, ये सब प्लांट्स बी.जे.पी. गवर्नमेंट ने दिसम्बर, 2008 के अन्दर नीयरिंग कम्प्लीशन पर छोड़ दिये थे, अब वे कम्प्लीट हो गये हैं। यह करीबन एक हजार मेगावाट था। 2010 के अन्दर छबड़ा, जालिपा कपूरडी, बरसिंगसर और विंड, यह भी हमने अपने रिजीम के अन्दर स्टार्ट किये थे और ये भी अब कम्प्लीट हो गये हैं। यह हजार मेगावाट

(17.00 बजे)

है। फिर 2012 के अन्दर कालीसिंध और जालिपा कपूड़ी, ये करीबन 2 हजार, ये भी हम लोगों ने चालू किये थे और ये भी 2012 के अन्दर तैयार हो जाएंगे।

आपने सरकार डिमिट की थी, आफिस डिमिट किया था 2003, नवम्बर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

के अन्दर और आपने गिरल की 125 मेगावाट की एक, यानी थर्मल पावर प्लांट छोड़ा था और वह भी फाइनेंशल सैंक्शन की स्टेज के अन्दर। अगर हम लोगों ने यह सब काम नहीं किया होता तो मैं समझती हूं कि राजस्थान पावर के क्षेत्र में अंधेरे में पड़ा होता। जब हम लोगों ने आफिस डिमिट किया तो हमने 4,100 मेगावाट पावर पाइपलाइन के अन्दर छोड दी थी। यही तो डिफरेंस है। 125 मेगावाट आपका और 4100 मेगावाट हम लोगों का। यह है डिफरेंस हम लोगों के बीच में। और मैं समझती हूं कि यह अगर हम यह नहीं कर देते तो अंधेरे में रहता राजस्थान।

अब आपने यह किया है कि दो पावर प्लांट्स छबड़ा के जो 2012 में और रामगढ़ के आ जाएंगे तो 660 मेगावाट आप पैदा करोगे और साथ-साथ में आपने यह कहा है कि हम चार सुपर-क्रिटिकल प्लांट्स लाने वाले हैं। ये सुपर-क्रिटिकल प्लांट्स छबड़ा, एस.टी.पी.एस., बांसवाड़ा और कवाई के अन्दर पांच हजार मेगावाट पैदा करेंगे। परन्तु जब कोल की ही अवेलेबिलिटी नहीं है, जब यह कुछ भी आपके सामने नहीं है, जब सरकार के अन्दर झगड़े चल रहे हैं दिल्ली के अन्दर तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह इसका काम चालू नहीं, इसका टेंडरिंग नहीं, यह कोई भी 2015 के पहले-पहले नहीं आ सकता तो इसके बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है। या तो ठोस काम हो या फिर कोई मतलब नहीं है बात करने का।

शिक्षा के ऊपर मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर आप शिक्षा को देख लें तो माध्यमिक स्कूल्स जो क्रमोन्नत हुए थे, वे हमारे करीबन 4009 कम्प्लीट हुए थे और आपके टाइम में करीबन 1900 हुए; सीनियर सेकंडरी करीबन एक हजार, करीबन थे 1050, आपने 2011 तक दो क्रमोन्नत किए हैं, सिर्फ दो; और जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स खोले गये थे वे करीबन 28 हजार हमने खोले थे, आपने शून्य, यह तीन साल के अन्दर; और न ही आपने किसी भी मिडल को क्रमोन्नत किया, वह भी शून्य है। यह है परिस्थिति अभी राजस्थान सरकार की।

मैं यह कहना चाहूंगी कि मिडडे मील एक बहुत स्पेशल सब्जेक्ट था हम लोगों का। आप तो घूघरी खिलाते थे लोगों को। हम लोगों ने सबसे बात करके एवरी डे कोई नई मेन्यू का इन्तजाम करते हुए बच्चों के ड्राप-आउट को रोकने के लिए स्कूल का इंतजाम किया, गर्म खाने का इंतजाम किया। परन्तु आज जिस पैशन के साथ उसमें काम होता था, वह पैशन हमको दिखाई नहीं देता है और ड्राप-आउट्स बच्चों के हो रहे हैं। शिक्षा का महकमा थोड़ा-सा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सेंसिटिव होकर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को दे देते जो कहीं नर्सों के बारे में नहीं, अध्यापकों की पत्नियों के बारे में नहीं, अध्यापकों के नहीं, कोई ऐसी अमर्यादित टिप्पणी नहीं करता तो मैं समझती हूं कि वह सेफ एंड सिक्योर हैंड्स में पहुंच जाता तो बहुत अच्छाहोता।

आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सात लाख बच्चियां स्कूल्स में नहीं जा रही हैं। उनमें 6 से 14 साल तक की 4 लाख बच्चियां एक बार भी स्कूल नहीं गई हैं और तीन लाख बच्चियां पढ़ाई करने गई थीं और उसमें से फिर ड्राप-आउट हो गईं। राइट-टू-एजुकेशन की अगर अपन लोग बात कर रहे हैं तो महिला साक्षरता थी, 35.6 परसेंट से घटकर 35.2 परसेंट पर आ गयी है और अभी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। मैं तो समझती हूं कि यह जो आप ट्रैकिंग कर रहे हैं एम.एम.आर. के, ड्राप-आउट रेट्स के, आप अगर अपनी बजट घोषणाओं की ट्रैकिंग कर लेते और उनको सही टाइम पर अगर करा देते तो मैं समझती हूं कि यही आधी प्राब्लम हम लोगों का वहीं साल्व हो जाती।

फिर आप रोड्स के ऊपर आइए। रोड्स के अन्दर हमारा बहुत ही सराहनीय काम हुआ है। हमारे पांच साल के कार्यकाल के अन्दर 9,900 गांव जोड़े गए थे, करीबन 66,000 किलोमीटर नए निर्माण और रिन्युअल हुए थे, करीबन 30 हजार किलोमीटर पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत नई सड़कें बनी थीं और करीबन दस हजार करोड़ रुपये राशि उसमें खर्च हुई थी। धार्मिक स्थल, शहरों के अन्दर गौरव पथ, यह सब बन गए थे। सबसे बड़ी बात मैं समझती हूं कि हमारा एचीवमेंट जो पी.पी.पी. के अन्दर हम लोगों ने यह तय किया कि प्राइवेट कम्पनी के साथ हम लोग करार करें और करार करके एक नई कम्पनी बनायें, जिसका रिडकोर नाम था, जिसको हम करीबन हजार किलोमीटर स्टेट राजमार्ग, जो भी हैं, को देकर और उनको मेगा हाइवे तक उनको कन्वर्ट करने की एक योजना उनके सामने रखें, यह बहुत अच्छी तरह से क्रियान्विति इसकी हुई। करीबन हजार किलोमीटर रोड्स बिलकुल सही समय पर बनीं दो साल के अन्दर और जिस क्वालिटी के साथ वे बनी हैं, मैं समझती हूं कि यदि किसी ने भी उस रास्ते के ऊपर सफर किया होगा तो वह मानेगा कि वह बहुत अच्छा हुआ। परन्तु दो साल के लिए आपने उस कम्पनी को राजस्थान से रवाना किया। हमने काम चालू करवाया था तो इसलिए तो उस कम्पनी से तो कराना ही नहीं है। दो साल आपने इस तरीके से खराब कर दिए। पांच प्रोजेक्ट्स हमारे नए पड़े हुए थे, बिलकुल तैयार जिनकी उपयोगिता, फीजिबिलिटी सब लेकर हम

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लोगों ने ...(व्यवधान) लगाये थे। अब better sense has prevailed, तो अब आपने उनको वापस बुलाया है, उनसे बातचीत की है और मैं समझती हूं कि आने वाले समय के अन्दर वे फिर से काम करने की स्थिति में आ जाएंगे। चलो देर आए, दुरुस्त आए; यह बहुत अच्छी बात है।

फिर अलग से एक लाइवलिहुड मिशन हम लोगों ने शुरू किया था क्योंकि हमको समझ में आया कि इतने सारे बच्चे पढ़कर निकल कर आ रहे हैं, वे जब निकल कर आ रहे हैं तो उनको नौकरी का इंतजाम करवाना चाहिए। लाइवलिहुड मिशन अब नए नाम से आपने प्रोड्यूस किया है। रोजगार का और स्कील डवलपमेंट का काम, इसके अन्दर सीखने का काम था और इसके साथ-साथ नालेज कारपोरेशन की भी स्थापना हम लोगों ने की जो अब राजस्थान के अन्दर अच्छी तरह से फैल गया है और जिसका फायदा हमारे बच्चों को मिल रहा है।

रोजगार मेले भी बहुत हुए अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर हुए और उनका फायदा उन डिस्ट्रिक्ट्स को भी मिला और हमारे समय के अन्दर करीबन 14 लाख लोगों को सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियां उपलब्ध हम लोगों ने करवाईं। आपने अपने बजट के अन्दर बार-बार यह हमको कहा है कि दो लाख नौकरियों का हम आश्वासन देते हैं परन्तु यह ढाई साल निकल गये, अभी तक तो नौकरी और रोजगार के नाम पर शून्य ही शून्य दिखाई दे रहा है और बेरोजगार बच्चों की संख्या बढ़ी है। बेरोजगार बच्चों के लिए बेरोजगारी का भत्ता हमने अलग से दिया था और इसमें यह तय किया था कि यह दो साल के लिए हम देंगे। उन बच्चों को जो पढ़े हैं, लिखे हैं और जिनको नौकरी नहीं मिल रही है तो वे भार अपने परिवार के ऊपर नहीं बने, ऐसा सोचकर उनको दो साल के लिए बेरोजगारी भत्ता हमने चालू किया था परन्तु अन्फार्च्यूनेटली वह भी बंद हो गया है। मैं समझती हूं कि यह है पायनीयरिंग स्टेप, हमने अगर अपने युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ऐसा नहीं हो कि नोर्थ-ईस्ट जैसे विद्रोह की स्थिति हमारे बच्चों के अन्दर आ जाए क्योंकि राज्य अगर बच्चों की आशाओं को पूरा करने में असफल रहता है तो इसी तरीके से फूट-फूट कर प्राब्लम्स हमारे सामने आएंगे।

इंडस्ट्री के ऊपर भी हम लोगों ने क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाता है, जब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पर आ जाता है तो फिर यह जरूरी है कि इंडस्ट्री को अपन ग्राउंड करें राजस्थान के अन्दर जिसका फिर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हमारे लोगों को फायदा मिले। तो इसको सोचकर 'रिसर्जेंट राजस्थान' का हमने एक बहुत बड़ा आयोजन किया और विश्व के मानचित्र पर राजस्थान की एक नई पहचान बनाने का काम चालू किया। सफल से सफल उद्योगपति हमारे यहां पर आए और उन्होंने करीबन एक लाख साठ हजार करोड़ रुपए का निवेश थ्रू एल.ओ.आईज. एंड एम.ओ.यूज. हमारी राजस्थान सरकार के साथ बनाये हैं। 30 से 35 हजार करोड़ रुपए का वर्ष 2008 के अन्दर यह निवेश हो गया था और 30 और 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रक्रिया में था। 2009 में अगर थोड़ी सी हम लोगों ने कोशिश कर दी होती तो फर्स्ट सिक्स मंथ्स आफ 2009 के अन्दर हम इसको जमीन पर ला सकते थे। 70 हजार करोड़ आउट आफ 1,60,000 करोड़ हमने अगर जमीन पर लाया है तो मैं समझती हूं कि अपने आप में ही यह एक बहुत बड़ा एचीवमेंट था। 25 हजार करोड़ रुपए सेज में लगने के थे, 15 हजार करोड़ रुपए जैसलमेर के कुछ सीमेंट प्लांट्स के लिए थे, उनको भी अगर फालो-अप कर दिया होता तो मैं समझती हूं कि वह भी हो जाता। 1,10,000 करोड़ रुपये, यह जमीन पर आ जाते। आज यही उद्योगपति जिन-जिन ने अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर दी है वह तो ठीक है परन्तु दूसरे राजस्थान को छोड़-छोड़कर वापस जा रहे हैं। फिर बजट के अन्दर मैंने देखा कि उद्योग के लिए कोई ठोस नीति नहीं है परन्तु हमने 2008 के अन्दर तीन तो आई.टी. प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड किया। 2008 में करीबन सेंट गोबेन का, इतनी बड़ी फैक्टरी उनको लाकर ग्राउंड किया और होंडा सिएल का काम भी, यानी उन्होंने चालू भी कर दिया। हां, आपने उसके अन्दर एक जरूर काम किया है कि उस होंडा सिएल की उसी जमीन, जो उनकी जमीन थी, उसी जमीन के अन्दर 40 करोड़ की मोटर साइकल की फैक्टरी आपने लगाने का काम कर दिया। यह बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको धन्यवाद है। परन्तु ये सब फीते आपने काटे हैं। मेरे को तो, मैं यह कहना चाहती हूं कि जब राज सम्भालने का मौका मिला तो मेरे को तो यह गुड फार्च्यून तो नहीं मिला। अदर एग्जाम्पल्स जो थे, एन.आई.आई.टी, इक्सबी, मनिपाल, महिन्द्रा सेज, दो क्या, बहुत सारी थीं, पर मैं दो का नाम ले रही हूं, लाफार्ज और कुमार मंगलम बिड़ला वाली जो सीमेंट की फैक्टरी यह सब फैक्टरीज ग्राउंड हुई हैं और यह अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था।

मेडिकल के अन्दर यह एक बहुत जरूरी काम था, क्योंकि हमने आते ही यह सोचा कि अगर एस.एम.एस हास्पिटल को हम ठीक कर सकते हैं तो अपने आप में उसका मेसेज पूरे प्रदेश के अन्दर जायेगा। एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हास्पिटल है और अगर हम लोग खुद उस हास्पिटल के अन्दर नहीं जा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सकते तो बेचारे गरीब को क्यों उस हास्पिटल के अन्दर भेजेंगे? यह सोचकर हम लोगों ने उस पूरे तंत्र को, प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने की कोशिश की। सबसे पहले हमको यह बताया गया कि ओ.पी.डी. और डायग्नोस्टिक उसी हास्पिटल के अन्दर है तो उसकी वजह से वहां भीड़ होती है। उस भीड़ को डि-कंजेस्ट करने के लिये ओ.पी.डी. को बाहर करो, तो बाहर किया। आज आपने ट्रोमा की बिल्डिंग वहां चालू कर दी, परन्तु डायग्नोस्टिक की बिल्डिंग हास्पिटल रोड के ऊपर आने की थी, मैं समझती हूं वह अगर हो जाता है तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है।

कैंसर और थेलेसीमिया के पेशेंट रात को वहां आकर रुकते थे, रात रुककर, पूरा दिन रूककर फिर बाहर जाते थे। उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमें डे-केयर सेंटर दे दीजिये। तो नि:शुल्क देकर डे-केयर सेंटर का हम लोगों ने वहां किया और आकर अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कीमो-थेरेपी कराकर वापस जाया करते थे। नये आपरेशन थियेटर का निर्माण हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यह थी कि अंडरग्राउंड पार्किंग का इन्तजाम हम लोगों ने किया ताकि बाहर की जो भीड़ है गाड़ियों की वजह से, लोगों के चलने की वजह से, वह भीड़ समाप्त हो गयी, पार्किंग अंडरग्राउंड स्थिति में आ गयी।

पार्क में ग्रीनरी और दूब सब लग गये ताकि हास्पिटल में कोई जाता है तो वैसे ही डर लगता है मन के अन्दर, वहां ग्रीनरी दिखाई देती है तो इतना बुरा नहीं लगता और सफाई का इन्तजाम हम लोगों ने वहां करवाया। रिसर्च का काम चालू किया। इंडिया में वन आफ द फर्स्ट स्टेम सेल रिसर्च, एक बहुत बड़ा काम चालू कर दिया है। सैटेलाइट हास्पिटल की व्यवस्था के अन्दर हम लोगों ने सुधार करवाया और इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा देकर आप लोगों ने अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश की है परन्तु वे आलरैडी सक्षम तरीके से उभरकर आ रहे थे। मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने इसके अन्दर मदद की थी।

मानसरोवर में नया हास्पिटल बनाया था, आपको याद है, नया हास्पिटल बनाया परन्तु वह चालू ही नहीं हुआ। उसको चालू ही कर देते, और कुछ नहीं तो और मैं समझती हूं, उसमें कुछ ज्यादा लगता नहीं। मैं सुन रही हूं कि उसको आप लोग कहीं प्राइवेट पीपीपी मोड पर देने के पक्ष में हैं।

डा. देवी शेट्टी से बंगलौर में जाकर हमने मुलाकात की और उनसे आग्रह किया, आप प्लीज जयपुर आयें। वह हम लोगों के कहने पर जयपुर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आये, उनको जमीन दी और आज मुझे बड़ी खुशी है कि उनका हास्पिटल बनकर तैयार हो गया, जिसका फीता आपने काटा। मुझे बड़ी खुशी है कि वह चल पड़ा है जिससे राजस्थान के लोगों को उसका फायदा मिलेगा।

टेली-मेडिसन पहले की शुरुआत थी परन्तु आजकल वह बंद पड़ी हुयी है। एम्बुलेंस सेवा-108 एक नया प्रयोग था। 154 एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने की। आपने दो बजट में यह कहा कि 150-150 एम्बुलेंस आप बढ़ायेंगे परन्तु 50 एम्बुलेंस से ज्यादा अभी तक बढ़ नहीं पाये। पैरा-मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ की भर्ती, नर्सिंग कालेज की स्थापना, अमेरिका के नोर्थ-शोर हास्पिटल से टाई-अप, झालावाड़ के अन्दर मेडिकल कालेज और कोटा के अन्दर इतना सुंदर मेडिकल कालेज और विस्तार, नये हास्पिटल की नई बिल्डिंग का विस्तार हम लोगों ने किया है। मैं समझता हूं कि इसका भी बहुत बड़ा हाथ था। उसको बढ़ाने का काम अगर आप लोग करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसा नहीं होना चाहिये जैसे जोधपुर में हो रहा है कि आपके थियेटर के अन्दर गंदगी, आपके उपकरण हैं, उनमें गंदगी। किसी की जिन्दगी सेफ नहीं है। ऐसी स्थिति किसी के लिये नहीं होनी चाहिये, क्योंकि गरीब आदमी तो गरीब है, वह किसके सामने जायेगा, कहां हाथ जोड़ेगा? यह हास्पिटल अगर हम लोग तैयार कर देंगे तो फिर आगे चलकर प्राब्लम हमें नहीं होगी।

अल्पसंख्यकों की पीड़ा, मैंने इतना सुना, इतनी आप लोगों ने बात कही है, बिलकुल सही कह रही थीं आज, कामां से आई माननीय सदस्या कह रही थीं कि हज हाऊस का शिलान्यास हम लोगों ने कर दिया था, बना तो दो। वह इतने दिन से पड़ा हुआ है, आप उसको बना दीजिये। मदरसा टीचर लगवायें। आपने यह कहा कि 2,500 मदरसा टीचर हम लगवायेंगे परन्तु एक को भी अभी तक नौकरी नहीं मिली है। हम लोगों ने कम्प्यूटरीकृत करवाया और सब बोर्डों में नियुक्ति दी, उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया। आज वह सब खाली पड़े हुए हैं। उनको ही भरवा दीजिये, और कुछ नहीं तो।

अलीगढ़ की उर्दू डिग्री को मान्यता देने का वादा किया था, परन्तु पचास हजार ऐसे डिग्रीधारी युवक रोजगार के लिये इधर-उधर घूम रहे हैं, उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। और हाजियों को कितना कष्ट हुआ है इस साल, मैं तो सुन-सुनकर थक गयी हूं। उनका कहना यह है कि हमको जो सामान मिलना चाहिये था, वह हमको नहीं मिला। निर्धारित विमानों की यात्रा महंगी हो गयी, जिसमें हमको जाना चाहिये था उसमें हम नहीं जा पाये।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिये जो 950 करोड़ रुपये दिये थे, वह क्योंकि आपने प्रस्ताव नहीं भेजे, वह पूरे के पूरे पैसे लैप्स हो गये। योजना आयोग की डा. सईदा हमीद 21 अक्टूबर, 2010 को जयपुर आई थीं और उन्होंने यह कहा कि राजस्थान में अल्पसंख्यक अन्य राज्यों के मुकाबले पिछड़े हुए हैं। अब इनका अपने को कुछ करने की जरूरत है। सरकार करे तो मैं समझती हूं अच्छा होगा। मुझे लगता है कि इस सरकार ने सोच रखा है कि जो भी मुसलमान है, यह हमारे जेबी वोट हैं। यह जायेंगे कहां? आपने जो बीजेपी का हव्वा बनाकर रखा है तो डरा-डराकर तथा बी जे पी के पास मुसलमान मुड़कर देखेगा नहीं, इसलिये तो हमारे पास रहेंगे और क्योंकि हमारे पास रहेंगे तो इनके लिये कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली डराते रहो बस इनको। मेरा आपको बताना है कि अब वे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने अच्छी तरह से देख लिया है कि कौन कहां फायदा दे रहा है और वे किसी के जेबी वोट बनने वाले नहीं हैं। वे विवेक के साथ अपने वोट देते हैं, देंगे और मैं समझती हूं, इसका फायदा बी जे पी को मिलेगा, जिसने काम किया है उसको मिलेगा।

कर्मचारियों को हमारे टाइम में बोनस, सरेण्डर लीव, जो आपने बंद कर दी थीं, वह सब हमने शुरू की। पांच दिन का सप्ताह, आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की और केन्द्र की घोषणा के एक हफ्ते के अन्दर हमने छठा वेतन आयोग लागू कर दिया। कितने सारे टीचर्स और पैरा-टीचर्स, लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी, मेडिकल के संविदाकर्मियों को भी नियमित किया। यहां अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, वही प्राब्लम आपके सामने हो रही है। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, कई कर्मचारी साल-साल भर से तनख्वाह के लिये तरस रहे हैं और फिर वही पुराने ढर्रे पर कर्मचारियों को कोसना, बाबू पर बरसना कि जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक बाबू फाइल को सरकाता नहीं है। जब भी आपकी सरकार बनी तो मैं समझती हूं कि एक कर्मचारी आलमोस्ट एवरी-डे पिट रहा है और ट्रांसफर उद्योग के क्या कहने, वह तो ऐसी जोरदारी से चल रहा है कि अख़बार वाले क्या, सब लोग उसके बारे में लिखा-पढ़ी कर रहे हैं।

फिर आप आइये कानून-व्यवस्था पर। गृह मंत्री महोदय, अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा चेन खींचना एक बहुत बड़ी बात थी, हैडलाइन बनाता था वह। आज मैं खाली आपको टेबल बताती हूं, अपहरण की वारदातें 29 प्रतिशत बढ़ गयी हैं, अपहरण एवरी-डे 8 के हिसाब से चल रहे हैं, हत्या प्रतिदिन 4 तक पहुंच

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

गयी हैं, बलात्कार 14 प्रतिशत बढ़ गये हैं, महिला उत्पीड़न 36 प्रतिशत, महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अपराध प्रदेश की राजधानी में देश में तीसरे स्थान पर, आदिवासी उत्पीड़न में देश में दूसरे नम्बर पर, दलित अत्याचार में देश में दूसरे नम्बर पर। यह मुकुल वासनिक कहकर गये हैं। हर्षित हत्याकाण्ड का आज तक आपको सुराग नहीं लगा है। बच्चा आया स्कूल से, मर्डर कर दिया। कौन ने किया, क्या हुआ, उसका कोई मतलब नहीं। पुलिस कंट्रोल रूम और थानों के सामने नरमुण्ड कट-कटकर फिंक रहे हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। यह तो अभी चेन पर ही लग रहे हैं हम लोग। जेल में जेलर की हत्या हो रही है, वह भी जोधपुर के अन्दर। हर दिन कहीं न कहीं एक पुलिसकर्मी पिट रहा है और मंत्री के भाई ने प्रोफेसर की कनपटी पर बंदूक तान दी, विधायक के बेटे की हत्या हो गयी, बीकानेर में युवक कांग्रेस के नेता की हत्या हो गयी, मंत्री की आंखों में किसी ने मिर्ची झोंक दी। 65 हजार अपराधी एब्सकोंडिंग जयपुर में ...(व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। (व्यवधान) प्लीज, आप बीच में इंटरवीन नहीं करें।

डा. राजकुमार शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री): विपक्ष की माननीय नेता को असत्य बात नहीं बोलनी चाहिये। सदन के अन्दर यह साफ लिखा हुआ है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाइये। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री): नहीं, इस बात का आप सबूत दीजिये। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, सबूत दीजिये। (व्यवधान) इस बात का सबूत देना पड़ेगा इनको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम भी नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री): माननीय विपक्ष की नेता से कहना चाहूंगा कि साफ लिखा है कि कोई भी असत्य नहीं बोलेगा..(व्यवधान) आप कैसे असत्य आरोप लगा सकते हैं? (व्यवधान) आप इतनी विद्वान लेडी हैं, आप इतनी विदुषी महिला हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपकी फोटो छपी है अख़बार में। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री): आपको सोचना चाहिये कि एक मंत्री के भाई ने प्रोफेसर पर ...(व्यवधान) आप इसको प्रूव कीजिये। राजकुमार शर्मा तैयार हैं। (व्यवधान) ऐसी असत्य बातें कहकर सदन को गुमराह करना आपको शोभा नहीं देता। (व्यवधान) आपको शोभा नहीं देता... (व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अख़बार में है। (व्यवधान) आपकी फोटो छपी है अख़बार में। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री): आपको शोभा नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सरंक्षण चाहता हूं। असत्य बात बोलकर माननीय विपक्ष की नेता इस सदन को गुमराह करना चाहती हैं। इस बात की सच्चाई पता लगवाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह सदन नहीं चलेगा ऐसे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. राजकुमार शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है। कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। राज्य मंत्री महोदय, आप विराज जाएं। कृपया शांति बनाइये। मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करें, मर्यादा रखें, उसके बावजूद भी, मुझे बड़ा खेद है, इस प्रकार का वातावरण नहीं बनना चाहिए। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): जयपुर में डकैती की वारदातें 27 प्रतिशत बढ़ीं और कृषि मंत्रीजी के मकान के सामने से कार चोरी हो गयी। गुजरात की महामहिम राज्यपाल श्रीमती कमलाजी का वाहन चोरी हो गया। वह चोरी का रिकार्ड इस सरकार के नाम हो गया। आई जी के घर में चोरी हो गयी। कामां से आने वाली माननीय सदस्य के घर में चोरी हो गयी। गृह मंत्रीजी के बैग में जिन्दा कारतूस निकले और अमीन खां साहब बिलकुल सही कह रहे थे कि वे बेचारे उस स्थिति में होते तो जेल में होते।

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि राजस्थान में कानून और शासन नाम की चीज नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं किया गया। मंत्रीजी का भी अंकित नहीं किया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

एक माननीय सदस्य: ×××

सदन कूप में प्रवेश व नारेबाजी

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.27 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई)

(17.57 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में जोर-जोर से बोलना जारी)

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य, कोई टोका-टिप्पणी नहीं की। (व्यवधान) यह नाटक करते हैं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): कुत्ते को गोली किसने मारी? अध्यक्ष महोदय, कुत्ते को गोली किसने मारी ? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सदन जानना चाहता है कि कुत्ते को गोली किसने मारी, क्यों मारी? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सदन जानना चाहता है कि कुत्ते को गोली किसने मारी और क्यों मारी ? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सुनो तो सही कम से कम। (व्यवधान)

(18.00 बजे)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह कुत्ते वाला मामला तो समझाओ, अध्यक्ष महोदय, यह कुत्ते पर गोली क्यों चलाई?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कुत्ते को गोली क्यों मारी? (व्यवधान) कुत्ते पर गोली क्यों चलाई?

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, सदन को आर्डर में लेकर आओ आप। (व्यवधान) इन्होंने तो अपनी बात कह दी, सदन के नेता महोदय को बोलना है। (व्यवधान) अमर्यादित है, मानहानिकारक, ऐसे कोई शब्द हैं, एक्सपंज कर दो लेकिन सदन को चलाओ। सदन के नेता महोदय को बोलना है और आज महत्वपूर्ण ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): कुत्ते को गोली किसने मारी? कुत्ते को गोली

(श्री महेन्द्र चौधरी)

किसने मारी? (व्यवधान) सदन जानना चाहता है कि कुत्ते को गोली किसने मारी।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): कुत्ते को गोली मारने वालों का सत्यानाश हो।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुत्ते को गोली किसने मारी, क्यों मारी?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अध्यक्ष महोदय, हम हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं, बताओ, कुत्ते को गोली क्यों मारी?

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुत्ते को गोली क्यों मारी?

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): कुत्ते को गोली मारने वालों का सत्यानाश हो ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): कुत्ते को गोली किसने मारी?

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुत्ते को गोली किसने मारी, क्यों मारी?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.02 बजे आधा घण्टे के लिए स्थगित हुई)

(18.32 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.33 बजे आधे घण्टे के लिये स्थगित हुई)

(9.03 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.03 बजे आधे घण्टे के लिये स्थगित हुई)

(19:33 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आप एक मिनट पधारो तो सही। आप पधारो तो सही वहां पर। (व्यवधान) इसको दिखवा लेते हैं कि क्या मानहानिकारक है, क्या असंसदीय है, यदि ऐसी बात होगी तो उसको देखकर व्यवस्था दे दी जाएगी। आप प्रतिपक्ष की नेता को बोलने तो दो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: आप सदन में बोलना चाहते हैं? मैंने आपको बोला है कि अगर कोई असंसदीय शब्द होगा, मानहानिकारक होगा, उसको देखकर उसकी व्यवस्था दे दी जाएगी पर आप सदन तो चलने दो। सभी लोग प्रतिपक्ष की नेता महोदया को सुनना चाहते हैं, सभी माननीय सदस्य सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री नगराज (धरियावद): ×××

एक माननीय सदस्य: ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

(20.00 बजे)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री सभापति: संसदीय कार्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी, आप तो विराजिये। (व्यवधान) ये कुछ भी कहें, आप विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री सभापति: एक मिनट, सचेतक महोदय, आप मेरी बात सुनेंगे? आप सुनो एक मिनट। आप सुनो, मेरी बात तो सुनो। (व्यवधान) आप एक मिनट शांत तो रहो ना। आप शांत तो रहो ना। (व्यवधान) मैं व्यवस्था दे रहा हूं ना। आप एक मिनट सुनेंगे नहीं? (व्यवधान) आप सुनिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप सदन चलाना चाहते हो ना? आप सदन चलाना चाहते हो ना? आप सदन चलाना चाहते हो ना? (व्यवधान) प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आप कह रहे हो कि सदन चलाना चाहते हैं। माननीय राठौड़ साहब, आप अभी कह रहे हो कि सदन चलाना चाहते हैं। (व्यवधान) मैं सारी कार्यवाही को देख लेता हूं। अगर प्रतिपक्ष की नेता महोदया, के सम्मान में कोई भी शब्द गलत बोला गया है, प्रतिपक्ष की नेता महोदया, के सम्मान में अगर कोई भी शब्द गलत बोला होगा,

(श्री सभापति)

असंसदीय होगा, अमर्यादित होगा, मानहानिकारक होगा या कोई ऐसी टिप्पणी होगी तो मैं उसकी व्यवस्था दूंगा। (व्यवधान) आप वहां तो विराजो, आप वहां तो विराजो। आप वहां विराजो तो सही। आप पहले वहां विराजो तो सही। (व्यवधान) मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, अगर प्रतिपक्ष की नेता महोदया, के सम्मान में कोई ऐसी बात गृह मंत्रीजी ने कही होगी जो मानहानिकारक होगी, असंसदीय होगी...(व्यवधान) मैं पहले देखूंगा तो सही। माननीय सदस्य, आप सदन चलाना चाह रहे हो ना? आप सदन चलाना चाह रहे हो? (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने अभी क्या बोला, आपने सुना ना। आपने सुना ना। (व्यवधान) आप अपने आसन पर तो पधारो। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: मैं आपको कह रहा हूं, आप पधारो तो सही ना। आप मेरे को देखने दो। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

माननीय सदस्य, सचेतक महोदय, माननीय सचेतक महोदय, प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, माननीय सदस्य, थोड़ा इधर रहो। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री सभापति: अच्छा, आप विराजो। माननीय सदस्य, एक मिनट, विराजो आप। (व्यवधान) सचेतक महोदय, मैं आप पर विश्वास कर लेता हूं। आप एक बार सुनो तो सही। आप सदन को चलाना चाहते हो ना? (व्यवधान) आप एक मिनट सुनो तो सही। आप सुनोगे नहीं? आप यह बता दो, मैं तो आप पर विश्वास करता हूं। (व्यवधान) आप बता दो, यदि ऐसी बात बोली जिससे इनसे माफी मंगवाई जाये, आप वह चीज बोल दो, आप बोल दो, मैं आप पर विश्वास करता हूं। मेरा आप पर विश्वास है, आप पर विश्वास है। मैं निर्देशित कर दूंगा गृह मंत्रीजी को। (व्यवधान) आप मुझे बता दो। माननीय सदस्य, मैं तो आप पर विश्वास कर रहा हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में निरन्तर भारी व्यवधान)

(श्री सभापति)

आप, माननीय सदस्य, मैं तो आप पर विश्वास कर रहा हूं। आप कह रहे हो माफी मंगवा दो, मैं वह व्यवस्था भी दे दूंगा लेकिन ऐसी क्या बात है जो कि मानहानिकारक है, जो कि असंसदीय है? आप बता दो, मैं माफी भी मंगवा कर सदन चलवा दूंगा। बताओ। (व्यवधान) आप बता तो दो ना। मैं नहीं था उस वक्त सदन में। (व्यवधान) तो मैं यही पूछ रहा हूं, क्या ऐसी बात बोली? तो फिर मैं देख लूं या फिर मुझे देखने दो आप। आप कह रहे हो न, माफी मांग कर सदन चलाने के लिए। (व्यवधान) अच्छा, यह बात है। नहीं, मैंने सुना कि कोई ऐसी टिप्पणी कर दी हो जो मेरे सुनने में नहीं आई हो। या तो मैं वह देखूं कार्यवाही। (व्यवधान) मान-मर्यादा से ही मैंने पूछा है आपसे। (व्यवधान) मैं मान-मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही आपसे निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सभापति: सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.13 बजे आधा घण्टे के लिए स्थगित हुई)

(20.43 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

(21.00 बजे)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी।)

श्री सभापति: सदन की बैठक आधे घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.03 बजे आधे घण्टे के लिये स्थगित हुई)

(21.33 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: जो भी असंसदीय है, जो भी मानहानिकारक है, वह तो एक्सपंज करने के निर्देश दे चुके हैं। दे चुके हैं वह तो।

(माननीय सभापति द्वारा अंकित नहीं करने के लिये हाथ द्वारा संकेत किया गया)

सदन की बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.35 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित हुई)

(21.50 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए। कृपया आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज साढ़े तीन घंटों से गतिरोध चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गतिरोध का कारण है, ...(व्यवधान) सदन की कुछ परम्पराएं हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिए। अपने-अपने स्थान पर कृपया विराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सदन नियमों से चलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया था कि नेता, प्रतिपक्ष बोलें, सदन के नेता बोलें तो आपस में टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आपके आदेशों की पालना हो रही थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रतिपक्ष की नेता अपनी बात कह रही थीं और उसी बीच में संसदीय कार्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है सदन को चलाने की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही चलने दें। कृपया विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की, मैं समझता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया विराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इससे न केवल आसन ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सर्वोच्च, जो सर्वोच्च आसन है, उसका अपमान हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया विराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की टीका-टिप्पणी करके ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तीन घंटे इसमें व्यतीत हो गये हैं, कोई अर्थ नहीं निकला। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और जो संसदीय कार्य मंत्री ने जो काम किया, मैं समझता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): असंसदीय ही नहीं, निन्दनीय है। उनकी आदत बन गई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिए। तीन घंटे से ऊपर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह पहली बार नहीं है। हमेशा से राज्य के गृह मंत्रीजी की आदत है, बीच में ही खड़े हो जाते हैं और +++ टाइप से अपनी ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इस सदन में सबसे ज्यादा व्यवधान करने वाले व्यक्ति कोई हैं तो आप हो और आपने सारी परम्पराओं को ध्वस्त किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और मैं समझता हूं कि यह सदन ...(व्यवधान) स्वस्थ परम्परा नहीं है यह और जिस तरह की स्थिति के अन्दर ...(व्यवधान) हम भी अपनी बात कहना चाहते हैं। नेता, प्रतिपक्ष अपनी बात कहना चाहती थीं ...(व्यवधान) यह राजस्थान की जनता ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप अपराधी हो इस सारे काम के लिए। अकारण आपने, अच्छा बोल रही थीं नेता, प्रतिपक्ष, हम सब शांतिपूर्वक उनको सुन रहे थे, आप वेल में कूदकर क्यों आए? यह बताना पड़ेगा आपको सदन को। तीन घंटे आपने जाया किये हैं। (व्यवधान) नेता, प्रतिपक्ष बहुत अच्छा बोल रही थीं, हम सुन रहे थे उनकी बात। नेता, प्रतिपक्ष इतना शानदार बोल रही थीं, हम सुन रहे थे। आप वेल में क्यों आये, आपको बताना पड़ेगा। यह क्या तरीका है? यह व्यवधान आपकी वजह से हुआ।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया सदन को चलाने के लिए मुझे ...(व्यवधान) मेहरबानी करके अपनी जगह पर विराजें माननीय सदस्यगण। (व्यवधान) कृपया सदन चलाने दें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नेता, प्रतिपक्ष से बात की थी कि न तो पक्ष बोलेगा और न विपक्ष बोलेगा, जब दोनों नेता बोलेंगे तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वे सारी बातें धरी ही रह गईं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अब अगर मंत्री ही सत्ता पक्ष के बीच में डिस्टर्ब करें तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब भी कोई हल नहीं निकला, तीन घंटे खराब होने के बावजूद भी ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्री ही चाहते हैं कि हाउस चले नहीं। मंत्री ही चाहे जैसे आक्षेप कोट करे तो यह कहां का न्याय है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप लोग विराजिए। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हमारी नेता ने कठोर शब्दों में हमको कहा था कि जब मुख्य मंत्री बोलें तो आप एक भी लोग बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चाहे जैसा वे बोलें क्योंकि स्पीकर साहब के सामने मेरा कमिटमेंट हुआ है और स्पीकर साहब से मैं कमिटमेंट करके आई हूं कि न पक्ष बोलेगा और न विपक्ष। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप लोग विराज जाएं तो मैं सदन की कार्यवाही आगे चलाने में सक्षम हो पाऊंगा। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): और मंत्री, सरकार के मंत्री ही बीच में डिस्टर्ब करे तो यह कहां की नैतिकता है?

श्री अध्यक्ष: कृपया आप लोग विराज जाएं और सदन की कार्यवाही चलाने के लिए मुझे सहयोग करें। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ये चाहते ही नहीं हैं कि हाउस चले। यह इनकी आपसी अन्दरनी लड़ाई है और अपने आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): और इसलिए सारे हाउस का समय बरबाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर। आसन पांवों पर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे विवश होकर कोई और कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप करें पर ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जो मर्जी आये उठाओ पर हम अपने नेता के प्रति किसी भी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह निश्चित हो गया कि सदन आप लोग चलने नहीं देंगे? यह निश्चित हो गया कि सदन आप लोग चलने नहीं देंगे? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जो मर्जी आये आप ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं और माननीय सदस्यों का सामान्य चर्चा में भाग लेने एवं सुझाव देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत बजट सभी के द्वारा सराहा गया है। मैं माननीय सदस्यों के साथ-साथ प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा बजट प्रस्तावों की प्रशंसा की गई। इस अवसर पर माननीय सदन के माध्यम से मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने बजट को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। बजट के बाद, प्रदेश के सभी वर्गों के लोग मेरे सम्पर्क में आए हैं और यह खुशी की बात है कि उन सभी ने भी खुले मन से बजट प्रस्तावों की प्रशंसा की है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के मेरे उत्तर में, सदन में गत दिनों उठाये गए प्रमुख मुद्दों विशेषकर वित्त से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करूंगा। माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी बिन्दुओं को नोट किया गया है तथा इनका यथा-समय ध्यान रखा जाएगा। विभागों से संबंधित उठाये गए स्पेसिफिक इश्यूज का आगामी दिनों में जब डिमांड्स पर चर्चा होगी, तब पुन: खुलासा करने का अवसर प्राप्त होगा। (व्यवधान)

बजट की प्राथमिकताएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए मैंने इस बजट में विभिन्न घोषणाएं एवं योजनाएं प्रस्तावित की हैं। साथ ही, मैंने इस बजट के माध्यम से, यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि राज्य के सभी वर्गों का समावेशी विकास (Inclusive development) हो सके।

बजट में कतिपय क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सके एवं समाज के कमजोर वर्गो जैसे एस.सी., एस.टी, सहरिया, ओ.बी.सी., एस.बी.सी., डिसेबल्ड एवं महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों के हितों का ध्यान रखा जा सके। मैं इन thrust areas की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

(श्री अशोक गहलोत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दु:ख है कि हमारे प्रतिपक्ष के ...(व्यवधान) हमारे माननीय नेता, प्रतिपक्ष, जब-जब भी ये नेता, प्रतिपक्ष रही हैं तब-तब इन्होंने हमेशा, तीन बार ऐसे मौके आए हैं, जब बोलने नहीं दिया गया है। (व्यवधान) पहली बार तो 10.01.2009 को धन्यवाद प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री को उत्तर नहीं देने दिया गया। (व्यवधान) इसके बाद फिर 15 जुलाई, 2009 को परिवर्तित आय-व्ययक, सामान्य वाद-विवाद, उस पर...(व्यवधान) डिस्कशन पर जवाब नहीं देने दिया गया। तीसरी बार 28.7.2009 को फाइनेंस बिलों पर, तब भी, महोदय, इस सदन में बोलने का मौका नहीं दिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग ...(व्यवधान) इनका विश्वास डेमोक्रेसी में नहीं है। हमेशा से यह ...(व्यवधान) इस प्रकार इनको सदन के नेता की बात सुनने का माद्दा नहीं है। इनके पास सुनने की पावर ही नहीं है। (व्यवधान) जो हरकत इन्होंने पहले भी की है। (व्यवधान) इन सब घोषणाओं को मैं, जो मैंने घोषणाएं भी की हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे, मेरे भाषण को पढ़ा हुआ माना जाए। आप मुझे टेबल करने की आज्ञा प्रदान करें। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, टेबल कर दें। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने भाषण की प्रति सदन के पटल पर रखता हूं। (व्यवधान) हां, कर दिया टेबल।

(माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा आय व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12 पर सामान्य वाद-विवाद पर अपने शेष उत्तर की प्रति सदन पटल पर रखी गई। (प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2011 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.58 बजे बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

सिरोही विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

149. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिरोही के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के अधिकांश पद रिक्त हैं? क्या उक्त कारण आमजन को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा इसके लिए पड़ोसी राज्य गुजरात की शरण में जाना पड़ा रहा है? यदि हां, तो जिला सिरोही के चिकित्सालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सिरोही जिला मुख्यालय के हाइवे आबूरोड़ होते हुए एवं मंडार होते हुए गुजरात राजमार्गों पर रोजाना एक दो हादसे होते हैं?

(3) क्या यह सही है कि 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय चिकित्सालय ले जाने वाले घायलों को चिकित्सक की कमी के कारण उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से मौत हो जाती है?

(4) क्या सरकार उक्त हाइवे मार्ग स्थित राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिरोही के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

जी नहीं। जिला सिरोही के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में पदस्थापित चिकित्सकों के द्वारा आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।

जिला सिरोही के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालयों, क्षय रोग निवारण केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(2) जिला सिरोही के पुलिस थाना शिवगंज से सिरोही एवं सिरोही से

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पिण्डवाड़ा, सरूपगंज, आबूरोड सदर, आबूरोड़ शहर राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 14 तथा पुलिस थाना सिरोही से मण्डार तक राज्यमार्ग संख्या 27 एवं पुलिस थाना कालन्द्री बरलूट, रोहिडा, आबूपर्वत अन्य राज्यमार्ग हैं जिन पर 2008 से 2010 तक हुई सड़क दुर्घटनाओं की सूचना निम्न प्रकार है:-

वर्ष	कुल दुर्घटनाएं	घायलों की संख्या	मृतकों की संख्या
2008	509	868	188
2009	520	1009	178
2010	429	603	187

(3) जी नहीं। राजकीय जिला चिकित्सालय सिरोही एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आबूरोड में पदस्थापित चिकित्सकों के द्वारा 108 एम्बुलेंस की सहायता से आने वाले घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।

108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय सिरोही एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आबूरोड पर आने वाले घायल व्यक्तियों एवं उनमें से मरने वाले व्यक्तियों का वर्ष 2009 से फरवरी 2011 तक का वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ठ-स पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर अथवा स्थानान्तरण से यथासंभव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार भरे जायेंगे।

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से 1053 चयनित चिकित्सा अधिकारियों की सूची प्राप्त हो गई है, पदस्थापन की कार्यवाही शीध्र की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण चिकित्सा अधिकारियों के 749 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 56 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को अर्थना भिजवाई जा चुकी है। चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर यथासंभव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार भरे जायेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत 150 चिकित्सा अधिकारी (दंत) अनुबंध के आधार पर भरने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

आफ हेल्थ साईंस को लिखित परीक्षा आयोजित करने हेतु लिखा जा चुका है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

कोटा जिले के अतिक्रमी (ट्रेसपासर) काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

150. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हे कि कोटा जिले में अतिक्रमी (ट्रेसपासर) किसान हैं, जो गत 30-35 वर्षो से खेती कर रहे हैं और धारा 91 की कार्यवाही के तहत तहसीलदारों को जुर्माना जमा करवाकर खेती करते आ रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे किसानों की कितनी संख्या है और वह कितनी भूमि पर खेती कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अतिक्रमी (ट्रेसपासर) किसानों को भूमि की खातेदारी देने के क्या मानदण्ड हैं?

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्षो में प्रदेश में अतिक्रमी (ट्रेसपासर) किसानों की भूमि का नियमन कर उन्हें खातेदारी अधिकार दिये गये हैं? यदि हां, तो अब तक कितने लोगों को खातेदारी अधिकार दिये गये व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अब उक्त कृषकों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा जिले में विगत वर्षो से अनेक किसान राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर खेती करते रहे हैं जिनके विरुद्ध प्रति वर्ष धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के अधीन कार्यवाही कर उन्हें अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है। संवत 2067 में 18786 अतिक्रमी हैं। जिनकी तहसीलवार सूचना निम्न प्रकार है :-

(राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	तहसील	भूमि रकबा	संख्या अतिक्रमी
1.	लाडपुरा	2065.33 है.	6275
2.	सांगोद	1328.67 है.	3525
3.	दीगोद	2326.63 है.	5194
4.	रा. मंडी	337.00 है	907
5.	पीपल्दा	30.26 है	2885
		योग	**18786**

(2) राजस्व भूमि के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि आबंटन) नियम, 1970 के तहत आबंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमन किये जाने का प्रावधान है एवं उपनिवेशन क्षेत्र में राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 की शर्त संख्या 9 के अन्तर्गत खातेदार अधिकार दिये जाने का प्रावधान है।

(3) जी हां । गत दो वर्षों में प्रदेश में 1961 अतिक्रमी (ट्रेसपासर) किसानों को भूमि का नियमन किया गया है। नियमानुसार समय अवधि पूर्ण होने व शर्तों की पालना होने पर इनको खातेदारी अधिकार प्रदान करने की कार्यवाही की जा सकती है । (जिलेवार सूची संलग्न है)

(4) राजस्व भूमि के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि आबंटन) नियम 1970 के तहत अतिक्रमी काश्तकारों को नियमानुसार समयावधि पूर्ण होने व शर्तों की पालना करने पर नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं एवं उपनिवेशन क्षेत्र में राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 की शर्त संख्या 9 के अन्तर्गत खातेदार अधिकार दिये जाने का प्रावधान है।

संलग्नक

क्र. सं.	नाम जिला	नियमन किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	273
2.	अलवर	0
3.	बांसवाड़ा	256 को कीमतन नियमन किया गया है।
4.	बारां	0
5.	बाड़मेर	4
6.	भरतपुर	1
7.	भीलवाड़ा	667
8.	बीकानेर	0
9.	बूंदी	0
10.	चित्तौड़गढ़	0
11.	चूरू	2
12.	दौसा	0
13.	धौलपुर	2
14.	डूंगरपुर	11
15.	गंगानगर	0
16.	हनुमानगढ़	1
17.	जयपुर	87
18.	जैसलमेर	0
19.	जालोर	10

1	2	3
20.	झालावाड़	57
21.	झुंझुनूं	0
22.	जोधपुर	8
23.	करौली	1
24.	कोटा	1
25.	नागौर	101
26.	पाली	403
27.	प्रतापगढ़	0
28.	राजसमंद	1
29.	स. माधोपुर	0
30.	सीकर	16
31.	सिरोही	0
32.	टोंक	0
33.	उदयपुर	34
	योग	**1956**

उप निवेशन क्षेत्र IGNP	5
योग	**1961**

अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने हेतु नीति

151. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के कई खिलाड़ियों ने गत वर्ष विभिन्न खेलों में अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक हासिल किये हैं? यदि हां, तो किस-किस खेल में किस-किस खिलाड़ी ने पदक प्राप्त किए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के लिए कोई नियम बनाये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2009-10 में अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाड़ियों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के लिए राजस्थान खेल अनुदान नियम, 1986 बने हुए हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

प्रदेश के खिलाड़ियों को जिन्होंने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कियें हैं, को इस वर्ष विशेष पैकेज देकर राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया है।

(सूची व प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय रहित ग्राम पंचायत मुख्यालय

152. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राज्य के सभी पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) वर्तमान में कितने पंचायत मुख्यालय में माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम पंचायत मुख्यालयों, कुशायता, कालेडा, कृष्णगोपाल, केबानिया, शोकलिया, शेरगढ़, सूपा एवं

(डा. रघु शर्मा)

भुगवानपुरा में माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति हेतु वित्तीय प्रावधान नहीं रखा गया है।

(2) वर्तमान में 519 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है। इन 519 ग्राम पंचायतों की जिलेवार संख्या का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम पंचायत मुख्यालय शोकलिया में राजकीय प्रवेशिका विद्यालय एवं केबानिया में माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। शेष ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति हेतु वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में वित्तीय प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	जिले का नाम	ग्राम पंचायत मुख्यालयों की संख्या जहां मावि नहीं है
1	2	3
1.	भरतपुर	35
2.	धौलपुर	25
3.	करौली	00
4.	सवाई माधोपुर	26
5.	जोधपुर	04
6.	पाली	14
7.	सिरोही	17
8.	जालोर	09
9.	जैसलमेर	09

1	2	3
10.	बाड़मेर	73
11.	जयपुर	25
12.	सीकर	39
13.	अलवर	01
14.	दौसा	19
15.	कोटा	01
16.	बारां	10
17.	बून्दी	17
18.	झालावाड़	03
19.	चूरू	24
20.	झुंझुनूं	04
21.	हनुमानगढ़	04
22.	बीकानेर	01
23.	गंगानगर	03
24.	अजमेर	20
25.	भीलवाड़ा	13
26.	नागौर	24
27.	टोंक	19
28.	बांसवाड़ा	16
29.	चित्तौड़गढ़	14
30.	डूंगरपुर	15
31.	राजसमन्द	09
32.	उदयपुर	23
33.	प्रतापगढ़	03
	योग	**519**

अलवर नगर विकास न्यास द्वारा भू-खण्ड नीलामी में नियम विरुद्ध आरक्षण

153. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास अलवर द्वारा आवासीय व व्यावसायिक भूखण्डों की नीलामी द्वारा बिक्री में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु भूखण्डों का आरक्षण किया गया है? यदि हां, तो कुल कितने भूखण्डों का आरक्षण किया गया तथा किस-किस योजना में भूखण्डों को आरक्षित किया गया? भूखण्डों की कुल संख्या एवं उनमें से आरक्षित भूखण्डों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आरक्षण किन नियमों के आधार पर किया गया? नियम की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आरक्षण नगर विकास न्यास, अलवर के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य निकायों में भी किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने भूखण्डों की नीलामी आरक्षण के आधार पर की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त आरक्षण बिना लाटरी के मनमर्जी के आधार पर अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए किये गये? यदि हां, तो सरकार के नियमों/परिपत्रों को तोड़ मरोड़कर अपने को निजी लाभ पहुंचाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा आवासीय भूखण्डों की नीलामी में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु भूखण्डों के आरक्षण करने के संबंध में नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण कोई आरक्षण नहीं किया गया है। परन्तु व्यवसायिक भूखण्डों हेतु आरक्षण का प्रावधान नियमों में होने के कारण नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को भूखण्ड नीलाम किए गये हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 में अधिसूचना प.4(11)नविवि/2004 दिनांक 11.05.2007 द्वारा नियम 15 में नया परन्तुक जोड़कर 30 प्रतिशत व्यवसायिक भूखण्डों, निर्मित दुकान/कियोस्क अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) उक्त आरक्षण नगर विकास न्यास, अलवर के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य निकायों में भी किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) चूंकि अधिसूचना दिनांक 11.05.2007 को जारी की गयी थी एवं नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा भूखण्डों का आरक्षण दिनांक 20.04.2010 के पश्चात किया गया है। नीलामी में प्रतिस्पर्द्धा में उच्चतम बोलीदाता को भूखण्ड छोड़े गये हैं। निजी लाभ पहुंचाने का प्रकरण सामने आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण व प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर परिणाम घोषणा में देरी से प्रभावित छात्र

154. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से कितने सरकारी व गैर सरकारी महाविद्यालय सम्बद्ध हैं तथा उनमें कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में उक्त विद्यार्थियों की सेमेस्टर परीक्षाएं कब-कब हुईं? तिथिनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यार्थियों के किस-किस सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम कब-कब घोषित किये गये हैं तथा किस-किस सेमेस्टर के घोषित करने शेष हैं?

(4) उक्त महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा परिणाम देर से या घोषित नहीं होने से कितने विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं? सरकार द्वारा उक्त देरी हेतु जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा से 08 सरकारी एवं 194 गैर सरकारी महाविद्यालय सम्बद्धित हैं। विश्वविद्यालय से सम्बद्धित सरकारी एवं गैर सरकारी महावियालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण परिशिष्ट-। पर संलग्न है।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(2) गत दो वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न सेमेस्टरों की परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने की तिथि एवं शेष रहे परीक्षा परिणामों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) विश्वविद्यालय ने सभी पाठ्यक्रमों (बी.टेक., एम.बी.ए., एम.सी.ए.) की अंतिम वर्ष की परीक्षा सम्पन्न होने के लगभग एक माह में परीक्षा परिणाम घोषित कर विश्वविद्यालय से पास आउट होने वाले नियमित विद्यार्थियों के परिणाम समय पर जारी किये हैं ताकि उनके रोजगार के अवसर अप्रभावित रहें।

यह है कि पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान आयोजित परीक्षाओं का परिणाम घोषित किये जाने में विलम्ब हुआ है लेकिन उस परीक्षा परिणाम से विद्यार्थी अप्रभावित रहते हैं क्योंकि उन्हें अग्रिम सेमेस्टर के अध्ययन से रोका नहीं जाता है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के पास नियमित मानव संसाधन की कमी होने के कारण यह परिणाम प्रभावित हुये हैं लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय के प्रस्तावानुसार शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति प्रदान कर नियमित रूप से भरे जाने की आज्ञा जारी की जा चुकी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

रामगढ़ (अलवर) के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

155. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं व उक्त में से कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित तथा कितने किराये के व कितने सरकारी भवनों में चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त हेतु कितनी राशि का प्रावधान है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में बाल विकास परियोजना रामगढ़ में 212, लक्ष्मणगढ़ में 130 तथा उमरैण में 1 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार कुल 343 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। कोई भी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित नहीं है। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में 60 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में, 243 आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी भवनों में तथा शेष अन्य भवनों में संचालित हैं।

(2) राज्य के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत बजट की उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए सरकार सतत् प्रयत्नशील है। इसके लिए नाबार्ड के सहयोग से राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। साथ ही स्वयं के अथवा राजकीय भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को निकटतम प्राथमिक विद्यालय में कक्ष की उपलब्धता के अनुसार स्थानान्तरित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2009-10 में नाबार्ड के सहयोग से 380 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 998.93 लाख की राशि जिला परिषदों को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

(3) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में कोई प्रावधान नहीं है।

नाथद्वारा के चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाएं

156. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के सलोदा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भामाशाहों द्वारा निर्मित चिकित्सालय भवन में स्टाफ इत्यादि की नियुक्ति कर उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि नाथद्वारा नगर राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी?

(3) क्या यह भी सही है कि नाथद्वारा नगर राजकीय चिकित्सालय में चारदीवारी निर्मित नहीं है? क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में चारदीवारी का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि नाथद्वारा नगर राजकीय चिकित्सालय में ब्लड

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

बैंक हेतु स्वीकृति मिल गई है? यदि हां, तो सरकार ब्लड बैंक के लिये कब तक पर्याप्त एवं प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति करके उसे चालू कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) ग्राम सलोदा पंचायत समिति खमनोर के अन्तर्गत आता है। वर्तमान मे उक्त ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। उप स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत नहीं किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/डिस्पेन्सरियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाता है। भारत सरकार के ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र पर 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वर्ष 2001 की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति खमनोर में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इस प्रकार कुल 8 चिकित्सा संस्थान संचालित हैं। इसलिए ग्राम सलोदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नही है।

(2) जी हां। राजकीय सामान्य चिकित्सालय नाथद्वारा में चिकित्सकों के कुल 23 पद रिक्त हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर अथवा स्थानान्तरण से यथासंभव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार भरे जायेंगे।

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से 1053 चयनित चिकित्सा अधिकारियों की सूची प्राप्त हो गई है, पदस्थापन की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण चिकित्सा अधिकारियों के 749 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। राजकीय सामान्य चिकित्सालय नाथद्वारा में कुल 2562 फीट चारदीवारी का निर्माण कराया जाना था जिसमें से 1312 फीट चारदीवारी राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा, 900 फीट चारदीवारी राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी द्वारा निर्मित करवाई जा चुकी है शेष 350 फीट चारदीवारी निर्मित नहीं है। जिसे राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की आगामी बैठक में प्रस्ताव लेकर बनवाया जाना प्रस्तावित है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) जी हां। राजकीय सामान्य चिकित्सालय नाथद्वारा में ब्लड बैंक स्वीकृत है। परन्तु पैथोलोजी विशेषज्ञ वर्तमान में पदस्थापित नहीं होने के फलस्वरूप ब्लड बैंक क्रियाशील नहीं है।

पैथोलोजी विशेषज्ञ के रिक्त पद को पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर अथवा स्थानान्तरण से यथासंभव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार भरे जायेंगे।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	**पदनाम**	**रिक्त पदों की संख्या**
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	2
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	8
3.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
4.	चिकित्सा अधिकारी	11
	कुल	**23**

राजाखेड़ा के चरागाहों के विकास हेतु कार्ययोजना

157. श्री रवीन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में कहां-कहां चरागाह जमीन है? गांव, खसरा नम्बर एवं रकबा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चरागाह जमीनों के विकास हेतु सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में क्या-क्या कार्य किये गये?

(3) उक्त चरागाह जमीनों में पशुधन को पेयजल के क्या साधन हैं?

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त चरागाहों के वैज्ञानिक विकास हेतु कार्य योजना तैयार कराई गई है ताकि इस क्षेत्र के लोगों को ईंधन घास एवं पर्यावरण का लाभ मिल सके? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में तहसील राजाखेड़ा एवं तह. धौलपुर

(राजस्व मंत्री)

की कुल 10721.18 बीघा चरागाह भूमि है। गांव, ख.नं. एवं रकबा सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा की चरागाह भूमि में विकास हेतु नरेगा योजना में निम्न कार्य किये गये है : -

वर्ष 2008-09

1. चरागाह भूमि पर ग्राम शाहपुरा में तालाब खुदाई।
2. ग्राम शाहपुरा में मंदिर के पास तालाब खुदाई कार्य।
3. ग्राम भगवानपुरा खुडिला में बैक डेम का निर्माण।

वर्ष 2009-10

1. शाला गुसाई, शाहपुरा ग्रेवल सड़क चरागाह जमीन से शाहपुरा तक पक्की सड़क निर्माण कार्य।
2. ग्राम रांडौली जलालपुर में बैक डेम का निर्माण।
3. ग्राम कैलाशपुरा में चरागाह के विकास कार्य ख.नं. 393, 400, 402, 405, 498, 499/795, 500 में किया गया।

वर्ष 2010-11

1. ग्राम झाण्डेकापुरा कोटपुरा में कच्चा बांध निर्माण कार्य।
2. ग्राम अधन्नपुरा दुल्हारा में चरागाह भूमि पर विकास कार्य।
3. ग्राम दुल्हारा में मेड़बन्दी कार्य कराया गया

(3) गांवो की पोखर तालाब इत्यादि।

(4) चरागाह विकास हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर कार्य योजना तैयार की जाती है। जिससे चरागाह की मेड़बन्दी, वृक्षारोपण एवं घास संरक्षण एवं भू-जल संरक्षण की योजनाएं शामिल होती हैं जो कि ग्राम पंचायत के सहयोग व स्वीकृति से संबंधित विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विद्याधर नगर स्टेडियम, जयपुर में स्वीमिंग पूल हेतु आबंटित राशि

158. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) व **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विद्याधर नगर जयपुर के स्टेडियम में स्वीमिंग पुल के निर्माण के लिये बजट राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब व कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं उक्त में से कितनी राशि अब तक व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम के समुचित विकास हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। विद्याधर नगर स्टेडियम, जयपुर के विकास हेतु वर्तमान में मल्टीपरपज स्टेडियम, बैडमिन्टन व टेबिल टेनिस हाल तथा कबड्डी, खो-खो, वालीबाल, हैण्डबाल, बास्केटबाल, टेनिस कोर्ट, जोगिंग ट्रेक व क्रिकेट प्रेक्टिस नेट हेतु रुपये 335.00 लाख स्वीकृत किया जाकर कार्य प्रगति पर है। जिसके तहत मल्टीपरपज स्टेडियम, खेल मैदानों के पुर्नरूद्धार का कार्य किया जा चुका है तथा बैडमिन्टन व टेबिल टेनिस हाल का कार्य किया जाना है।

धौलपुर जिले के विद्यालयों में रिक्त पद

159. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर में कितने राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं तथा उक्त में कितने छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में संचालित उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने अध्यापक कार्यरत हैं? पदों की स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त संविदा कर्मी व शिक्षा मित्रों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में संचालित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक,

(शिक्षा मंत्री)

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा उनमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न हैं।

(2) धौलपुर जिले में संचालित उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पद एवं कार्यरत अध्यापकों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित है।

(3) धौलपुर जिले में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 387 विद्यार्थी मित्र कार्यरत हैं। माध्य मिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विद्यार्थी मित्रों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	श्रेणीवार कार्यरत विद्यार्थी मित्र	संख्या
1	व्याख्याता - प्रथम श्रेणी	34
2	वरिष्ठ अध्यापक - द्वितीय श्रेणी	74
3	अध्यापक - तृतीय श्रेणी	12

(4) विद्यार्थी मित्रों की नियुक्ति पूर्णतया अनुबन्ध एवं फिक्स मानदेय पर की हुई हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार NCTE द्वारा शिक्षकों के लिए जो न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की हैं, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अध्यापक के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने TET परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो। अतः संविदा पर कार्यरत सभी प्रकार के कार्मिकों यथा पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मी, शिक्षा सहयोगी, मदरसा पैराटीचर्स, लोक जुम्बिश कार्मिक आदि भी TET परीक्षा पास किये बिना अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अब पात्र नहीं हैं। अतः इन्हें नियमित किया जाना संभव नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका खण्डेला के विरुद्ध कार्यवाही

160. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने वर्ष 2009 एवं 2010 में खण्डेला नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता को भ्रष्टाचार की जांच में दोषी मानते हुए विभागीय स्तर पर कार्यवाही करने हेतु

(श्री बंशीधर खण्डेला)

स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को पत्र लिखा है? यदि हां, तो कब व उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है? संबंधित पत्र व की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष व कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध कलक्टर सीकर द्वारा कराई गई जांच में भी नियम विरुद्ध नाजायज रूप से नदी में पट्टे जारी करना एवं अनियमितता होना पाया गया है? यदि हां, तो सरकार ऐसे भ्रष्ट कार्मिकों को कब तक सेवा से पृथक् करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से प्राप्त स्वपूर्ण टिप्पणी पर अधीक्षण अभियंता से प्राप्त रिकार्ड एवं दस्तावेज के आधार पर परीक्षण करवाया गया, परीक्षणोपरान्त तत्कालीन अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूप से तथा कनिष्ठ अभियंता तथा सहायक कर्मचारी आंशिक रूप से दोषी पाये गये हैं। दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध निम्न प्रकार कार्यवाही की जा चुकी हैः-

1. श्री अब्दुल हई, पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2. श्री जगदीश प्रसाद (तहसीलदार) तत्कालीन कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध सीसीए नियम 17 में कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 09-07-10 के द्वारा उप निबंधक (जांच) राजस्व मण्डल अजमेर को प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है।
3. श्री महेन्द्र सिंह चौधरी सहायक कर्मचारी के विरुद्ध सीसीए नियम 17 में कार्यवाही किये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी नगरपालिका खण्डेला को दिनांक 09-07-10 के द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।
4. श्री मामराज जाखड, कनिष्ठ अभियंता (दैनिक वेतनभोगी/ कोर्ट केस से) वर्तमान में कार्यरत है। श्री जाखड के प्रकरण में माननीय सिविल न्यायाधीश (व. खण्ड) एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1 श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 4-11-2009 में यह आदेश पारित कर रखा है कि प्रतिवादीगण

(स्वायत्त शासन मंत्री)

को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी को अपने वर्तमान पद पर मूल वाद के निर्णय होने तक यथावत बनाये रखे एवं कार्य व वेतन बाबत तब तक यथावत स्थिति रखें।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट में नियम विरुद्ध जारी पटटों को नियमानुसार निरस्त करने हेतु दिनांक 27-07-10 के द्वारा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका खण्डेला को निर्देशित किया जा चुका है, जांच रिपोर्ट में अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का उल्लेख नहीं होने के कारण प्रकरण की पुनः जांच उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर द्वारा की जा रही है।

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की जांच में लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

161. श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आई.टी.आई.) पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्य नहीं करने की अनियमितताओं के कारण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा छापे मारे गये ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों ने कितने औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आई.टी.आई.) को मान्यता देने से पहले भवन, शिक्षक व अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण तकनीकी शिक्षा निदेशालय के द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो जिन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों ने छापे की कार्यवाही की, उनका निरीक्षण किन-किन विभागीय अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आई.टी.आई.) का आवश्यक निरीक्षण प्रतिवर्ष कब-कब व किस-किस स्तर के अधिकारी द्वारा किये जाने के निर्देश तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने जारी कर रखे हैं? निदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में 42 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(आई.टी.आई.) का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा दिनांक 23.12.2010 को आकस्मिक चेकिंग की कार्यवाही की गई। इनमें 6 मामलों में अपराध पंजीबद्ध किये जा चुके हैं एवं 35 मामले परीक्षणाधीन हैं तथा एक आकस्मिक चेकिंग का मामला नस्तीबद्ध किया जा चुका है।

विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा जिन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की आकस्मिक चेकिंग की कार्यवाही की गई है, उन केन्द्रों का निरीक्षण जिन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है, से सम्बन्धी विवरण की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आई.टी.आई.) का प्रशिक्षण कार्यक्रम महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण (डीजीईटी), भारत सरकार द्वारा जारी ''ट्रेनिंग मेन्यूअल फार इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट एण्ड सेन्टर'' के अनुसार नियंत्रित होता है। आई.टी.आई. के संयुक्त निरीक्षण डीजीईटी, नई दिल्ली, भारत सरकार के प्रतिनिधि के साथ विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। निरीक्षण बाबत डीजीईटी, भारत सरकार द्वारा जारी ''ट्रेनिंग मेन्यूअल'' के पार्ट 2 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आई.टी.आई. के बिन्दु सं. 36 (डी) एवं (एफ) के उपबिन्दु सी–3 में उल्लिखित निर्देशों की प्रतियां संलग्न हैं। (परिशिष्ट-3) इस क्रम में निदेशालय द्वारा जारी आदेश की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-4)

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़मेर तहसील क्षेत्र में बाल विकास परियोजना के कार्यक्षेत्र का विभाजन

162. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बाड़मेर को चार खण्डों में चार बाल विकास परियोजना अधिकारी के अधीन बांट दिया गया है? क्या जिसके कारण प्रशासनिक दृष्टि से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या सरकार उक्त तहसील के क्षेत्र को बाड़मेर शहर एवं बाड़मेर ग्रामीण में ही विभाजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील बाड़मेर के अन्तर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्र पांच बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों के अन्तर्गत आते हैं। बाल विकास परियोजनाओं का प्रशासनिक आधार पंचायत समिति है। अतः प्रशासनिक दृष्टि से परियोजनाओं के संचालन एवं नियत्रंण में कोई कठिनाई नहीं आ रही है।

(2) जी नहीं। बाल विकास परियोजनाएं तहसील के आधार पर न होकर पंचायत समिति के अनुरूप स्वीकृत होती हैं। किन्तु एक पंचायत समिति में एक से अधिक परियोजनाएं हो सकती हैं।

तहसील स्तर पर "पोस्टमार्टम" हेतु भवन निर्माण

163. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पोस्टमार्टम केन्द्र स्वीकृति के संबंध में निर्देश/परिपत्र जारी किये हुये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कुल कितने चीरफाड़ घर (पोस्टमार्टम सेंटर) कहां-कहां हैं तथा उनमें से कितने स्थानों पर पोस्टमार्टम सेंटर के भवन बने हुये हैं एवं कितने स्थान पर खुले आसमान के नीचे पोस्टमार्टम होता है? पृथक्-पृथक् स्थान वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार तहसील क्षेत्र देवली एवं उनियारा (अलीगढ़) सहित राज्य में स्वीकृत सभी "पोस्टमार्टम" सेंटर के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य के चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पोस्टमार्टम केन्द्र निर्मित हैं अथवा नहीं हैं का संख्या विवरण एवं नामों की सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) देवली एवं उनियारा तहसील में क्रमशः 2 एवं 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पोस्टमार्टम सेन्टर है तथा देवली में 7 एवं उनियारा में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पोस्टमार्टम सेन्टर नहीं हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जी हां। आगामी वितीय वर्षो में चरणबद्ध रूप से एवं आवश्यकतानुसार पोस्टमार्टम सेन्टर निर्मित किये जाने की व्यवस्था की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भारत इण्डस्ट्रीज, मालपुरा (टोंक) को आबंटित भूमि का लीज पर प्रकरण

164. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मालपुरा कस्बा (टोंक) में भारत इण्डस्ट्रीज के नाम से भूमि लीज पर दी गई थी? यदि हां, तो कब, कितनी व किस प्रयोजन के लिए? क्या वर्तमान में उक्त भूमि का उपयोग आबंटन की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है? क्या सरकार उक्त भूमि का आबंटन निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त भूमि के वर्तमान स्वामित्व संबंधी विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मालपुरा में नवीन भारत इण्डस्ट्रीज को भूमि लीज पर दी गई थी। नगरपालिका क्षेत्र मालपुरा में दिनांक 23.5.1946 को मै. नवीन भारत इण्डस्ट्रीज को 32.03 बीघा भूमि 35 वर्ष हेतु कपास जिनिंग फैक्ट्री एवं दाल मिल लगाने के उद्देश्य से 660 रुपये 13 आने 4 पाई प्रतिवर्ष की दर से लीज पर दी गई थी। तत्पश्चात राजस्व मंत्री महोदय के आदेश दिनांक 12.11.1991 से पी.वी.सी. पाइप नया उद्योग स्थापित करने हेतु 30 वर्ष के लिए 1981 से 2011 तक लीज बढ़ाने की स्वीकृति जारी की गई है। ख.नं. 1026 रकबा 31.07, ख.नं. 1024 रकबा 0.16 कुल रकबा 32.03 बीघा भूमि लीज है जिस पर बाउण्ड्री बाल बनी हुई है। सफेदा के पेड़ लगे हुए हैं। लीज में कपास जिनिंग एवं दाल मिल का कार्य नहीं हो रहा है। 30 साल से बन्द पड़ी है। उक्त लीज में औद्योगिक इकाई कार्य नहीं हो रहा है। जिस उद्देश्य के लिए भूमि आबंटित हुई थी, नहीं हो रहा है। लीज शर्तों के अनुसार उद्योग नहीं चलाने पर लीज शर्तो में उल्लंघन करने पर विधिवत नोटिस जारी कर कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) उक्त भूमि वर्तमान में आबादी नगरपालिका मालपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड है। जमाबंदी की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(प्रति विस्तृत/अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

"चीन एशियाई गेम्स" के पदक विजेता खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता

165. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 2010 में चीन में हुए एशियाई गेम्स/पैरा एशियाई गेम्स में राज्य के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते एवं उन खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता-सुविधा प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2010 में चीन में हुए एशियाई गेम्स/पैरा एशियाई गेम्स में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों की सूची एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

एशियाई गेम्स में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों की सूची एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का विवरण

क्र. सं.	खिलाड़ियों का नाम	प्रतियोगिता में पदक प्राप्त	दी गई सुविधाएं
1	2	3	4
1.	श्री बजरंग लाल ताखर	नौकायान की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक	1. एक मुश्त राशि रुपये 15.00 लाख 2. राजस्थान आवासन मण्डल के जयपुर स्थित एम.आई.जी.बी आवास का नि:शुल्क आबंटन 3. लन्दन ओलम्पिक में तैयारी (Training) हेतु रुपये 5.00 लाख एक मुश्त राशि 4. राजस्थान पुलिस में उप अधीक्षक (Dy. SP) पद पर सीधी नियुक्ति।

1	2	3	4
2.	श्री सतीश जोशी	1. नौकायान की 4 सदस्य टीम स्पर्धा में रजत पदक 2. नौकायन की 8 सदस्य टीम स्पर्धा में रजत पदक	7.50 लाख रुपये एक मुश्त राशि
3.	श्री गिर्राज सिंह	नौकायान की 8 सदस्य टीम स्पर्धा में रजत पदक	2.50 लाख रुपये एक मुश्त राशि
4.	श्री शेखर सिंह यादव	पाल नौकायन की 5 सदस्य टीम स्पर्धा में रजत पदक	3.00 लाख रुपये एक मुश्त राशि
5.	श्री नवनीत गौतम	पुरुषों की कबड्डी प्रतियोगिता टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक	5.00 लाख रुपये एक मुश्त राशि
6.	श्रीमती कृष्णा पूनिया	चक्का फेंक (Discus Throw) प्रतियोगिता में कांस्य पदक	3.00 लाख रुपये एक मुश्त राशि

पैरा एशियाई गेम्स में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों की सूची एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का विवरण

क्र. सं.	खिलाड़ियों का नाम	प्रतियोगिता में पदक प्राप्त	दी गई सुविधाएं
1.	श्री जगसीर सिंह	एथलेक्टिस ट्रिपल जम्प में स्वर्ण एवं लॉग जम्प में रजत पदक	प्रक्रियाधीन है।
2.	श्री संदीप सिंह मान	एथलेक्टिस 400 मीटर दौड़ में रजत पदक	प्रक्रियाधीन है।

सीकर जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

166. श्री पेमाराम (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सीकर में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार कितने पद अध्यापकों के स्वीकृत तथा कितने पद कब से रिक्त हैं और सरकार द्वारा अब रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

(2) सरकार द्वारा गत वर्ष नये खोले गये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के पद कब तक स्वीकृत कर भर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जिला सीकर में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

(2) गत वर्ष नव क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों में पद प्रावधान स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा चिह्नित दोषी कार्मिक

167. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के विभिन्न विभागों पर प्रभावी अंकुश व दागी अफसरों एवं कर्मचारियों को चिह्नित करने के लिये राज्य सरकार स्तर पर शुरू की गई मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी प्रणाली कब से चालू की गई? वर्ष 2008-09 व 2009-10 में किस-किस विभाग ने कितने अधिकारी/कर्मचारियों के उक्त प्रणाली के अन्तर्गत कितने मामले उजागर किये गये? विभागवार उजागर मामलों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रणाली मंत्रीमण्डल आज्ञा क्रमांक डी-10/मं.मं./2001 दिनांक 12.02.2001 के अनुसरण में दिनांक 28.03.2001 को लागू की गई।

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 की अवधि में इस प्रणाली के अन्तर्गत विभागवार

(गृह मंत्री)

उजागर प्रकरणों एवं अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट "क" में एवं प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "ख" में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जमवारामगढ़ के "माडा योजना" में चयनित ग्राम

168. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा माडा क्षेत्र में गांवों को सम्मिलित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? निर्धारित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के माडा क्षेत्र में कौन-कौनसे गांव आते हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति की आबादी पचास प्रतिशत या इससे अधिक है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे गांव जिनमें अनुसूचित जन जाति की आबादी पचास प्रतिशत या इससे ज्यादा हो, को माडा क्षेत्र में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में माडा का एक गांव बासना के रेवेन्यू रिकार्ड में तीन गांव जिन्दवाड़ा, बलीतवास और छापरवास बना दिये गए हैं? क्या उक्त गांवों को माड़ा क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों गांवों में अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या शत प्रतिशत के बराबर है? क्या सरकार उक्त तीनों गांवों को माडा क्षेत्र में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा माडा क्षेत्र में गांवों को सम्मिलित करने के लिए मानदण्ड निर्धारित है। निर्धारित नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में माडा क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में 77 ग्राम ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति की आबादी पचास प्रतिशत या इससे अधिक है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी हां। सरकार ऐसे पचास प्रतिशत या इससे अधिक जनजाति जनसंख्या वाले गांवों को माडा क्षेत्र में शामिल करने का विचार रखती है जो जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा माडा पाकेट (लघुखण्ड) के गठन संबंधी मानदण्डों के अनुसार माडा क्षेत्र में सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं। माडा क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों का अनुमोदन भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र एवं माडा कलस्टर क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव तैयार कर विभागीय पत्रांक एफ 5 (3)(1)टीएसपी/माडा/माडा कलस्टर/टीएडी/पार्ट-द्वितीय/2002-03 दि. 5.4.07 के द्वारा भारत सरकार को भिजवाये गये हैं। उक्त 77 ग्रामों में से 58 ग्राम माडा क्षेत्र में सम्मिलित हैं। शेष 19 ग्रामों में से 16 ग्रामों को माडा क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। उक्त 16 ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र माडा के एक गांव बासना को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/34/राज/ग्रुप/85 दि. 20.7.1985 के अनुसार तीन गांव जिन्दवास, पलीसवास और छापरवास को राजस्व गांव बना दिये गये हैं। परन्तु जयपुर जिले की 1991 व 2001 की जनगणना के रिकार्ड में जमवारामगढ़ तहसील में इन ग्रामों के नाम जिन्दवास की जगह जिन्दों की ढाणी, पलीतवास की जगह पलीतों की ढाणी एवं छापरवास की जगह छापर अंकित है।

जी हां। जिन्दवास, पलीतवास एवं छापरवास को माडा की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि इस माडा पाकेट का गठन वर्ष 1981 में किया गया था उस समय ये तीनों ग्राम अस्तित्व में नहीं थे।

(6) जी हां। 2001 की जनगणना के अनुसार उक्त तीनों गांवों की जनसंख्या निम्नानुसार है-

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कुल जनसं.	एससी जनसंख्या	एसटी जनसंख्या	एसटी जनसं. प्रतिशत
1.	जिन्दों की ढाणी	390	0	390	100 प्रतिशत
2.	पलीतों की ढाणी	349	0	349	100 प्रतिशत
3.	छापर	684	0	504	73.68 प्रतिशत

जी हां। उक्त तीनों गांवों को माडा क्षेत्र में शामिल करने के प्रस्ताव में सम्मिलित किया जा चुका है।

(प्रति, सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

पर्यटन विकास हेतु घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन

169. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गई है? यदि हां, तो दर्ज की गई वृद्धि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पर्यटन के विकास के लिए राज्य में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की कई योजनाएं संचालित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पर्यटन के विकास हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कई घोषणाएं की गई थीं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त में से कई घोषणाओं का अभी तक क्रियान्वयन नहीं किया गया है? यदि हां, तो किन-किन घोषणाओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया है और इसके क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) वर्ष 2006 से वर्ष 2008 तक देशी एवं विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि एवं 2008 की तुलना में वर्ष 2009 में पर्यटकों की आगमन में कमी आई है। लेकिन वर्ष 2010 में पर्यटकों की आगमन में वृद्धि हुई है।

(पर्यटन मंत्री)

विगत पांच वर्षो में राज्य में आये देशी विदेशी पर्यटकों की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। पर्यटन विकास के लिए राज्य में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) पर्यटन विकास हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में की गई घोषणाओं का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। उक्त में से कोई भी घोषणा क्रियान्वयन से शेष नहीं है।

(सूचना व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जोधपुर में "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान" का भवन निर्माण

170. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर में प्रस्तावित मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण और विकास की वर्तमान प्रगति क्या है? केन्द्र सरकार ने इसके लिए अब तक कितनी राशि स्वीकृत की और यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थान हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या योगदान दिया जा रहा है? क्या जोधपुर विकास प्राधिकरण ने एम्स के लिए भूमि की लीजडीड जारी कर दी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति हेतु आयुष के तहत कौन-कौनसी चिकित्सा पद्धतियां सम्मिलित हैं? उनकी प्रगति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एम्स जैसी संस्था जोधपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया । केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जोधपुर में प्रस्तावित मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिकल कालेज परिसर का निर्माण कार्य (सिविल कार्य फेज-एक) 30 मई, 2010 को शुरू किया गया और निर्माण कार्य का लगभग 24 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कालेज परिसर में निर्माण

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कार्य सितम्बर, 2011 तक पूर्ण होना संभावित है। अस्पताल परिसर का निर्माण कार्य सितम्बर, 2010 को शुरू करवाया गया था जो सितम्बर, 2012 तक पूर्ण होने की संभावना है। अस्पताल परिसर निर्माण कार्य का 9 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। आवासीय परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। एम्स संस्थान की अनुमानित लागत 840 करोड रुपये है जिसमें 20 करोड़ रुपये नर्सिंग कालेज हेतु सम्मिलित है। इस संस्थान में आयुष सुविधा के लिये 30 शैय्याओं के आयुष चिकित्सालय का भी निर्माण करवाया जा रहा है।

(2) उक्त संस्थान हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित योगदान दिया जा रहा हैः-

1. 100 एकड जमीन एक रुपये की लीज राशि पर आबंटित की गई।

2. बिजली पानी की आधारभूत सुविधाएं उक्त संस्थान की बाउण्ड्री तक पहुंचाना।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एम्स जोधपुर के लिए भूमि की लीजडीड का प्रपत्र अधीक्षण अभियंता एम्स जोधपुर को उपलब्ध करवाया गया जिनके द्वारा प्रपत्र अनुमोदन/हस्ताक्षर हेतु निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है।

(3) वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति हेतु आयुष के तहत आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग, प्राकृतिक, सिद्वा, आमची सम्मिलित है।

राज्य में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत चिकित्सालय/औषधालय संचालित है।

वर्तमान मे होम्योपैथिक एवं यूनानी निदेशालय स्थापित होकर कार्यरत है।

होम्योपैथिक निदेशालय के अन्र्तगत 189, युनानी निदेशालय के अन्तर्गत 125, आयुर्वेद निदेशालय के अन्तर्गत 3695 आयुर्वेदिक एवं 6 प्राकृतिक एवं योग चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं । 13 मोबाईल यूनिट तथा एक 200 शैयायुक्त शल्य चल-चिकित्सा इकाई संचालित हैं।

आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेद औषध/यूनानी औषधियों के निर्माण हेतु चार राजकीय रसायनशालायें स्थापित हैं जिनमें 52 प्रकार की औषधियों का निर्माण होता है । वर्ष 2009-10 में रु. 377.44 लाख एवं वर्ष 2010-11 में दिसम्बर 2010 तक रु. 229.56 लाख की औषधि निर्मित की गयी है। आयुर्वेद

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

विभाग के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के सहयोग से अजमेर में एक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गयी है।

वर्ष 2009-10 में निम्नानुसार रोगियों को लाभान्वित किया गया :-

चिकित्सा पद्धति	बहिरंग रोगी	अन्तरंग रोगी
आयुर्वेद	16500052	45388
होम्योपेथिक	937363	—
यूनानी	546367	990
योग	517	—
प्राकृतिक	31901	—

वर्ष 2009-10 में विभागांतर्गत संचालित सभी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक औषधालय/चिकित्सालयों को 2470.78 लाख रु. की औषध आपूर्ति की गयी ।

करवास ग्राम (कोटपूतली) के खसरा नं. 771 पर अतिक्रमण

171. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम करवास, पटवार मण्डल जयसिंहपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर में संवत् 2005 के अनुसार खसरा नं. 389, 390, 391, 392 व 441 कुल किता पांच कुल रकबा 227.18 बीघा भूमि स्थित थी?

(2) क्या उक्त भूमि में से कोई आबंटन सरकार द्वारा किया गया है? यदि हां, तो कब, कितना-कितना व किस-किस को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि का अब खसरा नं. 771 है, जिसका रकबा 28.22 हैक्टेयर बंजड़ सिवाइचक राज्य सरकार के नाम दर्ज है?

(4) क्या उक्त भूमि मौके पर खाली है या किसी ने अतिक्रमण कर रखा है?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील कोटपूतली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार खसरा नं. 389, 390, 391, 392 व 441 कुल रकबा 227.18 बीघा भूमि थी।

(2) तहसील कोटपूतली में उपलब्ध भू-आबंटन सलाहकार समिति की कार्यवाही विवरण का मूल रजिस्टर वर्ष 1976, 1978, 1979, 1991 तथा 1992 के अनुसार कुल 52 व्यक्तियों को 214 बीघा भूमि स्थाई तथा 8 व्यक्तियों को 5.60 हैक्टेयर अस्थाई आबंटित की गई । सूची संलग्न है।

(3) जी हां। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार ग्राम करवास के ख.नं. 771 (जो पुराने ख.नं. 389, 390, 391, 392 व 441 आंशिक से बना है) का रकबा 28.22 हैक्टेयर है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के जिम्मन नं. 1 में राजकीय भूमि गै.मु. तलाई अंकित है तथा भूमि का वर्गीकरण कालम संख्या 7 में बंजड़ दर्ज है। जमाबन्दी की प्रति संलग्न है।

(4) संवत 2067 की फसल रबी की खसरा परिवर्तनशील अनुसार ग्राम करवास के ख.नं. 771 में कुल 6 व्यक्तियों का 4.50 हैक्टेयर रकबे पर अतिक्रमियों के खिलाफ धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर बेदखली के आदेश पारित कर दिए गए हैं। समस्त पत्रावलियों में फसल नीलामी (इजराय) की कार्यवाही जैरकार है।

(सूची व प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

उभरती खेल प्रतिभाओं के विकास हेतु कार्य योजना

172. श्री मानसिंह (परबतसर) व **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा राज्य में उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने, तराशने और प्रतिभा बनाये रखने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(2) राज्य के राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का खेल स्तर बनाये रखने व आगामी राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(3) क्या सरकार राज्य के नाम कमा चुकी खेल प्रतिभाओं को मासिक आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में खेल प्रतिभाओं को तराशने हेतु केन्द्रीय ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। नियमित प्रशिक्षण जिलों में प्रशिक्षकों द्वारा उन्हें निखारने हेतु लगा रखा है। परिषद के प्रशिक्षकों के साथ-साथ भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षक भी प्रशिक्षण देते हैं, तथा ग्रामीण, पंचायत, जिला एवं राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर पर विजेताओं को राष्ट्रीय ग्रामीण पायका प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजा जाता है।

परिषद द्वारा आवासीय खेल छात्रावासों एवं महिला बास्केटबाल/हाकी अकादमी के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(2) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पूर्व चयनित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है।

अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर विदेश में विशेष प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती रही है। हाल ही में कॉमन वैल्थ गेम्स, 2010 में राज्य से सम्मिलित किये जाने वाले सम्भावित 22 प्रतिभागियों को राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला एवं संस्थान के अन्य केन्द्रों पर विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को 1.00 लाख रुपये की दर से कुल रुपये 22 लाख स्वीकृत किये गये।

(3) जी नहीं । फिलहाल मासिक आर्थिक सहायता दिये जाने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सीमावर्ती जिलों के सेवानिवृत्त सैनिकों एवं कर्मचारियों के बच्चों हेतु छात्रावास एवं अध्ययन सुविधा

240. श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार सीमावर्ती जिलों की सेना व अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त एवं नियमित कर्मचारियों के बच्चों के अध्ययन के लिए छात्रावास एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सीमावर्ती जिलों की अलग सेना नहीं है। राज्य सरकार द्वारा सेना में सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों के आश्रित बच्चों के लिए जयपुर, सीकर व झुंझुनूं में युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र एवं शहीद वीरांगनाओं के लिए आवास सुविधा उपलब्ध करने के प्रावधान हैं। जिसके अन्तर्गत जयपुर में 'सांझी छत' के नाम से युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र द्वारा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सीकर एवं झुंझुनूं में युद्ध विधवा छात्रावास एवं कोटा में कोचिंग के लिए छात्रावास के निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

शहीद अर्द्धसैनिक बलों को राज्य सरकार द्वारा देय पैकेज के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

पूर्व सैनिक कल्याण सहकारी समिति लि. बीकानेर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

241. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पूर्व सैनिक कल्याण सहकारी समिति लि., बीकानेर के माध्यम से कितने पूर्व सैनिक सदस्यों को कार्य पर लगाया गया? कार्यरत पूर्व सैनिकों को किस उम्र तक कार्य पर रखा जाता है तथा रि-सेटलमेंट के बाद कितनी अवधि तक पुनः कार्य पर लगाया जा सकता है?

(2) बीकानेर की उक्त समिति द्वारा अपने कार्यरत सदस्यों में से कितने सदस्यों को किन कारणों से हटाया गया? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री देवीसिंह भाटी)

(3) उक्त समिति भविष्य में कितने भूतपूर्व सैनिक सदस्यों को हटाये जाने का विचार रखती है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त समिति द्वारा पूर्व में हटाये गये भूतपूर्व सैनिक सदस्यों द्वारा सरकार को इस संबंध में जांच कराने हेतु लिखे गये पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पूर्व सैनिक कल्याण सहकारी समिति लि., बीकानेर के माध्यम से 248 पूर्व सैनिकों को अनुबन्ध के आधार पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियोजित किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रखा जाता है और पुनर्नियोजित के बाद 65 वर्ष की आयु तक अनुबन्ध के आधार पर सेवा में रखा जाता है।

(2) बीकानेर की उक्त समिति द्वारा श्री जेठू सिंह को सहकारी समिति के उप नियम 14 की धारा 1 एवं 4 के तहत हटाया गया।

(3) उक्त समिति भविष्य में किसी भी भूतपूर्व सैनिक सदस्य को हटाये जाने का विचार नहीं रखती है। किसी प्रकार की अनियमितता व अनुशासनहीनता किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है।

(4) उक्त समिति द्वारा पूर्व में हटाये गये भूतपूर्व सैनिक सदस्यों के संबंध में जांच सहकारिता विभाग, बीकानेर के निरीक्षक द्वारा करवाई गई है।

भीलवाड़ा जिले में पार्षदों द्वारा भूखण्डों के आबंटन में अनियमितता

242. **श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2004 से जनवरी, 2011 तक जिला भीलवाड़ा की किस-किस नगरपालिका के पार्षद/पार्षदों के रिश्तेदारों द्वारा झूंठे शपथ पत्र प्रस्तुत कर एक ही मकान/भूखण्ड के एक से अधिक बार पट्टे जारी करने की शिकायतें प्राप्त हुई? नगरपालिका, शिकायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों की जांच करने पर कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये एवं दोषियों के विरुद्ध अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2004 से जनवरी 2011 तक जिला भीलवाड़ा की नगरपालिका जहाजपुर में एक ही नाम से भूखण्ड का पट्टा दो बार जारी करने की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की प्रति संलग्न है।

(2) प्रकरण की जांच उप खण्ड अधिकारी, जहाजपुर (भीलवाड़ा) से कराई गई। जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने पर श्रीमती मथुरा देवी सदस्य नगर पालिका जहाजपुर के विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 63 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण न्यायिक जांच हेतु दिनांक 17-8-09 को विधि विभाग को प्रेषित किया जा चुका है, जांच रिपोर्ट अपेक्षित है एवं तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री बाबूलाल कतीरियां के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही कर आदेश दिनांक 29-07-10 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। प्रति संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

आमेट नगरपालिका (राजसमन्द) में सफाई कर्मियों के रिक्त पद

243. श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका आमेट (राजसमन्द) में सफाई कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त में से कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगरपालिका में मृतक कर्मचारियों के कितने पद कब से क्यों रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका आमेट में सफाई कर्मचारियों के 46 पद स्वीकृत हैं जिनमें से वर्ष 2004-05 से सफाई कर्मचारियों के 23 पद रिक्त चल रहे हैं।

(2) नगरपालिका आमेट में कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने के कारण 6 पद रिक्त हैं।

(राज्य स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) नगरपालिका से प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचेरा में सहभागिता योजनान्तर्गत निर्माण कार्य

244. **श्री हबीबुर्रहमान** (नागौर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचेरा में हाल निर्माण हेतु बलदेव ट्रस्ट के द्वारा सहभागिता योजना के तहत कोई राशि जमा कराई गई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा राशि कब कितनी स्वीकृत की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त हाल का सहभागिता योजना के तहत निर्माण कार्य कब तक शुरू करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। बजट के अभाव में राज्यांश की राशि स्वीकृत नहीं की जा सकी है।

(2) बजट के अभाव होने के कारण राज्यांश जारी किया जाना सम्भव नहीं है।

पिलानी नगरपालिका (झुन्झुनूं) का श्रेणी परिवर्तन

245. **श्री सुन्दरलाल** (पिलानी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पिलानी की नगरपालिका पिलानी वर्तमान में किस श्रेणी में है?

(2) क्या सरकार जनसंख्या के आधार पर उक्त श्रेणी परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका पिलानी वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका है।

(2) जी नहीं। नगरपालिकाओं का श्रेणी परिवर्तन मात्र जनसंख्या के

(स्वायत्त शासन मंत्री)

आधार पर नही किया जाता है। वर्तमान में नगर पालिका के श्रेणी में परिवर्तन संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जयपुर शहर की डेयरियों का स्थानांतरण प्रकरण

246. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में संचालित पशु डेयरियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार शहर सीमा से बाहर स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां? पशुपालक का नाम व स्थानान्तरित किये गये स्थान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में अभी भी पशुपालकों द्वारा डेयरी का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां? मालवीय नगर, बरकत नगर व महेश नगर में संचालित डेयरियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार शहर में संचालित शेष पशु डेयरियों को शीघ्र शहर सीमा से स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पशु डेयरियों को हरचन्दपुरा (आगरा रोड), सूरजपुरा भाटावाला (टोंक रोड), रमल्यावाला (सीकर रोड) में स्थानान्तरित किया गया है। पशुपालकों का नाम व स्थान की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। परन्तु कुछ पशुपालकों को आदर्श नगर, वैशाली नगर, खातीपुरा हटवाड़ा रोड, मोतीनगर, डी.सी.एम. अजमेर रोड पर प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नही हटाये गये है। वर्तमान में मालवीय नगर, बरकत नगर, महेश नगर क्षेत्र में कोई पशु डेयरी संचालित नहीं है।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में नगर निगम जयपुर द्वारा अभियान चलाकर शहर से पशु डेयरियां स्थानान्तरित की गयीं लेकिन कुछ पशु डेयरी संचालकों के प्रकरण माननीय न्यायालयों में लंबित हैं जिन पर माननीय न्यायालयों के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बदनपुरा विजय महल ग्राम जयपुर का नियमन

247. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीयनगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम बदनपुरा विजय महल तहसील जयपुर जिला जयपुर के खसरा नं. 172 का अधिग्रहण किया गया है? यदि हां, तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भौतिक कब्जा कब प्राप्त किया गया और भौतिक कब्जा प्राप्त करते समय भूमि रिक्त थी अथवा तामीरात? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त भूमि की स्थिति क्या है एवं किन–किन का कितने भू-भाग पर कब्जा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा परिपत्र/आदेश जारी कर सरकारी भूमि/अधिग्रहित भूमि पर पचास प्रतिशत से अधिक मकानात बन जाने पर नियमन किये जाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश प्रदान किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त कालोनी का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम बदनपुरा विजय महल तहसील जयपुर जिला जयपुर के खसरा नं. 172 का अधिग्रहण किया गया है। खसरा नं. 172 भूमि का कब्जा दिनांक 08.11.2001 को प्राप्त किया है। खसरा नं. 172 की तकमीना के अनुसार भूमि रिक्त थी। तकमीना रिपोर्ट अनुसार अधिकांश भूमि रिक्त थी और जिस भूमि पर आंशिक/पूर्ण कब्जा व तामीरात थी उसका विवरण तकमीना में अंकित है। तकमीना एवं कब्जा फर्द की छायाप्रति परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(2) खसरा नं. 172 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि के अधिकांश भाग पर मौके पर दिल्ली बाइपास सडक तथा स्लीप लेन का निर्माण हो रखा है। लगभग 4-5 बिस्वा भूमि में मौके पर श्रीमती रहना देवी पत्नी श्री भागीरथ जांगिड़, श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री रामदयाल जांगिड़ और श्री के.पी.एस. सोलंकी के मकानात बने हुए हैं।

(3) जी हां। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) जी नहीं। वर्णित उपरोक्त खसरा नं. की भूमि सड़क सीमा एवं हाइवे कन्ट्रोल बेल्ट से प्रभावित होने के कारण नियमन योग्य नहीं है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय में सेन्टर पार्क का निर्माण

248. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर में सेन्टर पार्क का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार सेन्टर पार्क के निर्माण में अप्पू घर, स्वीमिंग पूल, सिनेमा, बच्चों के लिए झूले आदि का निर्माण कराने का भी विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं।

धाठवास ग्राम (जयपुर) की आवासीय योजना के कार्नर भूखण्डों की राशि का निर्धारण

249. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विधान सभा कर्मचारियों को ग्राम धाठवास, अजमेर रोड, जयपुर में दूसरे चरण में विधान सभा नगर विस्तार योजना के नाम से भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कब व कितने भूखण्ड आबंटित किये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी आबंटियों को भूखण्ड का पट्टा जारी कर कब्जा संभला दिया गया है? यदि हां, तो कब व किस-किस को व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में कार्नर भूखण्डों की डिमार्केशन की कार्यवाही काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं हो पाई है? यदि हां, तो अब उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि कार्नर भूखण्डों की अतिरिक्त भूमि की

(श्री केसाराम चौधरी)

प्रति मीटर राशि निर्धारण का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण की समिति द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो किस समिति द्वारा एवं उक्त समिति की बैठकें कब-कब हुई?

(5) क्या यह सही है कि कार्नर भूखण्डों की अतिरिक्त भूमि की नाप एवं प्रति मीटर राशि भी निर्धारित नहीं हो पाई है? यदि हां, तो उक्त राशि का निर्धारण कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) उक्त समिति की बैठकों में उक्त प्रकरण पर विचार नहीं होने अथवा अब तक निर्णय नहीं होने के क्या कारण रहे हैं और अब कब तक इस प्रकरण का निस्तारण कर कार्नर वाले भूखण्डों का कब्जा पत्र व पट्टा जारी कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा कर्मचारियों को ग्राम धाउवास, अजमेर रोड, जयपुर में दूसरे चरण में विधान सभा नगर विस्तार योजना में भूमि आबंटित की गई है। विधान सभा नगर विस्तार योजना में अधिकारियों/कर्मचारियों को 108 भूखण्डों का लाटरी दिनांक 19.03.2007 द्वारा आबंटन किया गया है।

(2) भूखण्ड संख्या 1, 5, 114, 131, 149, 186, 188 एवं कार्नर भूखण्ड संख्या 2, 3, 6, 129, 89, 142, 156, 157, 166, 167, 176, 177, 184, 185, 190, 124 के अतिरिक्त समस्त भूखण्डों का कब्जा-पत्र एवं लीजडीड जारी कर दिया गया है। लीजडीड जारी करने एवं नहीं करने का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत कार्नर भूखण्ड संख्या 2, 185, 190 के अतिरिक्त समस्त भूखण्डों का डिमार्केशन कर दिया गया है। भूखण्ड संख्या 2, 185, 190 खसरा सीमा निर्धारण नहीं होने के कारण डिमार्केशन कार्य नहीं किया जा सका है। अतः उक्त भूखण्डधारियों को योजना के अन्य रिक्त भूखण्डों में से विनिमय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) भूमि आबंटन एवं दर का निर्धारण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति समिति द्वारा किया जाता है। विधान सभा नगर विस्तार के कार्नर भूखण्डों के बढ़े हुए क्षेत्रफल एवं दर निर्धारण के संबंध में समिति की बैठक दिनांक 25.11.2010 को आयोजित की गई, जिसमें बढ़े हुए क्षेत्रफल की दर निर्धारण के संबंध में प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक प.3(823)नविवि/3/2010 दिनांक

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

23.02.2011 द्वारा तीन भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल 100 वर्गगज से अधिक है, सहित शेष भूखण्डों के मामले में भी तत्कालीन आवासीय आरक्षित दर रुपये 1650/- की दुगुनी दर पर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आबंटन करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) बिन्दु संख्या-4 के अनुसार।

(6) प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक दिनांक 25.11.2010 में निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक प.3(823)नविवि/3/2010 दिनांक 23.02.2011 द्वारा तीन भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज से अधिक है, सहित शेष भूखण्डों के मामले में भी तत्कालीन आवासीय आरक्षित दर रुपये 1650/- की दुगुनी दर पर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आबंटन करने की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं। जिसके क्रम में मांग-पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राशि जमा होने के पश्चात कब्जा पत्र व पट्टा जारी की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण व प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित ट्रांसपोर्ट नगर

250. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर में कितने ट्रांसपोर्ट नगर कहां-कहां पर बसाये गये हैं और उक्त में कितनी दुकानें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें

(2) उक्त ट्रांसपोर्ट नगरों में दुकानों का साइज क्या-क्या है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ट्रांसपोर्ट नगरों में दुकानें किस-किस फर्म को किस किस साइज की किस प्रक्रिया से किस दर से किस-किसको आबंटित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में मौके पर ट्रांसपोर्ट नगरों की क्या स्थिति है? क्या फर्मों द्वारा दुकानें चालू कर ली गई हैं या प्लाट खाली हैं? खाली एवं भरे हुए प्लाटों के नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त दुकानों के आबंटन से कितनी आय किस-किस मद में प्राप्त हुई व उक्त राशि किस-किस मद में कब-कब कितनी-कितनी व्यय की गई?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर में सीकर रोड एवं आगरा रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाये गये हैं। आगरा रोड पर पूर्व में निर्मित ट्रांसपोर्ट नगर योजना का हस्तान्तरण वर्ष 1996 में जयपुर नगर निगम को किया जा चुका है।

1. सीकर रोड पर बनाये गये ट्रांसपोर्ट नगर में कुल 2307 दुकानें प्रस्तावित हैं। नक्शे की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
2. अजमेर रोड पर पूर्व में एक ट्रांसपोर्ट नगर विचाराधीन था। लेकिन अब उस क्षेत्र में एक व्यवसायिक व खातेदारों के लिए आवासीय (मिश्रित भू-उपयोग) की योजना प्रस्तावित है, जिसमें ट्रक टर्मिनल हेतु/आटो मोबाइल हेतु 1,10,299 वर्ग मीटर क्षेत्र आरक्षित है। इस योजना में 48 व्यवसायिक व 814 आवासीय भूखण्ड हैं। नक्शे की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) सीकर रोड पर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना में दुकानों की साइज निम्नानुसार है :-

1. 10 व.मी., 2. 80 व.मी. 3. 125 व.मी. 4. 160 व.मी. 5. 210 व.मी. 6. 240 व.मी. 7. 315 व.मी. 8. 390 व.मी. 9. 480 व.मी. 10. 910 व.मी. 11. 1800 व.मी.
2. अजमेर रोड पर ट्रक टर्मिनल/आटो मोबाइल हेतु 1,10,299 वर्ग मीटर क्षेत्र आरक्षित है लेकिन योजना में दुकानें सृजित नहीं की गई हैं।

(3) 1. ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड पर जिन फर्मों को जिस दर एवं साइज के भूखण्ड आबंटन किये हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त ट्रांसपोर्ट नगर हेतु जयपुर शहर के समस्त ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से सम्बन्धित आवेदकों से अपनी-अपनी एसोशियेशन की प्रमाणिकता के साथ आवेदन मांगे जाकर उनकी नियमानुसार जांच पश्चात भूखण्डों के आबंटन हेतु लाटरी निकाली गयी। लाटरी पश्चात माननीय न्यायालय में वाद दायर हो जाने के कारण पुनः दस्तावेज मांगे गये एवं दस्तावेजों की कमी होने पर भौतिक सत्यापन उपरान्त नियमानुसार सफल आवेदकों को आबंटन पत्र/कब्जा पत्र व लीजडीड जारी की जा रही है।

2. ट्रक टर्मिनल योजना अजमेर रोड़ में फर्मो को आबंटन नहीं किया गया है।

(4) 1. ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड योजना में भूखण्डों के आबंटन पत्र/कब्जा पत्र आदि की प्रक्रिया जैरकार है। कब्जा पत्र लीजडीड जारी उपरान्त ही

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

आबंटियों द्वारा कोई निर्माण कार्य किया जावेगा। वर्तमान में मौके पर कोई निर्माण नहीं है व योजना रिक्त है। अतः नक्शा परिशिष्ट-1 अनुसार ही है।

2. अजमेर रोड ट्रक टर्मिनल योजना में आरक्षित भूमि का आबंटन नहीं किया है।

(5) 1. ट्रांसपोर्ट नगर सीकर योजना में दुकानों के आबंटन से प्राप्त आय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

I. नजराना 14,90,17,616.00 रुपये

II. शहरी जमाबंदी 20,01,611.00 रुपये

III. ब्याज/पेनल्टी 5,95,602.00 रुपये

IV. विविध 8,88,326.00 रुपये

2. ट्रक टर्मिनल योजना में आरक्षित भूमि का आबंटन नहीं किया गया है। अतः कोई आय प्राप्त नहीं है।

3. सीकर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना की प्लानिंग करने के उपरान्त 12984.74 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति ली गई थी। प्रथम फेज की डब्ल्यू.बी.एम. सडकों एवं सी.डी. वर्क तथा काश्तकारों को दिये जाने वाली 15 प्रतिशत भूखण्ड हेतु आवासीय योजना में डामरीकरण का कार्य मौके पर पूर्ण करा दिया गया है। योजना में लगभग 134.00 कि.मी. (समतुल्य) सड़कों के विरुद्ध लगभग 110.00 कि.मी. (समतुल्य) डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का निर्माण कार्य एवं 72.00 कि.मी. में डामर सड़कों का निर्माण कार्य किया जा चुका है। इस प्रकार अब तक 1484.42 लाख के सिविल कार्य मौके पर उपलब्ध भूमि पर कराये जा चुके हैं तथा सड़क एवं लो हाइट कम्पाउण्ड वाल का कार्य प्रगति पर है।

4. ट्रक टर्मिनल योजना अजमेर रोड में 2 लेयर डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों पर 45.20 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

(प्रतियां व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

दौलतपुरा एवं खोरामीणा ग्राम (जयपुर) में फार्म हाउस योजना के वास्तुकारों का बकाया भुगतान

251. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री पाना चन्द)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2005 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम दौलतपुरा एवं खोरामीणा (जयपुर) में फार्म हाउस योजना का डिजायनिंग करवाया गया था? यदि हां, तो किस-किस वास्तुकार से व कितनी-कितनी राशि का एवं किन-किन शर्तों पर? शर्तों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य को कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा वास्तुकार को भुगतान की क्या दरें निर्धारित की गई थीं? निर्धारित दरों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वास्तुकारों द्वारा नियमानुसार उक्त योजनाओं का डिजायनिंग कार्य पूर्ण कर प्राधिकरण को संभला दिया गया? यदि हां, तो कब?

(4) क्या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वास्तुकार को भुगतान किया गया है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि का कब-कब व किस-किस को? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त प्रकरण में वास्तुकारों का बकाया भुगतान अब तक नहीं करने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर उक्त वास्तुकारों का बकाया भुगतान करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2005 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम दौलतपुरा, कोटडा व ग्राम खोरामीणा फार्म हाउस योजना का मानचित्र तैयार करने हेतु एलीगेण्ड डिजाइन कसलटेंट्स को क्रमांक एफ. ( )जविप्रा/व.न.नि./बी.पी.सी./2005/डी-159 दिनांक 21.10.2005 के आदेशानुसार कार्यादेश दिया गया था। जिस आदेश के अनुसार कार्य आदेश जारी किया गया कि प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.( )जविप्रा/एस.टी.पी.(बी.पी.सी.)/2005/डी-162 दिनांक 05.04.2006 के द्वारा निर्धारित रुपये 700/- प्रति बीघा दर निर्धारित की गयी थी। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) जी हां। वास्तुकार द्वारा दिनांक 07.04.2006 को उक्त योजना का कार्य पूर्ण कर जयपुर विकास प्राधिकरण को संभला दिया गया।

(4) जी नहीं। दौलतपुरा के फार्म हाउस की योजना तैयार करवा ली गयी थी व समानान्तर रूप से उक्त भूमि का अप्पूघर हेतु प्रस्ताव अलग से भिजवा दिया था। ऐसे में योजना बनाने में खर्च के औचित्य के परीक्षण पश्चात सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार निजी कन्सलटेन्ट्स से नेगोशियेशन हेतु एक समिति का गठन दिनांक 30.08.2008 को किया गया। उक्त समिति का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। समिति के निर्णय अनुसार निजी कन्सलटेन्ट्स के द्वारा किये गये कार्य की जांच कर एस.टी.पी. (बी.पी.सी.) भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन मूल पत्रावली जोन में विचाराधीन रहने के कारण भुगतान नहीं हो सका।

(5) उक्त प्रकरण में वास्तुकारों का बकाया भुगतान अब तक नहीं करने के लिए अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व तय करने हेतु जांच की कार्यवाही विचाराधीन है।

(6) जी हां। जांच के पश्चात नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही कर दी जावेगी। दोषी पाये जाने वाले संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

रावण गेट कालवाड़ रोड, जयपुर स्थित कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

252. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर के रावण गेट (बजरंग द्वार) कालवाड़ रोड झोटवाड़ा में कितनी कालोनियों का सरकार द्वारा नियमन किया जा चुका है तथा कितनी कालोनियां नियमन से वंचित हैं? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की शेष रही कालोनियों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में मूलभूत सुविधा सड़क पेयजल व सीवरेज आदि का अभाव है? यदि हां, तो सरकार उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री भगवान सहाय सैनी)

(4) क्या सरकार पूर्ण रूप से आबाद गैर अनुमोदित कालोनियों में सड़क सीवरेज व पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जयपुर में स्थित रावण गेट (बजरंग द्वार) कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा में 19 कालोनियों का सरकार द्वारा नियमन किया जा चुका है (सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है) तथा 11 कालोनियों को निरस्त किया जा चुका है, जिनका नियमन नहीं होने के कारण सहित सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) 11 योजनाओं को विभिन्न कारणों से निरस्त किया जा चुका है। निरस्त किए जाने के कारण सहित परिशिष्ट-2 पर संलग्न है तथा नियमन योग्य कोई योजना शेष नहीं है। शेष रही कालोनियों का नियमन करने का विचार नहीं रखती है।

(3) रावण गेट (बजरंग द्वार) कालवाड़ रोड स्थित कालोनियों में सडकों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत "जयपुर सीवरेज प्रोजेक्ट-प्रथम" में इस क्षेत्र की कालोनियों के पास से होकर आउट फाल सीवर डालने का कार्य किया जा चुका है तथा सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट का कार्य प्रगति पर है। उक्त क्षेत्र की कालोनियों में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर आन्तरिक सीवर सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जावेगा।

पेयजल व्यवस्था का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं की विकसित की गई आवासीय योजनाओं में ही किया जाता है। गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा विकसित कालोनियों में पेयजल व्यवस्था का दायित्व जयपुर विकास प्राधिकरण का नहीं है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बसावट वाली गैर अनुमोदित कालोनियों में सीवर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। किन्तु उक्त कार्य सीवर आउट फाल की उपलब्धता, तकनीकी फिजिबिलिटी, कम से कम 30 प्रतिशत अथवा अधिक निवासियों द्वारा सहभागिता राशि जमा कराने एवं वित्तीय संसाधन के उपलब्धता पर निर्भर करता है।

पेयजल व्यवस्था का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं की विकसित की गई आवासीय योजनाओं में ही किया जाता है। गृह निर्माण

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सहकारी समितियों द्वारा विकसित कालोनियों में पेयजल व्यवस्था का दायित्व जयपुर विकास प्राधिकरण का नहीं है।

(सूचियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

राजसमंद जिले में खेलों के प्रोत्साहन हेतु योजना

253. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला राजसमंद में विभिन्न खेल-कूद के प्रशिक्षण हेतु क्या व्यवस्था है?

(2) क्या सरकार तैराकी में राजसमंद के युवाओं के सराहनीय प्रदर्शन को देखते हुए यहां तैराकी प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था करने का विचार रखती है?

(3) उक्त जिले में विविध खेलकूद विद्याओं के विकास के लिए आगामी पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान प्रस्तावित हैं?

उत्तर

(1) क्रीड़ा परिषद द्वारा राजसमंद जिले में खेलकूद प्रशिक्षण हेतु वालीबाल एवं हाकी खेल के प्रशिक्षक नियुक्त कर रखे हैं, जो नियमित रूप से जिला मुख्यालय पर वालीबाल एवं हाकी खेल में प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा क्रिकेट, तैराकी, कुश्ती एवं बास्केटबाल का प्रशिक्षण संबंधित जिला खेल संघों द्वारा दिया जाता है।

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) के तहत क्रीड़ाश्री द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(2) जी नहीं।

(3) जिले में चालू पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2008-09 से केन्द्र प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान संचालित है । यह योजना आगामी पंचवर्षीय योजना में 2016-17 तक प्रवृत रहेगी। इसके प्रावधान संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार है ।

परिशिष्ट "क"

राजसमंद जिले में पायका योजना में पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	चालू पंचवर्षीय योजना (2007-12)	आगामी पंचवर्षीय योजना (2012-17)
1	2	3	4
1.	पायका केन्द्रों की स्थापना	ब्लाक पंचायत-02	ब्लाक पंचायत-05
		ग्राम पंचायत-80	ग्राम पंचायत-121
		पायका योजना के प्रथम चरण में संलग्न सूची अनुसार जिले की ब्लाक पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में पायका केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है। योजना के द्वितीय चरण में प्रस्तावित पायका केन्द्रों की सूची संलग्न है। योजना के मापदण्ड के अनुसार अवशेष ब्लाक/ग्राम पंचायतों का शेष वर्षों में चयन कर लाभान्वित कर दिया जावेगा।	
2.	एक मुश्त पूंजीगत अनुदान (One Time Capital Grant) खेल मैदान विकास हेतु	प्रति चयनित ब्लाक पायका केन्द्र—5.00 लाख रु. प्रति चयनित ग्राम पायका केन्द्र—1.00 लाख रु.	प्रति चयनित ब्लाक पायका केन्द्र—5.00 लाख रु. प्रति चयनित ग्राम पायका केन्द्र—1.00 लाख रु.
3.	वार्षिक अधिग्रहण अनुदान (Annual Acquisition Grant)	प्रति चयनित ब्लाक पायका केन्द्र—24,000 रु. प्रति वर्ष 5 वर्ष तक प्रति चयनित ग्राम पायका केन्द्र—12,000 रु. प्रति वर्ष 5 वर्ष तक	प्रति चयनित ब्लाक पायका केन्द्र—24,000 रु. प्रति वर्ष 5 वर्ष तक प्रति चयनित ग्राम पायका केन्द्र—12,000 रु. प्रति वर्ष 5 वर्ष तक
4.	वार्षिक प्रचलनात्मक अनुदान (Annual Operational Grant)	प्रति चयनित ब्लाक पायका केन्द्र—20,000 रु. प्रति वर्ष 5 वर्ष तक प्रति चयनित ग्राम पायका केन्द्र—10,000 रु. प्रति वर्ष 5 वर्ष तक	प्रति चयनित ब्लाक पायका केन्द्र—20,000 रु. प्रति वर्ष 5 वर्ष तक प्रति चयनित ग्राम पायका केन्द्र—10,000 रु. प्रति वर्ष 5 वर्ष तक

1	2	3	4
5.	वार्षिक प्रतियोगिता अनुदान (Annual Competition Grant)	7 पंचायत समितियों पर प्रति वर्ष ब्लाक स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 50,000 रु. प्रति पंचायत समिति जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्रति वर्ष 2.00 लाख रु.	7 पंचायत समितियों पर प्रति वर्ष ब्लाक स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 50,000 रु. प्रति पंचायत समिति जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्रति वर्ष 2.00 लाख रु.

संलग्न सूची-1

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) राजस्थान

प्रथम चरण हेतु चयनित ग्राम पंचायतों की सूची

DISTRICT-RAJSAMAND

S. No.	District	Block Panchayat	Village Panchayat
1.	RAJSAMAND	AMET	SARDARGARH
2.		BHIM	BARAR
3.			BHIM
4.		DEOGARH	TAL
5.		KHAMNOR	BAGOL
6.		KUMBHALGARH	UMARWAS
7.		RAILMAGRA	GILUND
8.			KURAJ
9.			RAILMAGRA
10.		RAJSAMAND	EMRI
11.			KELWA

संलग्न सूची-2

PANCHAYAT YUVA KRIDA AUR KHEL ABHIYAN (PYKKA)
LIST OF SELECTED VILLAGE PANCHAYATS 2nd PHASE

DISTRICT-RAJSAMAND

S. No.	Block Panchayat	Village Panchayat	Govt. Land/School
1.	AMET	AGARIYA	SCHOOL
2.	BHIM	SAROTH	SCHOOL
3.	DEOGARH	LASSANI	SCHOOL
4.	KHAMNOR	BILOTA	SCHOOL
5.		DHANYLA	SCHOOL
6.		MANDIYANA	SCHOOL
7.		NEGDIYA	SCHOOL
8.		UPLI ODAN	SCHOOL
9.	RAILMAGRA	MAHENDURIYA	SCHOOL
10.	RAJSAMAND	BHANA	SCHOOL
11.		KUNWARIYA	SCHOOL
12.		MOHI	SCHOOL
13.		PARASLI	SCHOOL
14.		SUNDARCHA	SCHOOL
15.		RAJYAWAS	SCHOOL

डूंगरपुर में प्रस्तावित पुलिस थाना

254. श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पुलिस थाना रामसागड़ा खोलना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पुलिस थाना बस्सी (जयपुर) में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

255. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के थाने में व्याप्त भ्रष्टाचार की जनवरी, 2010 से जनवरी, 2011 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बस्सी थाने में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के थाना बस्सी में जनवरी 2010 से दिनांक 17.02.2011 तक भ्रष्टाचार की 4 शिकायतें प्राप्त हुई। विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) दर्ज प्रकरणों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है।

परिशिष्ट "क"

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जनवरी, 2010 से आज दिनांक 17.2.2011 तक विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर के थाना बस्सी के संबंध में दर्ज प्रकरण व शिकायत की सूची

अ-परिवाद जिनमें प्रकरण दर्ज किये गये—

क्र. सं.	विरुद्ध	अपराध संख्या एवं पंजीयन की दिनांक	विवरण
1.	श्री नवल सिंह, ए.एस.आई., पुलिस थाना बस्सी, जिला जयपुर	179/2010 दिनांक 02.07.2010	अन्वेषणाधीन
2.	श्री तेजसिंह, आरक्षक संख्या 1276, चौकी तुंगा, थाना बस्सी, जिला जयपुर।	219/2010 दिनांक 04.08.2010	अन्वेषणाधीन

ब-परिवाद

क्र. सं.	विरुद्ध	परिवाद संख्या एवं पंजीयन की दिनांक	विवरण
1.	श्री नवल सिंह, ए.एस.आई., पुलिस थाना बस्सी, जिला जयपुर	आर-2390/2010 दिनांक 14/7/2010	शिकायत अपराध संख्या 179/2010 से संबंधित होने के फलस्वरूप पत्रावलित किया गया।
2.	इंचार्ज, पुलिस थाना बस्सी, जिला जयपुर।	एच-2744/2010 दिनांक 13/12/2010	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पत्रांक भ्रनिब्यू/परि/2010/6841 दिनांक 31/12/2010 द्वारा महानिदेशक पुलिस, जयपुर रेंज प्रथम, जयपुर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। उक्त परिवाद की जांच पुलिस उपायुक्त, पूर्व जयपुर से करवायी गई तो सभी आरोप अप्रमाणित पाये गये।

सिरोही जिले में शस्त्र लाइसेंस के लम्बित प्रकरण

256. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सिरोही में दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2010 की अवधि में किस-किस व्यक्ति ने शस्त्र लाइसेंस के लिए कब-कब आवेदन किया एवं उक्त आवेदनों पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) उक्त अवधि के आवेदकों को हथियार लाइसेंस देने अथवा न देने के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा पुलिस ने किस-किस मामले में क्या-क्या टिप्पणी प्रेषित की है?

(3) सरकार द्वारा उक्त अवधि में किन-किन को कब-कब लाइसेंस जारी किये गये?

उत्तर

(1) जिला सिरोही में दिनांक 01 जनवरी 2009 से 30 जून, 2010 की अवधि में कुल 27 व्यक्तियों द्वारा शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में कुल 27 व्यक्तियों द्वारा आवेदन करने पर जांच करवाये जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही एवं पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. जोधपुर द्वारा अनुशंसा नहीं करने से 5 व्यक्तियों के आवेदन निरस्त किये गये। शेष 22 में से 15 व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किये गये तथा 7 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। निरस्त आवेदकों के नाम निम्नांकित हैं–

1. श्री अभिमन्युसिंह पुत्र विक्रमसिंह निवासी मण्डवाडा
2. श्री प्रतापराम पुत्र हजाराम माली निवासी पालडी एम.
3. श्री डुंगरसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी बुटडी
4. श्री करमा पुत्र धरमा ग्रासिया निवासी पाबा
5. श्री रोहित मोदी पुत्र विरेन्द्र मोदी निवासी सिरोही

(3) उक्त अवधि में जारी लाइसेंसों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

सिरोही जिले में दर्ज प्रकरणों की जांच परिणामों में भिन्नता

257. श्री राईया मीणा (आसपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जिला सिरोही में 1 जनवरी, 2009 से 15 फरवरी, 2011 के मध्य दर्ज आपराधिक प्रकरणों में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें अनुसंधान एक से ज्यादा अधिकारियों ने किया? उक्त प्रकरणों में अनुसंधान अधिकारी बदलने के क्या कारण रहे? मुस्तगीस अथवा मुल्जिम जिस पक्ष के भी प्रार्थना पत्र पर अनुसंधान अधिकारी बदले गए, उनके प्रार्थना पत्रों की प्रति अनुसंधान अधिकारी बदलने का निर्णय किस स्तर पर हुआ, का प्रकरणवार उल्लेख सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि के ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें प्रथम अनुसंधानकर्ता एवं द्वितीय अनुसंधानकर्ता के जांच नतीजे में परिवर्तन आया व उक्त में कौन से जांच नतीजे को अंतिम माना गया और उसके क्या कारण थे? प्रत्येक जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच की प्रति सहित प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरणों में गलत जांच करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" पर एवं प्रार्थना पत्रों की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है ।

(2) विवरण परिशिष्ट "ब" पर एवं जांच प्रतियां परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) उक्त विवरण परिशिष्ट "ब" के कालम 8 पर अंकित है।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

उदयपुर गिलारीया ग्राम (जयपुर) में सरकारी भूमि का अवैध स्थानांतरण

258. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम उदयपुर गिलारीया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की भूमि पुराना खसरा नं. 22 नया खसरा नं. 40, 42, 43, 74, 75, 76, 77 की भूमि राजस्व रिकार्ड में सरकारी दर्ज है? यदि हां, तो जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(श्री अमराराम)

(2) क्या उक्त सरकारी भूमि निजी खातेदारी में अंकित कर दी जाती है? यदि हां, तो किन कारणों से व्यक्तिगत खातेदारी में दर्ज की गई एवं इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या उक्त भूमि के अवैध स्थानान्तरण के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी थी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम उदयपुर गिलारिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर के पुराने ख.नं. 22 की भूमि संवत 2015 में चरागाह के खाते में दर्ज रेकार्ड थी। उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 40, 42, 43, 74, 75, 76, 77 की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी की प्रति परिशिष्ट- 1, 2, 3 व 4 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। संवत 2015 से 2034 की खतौनी बन्दोबस्त की द्वितीय प्रति जो जिला राजस्व अभिलेखागार जयपुर में रखी जाती है। उस प्रति में किसी कार्मिक द्वारा कांट-छांट कर व्यक्तिगत खातेदार का नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त कांट-छांट के संबंध में अति. जिला कलक्टर-चतुर्थ जयपुर द्वारा बनीपार्क थाने में एफ.आई.आर संख्या 116 दिनांक 20/4/2010 दर्ज करवाई गई है, जिसमें अनुसंधान की कार्यवाही जैरकार है। अनुसंधान की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही दोषी कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही संभव हो सकेगी। एफ.आई.आर. की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

वर्तमान में उक्त भूमि निजी खातेदारों के नाम अंकित न होकर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। यद्यपि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने प्रकरण संख्या 56/2006 निर्णय दिनांक 13/7/06 द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी खाजूशाह उर्फ खाजूं खां पुत्र स्व. जवाहरशाह उर्फ जवाहर खां के नाम करने का आदेश दिया है। इस निर्णय के विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील करने पर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील डिक्री संख्या 7468/06 में निर्णय दिनांक 3/7/09 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 13/7/06 को यथावत रखा गया। इस निर्णय के विरूद्ध जे.डी.ए द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील की गई है। जिस पर राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय पर स्थगन आदेश जारी किया गया है।

(3) जी हां। उक्त भूमि के अवैध स्थानान्तरण के विरुद्ध पुलिस में

(राजस्व मंत्री)
अति0 जिला कलक्टर-चतुर्थ द्वारा एफ0आई0आर दर्ज करवाई गई है। जिसमें पुलिस अनुसंधान की कार्यवाही जैरकार है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सिहाडा/नाथूवास (नाथद्वारा) के तालाब की जमीन का रूपान्तरण

259. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नाथद्वारा नगर के सिहाड के तालाब, नाथूवास के तालाब की जमीन को गैर खातेदारी से खातेदारी में रूपान्तरित करने का आदेश जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो कब?

उत्तर

जी नहीं। नाथद्वारा नगर के सिहाड के तालाब, नाथूवास के तालाब की भूमि भूप्रबन्ध से पूर्व ही खातेदार भूमि के रूप में दर्ज रेकार्ड है। गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

जयपुर जिले के राजस्व न्यायालयों के स्थानान्तरित कार्मिक

260. श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कार्यरत कर्मचारी के स्थानान्तरण पर जाने से पूर्व चार्ज अपने उत्तराधिकारी को सम्भलाया जाने के लिए नियम, आदेश/परिपत्र जारी किए हुए हैं? यदि हां, तो क्या उक्त की पालना सुनिश्चित की जाने के लिए कोई कार्यवाही अमल में लाई जाती है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर स्थित विभिन्न राजस्व न्यायालयों में कार्यरत तथा पूर्व में कार्यरत रहे लिपिकों द्वारा स्थानान्तरण पर पूर्ण चार्ज नहीं सम्भलाये जाने के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो किस-किस न्यायालय के किस-किस कर्मचारी के सम्बन्ध में? गत 10 वर्षों की अवधि में उक्त प्रकार के प्रकरण से सम्बन्धित कर्मचारियों की न्यायालयवार नामजद सूची सहित की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार चार्ज नहीं सम्भालने वाले कर्मचारियों को निलम्बित करके रिकार्ड प्राप्ति के लिए पुलिस कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(श्री अशोक पींचा)

(4) क्या राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान को पत्र क्रमांक आर.ए.ए./संस्था/2011/141 दिनांक 18-01-2011 लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है? रिकार्ड सम्बन्धी अनियमितताओं से असंतोषजनक कार्य करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध वर्षो तक कार्यवाही नहीं करने के कारणों सहित की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर जाने से पूर्व चार्ज अन्य कार्मिक को सम्भलाये जाने का राजस्थान सेवा नियमों में प्रावधान है तथा यथासंभव नियमों की पालना सुनिश्चित की जाती है। इस संबंध में राजस्थान सेवा नियम द्वितीय खण्ड की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। गत 10 वर्षों में जयपुर स्थित राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में पूर्व में कार्यरत रहे श्री सोहन लाल मीणा, कनिष्ठ लिपिक द्वारा स्थानान्तरण पर पूर्ण चार्ज नहीं संभलाये जाने का प्रकरण सामने आया है।

श्री सोहन लाल मीणा, क.लि. द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कार्यालय जयपुर का चार्ज नहीं संभलाये जाने पर राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के नोटिस दिनांक 3/2/09 द्वारा श्री मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

(3) मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के कार्मिक द्वारा तत्कालीन किन्ही कारणों से स्वयं के पद का कार्यभार अन्य कार्यरत कार्मिक को नहीं संभलाये जाने की स्थिति में प्रथमतः नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा संतोषप्रद कारण नहीं पाये जाने पर कार्मिक के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम, 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाये जाने का प्रावधान है।

(4) जी हां। राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान को पत्र संख्या 141 दिनांक 18/1/2011 लिखा गया था।

उक्त पत्र के संबंध में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा श्री सोहन लाल मीणा, क.लि. के विरूद्ध आरोप पत्रादि तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहाड़ा में स्वीकृत पटवार भवन एवं निरीक्षण भवन

261. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कहां-कहां पर पटवार हल्का भवन एवं इंस्पक्टर भवन स्वीकृत हैं? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जहां पटवार हल्का एवं इंस्पक्टर भवन नहीं हैं, वहां भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में निम्नलिखित इंस्पक्टर भवन स्वीकृत हैं :-

हमीरगढ़, सहाड़ा, लाखोला, रायपुर, आशाहोली एवं मोखुन्दा ।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में निम्नलिखित पटवार भवन स्वीकृत हैं :-

भोपालगढ़, दूडिया, सेथुरिया, कारोई, गुरलां, कोचरिया, गुंदली, रामपुरिया, सांगवा, हमीरगढ़ प्रथम, औज्याड़ा, बरडोद, देवली, खेराबाद, आमलीगढ़, दरीबा, मेलोनीखेड़, डेलाणा, उल्लाई, कोसीथल, चावडीया, आमली, नांदसा, चीड़खेड़ा, सहाड़ा, पोटला, सरगांव, सुरावास, माजावास, नेगडीया, खेड़ा, सालेरा, खांखला, सातल्यास, कांगणी, लाखोला, अरनिया, भरक, सोनीयाना, भूणास, ढोसर, गणेशपुरा, शिवरती, महेन्द्रगढ़, रायपुर, बोराणा, भीटा, सरेवड़ी, बागोलिया, पालरा, पीथाकाखेड़ा, थला, आशाहोली, बोरियापुरा, नाहरी, नारायणखेड़ा, नाथड़ियास, सगरेव, नान्दशा, मोखुन्दा, झडोल, खेमाणा, देवरिया, गलवा, खाखरमाला, कोट एवं बागड़ ।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में केवल एक सर्किल गंगापुर में इंस्पेक्टर भवन स्वीकृत नही है ।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में निम्नलिखित पटवार भवन स्वीकृत नहीं है :-

जागदरी, मुजरास, तिलोली, हमीरगढ़ द्वितीय, तख्तपुरा, बिलियांकलां, गंगापुर, गोवलिया, बकाण, एवं टुंगच ।

बजट प्रावधानों की उपलब्धता के आधार पर उक्त स्थानों पर इंस्पेक्टर सर्किल एवं पटवार मण्डलों में भवनों का निर्माण कराके दिया जावेगा।

शिवगंज व सिरोही तहसील की राजस्व भूमि पर अतिक्रमण

262. श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सिरोही की शिवगंज तहसील में वर्ष 2009 से जनवरी, 2011 तक किन-किन मामलों में तहसीलदार शिवगंज ने राजकीय भूमि पर पक्के अतिक्रमण हटाने/तोड़ने के लिए कब-कब जिला कलक्टर सिरोही से अनुमति मांगी है? उक्त अतिक्रमण हटाने में लापरवाही के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है? तहसीलदार शिवगंज के पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील शिवगंज व सिरोही में नाडी, नाला, तालाब व ओरण की भूमि पर भी पक्के अतिक्रमण किये गये हैं? यदि हां, तो सर्वोच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान से संबंधित निर्णय के बाद उक्त संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नाडी एवं ओरण व तालाब के अतिक्रमण नहीं हटाना सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश का उल्लंघन नहीं है?

(4) अब सरकार द्वारा शिवगंज तहसील के नाडी व ओरण भूमि के उक्त पक्के अतिक्रमण कब तक हटा दिये जाएंगे?

उत्तर

(1) सिरोही जिले के शिवगंज तहसील में वर्ष 2009, 2010, 2011 के दौरान राजकीय भूमि पर से पक्के अतिक्रमणों को हटाने/तोड़ने के लिए तहसीलदार, शिवगंज से पत्रांक/राजस्व/739 दिनांक 18.7.09 व पत्रांक राजस्व/2010/1143 दिनांक 6.10.10 प्राप्त हुए थे । उक्त पत्र प्राप्त होने पर पक्के निर्माण गिराने के आदेश देने के लिए तहसीलदार स्वयं सक्षम होने के प्रावधान से पत्रांक/राजस्व/2010/4356 दिनांक 25.10.10 के द्वारा अवगत कराया गया। अतिक्रमण हटाने में किसी भी कार्मिक द्वारा लापरवाही नही बरती गयी है। पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जी हां। तहसील सिरोही में नाडी, तालाब, ओरण भूमियों के अतिक्रमण हटाये गये हैं। तहसीलदार शिवगंज के अनुसार शिवगंज तहसील के ग्राम पोसालिया, केसरपुरा, गोडाना व जोयला में कुल 32 व्यक्तियों द्वारा नाडी व नदी की भूमियों से अतिक्रमण करके कई वर्षों से पक्के मकान बनाकर आबादी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल

(राजस्व मंत्री)

रहमान बनाम सरकार के प्रकरण में दिये गये आदेश की पालना में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इसी तरह ग्राम गोडाना में किस्म नाडी तथा ग्राम नारादरा में किस्म गै.मु. ओरण भूमि पर रेबारी समाज के पक्के सामुदायिक सभा भवन बने हुए हैं।

(3) अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया है। जिसमें नियमानुसार प्रकरणों में सुनवाई का अवसर दिया जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जैरकार है।

(4) शिवगंज तहसील में नाडी व ओरण भूमि के तहत पक्के अतिक्रमणों के संबंध में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया है। जिसमें नियमानुसार प्रकरणों में सुनवाई का अवसर दिया जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जैरकार है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

देवमूर्ति के नाम दर्ज भूमि हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु प्रक्रिया

263. **श्री राजकुमार रिणवां** (रतनगढ़) व **श्री अशोक पींचा** (सरदारशहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मंदिर माफी की भूमि पुनः देवमूर्ति के नाम दर्ज किये जाने के आदेश सरकार द्वारा जारी किये हुये हैं? यदि हां, तो कब-कब? उक्त आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि देवमूर्ति के नाम भूमि होने के कारण अब उक्त भूमि में बने हुये कुओं में कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं?

(3) क्या सरकार देवमूर्ति नाम से दर्ज भूमि के कुओं में सेवायतन/ मंदिर के नाम कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु कोई आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त दर्ज मंदिर माफी भूमि में कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जाने बाबत पूर्व में कोई दिशा/निर्देश/आदेश/मानदण्ड निर्धारित/जारी किये हुये हैं? यदि हां, तो कब-कब? उक्त जारी पूर्व के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ने उक्त आदेशों के पश्चात् भी कोई संशोधित आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो क्या व किस-किस प्रकार के? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) अब उक्त संबंध में आदेश कब तक जारी कर दिये जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र क्रमांक प.2(4) राज.4/90/37 दिनांक 13/12/1991 एवं प.3(2)राज.6/2007/14 दिनांक 24/05/2007 की प्रतिलिपि परिशिष्ट अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) जो कृषि भूमि मन्दिर के नाम से है तथा लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है ऐसी स्थिति में सहायक आयुक्त देवस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के उपरान्त ही धारक के माध्यम से मन्दिर/मूर्ति को विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान है।

(3) इस सम्बन्ध में विद्युत निगमों के आदेश पहले से ही जारी हैं।

(4) इस सम्बन्ध में विद्युत निगम से जारी आदेश आर.ई.ए. 122 दिनांक 26/06/1998 एवं आर.ई.ए. 181 दिनांक 02/11/2007 की प्रतियां परिशिष्ट स एवं द पर संलग्न हैं।

(5) विद्युत निगमों में उक्त बिन्दु 4 में वर्णित आदेश के पश्चात कोई अन्य आदेश जारी नहीं हुए हैं।

(6) इस सम्बन्ध में उक्त आदेश ही प्रभावी हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

खाजूवाला में संचालित स्वास्थ्य केन्द्र

264. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में कितने प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दन्तौर, मोतीगढ़ व लाखूसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त स्थापित प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने पद स्वीकृत एवं वर्तमान में कितने रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के अन्तर्गत 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। नामों का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) आगामी वित्तीय वर्षो में गुणावगुण/आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार ग्राम दन्तौर, मोतीगढ़ एवं लाखूसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पदों को पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर अथवा स्थानान्तरण से यथासंभव प्राथमिकता/ आवश्यकतानुसार भरे जायेंगे।

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से 1053 चयनित चिकित्सा अधिकारियों की सूची प्राप्त हो गयी हैं, पदस्थापन की कार्यवाही शीघ्र की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण चिकित्सा अधिकारियों के 749 रिक्त पदों को भरने की भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 56 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को अर्थना भिजवाई जा चुकी है। चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर यथासंभव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार भरे जायेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत 150 चिकित्सा अधिकारी (दंत) अनुबंध के आधार पर भरने के लिये राजस्थान यूनिर्वसिटी आफ हैल्थ साइंस को लिखित परीक्षा आयोजित करने हेतु लिखा जा चुका है।

नर्स श्रेणी द्वितीय के कुल 903 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से 702 अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है, लेकिन एस.बी. सिविल रिट पिटिशन 10866/2010 तनुज वैष्णव बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 24/25.11.2010 को नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 1344 रिक्त पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आमंत्रित किये जा चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य स्तरीय मैरिट सूची के आधार पर नियुक्ति के अन्तरिम आदेश दिये हैं। माननीय उच्च

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

न्यायालय के अन्तरिम आदेश की पालना में वरियता सूची तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु 346 अभ्यार्थियों का चयन कर जिला आबंटित किया जा चुका है।

दंत टेक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त हुई लेकिन वित्त विभाग द्वारा इस पद की योग्यता संशोधित करने के निर्देश दिये हैं। संशोधित योग्यता निर्धारित किये जाने हेतु सेवा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग की सहमति के पश्चात वित्त विभाग को सहमति हेतु भेजा गया है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारी/वार्ड ब्वाय के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, जिसे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने का प्रयास किया जायेगा ।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम एवं उनमें स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थावार तथा पदवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाजूवाला	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	—	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध कार्यरत हैं।
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	—	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध कार्यरत हैं।

1	2	3	4	5
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	1	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (बालरोग)	1	1	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्ररोग)	1	1	
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	
	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी	4	1	
	चिकित्सा अधिकारी (दंत)	1	1	
	नर्स श्रेणी प्रथम	5	5	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	9	6	
	सहायक रेडियोग्राफर	1	—	
	लैब टेक्नीशियन	2	1	
	दंत टेक्नीशियन	1	1	
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	-	
	वरिष्ठ लिपिक	1	-	
	कनिष्ठ लिपिक	1	-	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारी/वार्ड ब्वाय	10	1	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानैर दामोलाई	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी	1	—	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	—	
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	
	लैब टेक्नीशियन	1	—	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारी	2	—	

1	2	3	4	5
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजासर भाटीयान	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी	1	—	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	—	
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	
	लैब टेक्नीशियन	1	—	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	1	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छतरगढ़	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी	1	1	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	3	—	
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	
	लैब टेक्नीशियन	1	—	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारी	3	—	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूगल (मोबाइल डिस्पेंसरी सहित)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	—	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध कार्यरत हैं।
	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी	1	—	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	3	—	
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	
	लैब टेक्नीशियन	1	—	
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	—	

1	2	3	4	5
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जयमलसर	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी	1	—	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	—	
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	
	लैब टेक्नीशियन	1	—	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	—	

जमवारामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना

265. **श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ को एफआरयू के रूप में चयनित किया गया है? यदि हां, तो क्या ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिए गए?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ब्लड स्टोरेज यूनिट लाइसेंस प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो कब से तथा उक्त लाइसेंस अब कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ब्लड स्टोरेज यूनिट कब तक प्रारम्भ कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ पर ब्लड स्टोरेज यूनिट हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं।

(2) औषधि नियंत्रक, राजस्थान जयपुर के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ को ब्लड स्टोरेज यूनिट के संचालन हेतु दिनांक 7 मार्च, 2011 को अनुमति जारी कर दी गई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जमवारामगढ़ पर ब्लड स्टोरेज यूनिट संचालित है।

अनूपगढ़ में द्वितीय श्रेणी नर्स के रिक्त पद

266. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में नर्स द्वितीय व प्रथम श्रेणी के कुल कितने-कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं तथा उक्त में से वर्तमान में कौन-कौन से कार्मिक कार्यरत हैं व कौन-कौन से पद रिक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर के अन्य क्षेत्रों में नर्स श्रेणी द्वितीय के स्वीकृत पदों से भी अतिरिक्त नर्स श्रेणी द्वितीय को पद विरुद्ध एवं प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर कार्यरत एवं प्रतिनियुक्ति नर्स श्रेणी द्वितीय को विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रिक्त पदों पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्स श्रेणी प्रथम एवं नर्स श्रेणी द्वितीय के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का कर्मचारियों के नाम सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। जिला श्रीगंगानगर के अन्य क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सादुलशहर में 2, रायसिंहनगर में 1 एवं सूरतगढ में 2 नर्स श्रेणी द्वितीय को नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों के विरूद्ध लगा रखा है। तथा कोई भी नर्स श्रेणी द्वितीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नही है । उपरोक्त संस्थानों में नर्स श्रेणी प्रथम के पद रिक्त होने के कारण नर्स श्रेणी द्वितीय को पद विरूद्ध लगा रखा है।

(3) जी हां। पद विरुद्ध कार्यरत नर्स श्रेणी द्वितीय को नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों पर प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार लगाया जायेगा ।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्स श्रेणी प्रथम एवं नर्स श्रेणी द्वितीय के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का कर्मचारियों के नाम सहित विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	पदस्थापित कर्मचारी का नाम
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनूपगढ़	नर्स श्रेणी प्रथम	5	—	5	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	8	4	4	श्री रघुराज, श्री प्रेमसोखल, श्री मालाराम, श्री दुष्यंत
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घडसाना	नर्स श्रेणी प्रथम	1	—	1	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	6	5	1	श्री श्योपत राम श्री धर्मराज मीणा श्री घनश्याम श्रीमती सुलोचना श्रीमती रामप्यारी

1	2	3	4	5	6
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाहरावाली	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	—	श्री छुट्टन लाल मीणा
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामसिंहपुर	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	—	श्री मनोज कुमार, श्री रामकेश
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 365आरडी	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	—	श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्रीमती बलविन्दर
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावला	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	—	श्रीमती रमनदीप कौर, श्रीमती ममता मीणा
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोजडी	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	—	श्री विजय सिंह, श्रीमती सुनीता

वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सुविधा का लाभ

267. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पात्रता निर्धारित आयु 65 वर्ष होने के बाद भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 70 वर्ष के बाद वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सुविधा लाभ दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.4.2007 के अनुसरण में 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में बी.पी.एल. मरीजों की भांति नि:शुल्क चिकित्सा एवं नैदानिक जांच की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स द्वारा दवा निर्माण में की गई अनियमितताएं

268. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) व **श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकारी दवा कम्पनी राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) प्रशासन द्वारा निजी दवा कम्पनियों को कच्चा माल देकर उनसे दवाई बनवाने और फिर उन दवाइयों को कम्पनी का उत्पादन बताकर केन्द्र व राज्य सरकारों को आपूर्ति की गई है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितनी दवाइयों का इस प्रकार से निर्माण उक्त कम्पनी द्वारा करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकारी दवा कम्पनी आरडीपीएल द्वारा बिना गेट पास के कम्पनियों को दवाइयां निर्माण करने हेतु कच्चे माल की आपूर्ति की गई है? यदि हां, तो ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिनको सरकारी दवा कम्पनी द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निजी कम्पनियों से तैयार माल को मंगवाकर आरडीपीएल की मशीनों पर पर्यवेक्षक व अधिकारियों द्वारा तैयार दिखाकर केन्द्र एवं राज्य को सप्लाई की गई दवाइयों को दवा वितरकों के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है? यदि हां, तो व तक प्रदेश में ऐसे कितने प्रकरण पाये गये ? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(4) क्या यह सही है कि सरकारी दवा कम्पनी आरडीपीएल में अनुभवहीन फर्मों से दवा निर्माण कराया गया एवं दवा निर्माण हेतु मशीन खरीदी गई, जिससे आरडीपीएल को करोड़ों का नुकसान हुआ? यदि हां, तो आरडीपीएल को हुए नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि आरोपियों द्वारा किये गये घोटाले पर पर्दा डालने के लिए आरडीपीएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ओवरटाइम एवं मेडिकल भुगतान कराया गया? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण पाये गये जिनमें ओवरटाइम/मेडिकल भुगतान आरडीपीएल द्वारा अधिकारी/कर्मचारियों को दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा आवश्यकता पड़ने पर निजी कम्पनियों पर लोन लाइसेंस लेकर ऐलोपैथी एवं आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण करवाया जाता है। इस प्रकार लोन लाइसेंस लेकर दवाइयो का निर्माण करवाना "ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट" के तहत वैधानिक है।

राज्य सरकार में केवल राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित दवाइयों को ही प्रदेश के सरकारी संस्थानों में आपूर्ति की जाती है।

केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग एनवीबीडीसीपी, ईएसआईसी, एएफएमएसडी, रेलवेज एवं उपक्रम एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल, बीएचईएल इत्यादि एवं भारत के अन्य राज्य सरकारें जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, पाण्डिचेरी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, बिहार झारखंड एवं उत्तराखण्ड में स्वयं निर्मित दवाइयां एवं आवश्यकता होने पर लोन लाइसेंस के द्वारा निर्मित दवाईयों की आपूर्ति की जाती है।

लोन लाइसेंस के उत्पाद के लेबल पर उत्पादनकर्ता का नाम यानी राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड लिखा जाता है लेकिन उस पर मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस का नम्बर जो कि औषधि विभाग द्वारा जारी किया जाता है अंकित होता है एवं पता भी उस संस्था का होता है जहां दवा का निर्माण लोन लाईसेंस पर किया जाता है जो कि ड्रग्स एक्ट के तहत वैधानिक है।

गत दो वर्षों में इस प्रकार की निर्माण करायी गयी ऐलोपैथिक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

आयुर्वेदिक दवाइयां एवं संस्था का नाम जहां दवाइयां बनायी गई का ब्यौरा निम्नलिखित है।

एलोपैथी दवाई का नाम- संस्था का नाम जहां से दवाई बनायी गई सूची परिशिष्ट-ए पर प्रस्तुत है।

आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण निम्न संस्थानों से कराया जाता है कि सूची परिशिष्ट-बी पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स द्वारा लोन लाइसेंस के तहत उत्पादन के लिये भेजा गया कच्चा माल गेट पास के द्वारा ही भेजा जाता है।

(3) जी नहीं। यह असत्य है कि निजी कम्पनियों से माल बनाकर राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में तैयार कराया हुआ दिखाकर आपूर्ति की जाती है।

राजस्थान में राज्य सरकार के संस्थानों में केवल राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित दवाइयों की ही आपूर्ति की जाती है।

राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड वैधानिक लाइसेंस के तहत निजी कम्पनियों से दवा उत्पाद करवाती है एवं जिन कम्पनियों में राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा लोन लाइसेंस से माल बनवाया जाता है उन पर राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड़ का ही नाम अंकित होता है। परन्तु जहां से दवाइयां बनायी जाती हैं उनका मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस का नम्बर एवं पता जहां से दवा निर्माण होता है अंकित रहता है। केन्द्र सरकार एवं अन्य राज्यों में वितरकों के द्वारा भी दवा आपूर्ति की जाती है।

(4) जी नहीं। यह कथन सत्य नहीं है। राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड आवश्यकता पड़ने पर लोन लाइसेंस लेकर दवाइयों का निर्माण ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट के तहत उत्पादन करवाती है। इस प्रकार के दवा निर्माण के लिए निजी कम्पनी का चयन उनके द्वारा दवा निर्माण का यथोचित अनुभव उन कम्पनियों में शड्यूल एम/जी.एम.पी. एवं योग्यता प्रमाणीकरण के बाद ही करवाया जाता है।

विगत दो वर्षों से जिन कम्पनियों पर राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल्स

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

लि. द्वारा लोन लाइसेंस के अन्तर्गत दवा का निर्माण कराया गया है उनके लाइसेंस के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि परिशिष्ट-ए एवं बी पर प्रस्तुत है।

राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा विगत दो वर्षों में जो दवा निर्माण हेतु मशीनों की खरीद की गई उसका विवरण परिशिष्ट-सी एवं डी पर प्रस्तुत है।

इन मशीनों की खरीद उचित खरीद प्रक्रिया के तहत ही की गई है जिसकी खरीद प्रक्रिया का ब्यौरा दिया जा रहा है। जिन मशीनों की गत दो वर्षों में खरीद की गई है उसका सम्पूर्ण उपयोग राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के उत्पादन हेतु किया जा रहा है। अत: इन मशीनों की खरीद से कम्पनी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ।

(5) जी नहीं। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नियम विरूद्ध ओवर टाइम एवं मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं दिया गया है।

चूंकि सरकारी संस्थानों में दवाई की आपूर्ति की अति आवश्यकता होती है एवं नियत अवधि में ही सप्लाई का प्रावधान है एवं समय पर सप्लाई होने पर कम्पनी की साख केन्द्र एवं अन्य राज्य में बनी रहती है। समयबद्ध दवा आपूर्ति हेतु चूंकि सरकारी संस्थानों को समय अवधि में ही दवा की आपूर्ति की जानी होती है एवं लेट सप्लाई के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शास्ति का प्रावधान है अत: आवश्यक होने पर कर्मचारियों को कार्य समयावधि के बाद रोका जाता है एवं उनका ओवर टाइम का भुगतान नियमानुसार ही किया जाता है। गत दो वर्षों से कर्मचारी एवं अधिकारियों के भुगतान का ब्यौरा परिशिष्ट-ई एवं एफ पर प्रस्तुत है।

राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को मेडिकल बिल का भुगतान कम्पनी द्वारा निर्धारित मेडिकल नियमावली के अन्तर्गत किया जाता है। जिन कर्मचारियों को मेडिकल बिल का भुगतान किया गया है उनकी सूची परिशिष्ट-जी एवं एच पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूदावल (भरतपुर) में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पदस्थापन

269. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ग्यारसाराम कोली)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना के कस्बा रूदावल में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्षमता से अधिक प्रसूति के प्रकरण आते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है? क्या सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कर स्त्री रोग विशेषज्ञ को पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बयाना में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूदावल में क्षमता से अधिक प्रसव हेतु महिलाऐं आती हैं। उक्त केन्द्र पर छह बैड स्वीकृत हैं प्रसव हेतु अधिक प्रसूताओं के आने की वजह से पांच अतिरिक्त बैड्स लगाये जाकर प्रसव सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विगत तीन वर्षों में इस केन्द्र पर संस्थागत प्रसवों की संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	संस्थागत प्रसवों की संख्या
2008	1555
2009	1396
2010	1365

(2) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूदावल में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तथा ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के एक-एक कुल दो पद स्वीकृत हैं जिस पर क्रमशः डा. कैलाश कुमार, तथा डा. देवेन्द्र कुमार गुप्ता, ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत कराये जाने का प्रावधान नहीं है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूदावल पंचायत समिति रूपवास के अन्तर्गत आती है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वर्ष 2001 की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति रूपवास में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरूद्ध 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूदावल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नही है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पंचायत समिति रूपवास के वर्ष 2011 के जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूदावल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने पर निर्णय गुणावगुण एवं आवश्यकता के आधार पर लिया जायेगा।

सीकर जिले में जननी सुरक्षा योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य

270. श्री पेमाराम (धोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने जननी सुरक्षा योजना के लिये प्राथमिक एवं सामुदायिक केन्द्रों तथा अस्पतालों के कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं? यदि हां, तो सीकर जिले के लिये निर्धारित लक्ष्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जननी सुरक्षा योजना की पालना करने के लिये क्या नियम हैं? क्या सरकार ने उक्त योजना की पालना सुनिश्चित करने के लिये कोई आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले की तहसील सीकर में उक्त जननी सुरक्षा योजना का कौन-कौन से प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने वर्ष 1 जनवरी, 2009 से जनवरी, 2011 तक लक्ष्य पूरा नहीं किया है? यदि हां, तो लक्ष्य पूरा नहीं करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। जननी सुरक्षा योजना के लिए जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सीकर जिले के चिकित्सा संस्थानों का संस्थानवार लक्ष्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) राज्य में जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार चलाई जा रही है। उक्त योजना की पालना सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए आदेशों की प्रति परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) सीकर जिले की सीकर तहसील में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 01 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2011 तक निम्न चिकित्सा संस्थानों द्वारा लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है।

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपराली

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तारपुरा

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलिडा

4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघासन

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा उक्त चिकित्सा संस्थानों के प्रभारियों को सी.सी.ए. नियम 1958 के नियम 17 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही की जा रही है। जारी किए नोटिसों की प्रतियां परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

चूरू जिले में चिकित्सकों के रिक्त पद

271. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलेवार संख्या कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि विशेषज्ञों तथा चिकित्साकर्मियों के पद काफी संख्या में रिक्त हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की भारी कमी है और इससे कामकाज गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहा है?

(3) जिला चूरू में चिकित्सालयवार कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्मिक क्षमता की कमी से निपटने में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआर एचएम से कितनी सहायता मिल रही है?

(5) क्या सरकार उक्त जिले के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) जिला चूरू में चिकित्सालयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(4) चूरू जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्मिक क्षमता की कमी से निपटने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर चिकित्साकर्मियों की नियुक्ति की गयी है जिसकी सूची परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(5) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अधीक्षक प्रथम/द्वितीय, नर्स श्रेणी प्रथम, रेडियोग्राफर, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन, टीबीएचवी, मलेरिया निरीक्षक एवं वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर अथवा स्थानान्तरण से यथासंभव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार भरे जायेंगे।

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से 1053 चयनित चिकित्सा अधिकारियों की सूची प्राप्त हो गई है, पदस्थापन की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण चिकित्सा अधिकारियों के 749 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 56 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को अर्थना भिजवाई जा चुकी है। चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर यथासंभव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार भरे जायेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत 150 चिकित्सा अधिकारी (दंत) अनुबंध के आधार पर भरने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साईंस को लिखित परीक्षा आयोजित करने हेतु लिखा जा चुका है।

नर्स श्रेणी द्वितीय के कुल 903 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से 702 अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है, लेकिन एस.बी. सिविल रिट पीटिशन 10866/2010 तनुज वैष्णव बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 24/25.11.2010 को नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 1344 रिक्त पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आमंत्रित

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

किये जा चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्यस्तरीय मैरिट सूची के आधार पर नियुक्ति के अन्तरिम आदेश दिये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की पालना में वरीयता सूची तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

लेब टेक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु 346 अभ्यार्थियों का चयन कर जिला आबंटित किया जा चुका है।

सहायक रेडियोग्राफर के रिक्त पदों को भरने हेतु 29 अभ्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति हेतु सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

दंत टेक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई लेकिन वित्त विभाग द्वारा इस पद की योग्यता संशोधित करने के निर्देश दिये हैं। संशोधित योग्यता निर्धारित किये जाने हेतु सेवा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग की सहमति के पश्चात् वित्त विभाग को सहमति हेतु भेजा गया है।

कनिष्ठ लिपिक, वाहन चालक एवं वार्डबाय के पद सीधी भर्ती के पद हैं, जिन्हें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

कनिष्ठ लेखाकार का पद लेखा एवं कोष कार्यालय द्वारा भरा जाता है। जिसे शीघ्र भरवाये जाने का प्रयास किया जायेगा।

विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संविदा आधारित विभिन्न पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय में उप श्रम आयुक्त कार्यालय की स्थापना

272. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ में उप श्रम आयुक्त का कार्यालय कब तक स्थापित करने का विचार रखती है? अब तक कार्यालय स्थापित नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला प्रतापगढ़ में श्रम कल्याण अधिकारी का कार्यालय स्थापित कर दिया गया है। जो कार्य के अनुरूप है।

श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल कोटा के ठेका श्रमिकों का स्थायीकरण

273. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रम विभाग कोटा द्वारा ठेका श्रम अधिनियम, 1970 के तहत श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज कोटा में कार्यरत ठेकेदारों के प्रार्थना पत्र में वर्णित आकस्मिक कार्य की जांच की जाकर लाइसेंस (अनुज्ञा पत्र) जारी किये गये हैं? यदि हां, तो श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज कोटा के 80 ठेकेदारों के 3500 ठेका श्रमिकों को अब तक स्थायी क्यों नहीं किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लाइसेंस जारी करने वाले श्रम अधिकारियों एवं लाइसेंस का दुरुपयोग करने वाले श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज के प्रबन्धक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं व क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अनुज्ञप्ति अधिकारी अन्तर्गत संविदा श्रम (नियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 कोटा द्वारा श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज कोटा में कार्यरत ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त आवेदनों पर अधिनियम की धारा-13 तथा राज. संविदा श्रम नियम-1971 के नियम-21 एवं 22 में विहित प्रक्रिया की पालना की जाकर संबंधित संविदाकारों को अनुज्ञप्ति जारी की गई है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत ठेका श्रमिकों को स्थायी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज कोटा में ठेका श्रमिकों के लिए ठेका श्रमिक अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पालना की जा रही है।

(2) अनुज्ञप्ति अधिकारी अन्तर्गत संविदा श्रम (नियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 द्वारा अनुज्ञप्ति जारी करने में किसी प्रकार का अधिनियम व नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है इस अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान का एवं संविदाकारों का निरीक्षण करने पर अनुज्ञप्ति का दुरूपयोग नहीं पाया गया, अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

भरतपुर जिले के बेरोजगारों को देय भत्ता

274. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला भरतपुर में वर्ष 2009-10 व 2010-11 में रोजगार विभाग द्वारा कितने लोगों का नया पंजीयन किया गया व कितने बेराजगारों को भत्ता दिया गया और कितने लोगों को अक्षत कौशल योजना के तहत लाभान्वित किया गया? मय नाम सूची सदन की मेज पर सूची रखें।

उत्तर

रोजगार विभाग द्वारा जिला भरतपुर में वर्ष 2009-10 में 7734 बेरोजगार आशार्थियों तथा वर्ष 2010-11 में (फरवरी, 2011 तक) 12416 बेरोजगारों का नया पंजीयन किया गया।

राजस्थान स्नातक बेरोजगारी भत्ता योजना, 2007 के अन्तर्गत पात्र बेरोजगारों के आवेदन करने पर 2009-10 में 522 एवं वर्ष 2010-11 में (माह फरवरी, 2011 तक) 113 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया।

रोजगार विभाग द्वारा अक्षत कौशल योजना, 2009 के अन्तर्गत पात्र बेरोजगारों के आवेदन करने पर वर्ष 2009-10 में 62 एवं वर्ष 2010-11 में (माह फरवरी, 2011 तक) 227 आशाथियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अक्षत कौशल प्रशिक्षण वाउचर देकर लाभांवित किया गया। मय नाम सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय सेठ मालीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय रूण्डल के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत

275. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सेठ श्री मालीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय, रूण्डल तहसील आमेर के कई कमरे क्षतिग्रस्त हैं एवं उनकी पट्टियां टूटी हुई हैं? यदि हां, तो उक्त की मरम्मत कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) सरकार उक्त कमरों की मरम्मत कब तक कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय सेठ मालीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय, रूण्डल तहसील आमेर के भवन मरम्मत हेतु संस्था प्रधान को आदेश दिनांक 28.12.2010 के द्वारा 1,50,000/- रुपये की राशि का आबंटन कर दिया गया है।

(2) वर्तमान में विद्यालय में मरम्मत कार्य चल रहा है एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत तक पूर्ण करवा दिया जायेगा।

किशनगढ़बास-कोटकासिम पंचायत समिति के प्रतिनियुक्त शिक्षक

276. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत एक वर्ष में ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी किशनगढ़बास व कोटकासिम द्वारा किन-किन शिक्षकों की कहां-कहां प्रतिनियुक्ति किन-किन कारणों से की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किशनगढ़बास व कोटकासिम बी.ई.ई.ओ. कार्यालय से पंचायत समिति शिक्षक एस.एस.ए. शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) गत एक वर्ष में पंचायती राज शिक्षकों व एस.एस.ए. शिक्षकों को बी.ई.ई.ओ. कार्यालय किशनगढ़बास व कोटकासिम द्वारा जारी वेतन भुगतान की सूची माहवार व तिथिवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी किशनगढ़बास व कोटकासिम द्वारा किसी भी शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां नहीं की गई। कुछ अध्यापकों को शैक्षणिक व्यवस्थार्थ अन्यश विद्यालयों में लगाया गया है जिनका विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी किशनगढ़बास व कोटकासिम द्वारा एसएसए में कार्यरत शिक्षकों को बजट अनुसार नियमित समय पर वेतन दिया जा रहा है।

(3) बी.ई.ई.ओ. कार्यालय किशनगढ़बास व कोटकासिम द्वारा पंचायतीराज शिक्षकों एवं एस.एस.ए. शिक्षकों को किये गये वेतन भुगतान का माहवार एवं तिथिवार विवरण परिशिष्ट- 'ग' तथा 'घ' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

कोटपूतली के सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्रमोन्नत विद्यालयों के शिक्षकों का बकाया वेतन

277. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अध्यापकों व वरिष्ठ अध्यापकों के कितने पद किस-किस मद में स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में जयपुर जिले सहित आठ जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्रमोन्नत व नये खोले गये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को नवम्बर, 2010 से जनवरी, 2011 तक का वेतन आहरण नहीं करने के कारण वेतन का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? अब कब तक बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत वेतन पाने वाले अध्यापकों को दीपावली के बोनस का भुगतान भी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक बोनस का भुगतान कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापकों एवं प्रबोधक के पद स्वीकृत हैं एवं रिक्त पदों का मदवार विवरण निम्नानुसार है :-

पदनाम	स्वीकृत पद				रिक्त पद			
	नोन प्लान	प्लान	पंचायत राज	एसएसए	नोन प्लान	प्लान	पंचायत राज	एसएसए
व. अ.	215	9	0	69	63	3	0	14
तृ.श्रे.अ.	775	6	356	206	113	6	89	2
प्रबोधक	0	0	0	63	0	0	0	2

(शिक्षा मंत्री)

(2) जयपुर सहित 8 जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत क्रमोन्नत व नये खोले गये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों को जनवरी, 2011 तक के वेतन हेतु राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा मानदण्डानुसार जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है ।

(3) सर्व शिक्षा अभियान मद में कार्यरत 9 जिलों के 8740 अध्यापकों को पर्याप्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध् नहीं होने के कारण दीपावली के बोनस का भुगतान नहीं किया गया है। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर भुगतान किया जा सकेगा।

शिक्षकों की पदोन्नति हेतु निर्धारित नियम

278. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षकों की पदोन्नति किन नियमों के तहत की जाती है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य में वास्तविक पदोन्नति के बिना या बिना नियमित पदोन्नति के भी शिक्षकों को उच्च पदों पर लगाया जाता है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत?

(3) क्या यह सही है कि वरिष्ठ अध्यापक के अराजपत्रित पद के पदाधिकार रखने वाले शिक्षकों को प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष लगाया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अनियमित पदोन्नति के लिए कौन दोषी है तथा इन्हें नियमित पदोन्नति में बदलने हेतु सरकार कब तक क्या कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम-1970 व राजस्थान शैक्षिक अधिनस्थ सेवा नियम-1971 के तहत शिक्षकों की पदोन्नति की जाती है। उक्त नियमों में पदोन्नति से संबंधित प्रावधानों के आंशिक पृष्ठों की छाया प्रतियां परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। ऐसी स्थिति में जबकि विभाग में रिक्त पदों को नियमित पदोन्नति से भरा जाना सम्भव नहीं हो, छात्र हित में कार्मिक विभाग

(शिक्षा मंत्री)

की सहमति प्राप्त करके पातेय वेतन पर शैक्षणिक व्यवस्था के तहत अध्यापकों को धारित पद से उच्च पद पर लगाया जाता है ।

(3) जी हां। कार्मिक विभाग की सहमति से पातेय वेतन पर कार्य व्यवस्था के तहत लगाया जाता है। कार्मिक विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है ।

(4) धारित पद से उच्च पद पर पातेय वेतन पर व्यवस्थार्थ पदस्थापन किया जाना पदोन्नति की श्रेणी में नहीं आता है। छात्र हित में कार्मिक विभाग से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर किये गये पदस्थापन हेतु किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त प्रकार के पदस्थापित अध्यापकों का आगामी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु चयन किये जाने पर नियमित पदोन्नति पर पदस्थापन किया जाता है। वर्तमान में डीपीसी की बैठकों के आयोजन पर कार्मिक विभाग द्वारा रोक लगाई हुई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय बरडोटी (जयपुर) के शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन

279. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत बरडोटी (श्यामियों की ढाणी) के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से वर्तमान में कितने पदों पर कब से अध्यापक कार्यरत हैं? अध्यापकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के कुछ अध्यापकों का प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन अन्यत्र किया गया है? यदि हां, तो किन-किन अध्यापकों का कब से और कहां पर? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापकों का अन्यत्र पदस्थापन करने से विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण विद्यार्थियों एवं अभिभावकों द्वारा तालाबंदी व धरना देते हुए उच्च अधिकारियों को भी अवगत

(श्री निर्मल कुमावत)

कराया गया था? यदि हां, तो कब-कब, किन-किन अधिकारियों को अवगत कराया गया और उन अधिकारियों द्वारा उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त अध्यापकों के किये गये अन्यत्र पदस्थापन को निरस्त करने एवं अन्य रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत बरडोती (श्यामियों की ढाणी) के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में 353 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

(2) राजकीय माध्यमिक विद्यालय बरडोती (श्यामियों की ढाणी) वर्ष 2008-09 में माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत हुई है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक (मावि) का पद माध्यमिक शिक्षा हैड में स्वीकृत है तथा 06 पद तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पूलमद में प्रारम्भिक शिक्षा में स्वीकृत हैं। वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों का विवरण इस प्रकार से है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कब से कार्यरत है
1.	श्री शान्तिप्रकाश पारीक	प्र.अ.	16.02.10
2.	श्री रामलाल बुनकर	अध्यापक	12.04.01
3.	श्री राकेश बाबू	अध्यापक	17.04.95
4.	श्री प्रकाशचन्द मीणा	अध्यापक	16.05.05
5.	श्रीमती मेघा शर्मा	अध्यापक	16.09.08
6.	श्री राधेश्याम मीणा	अध्यापक	08.03.11

(3) जी हां। श्री राधेश्याम शर्मा, अध्यापक को ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, दूदू (जयपुर) के द्वारा आदेश दिनांक 26.09.2007 से रा.प्रा.वि. मण्डसी में शिक्षण व्यवस्थार्थ लगाया गया था। आदेश दिनांक 26.09.2007 की छाया प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(4) जी हां। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों द्वारा दिनांक 14.10.2010 एवं

(शिक्षा मंत्री)

14.12.2010 को तालाबन्दी व धरना प्रदर्शन किया गया था। संस्था प्रधान ने ब्लाक शिक्षा अधिकारी, दूदू को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया था। ब्लाक शिक्षा अधिकारी, दूदू द्वारा आदेश दिनांक 10.12.2010 से प्रतिनियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये गये। परन्तु अध्यापक रा.प्रा.वि. मण्डसी से कार्यमुक्त नहीं हुये तथा न ही मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण किया। ब्लाक शिक्षा अधिकारी, दूदू ने जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर के निर्देश पर दिनांक 07.03.2011 को अध्यापक को कार्यमुक्त करवाया तथा श्री राधेश्याम मीणा ने पुनः दिनांक 08.03.2011 को मध्यान्ह पूर्व रा.मा.वि., बरडोती में कार्यग्रहण कर लिया है।

(5) श्री राधेश्याम मीणा ने 08.03.2011 को कार्यग्रहण कर लिया है। वर्तमान में रिक्त तृतीय श्रेणी अध्यापक का पद प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा अध्यापक उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जा सकेगा।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

कार्यालय : वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

पंचायत समिति दूदू, जिला जयपुर

क्रमांक : ब्लाक/प्रा.शि.अ./दूदू/200 /फा/　　　　दिनांक :……………….

कार्यालय आदेश

निम्न अध्यापकों को इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में पूर्णतया अस्थायी तौर पर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करने हेतु तत्काल प्रभाव से लगाया जाता है।

क्र. सं.	नाम अध्यापक	पदस्थापन विद्यालय	स्थानान्तरि शिक्षकों को कार्यमुक्त करने हेतु विद्यालय
1	श्री गोपाल लाल बैरवा	UPS रेटा	P.S. रेटी
2	श्री राधेश्याम मीणा	UPS बरडोती	P.S. मण्डपी
3	श्री प्रकाशचन्द मीणा	—"—	P.S. अपोक
4	श्री चन्द्रशेखर तिवाडी	P.S. ममाणा	P.S. मोरडी कला
5	श्री मदन लाल	P.S. मीणों की ढाणी	P.S. बागेत
6	-	-	प्र. पी.एस. काल्या स्थान्तरित शिक्षिका को कार्यालय हेतु कार्य मुक्त करें

संबंधित प्र. अ. उपरोक्त अध्यापकों को तत्काल कार्यमुक्त कर निर्देशित करावें कि वे स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यालय B.E.E.O. दूदू हेतु कार्यमुक्त करें।

ब्लाक प्रारम्भिक
शिक्षा अधिकारी
पं.सं. दूदू

झाडोल में संचालित आवासीय शिविर

280. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (झाड़ोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आवासीय शिविर लगाये जा रहे हैं? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कहां-कहां कितने शिविर लगाये गये?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र झाडोल में (National Programme for Education of Girls at Elementry Level) एन.पी.ई.जी.ई.एल. कार्यक्रम के अन्तर्गत लर्निंग थ्रू ओपन स्कूल (Learning Through Open School) गतिविधि के तहत कक्षा 8 की परीक्षा देने वाली बालिकाओं हेतु सत्र 2008-09 में श्री विजेन्द्र लाल का भवन, मेला ग्राउन्ड झाडोल में 1 आवासीय शिविर का संचालन किया गया था। जिसमें 42 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। सत्र 2009-10 में क्षत्रिय राजपूत समाज भवन, विद्यापीठ परिसर में 2 आवासीय शिविरों का संचालन किया गया, जिनमें 43 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

परबतसर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्माण कार्यों में अनियमितताएं

281. **श्री मानसिंह** (परबतसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वर्ष 2009 व 2010 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत किन-किन विद्यालयों में किन-किन निर्माण कार्यों के लिये कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृति के पश्चात् कितने विद्यालय भवन बिना भवन के संचालित हैं तथा कितने विद्यालयों में किचन शेड, चारदीवारी, शौचालय एवं कक्षा कक्षों की कमी है? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में आवश्यक निर्माण कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2009 व 2010 में सर्व शिक्षा अभियान में करवाये गये निर्माण कार्यों में घटिया निर्माण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन कार्यों की तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानसिंह)

(4) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में संचालित कितने विद्यालय जीर्ण-शीर्ण/क्षतिग्रस्त हैं? क्या सरकार उक्त की मरम्मत/नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों रोजास में अपूर्ण निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वर्ष 2009 व 2010 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत निर्माण कार्यों/राशि का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) भवन/किचन शेड/चारदिवारी/शौचालय विहीन व कक्षा कक्षों की आवश्यकता वाले राप्रावि/उप्रावि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण
1.	भवनविहिन विद्यालय की संख्या कुल 07
2.	किचनशेड की कमी वाले विद्यालयों की संख्या-13
3.	चारदिवारी की कमी वाले विद्यालयों की संख्या-100
4.	शौचालयों की कमी वाले विद्यालयों की संख्या-80
5.	कक्षाकक्षों की आवश्यकता वाले विद्यालयों की संख्या-50

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आगामी वर्षों की कार्ययोजना में अनुमोदित निर्माण गतिविधियों की सीमा में आवश्यक निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षों में कराने का प्रयास किया जावेगा।

(3) जी नहीं।

(4) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में 15 विद्यालय जीर्ण-शीर्ण/क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना वर्ष 2011-12 में इन विद्यालयों में वृहद् मरम्मत कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। अनुमोदन उपरान्त आगामी वित्तीय वर्ष में इन विद्यालयों में वृहद् मरम्मत कार्य कराये जाने का लक्ष्य है।

(शिक्षा मंत्री)

(5) जी हां। सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना वर्ष 2011-12 में इस कार्य को पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित किया गया है। अनुमोदन उपरान्त आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य को पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के शिक्षक पद हेतु प्राप्त आवेदन

282. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2008 से 2010 की अवधि में कितनी विधवाओं व परित्यक्ता महिलाओं द्वारा अध्यापिका पद के लिए आवेदन प्राप्त हुए एवं उसमें कितने अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन थे और उक्त में से कितनों को सरकार द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा संवैधानिक भर्ती आरक्षण कोटे के अन्तर्गत उक्त कितनी महिलाओं की नियुक्ति की गई एवं कितनी करनी चाहिये थी व कितनी नियुक्तियां बकाया हैं? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2008 से 2010 की अवधि में विधवाओं व परित्यक्ता महिलाओं को तृतीय श्रेणी अध्यापिका पद पर नियुक्ति हेतु 10330 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 661 अनुसूचित जाति, 244 अनुसूचित जनजाति तथा 3819 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। उक्त आवेदन पत्रों में से अभी किसी को भी नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है।

(2) उक्त महिलाओं हेतु संवैधानिक भर्ती आरक्षण कोटे का प्रावधान नहीं है बल्कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : प-16(11) शिक्षा-2/98 दिनांक 5.8.1998 के द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों के विरुद्ध प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों के अनुसार अधिकतम 10 प्रतिशत तक नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया था । प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में शिक्षक ग्रेड तृतीय के रिक्त 6984 पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती हेतु 6287 पदों पर चयन हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भिजवाई गई थी एवं 697 पदों पर विधवाओं/ परित्यक्ताओं की नियुक्ति हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा प्रार्थना पत्र

(शिक्षा मंत्री)

आमंत्रित किये गये थे लेकिन इसी दौरान राज्य सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया कि शिक्षक ग्रेड तृतीय के पदों पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्थान पर जिला परिषदों द्वारा की जायेगी। इस निर्णय की अनुपालना में पंचायती राज विभाग ने पंचायतीराज अधिनियम एवं पंचायतीराज नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिये हैं जिनके अन्तर्गत निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा विधवा/परित्यक्ताओं की नियुक्ति के प्रावधान को विलोपित किया जा चुका है । अतः अब जिला परिषदों द्वारा शिक्षक ग्रेड तृतीय के पदों पर भर्ती की जायेगी तब वर्तमान नियमों के प्रावधानों के अनुसार विधवाओं/परित्यक्ताओं की नियुक्ति भी जिला परिषदों के द्वारा की जायेगी ।

निवाई-पीपलु के विद्यालयों में पेयजल सुविधा

283. श्री कमल बैरवा (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलु में संचालित विद्यालयों में से कितने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए पेयजल की सुविधा नहीं है? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सत्र 2010-11 में तहसील निवाई के ग्राम सिरस के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य संकाय और ग्राम वनस्थली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोले गये हैं यदि? तो क्या इन विद्यालयों में संकाय विशेष के अध्यापक पदस्थापित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) वर्तमान में तहसील निवाई व पीपलु में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं तथा सरकार इनको कब तक भरने का विचार रखती है? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उपखण्ड स्तर पर ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय संचालित किया जाता है? यदि हां, तो तहसील पीपलु में उक्त कार्यालय स्थापित नहीं किए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलु में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित 63 विद्यालयों में तथा माध्यमिक के अन्तर्गत 12 विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिये पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। विद्यालयों सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में पेयजल सुविधा हेतु प्रस्ताव सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2011-12 में अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किये जा रहे हैं। भारत सरकार से अनुमोदन उपरान्त इन कार्यों की स्वीकृति आगामी वर्ष के दौरान जारी की जा सकेगी। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जानी सम्भव हो सकेगी।

(2) जी हां। वर्तमान में इन विद्यालयों में पद स्वीकृत नहीं होने के कारण अध्यापकों का पदस्थापन नहीं किया जा सका हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र निवाई व पीपलु में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति सभी जिला परिषदों द्वारा की जाकर रिक्त पद भरे जाने हैं। शेष रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जा सकेगा। वर्तमान में पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन पर कार्मिक विभाग द्वारा रोक लगाई हुई है।

(4) जी नहीं।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

डेगाना के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

284. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी अध्यापक व शारीरिक शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उक्त में से कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार ने सत्र 2008-09 के बाद क्रमोन्नत स्कूलों में विषय

(श्री अजय सिंह)

अध्यापकों के पद स्वीकृत कर दिये? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के किस-किस विद्यालय में कितने पद स्वीकृत किये गये?

(4) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी अध्यापक व शारीरिक शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है ।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला परिषदों एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(3) जी नहीं।

(4) वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत 5008 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, स्कूल व्याख्याता, अध्यापक ग्रेड-द्वितीय एवं प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु माननीय मुख्य मंत्रीजी के वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में 25 हजार 406 नये पद स्वीकृत करने की घोषणा की गई है । इन पदों को शीघ्र भर दिया जावेगा ।

परिशिष्ट "क"

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम नागौर

डेगाना विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम विद्यालय राउमावि /रामावि	स्वीकृत पद								रिक्त पद							
		प्राचार्य	प्र.अ.	व्या.	व.अ.	अध्यापक	शाशि			प्राचार्य	प्र.अ.	व्या.	व.अ.	अध्यापक	शाशि		
							I	II	III						I	II	III
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1.	Sanju	1	0	8	6	0	0	1	0	0	0	6	2	0	0	0	0
2.	Harsor	1	0	11	3	0	0	1	0	1	0	7	1	0	0	0	0
3.	Degana	1	0	17	7	0	1	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
4.	Edwa	1	0	4	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
5.	Jalsunanak	1	0	4	4	1	0	1	0	1	0	3	1	0	0	1	0
6.	Khudikala	1	0	3	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
7.	Pundlota	1	0	3	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
8.	Jakeda	1	0	3	6	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0
9.	Thanwala	1	0		5	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
10.	Bherunda	1	0	3	4	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.	Baggad	1	0	3	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
12.	G-Degana	1	0	4	6	0	0	1	0	0	1	3	1	0	0	1	0
13.	Bikharniyakala	0	1	0	6	4	0	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0
14.	Sirasna	0	1	0	6	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0
15.	Nimbadikala	0	1	0	6	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
16.	Chakdhani	0	1	0	6	1	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0
17.	Kitalsar	0	1	0	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Champakhedi	0	1	0	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Nimbadichan dawata	0	1	0	5	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0
20.	Paldikala	0	1	0	5	3	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0
21.	Hirnidhani	0	1	0	4	3	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0
22.	Manjhi	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
23.	Mewda	0	1	0	4	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
24.	Choliyas	0	1	0	4	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
25.	Egyasni	0	1	0	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
26.	Butati	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27.	Bachchhawari	0	1	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
28.	Rajlota	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
29.	Jalsukala	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
30.	Jalsukhurd	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
31.	Chui	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Mandaljodha	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	Chosali	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Rajod	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
35	Barana	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
36	Tilanesh	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Paliyawas	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
38	Punas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Dkbolimithi	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Dhanipura	0	1	0	4	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
41	Ladpura	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42	Tehala	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
43	Kod	0	1	0	4	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
44	Nimbola-Wiswa	0	1	0	4	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
45	Dodiyana	0	1	0	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Modikala	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
47	G-Edwa	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
48	G-Harsor	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
49	G-Bherunda	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	G-Thanwala	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Achhojai	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Nathawada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Langor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55	Banwarla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Chandaroon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Kherwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Thata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Degana gav	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Aantroli Kala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Nimbolakala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Jagadwas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Sukhbasni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**12**	**39**	**63**	**169**	**44**	**01**	**6**	**18**	**02**	**12**	**41**	**51**	**8**	**0**	**03**	**00**

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक-प्रथम),
नागौर

बिलाड़ा के ब्रिज कोर्स के तहत लाभान्वित छात्र-छात्राएं

285. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में (पं. स. बिलाड़ा/लूणी/मण्डोर) सर्व शिक्षा अभियान के तहत ड्राप-आउट छात्र-छात्राओं हेतु 3/6/9 माही आवासीय एवं गैर-आवासीय ब्रिज कोर्स चला रही है? यदि हां, तो वर्षवार छात्र-छात्राओं की संख्या, पढ़ाने वाले शिक्षकों के नाम, योग्यतायें एवं इन पर व्यय की गई राशि का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ब्रिज कोर्स में राशन, खाद्य सामग्री, पुस्तकें, स्टेशनरी, बस्ते, फर्नीचर व अन्य सुविधाओं पर व्यय करने एवं क्रय करने की कोई नियमावली एवं गुणवत्ता के मानदण्ड हैं? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राशन, खाद्य सामग्री, पुस्तकें, स्टेशनरी, बस्ते, फर्नीचर व अन्य सुविधाएं कहां-कहां से किस दर पर एवं किस गुणवत्ता के मानदण्ड से क्रय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के ब्रिज कोर्स समाप्ति के बाद छात्र-छात्राओं को अध्ययन की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु क्या प्रयास किये गये एवं वर्तमान में वे छात्र-छात्राऐं कहां-कहां, किस-किस कक्षा में अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 में विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में केवल तिमाही आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2005-06, 2008-09 एवं 2009-10 में कोई भी आवासीय/गैर-आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित नहीं किये गये हैं।

वर्षवार छात्र-छात्राओं की संख्या, पढ़ाने वाले शिक्षकों के नाम, योग्यतायें एवं व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त संचालित किये गये ब्रिज कोर्स में राशन, खाद्य सामग्री, पुस्तकें, स्टेशनरी, बस्ते, फर्नीचर व अन्य सुविधाओं पर व्यय करने एवं क्रय करने के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) उक्त संचालित किये गये आवासीय ब्रिज कोर्सों में पाठयपुस्तकें नि:शुल्क उपलब्ध कराई गईं। फर्नीचर एवं बस्तों का क्रय नहीं किया गया। राशन, खाद्य सामग्री, स्टेशनरी व अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित दरें एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) बिन्दु संख्या 1 में वर्णित आवासीय ब्रिज कोर्स में नामांकित बालक—बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने की संख्या परिशिष्ट-अ में अंकित हैं।

उक्त संचालित किये गये आवासीय ब्रिज कोर्सों में पंजीकृत बालक-बालिकाओं को दक्षता प्राप्त करने के पश्चात परिशिष्ट-अ में अंकित संख्या के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ दिया गया हैं।

(प्रति व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

केकड़ी में सर्व शिक्षा अभियान के तहत करवाये गये कार्य

286. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनवरी, 2010 से जनवरी, 2011 तक किन-किन विद्यालयों में किस-किस प्रकार का निर्माण कार्य करवाया गया तथा इसमें अलग-अलग कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में अब सभी स्तर के कुल कितने विद्यालय हैं जो बिना भवन के संचालित हैं जहां कक्षा-कक्षों की कमी है व विद्यालयों के चारदीवारी नहीं है और भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या सरकार उक्त कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त क्षेत्र में सभी स्तरों के विद्यालयों में कितने शिक्षकों एवं स्टाफ की कमी है? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनवरी, 2010 से फरवरी, 2011 तक राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण, प्रधानाध्यापक निर्माण, विद्युत सुविधा, चारदीवारी निर्माण,पेयजल सुविधा, शौचालय वृहद मरम्मत के कार्य करवाये गये हैं। इन कार्यों पर फरवरी, 2011 तक राशि रु. 296.59 लाख व्यय किये गये। कार्यवार व विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) District Information System for Education (डाईस) 2010 के अनुसार विधान सभा केकड़ी में कोई राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय बिना भवन के संचालित नहीं है। उक्त विधान सभा क्षेत्र के पांच राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आठ कक्षाक्षों की आवश्यकता है तथा 76 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता है। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। उक्त क्षेत्र में कोई राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में सभी विद्यालय राजकीय विद्यालय भवनों में संचालित हैं, सभी में कक्षा-कक्ष पर्याप्त हैं, चारदीवारी विहीन एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं हैं।

(3) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आगामी वर्षों की कार्य योजना में आवश्यक कक्षा-कक्षों व चारदीवारी निर्माण के कार्य अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत समय सीमा के अन्तर्गत करने का लक्ष्य है।

(4) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सभी स्तरों के विद्यालयों में अध्यापकों एवं स्टाफ के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(5) तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति सभी जिला परिषदों द्वारा की जाकर रिक्त पद भरे जाने हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में 50,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। राज्य सरकार शीघ्र ही TET परीक्षा आयोजित कर रही है। इसके बाद जिला परिषदों द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जा सकेगा। वर्तमान में पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन पर कार्मिक विभाग द्वारा रोक लगाई हुई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर शहर के असाध्य रोग से पीड़ित कार्मिकों के स्थानान्तरण

287. श्री गंगासहाय शर्मा (आमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षकों के स्थानान्तरण की नीति बना रखी है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? स्थानान्तरण नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि असाध्य रोगों से पीड़ित कर्मियों को स्थानान्तरण के समय इच्छित स्थान में प्राथमिकता दी जाती है? यदि हां, तो कौन-कौन से रोगों से पीड़ित को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर शहर में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने शिक्षक-शिक्षिकाएं असाध्य रोगों से पीड़ित हैं? नाम, पदनाम, पदस्थापित स्थान, श्रेणी, विषय व शहरी ठहराववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गत दो सत्रों में असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक-शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण जयपुर शहर से बाहर किया गया है? यदि हां, तो क्यों? नाम व स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक : प.14(13) कार्मिक/क-5/2004 दिनांक 31.5.2005 के द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु नीति निर्देश जारी किये हुए हैं। उक्त नीति निर्देशों को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 31.8.2007 द्वारा आगामी आदेश तक स्थगित किया हुआ है। आदेश दिनांक 31.5.2005 की प्रति परिशिष्ट-"क" पर तथा दिनांक 31.8.2007 की प्रति परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त नीति के अनुसार ब्रेन ट्यूमर, एड्स, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर जिसका आपरेशन अथवा रेडियोथेरेपी हुई है, हृदय रोगी जिनकी बाइपास अथवा आपन हार्ट सर्जरी हुई हो, गम्भीर पक्षाघात को असाध्य रोग से पीड़ित की श्रेणी में रखा गया है।

(3) जयपुर शहर में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध अभिलेखानुसार असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक-शिक्षिकाओं का विवरण परिशिष्ट-"ग" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं ।

(प्रतियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में संचालित निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों पर नियंत्रण हेतु निगरानी समिति

288. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में संचालित विभिन्न निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में छात्रों से विभिन्न मदों में शुल्क के रूप में अनावश्यक राशि वसूली जा रही है? यदि हां, तो अब तक कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई और उक्त पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा प्रायोगिक व सत्रांक के अंकों के नाम पर छात्रों पर अनैतिक दबाव बनाकर अवैध वसूली की जाती है? यदि हां, तो किन-किन महाविद्यालयों की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या भविष्य में सरकार उक्त अनैतिक दबाव को कम करने की किसी प्रकार की कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राजस्थान में संचालित सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं राज्य सरकार के मानदण्डों को पूरा करते हैं? यदि नहीं, तो ऐसे कितने तथा कौन-कौन से महाविद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त महाविद्यालयों के सरकार के निर्धारित मानदण्डों की निगरानी के लिये स्थानीय एवं जिला स्तर पर कोई निगरानी समिति बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या राज्य सरकार एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एक साथ पारदर्शिता के साथ-साथ निजी महाविद्यालयों पर मानदण्ड की पालना के लिये सक्षम है? यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में इनकी निगरानी के लिये कोई कार्ययोजना बनाने जा रही है?

(6) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में फीस वसूली के निर्धारित मानदण्ड का विभिन्न महाविद्यालय पालन नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से व सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा भविष्य में किस तरह मानदण्डों की पालना कराने की योजना रहेगी?

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में 06 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर विश्वविद्यालय स्तर पर संस्थानों को चेतावनी पत्र जारी किये गये। संस्थानों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विश्वविद्यालय से सम्बद्धित निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय रीजनल कालेज, जयपुर के कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय को शिकायत पत्र प्रेषित किये थे, जिनमें छात्रों द्वारा कहा गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रों से मिड टर्म के अंकों को बढ़ाने के सम्बन्ध में रुपये 2000-00 वसूले जा रहे हैं एवं जिन छात्रों ने रुपये 2000-00 का भुगतान नहीं किया महाविद्यालय द्वारा उन्हें मिड टर्म में अनुपस्थित किया गया है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा उक्त महाविद्यालय के सम्बन्धित परीक्षा परिणाम को संशोधित किया गया।

इस सम्बन्ध में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता विद्यार्थी कल्याण के कार्यालय में शिकायत प्राप्ति का प्रकोष्ठ गठित करे जिसका अखबारों एवं वेब-साईट के माध्यम से प्रचार करें।

(3) राजस्थान में संचालित सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों की अक्षरश: अनुपालना पूरी नहीं करते हैं। महाविद्यालयों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(4) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा ने निर्धारित मानदण्डों की निगरानी हेतु बोर्ड आफ इन्सपेक्शन का गठन किया हुआ है। इसके द्वारा सभी महाविद्यालयों का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है तथा इसमें पुन: निरीक्षण व आकस्मिक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(5) जी हां। राज्य सरकार एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एक साथ पारदर्शिता के साथ-साथ निजी महाविद्यालयों पर मापदण्ड की पालना के लिए सक्षम है।

(6) राज्यस्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निजी क्षेत्र में संचालित सभी तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु सेमेस्टरवार शुल्क लेने हेतु निर्देशित किया गया है। फीस वसूली के निर्धारित मापदण्ड का कुछ महाविद्यालयों द्वारा पालन नहीं किया गया है। जिनकी सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। जिन संस्थानों ने आदेश के विपरीत वर्ष का शुल्क एक साथ प्राप्त किया है उन्हें कारण बताओ

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

नोटिस जारी करने हेतु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को निर्देशित किया गया है।

उक्त के अलावा 'सिद्धि विनायक कालेज आफ साइंस एवं हायर एजुकेशन, अलवर' द्वारा ट्यूशन फीस वेवर स्कीम (TFWS) के छात्रों से पूरी फीस वसूलने की शिकायत है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बयाना बयाना में प्रस्तावित तकनीकी शिक्षण संस्थाएं

289. श्रीमती जाहिदा खान (कामां) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कामां के मेवात क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के लिये पालिटेक्निक व आई.टी.आई. खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र कामां के मेवात क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के लिए वर्तमान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कामां वर्ष 1988 से संचालित है।

विधान सभा क्षेत्र कामां के मेवात क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के लिए पालिटेक्निक कालेज खोले जाने सम्बन्धी वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कामां भरतपुर जिले में आता है तथा भरतपुर जिले में कुल 4 पालिटेक्निक महाविद्यालय पूर्व से संचालित हैं जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 980 छात्र प्रतिवर्ष के विरुद्ध सत्र 2010-11 में 811 प्रवेश हुये हैं तथा 169 स्थान रिक्त रहे हैं। इस प्रकार भरतपुर जिले में पालिटेक्निक महाविद्यालयों में कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रवेश पूर्ण नहीं हुये हैं।

आमेर विकास एवं प्रबंध प्राधिकरण के गठन का औचित्य

290. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब एवं किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(2) उक्त प्राधिकरण के गठन से अब तक प्राधिकरण द्वारा किस-किस स्थान पर क्या-क्या कार्य कब-कब करवाये गये हैं एवं उन पर कितनी राशि व्यय हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्राधिकरण के गठन से अब तक इस पर सरकार द्वारा कितनी राशि किस मद से व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्राधिकरण अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रहा है? यदि हां, तो सरकार इसको भंग करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण को एक पंजीकृत संस्था के रूप में दिनांक 10.11.2005 को पंजीकृत किया गया। इसका गठन जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया था वे परिशिष्ट-क में अंकित संलग्न है।

(2) प्राधिकरण के गठन से अब तक कराये गये कार्यों तथा उन पर व्यय हुई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ख में अंकित संलग्न है।

(3) प्राधिकरण के गठन से लेकर अब तक सरकार द्वारा मद वार आबंटित राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ग के रूप में संलग्न है।

(4) जी नहीं। आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण अपनी स्थापना से ही आमेर महल एवं परिसर क्षेत्र में स्थित विभिन्न संरक्षित परिसम्पत्तियों, संरचनाओं, भवनों, आवासों, स्मारकों, आमेर फोर्ट वाल, मंदिर लक्ष्मीनारायणजी, गोपालजी, व सांघी जूथारामजी, बिहारीजी मंदिर, घाटी की गुणी स्थित राजनिवास बाग, रूपनिवास बाग, शीशमहल, विद्याधर का बाग व परिसर क्षेत्र में स्थित अन्य मंदिरों, जलेब चौक, जयपुर, सरिस्का स्थित कांकवाडी फोर्ट, सज्जनगढ़ फोर्ट, उदयपुर, एकलिंगजी फोर्ट, राजसमंद, नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर चारदिवारी सहित विश्व धरोहर जन्तर-मन्तर, जयपुर का भी परिरक्षण, संरक्षण, पुनुरूद्धार, सुरक्षा एवं प्रंबधन कार्य करता आ रहा है।

प्राधिकरण के द्वारा कराए गए कार्यों से ही जंतर-मंतर को विश्व धरोहर में शामिल किया जा सका है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आबंटित विभिन्न संरक्षण एवं पुनुरूद्धार कार्य भी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़मेर जिले में जन अभाव अभियोग के लम्बित प्रकरण

291. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या जन अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर की जन अभाव अभियोग/एवं सतर्कता समिति में कई प्रकरण बकाया हैं? यदि हां, तो बकाया प्रकरणों की सूची मय दर्ज होने की तिथि के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जांच अधिकारियों की लापरवाही के कारण उक्त प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पाया है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरणों का निस्तारण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर की जिला जन अभाव अभियोग व सतर्कता समिति में कुल 24 मामले बकाया/विचाराधीन हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों से संबंधित जांच अधिकारीगण को शीघ्र जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गत मासिक बैठक में विशेष रूप से निर्देशित किया गया है।

(3) हां, लम्बित प्रकरणों का निस्तारण सतर्कता समिति की आगामी मासिक बैठक में करवाया जाना है।

जन अभाव अभियोग व सतर्कता समिति में लम्बित प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	दायरा तिथि	आवेदक का नाम व पता	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	जांच अधिकारी	निस्तारण तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	12/10	24.05.10	श्री वीराराम पुत्र नवालाराम कुम्हार निवासी रोहिली	गांव बोथिया जागीर पटवार हलक कपूरडी में स्थित सरकारी पड़त भूमि की गलत तरमीम कर उसे निजी बताकर ओएनजीसीएल से मुआवजा राशि 1050000.00 एवं 2250000 तत्कालीन पटवारी व पूनमा पुत्र हरजी बंशी पुत्र सुरता द्वारा गबन करने के क्रम में।	प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा, भूमि अवाप्ति अधिकारी ओएनजीसीएल बाड़मेर, तहसीलदार बाड़मेर	
2.	25/10	29.07.10	श्री प्रेमकुमार खत्रियों का नीचला बाड़मेर बाड़मेर जरिये निदेशक स्थानीय निकाय विभाग बाड़मेर	महावीर नगर आवासीय योजना में मृतक कर्मचारी को आबंटित भूखण्ड अवैध रूप से हड़पने की जांच	आयुक्त नगरपालिका, बाड़मेर	

1	2	3	4	5	6	7
3.	26/10	30.07.10	श्री तेजाराम पुत्र नगाराम जाति जाट निवासी नागाना तला-कानोड़	भ्रष्ट राशन डीलर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते तथा राशन डीलर द्वारा मृतक लोगों के फर्जी हस्ताक्षर व अंगुष्टकर राशन सामग्री हड़प करने एवं उक्त डीलर का साथ देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करवाकर उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाने के संबंधमें।	जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर	
4.	27/10	3.08.10	श्री जयनारायण निम्बार्क, आजाद चौक, जसोल, तहसील पचपदरा	हाईकोर्ट के आदेशों की पालना हेतु जिला परिषद्, बाड़मेर को तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्तिके निर्देश देकर मुझे न्याय दिलाने बाबत।	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बाड़मेर	
5.	28-19	31.08.10	श्री विरधाराम पुत्र श्री भीखाराम जाट नि. भाटाला	उचित मूल्यदुकानदार डीलर श्री बाबूलाल द्वारा राशन सामग्री बच्चों को गेहूं व केरोसिन आदि दिया जाता है जिसका गबन किया गया है जिसकीजां चकरवाकर कानूनीकार्य वाहीकरवाने	उप खण्ड अधिकारी गुड़ामालानी मु. बाड़मेर	

1	2	3	4	5	6	7
6.	30/10	20.09.10	श्री गोतम डोसी पुत्र श्री चन्दनमल निवासी गुड़ामालानी	गरीबों को रहने के लिये इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत बने मकानों को बेचान करके इसके पट्टे जारी किये गये हैं जांच करवाकर कार्यवाही करवाने बाबत।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाड़मेर, प्रभारी अधिकारी पंचायत शाखा व विकास अधिकारी धौरीमन्ना	
7.	31/10	20.09.10	आम जनता नेवाई एवं अध्यक्ष नमक उत्पादक संघ पचपदरा	पचपदरा पटवारी श्री भीखदान व जमीन दलाल के बीच सांठगांठकरके आगोर व गोचर की जमीन में गलत तरमीम कर हड़पने के खिलाफ कार्य वाही।	उप खण्ड अधिकारी, बालोतरा	
8.	35/10	25.10.10	श्रीमती इमरती पत्नी पूनमाराम जाति जाट निवासी धनौड़ा पो. चाडी	बीपीएल परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता हेतु।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाड़मेर	
9.	38/10	27.10.10	श्री प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बाडमेर	5 फरवरी, 2010 तक सायं 5 बजे से 7.30 बजे तक कल्याणपुरा मार्ग सं. 4 माणक चिकित्सालय क्षेत्र की विद्युत कटौती बन्द करने।	उप खण्ड अधिकारी, बाड़मेर	

1	2	3	4	5	6	7
10.	39/10	03.11.10	श्री स्वरूप आचार्य, जिला महामंत्री, भाजपा आचार्यो का बास, बाड़मेर	आम रास्ता में किये गये नियमन व इजाजत निरस्त करवाने बाबत।	आयुक्त नगरपालिका, बाड़मेर	
11.	41/10	08.11.10	आम जनता महावीरनगर बाड़मेर	बिजली बिलों में संशोधन।	अधीक्षण अभियन्ता जोविविनि लि., बाड़मेर	
12.	42/10	18.11.10	श्री हरीश चण्डक पुत्र श्री चर्तुभुगज चण्डक, कल्याणपुरा मार्ग सं. 5 बाड़मेर	शहर में बिना पार्किंग के चल रही होटलों व बहुमंजिला तथा कामर्शियल इमारतों में अनुमोदित मानचित्रानुसार पार्किंग सुविधा जनहित में बहाल करने व नहीं होने तक वहां की व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जनहित में जारी करने के संबंध में।	आयुक्त नगरपालिका, बाड़मेर	

1	2	3	4	5	6	7
13.	43/10	08.11.10	श्री हरीश चण्डक पुत्र श्री चर्तुभुगज चण्डक, कल्याणपुरा मार्ग सं. 5 बाड़मेर	कामर्शियल भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट में दिया गया पट्टा निरस्त करने व रजिस्टर्ड बेचान से ज्यादा जमीन पर किये गये कब्जों को हटाने के संबंध में शिकायत विरुद्ध श्री बाबूलाल भगवानदास मालिक मरूधरा पैलेस होटल कचहरी रोड बाड़मेर।	आयुक्त नगरपालिका, बाड़मेर	
14.	44/10	08.11.10	मरूलहर समाचार पत्र दिनांक 21.10.2010	पालिका का कमाल! बिना कनवर्जन सीधे कर दी होटल की इजाजत।	आयुक्त नगरपालिका, बाड़मेर	
15.	49/10	10.12.10	श्री रामबाबू सैनी पुत्र श्री नत्थीलाल अहिंसा सर्किल के पास सोकर रोड तह. कठूमर	फर्जी दस्तावेज बनवाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने बाबत।	उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर/ तहसीलदार बाड़मेर	
16.	50/10	10.12.10	श्री जयन्तीप्रसाद पुत्र भोलाराम निवासी बरारी जिला मथुरा	श्री माताप्रसाद पुत्र पूरनचन्द अध्यापक की फर्जी नियुक्ति के संबंध में।	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बाड़मेर	

1	2	3	4	5	6	7
17.	51/10	13.12.10	श्री इशाक खां वार्ड सं. 1 जिला परिषद् बाड़मेर	ग्रेफ द्वारा फर्जी नाम अंकन कर मस्टररोल भरकर मजदूरों का भुगतान राशि उठाकर गलत प्रयोग करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्यवाही करने बाबत।	अधिशासी अभियन्ता नरेगा जिला परिषद्, बाड़मेर	
18.	52/10	13.12.10	समस्त ग्राम वासी कोसरिया विद्यालय स्टाफ व छात्रगण	राज. उ. प्रा. वि. कोसरिया की भूमि पर सोसायटी का अतिक्रमण हटवाने बाबत।	विकास अधिकारी पंचायत समिति, बायतू सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, बाड़मेर	
19.	1/2011	01.02.11	श्री कूम्पाराम भील जलकर्मी जाखड़ा	ग्राम पंचायत जाखड़ों की ढाणी में राशन डीलर मैसर्स नारायणराम पुत्र नरसिगाराम की वास्तविक स्थिति बयान करने।	उप खण्ड अधिकारी, बाड़मेर	
20.	2/2011	01.02.11	श्री हाजी उस्मान अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, बाड़मेर	ग्राम पंचायत गंगाला में राजीव गांधी सेवा केन्द्र में फर्जीवाड़ा एवं भ्रष्टाचार रोकने बाबत।	अधिशासी अभियन्ता नरेगा जिला परिषद्, बाड़मेर	

1	2	3	4	5	6	7
21.	3/2011	01.02.11	श्री सवाराम पुत्र कुष्टाराम जाति भील निवासी सडा	मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने बाबत।	थानाधिकारी, सिणधरी	
22.	4/2011	01.02.11	सरपंच ग्राम पंचायत खुड़ासा	ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण रूकवाने	विकास अधिकारी, सिणधरी	
23.	5/2011	03.02.11	श्री अमित कुमार मीणा व अन्य चयनित प्रबोधक	प्रबोधक 2008 में चयनित प्रबोधकों को नियुक्ति दिलवाने बाबत।	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, बाड़मेर	
24.	6/2011	07.02.11	श्री कबीराराम मेघवाल निवासी राजबेरा	राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना से वंचित एक बीपीएल परिवार-एस.सी. युवक की पीड़ा।	अधिशासी अभियन्ता, आरआरवीपीएनएल, बाड़मेर	

खाजूवाला के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

292. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं चयन की प्रक्रिया क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार नियमों में शिथिलता प्रदान करने का विचार रखती है?

(3) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? क्या उक्त केन्द्र निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हैं? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं चयन की प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थी प्रायः उपलब्ध हो जाते हैं। केवल कतिपय शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों/ग्रामों में ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता प्रदान करने का प्रावधान है। विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से छूट ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत के इस प्रस्ताव के आधार पर प्रदान की जाती है कि ग्राम में कोई भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला उपलब्ध नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में कुल 223 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उक्त सभी केन्द्र निर्धारित मापदण्डानुसार है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मानदेय सेवा कार्मिकों के रिक्त पदों को ग्राम सभा के माध्यम से चयन उपरान्त भरा जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले के बाल विकास कार्यालयों में रिक्त पद

293. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में बड़ी संख्या में परियोजना कार्यालयों व जिला उप निदेशक कार्यालयों में अधिकारियों/कार्मिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो परियोजना, उप निदेशक कार्यालयवार स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रिक्त पदों के कारण कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित करने में बाधा आ रही है? यदि हां, तो सरकार की इसके लिए क्या योजना है?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में अधिकारियों एवं कार्मिकों के अधिकांश पद भरे हुए हैं। जयपुर जिले के उप निदेशक कार्यालय एवं परियोजनाओं में स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों का विवरण ध्वज-"अ" पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि किसी पद के रिक्त होने पर विभागीय कार्य संचालन में कुछ गतिरोध आता है किन्तु उक्त पद का कार्य अन्य कार्मिक से लिया जाकर योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

(3) जी हां। बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। लेखाकार/सांख्यिकी सहायक के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही उनके पैतृक विभाग (निदेशक, कोष एवं लेखा एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय) द्वारा की जाती है। रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु संबंधित विभागों को समय-समय पर पत्र लिखे जाते रहे हैं। शेष पदों को भरे जाने के लिए कार्मिकों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक का पदस्थापन

294. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला मुख्यालय बाड़मेर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक का पद कितने वर्षों से रिक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पद का कार्यभार किसी अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज में दिया जाता रहा है? क्या उक्त कारण जिले में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है? क्या सरकार उक्त पद पर सक्षम अधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग का पद 03-07-2008 से रिक्त है।

(2) यह सही है कि किसी पद के रिक्त होने पर विभागीय कार्य संचालन में कुछ गतिरोध आता है किन्तु उक्त पद का कार्य अन्य कार्मिक से लिया जाकर योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग के पद को भरे जाने हेतु कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है।

मकराना के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

295. श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना के अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से भवन कब से किराये पर चलाये जा रहे हैं? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मकराना में 111 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 6 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कुल 117 केन्द्र किराये के भवन में चलाये जा रहे है। किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र के भवनों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) राज्य की सीमित संसाधनों के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केन्द्रों को निकटतम प्राथमिक विद्यालय में कक्ष की उपलब्धता के अनुसार स्थानान्तरित किया जा रहा है। सरकार सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है। बजट की उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए सरकार सतत् प्रयत्नशील है।

परिशिष्ट "अ"

सूची

क्र. सं.	**किराये पर चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची**	**कब से किराये पर चल रहे हैं**	**वि.वि.**
1	**2**	**3**	**4**
1.	मकराना 01	10 2006	
2.	मकराना 02 ए	08 2010	
3.	मकराना 02 ब	10 2007	
4.	मकराना 04	10 2006	
5.	मकराना 06 ए	10 2006	
6.	मकराना 06 ब	10 2006	
7.	मकराना 07	07 2007	
8.	मकराना 08 ए	07 2007	
9.	मकराना 08 ब	10 2006	
10.	मकराना 09	10 2006	
11.	मकराना 10 ए	07 2006	

1	2	3	4
12.	मकराना 10 ब	10 2006	
13.	मकराना 11	09 2007	
14.	मकराना 12 ए	08 2006	
15.	मकराना 12 ब	10 2006	
16.	मकराना 13	10 2006	
17.	मकराना 14 ए	10 2006	
18.	मकराना 14 ब	03 2008	
19.	मकराना 15	08 2007	
20.	मकराना 16	10 2006	
21.	मकराना 17	10 2006	
22.	मकराना 18	10 2006	
23.	मकराना 19	08 2007	
24.	मकराना 20	08 2010	
25.	मकराना 21	08 2007	
26.	मकराना 22	03 2008	
27.	मकराना 23	07 2006	
28.	मकराना 24	08 2007	
29.	मकराना 25	07 2006	
30.	मकराना 25 ब	08 2010	
31.	मकराना 26	10 2006	
32.	मकराना 27	08 2007	
33.	मकराना 29	10 2006	
34.	मकराना 30	10 2006	

1	2	3	4
35.	मकराना 31	10 2006	
36.	मकराना 33	07 2006	
37.	मकराना 34	07 2006	
38.	मकराना 35	10 2006	
39.	मकराना 36	08 2006	
40.	मकराना 39	08 2007	
41.	मकराना 40	07 2006	
42.	बूडसू 1	10 1995	
43.	बूडसू 11	09 1995	
44.	बूडसू 111	06 1995	
45.	गैलासर 111	03 1996	
46.	देवरी 1	09 1995	
47.	खारडिया	09 1995	
48.	रानीगांव 1	09 1995	
49.	रानीगांव 2	09 1995	
50.	रानीगांव 3	06 1995	
51.	सिणिया	07 1995	
52.	इन्दोखा 1	07 1995	
53.	नावद 11	04 1996	
54.	कालवाबड़ा 1	06 1995	
55.	कालवाबड़ा 2	06 1995	
56.	कालवाबड़ा 3	06 1995	
57.	कालवा छोटा	09 1995	

1	2	3	4
58.	लोरोली 1	07 1995	
59.	लोरोली 2	09 1995	
60.	तेजमाल की ढाणी	04 1997	
61.	अतलवा 111	06 1995	
62.	बाजेली 1	07 1995	
63.	बाजेली 111	10 2007	
64.	भैयाकलां 11	08 1995	
65.	गुढाखेड़ी	11 1995	
66.	दम्बोईखुर्द 1	10 2007	
67.	दम्बोईखुर्द 11	11 2007	
68.	ई. बामणिया 1	10 1995	
69.	ई. बामणिया 11	10 1995	
70.	ई. लाखा 1	06 1996	
71.	बेसरोली 1	06 1995	
72.	बेसरोली 11	08 1995	
73.	बेसरोली 111	07 1996	
74.	दाबड़िया 1	10 1995	
75.	गेडाकला 11	04 1996	
76.	लाडोली 11	10 1995	
77.	मामडोली 1	04 1995	

1	2	3	4
78.	मामडोली 11	10 1995	
79.	सिरसला	10 1995	
80.	जारवली 1	11 1995	
81.	बोरावड़ 2	04 1995	
82.	बोरावड़ 3	04 1995	
83.	बोरावड़ 4	04 1995	
84.	बोरावड़ 5	07 1995	
85.	बोरावड़ 6	10 1995	
86.	बोरावड़ 7	11 1995	
87.	बोरावड़ 8	02 1996	
88.	सबलपुर 11	05 1997	
89.	कजाणा	10 1995	
90.	जूसरिया 1	07 1995	
91.	जूसरिया 11	11 1996	
92.	जूसरी 1	04 1995	
93.	जूसरी 2	04 1995	
94.	जूसरी 3	07 1995	
95.	जूसरी 4	10 1995	
96.	जूसरी 5	10 1995	
97.	मोरेड 1	11 1995	

1	2	3	4
98.	मोरेड 3	03 2007	
99.	बरवाला 1	10 1995	
100.	बरवाला 2	11 1996	
101.	बरवाली 1	06 1995	
102.	बरवाली 2	11 1996	
103.	मिण्डकिया 1	03 1995	
104.	मिण्डकिया 2	03 2007	
105.	मकराना ढाणिया 1	10 1995	
106.	मकराना ढाणिया 2	03 2007	
107.	मकराना ढाणिया 3	03 2007	
108.	मकराना ढाणिया 4	03 2007	
109.	मकराना ढाणिया 5	03 2007	
110.	घानणवा 1	06 1996	
111.	घानणवा 2	05 2007	
112.	मे. ढाणी	09 2007	मिनी केन्द्र
113.	बा. ढाणी	09 2007	मिनी केन्द्र
114.	पुनियों की ढाणी	09 2007	मिनी केन्द्र
115.	कुवाडो की ढाणी	09 2007	मिनी केन्द्र
116.	सुनारियों का बेरा	09 2007	मिनी केन्द्र
117.	पालड़ी महेश	09 2007	मिनी केन्द्र

उदयपुर जिले में परियोजना कार्यालयों में कार्मिकों के रिक्त पद

296. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर में परियोजना कार्यालयों व जिला उप निदेशक कार्यालयों में बड़ी संख्या में अधिकारियों/कार्मिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो परियोजना/उपनिदेशक कार्यालयवार स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रिक्त पदों के कारण कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित करने में बाधा आ रही है? यदि हां, तो उक्त हेतु सरकार की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में अधिकारियों एवं कार्मिकों के अधिकांश पद भरे हुए हैं। उदयपुर जिले के उप निदेशक कार्यालय एवं परियोजनाओं में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण ध्वज-"अ" पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि किसी पद के रिक्त होने पर विभागीय कार्य संचालन में कुछ गतिरोध आता है किन्तु उक्त पद का कार्य अन्य कार्मिक से लिया जाकर योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

(3) जी हां। बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। लेखाकार/सांख्यिकी सहायक के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही उनके पैतृक विभाग (निदेशक, कोष एवं लेखा एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय) द्वारा की जाती है। रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु संबंधित विभागों को समय-समय पर पत्र लिखे जाते रहे हैं। शेष पदों को भरे जाने के लिए कार्मिकों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रायथल (बूंदी) में अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास

297. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत माडा क्षेत्र में भारत सरकार के सहयोग से आश्रम छात्रावास खोले जाने प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो किस-किस स्थान में किस-किस आधार पर? उक्त संबंध में जारी आदेश/परिपत्र की प्रति सहित नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के माडा क्षेत्र में छात्रावासों की कमी को देखते हुए आवश्यकता एवं मांग को दृष्टिगत रखकर सरकार महाराष्ट्र-पैटर्न/केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में छात्रावास खोलने को प्राथमिकता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त संबंध में प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृतियां की जाने के लिये कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी? की जा रही कार्यवाही एवं महाराष्ट्र पैटर्न के तहत निर्धारित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्राम निवारिया (देवली) एवं उप तहसील मुख्यालय नगर (टोंक) तथा भीतरी ग्रामीण क्षेत्र के माड़ा ग्राम रायथल (बूंदी) में भी अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? उक्त संबंध में की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या रायथल (बूंदी) में अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण के लिये प्रशासन गांव के संग अभियान, 2010 में दिनांक 26 दिसम्बर, 2010 को भूमि खसरा संख्या 513 ग्राम रायथल आबंटित की जाने का प्रस्ताव लिया गया है? यदि हां, तो छात्रावास स्वीकृत किये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत माडा क्षेत्र में भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2010-11 में 28 बालिका आश्रम छात्रावास निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है एवं स्वीकृति आदेश परिशिष्ट-ब तथा दिशा-निर्देशों परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) जी हां। क्षेत्र की आवश्यकता, आसपास छात्रावास नहीं होने एवं स्थानीय विद्यालय में जनजाति के छात्र-छात्राओं की संख्या को ध्यान में रखते

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

हुए ही नवीन छात्रावास नि:शुल्क भूमि उपलब्ध होने की शर्त पर प्रस्तावित किये जाते हैं, जिसके लिए निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाता है :-

1. उपलब्ध छात्रों के अनुपात में छात्रावास की क्षमता।
2. नवीन प्रस्तावित छात्रावास के आसपास पूर्व से संचालित छात्रावास की दूरी/स्तर/क्षमता तथा उसमें प्रवेशित छात्र-छाओं का प्रतिशत।
3. स्थानीय विद्यालयों में अध्ययनरत जनजाति छात्र-छात्राओं की संख्या। दिशा-निर्देशों के संबंध में परिशिष्ट-स संलग्न है।

(3) उपरोक्तानुसार पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर (निशुल्क भूमि आबंटन सहित) स्वीकृति हेतु प्रस्ताव नियमानुसार भारत सरकार को भिजवाये जावेंगे।

(4) जी हां। जिला बूंदी में ग्राम रायथल में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने हेतु प्रशासन गांव संग अभियान-2010 में प्रस्ताव संख्या 13 से खसरा नम्बर 513 में रकबा 15 बीघा भूमि का प्रस्ताव लिया गया है, प्रशासनिक विभाग को प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाया जावेगा।

(सूची व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

टोडाभीम के राजकीय महाविद्यालय में व्याप्त अनियमितताएं

उपरोक्त विषय में उल्लेख है कि टोडाभीम में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय की स्थिति अत्यन्त खराब है। पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध होने के बावजूद यहां पर विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ है। महाविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी है। पेयजल व्यवस्था के लिए टंकी, कूलर आदि उपलब्ध नहीं है। खेल का मैदान नहीं बना है, जिसके कारण छात्रों का शारीरिक विकास बाधित हो रहा है। महाविद्यालय में कला संकाय के सभी विषय एवं विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय आदि नहीं होने के कारण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अन्यत्र जाना पड़ रहा है।

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर सुधारने हेतु राजकीय महाविद्यालय टोडाभीम को सभी सुविधाएं एवं संकाय उपलब्ध होने चाहिए। इसके साथ-साथ यहां पर छात्राओं के लिए भी महाविद्यालय खुलना आवश्यक है, जिसके लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। जनसंख्या के सघन घनत्व को देखते हुए ग्राम नांगल शेरपुर में भी राजकीय महाविद्यालय खुलना अत्यन्त आवश्यक है। जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि वहां उपलब्ध है।

रमेश चन्द मीणा
(टोडाभीम)

भिवाड़ी से अलवर राजमार्ग संख्या 25 के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भिवाड़ी से अलवर राज्यमार्ग संख्या 25 का फोरलेन का कार्य रिडकोर द्वारा G R INFRAPROJECTS LTD कम्पनी से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जो कि फोरलेन के निर्माण की शर्तों के अनुरूप नहीं कराकर दिसम्बर व जनवरी माह में शून्य तापमान पर ही डामरीकरण किया गया जो कि तकनीकी रूप से किसी भी तरह मानक तापमान से नीचे करना उचित नहीं है और न ही अधीक्षण अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता द्वारा गुणवत्ता निरीक्षण लैब की स्थापना न कर निर्माण की गुणवत्ता की जांच किये बिना ही सड़क बनायी जा रही है। रिडकोर के अधीक्षण अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता स्तर के अधिकारी निर्माता कम्पनी से मिलीभगत कर घटिया निर्माण करवाया जा रहा है।

सड़क निर्माता कम्पनी द्वारा भारी वाहनों में क्षमता से अधिक वजन की

निर्माण सामग्री विभिन्न गांवों से होते हुये लाई जा रही है। जिससे इनकी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। जिसके मरम्मत की बार-बार मांग करने के बावजूद कम्पनी द्वारा मरम्मत नहीं करवायी जा रही है।

निर्माता कम्पनी द्वारा ग्राम घासोली में रोड़ी व डामर मिक्सचर प्लांट लगाया गया है प्लांट के अन्दर भूमिगत रूप से दो नलकूपों की पाइप लाइन ग्राम घासोली में पीने के पानी के लिये जा रही है। जो प्लांट में अधिक वजन व भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। जिससे ग्रामवासियों में पानी की बहुत भारी किल्लत हो गयी है। इसको भी मरम्मत नहीं करवाया गया है।

राज्यमार्ग संख्या 25 भिवाड़ी से अलवर की दोनों तरफ शीशम, कीकर व सफेदे आदि के हजारों पेड़ों को काट कर वन विभाग के स्टोर में जमा कराने की जगह अन्यत्र भेज दिया गया। जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है।

अत: उपरोक्त सड़क निर्माण में हो रहे घोटालों की जांच राज्य स्तर पर उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर करवायी जावे तथा तकनीकी स्वीकृति के अनुसार फोरलेन का निर्माण कार्य हो सके ऐसी व्यवस्था करवाते हुये दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवायी जावे।

रामहेत सिंह यादव

(किशनगढ़बास)

कोटा शहर में पेयजल व सीवरेज की लाइनों के मिलने से दूषित जल की आपूर्ति

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा की एक ज्वलंत समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कोटा शहर में विज्ञान नगर, महावीर नगर, महावीर नगर विस्तार, तलवंडी, दादाबाड़ी, दादाबाड़ी विस्तार, बसंत विहार आदि हाउसिंग बोर्ड की कालोनियों में सीवरेज की पाइप लाइन जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है, कई जगह से पाइप लाइन बुरी तरह से टूट चुकी हैं एवं कई जगह पाइप लाइन छोटी होने के कारण सीवरेज का पानी घरों में घुस रहा है। बरसात के समय तो सीवरेज का पानी एवं बारिश का पानी दोनों ही घरों में घुस रहा है। बरसात के समय तो सीवरेज का पानी एवं बारिश का पानी दोनों ही घरों में घुसने से वहां के निवासियों को नारकीय जीवन जीने को भी मजबूर होना पड़ता है। सीवरेज की लाइनें और पीने के पानी की लाइनें दोनों के साथ-साथ जाने के कारण तथा पेयजल पाइप लाइन एवं सीवरेज लाइनों के लीकेज होने के कारण

पेयजल की लाइन में सीवरेज का पानी घुस जाता है जिसके कारण लोग गंदे पानी को पीने को मजबूर हैं जिससे पीलिया एवं अन्य संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं एवं भयंकर रूप से लोगों के बीमार होने की आशंकाएं बलवती होती जा रही हैं।

उपरोक्त गम्भीर परिस्थिति को सरकार के सम्मुख रखते हुए मैं इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि कोटा शहर की हाउसिंग बोर्ड कालोनियों की तमाम सीवरेज लाइन को बदल कर उच्च क्षमता की नई पाइप लाइन डाली जाये, तथा साथ में समानांतर चल रही पीने के पानी की लाइनों को पृथक किया जाये ताकि मिक्सिंग का खतरा हमेशा के लिए दूर हो जाये। कोटा में चम्बल शुद्धिकरण के तहत जो गंदे नालों को टेपिंग करने की योजना है, इस चम्बल शुद्धिकरण की बड़ी लाइन से सीवरेज की समस्त लाइनों को जोड़ा जाये जिससे सीवरेज का सारा गंदा पानी ट्रीटमेंट प्लांट में जाकर निस्तारित हो सके। इसके लिए नगर विकास न्यास, कोटा एवं जलदाय विभाग संयुक्त टीम बनाकर कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। मेरी इस प्रस्ताव के माध्यम से पुन: राज्य सरकार एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से मांग है कि नगर विकास न्यास, कोटा को इस कार्य के लिए अलग से बजट उपलब्ध कराया जाये ताकि त्वरित गति से कार्य पूर्ण होकर कोटा शहर की जनता को राहत प्रदान की जा सके।

ओम बिरला

(कोटा दक्षिण)

जोधपुर शहर में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान मुख्यमंत्री के गृह नगर में अनियंत्रित अपराधों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

जोधपुर अपनी अपनायत एवं शांत वातावरण के कारण जाना जाता है। जहां मध्य रात्रि अकेली स्त्री भी यदि गहनों से लद-कद निकले तो उसे कोई खतरा नहीं रहता। परन्तु गत कुछ अर्से से जोधपुर में हैरत अंगेज अपराध नियमित और निरन्तर रूप से होने लगे हैं। घर में सोती महिलाओं के गहने लूटना, राह चलती महिलाओं के बैग छिनना, घात लगाकर लोगों से नकदी-आभूषण छिनना, चैन स्नैचिंग, वाहन चोरी, सूने घरों में चोरी और कई क्षेत्रों में तो घरों के ताला लगाना चोरी की गारन्टी बन गया है। केवल मार्च 2011 के आरंभिक सप्ताह के आंकड़े देखें तो जोधपुर में शराब पीने की बात पर वृद्ध की हत्या, स्टेन गन से हमला, युवक को बेहोश कर जलाकर हत्या, एक ही सप्ताह में आम नागरिकों से घात लगाकर लाखों रुपयों की नकदी लूटना, भरी अदालत से गवाही देने आई महिला का अपहरण, वृद्धा को बेहोश कर आभूषण लूटने जैसे अनेक अपराध हुए हैं। यह अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अवैध हथियार

स्टेन गन, देशी कट्टे, माऊजर आदि की पहुंच छोटे से आदतन अपराधी तक सहज पहुंच रहे हैं।

पहले सरकार ने कमिश्नर प्रणाली लागू होना समाधान बताया था। परन्तु आधे-अधूरे मन से लागू की गई कमिश्नर प्रणाली के नाम पर केवल पदनाम बदले गये हैं। अभी तो कमिश्नर के स्वयं के लिए कोई आफिस नहीं बनाया जा सका है। कमिश्नर प्रणाली से मिलने वाले अधिकारों के दिवास्वप्नो मदमत्त जोधपुर पुलिस नगर निगम के अभियानों में फुटपाथ खाली कराने और ठेलों का व्यवस्थित करने में समय व्यतीत कर रही है। परन्तु गंभीर अपराधों को रोकने की ओर बिलकुल ही ध्यान नहीं दे रही है।

मेरी मांग है कि जोधपुर में बढ़ रहे अपराधों पर नकेल कसने के लिए दीर्धावधि के साथ तात्कालिक उपाय अविलम्ब किये जावें। जोधपुर में बाहर से आकर रह रहे लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जावे। चैकिंग नाकों पर ईमानदारी से सघन जांच की जावे। अवैध हथियारों की धरपकड़ का पहले अभियान चलाकर और फिर नियमित प्रक्रियागत कार्यवाही की जावे। वाहन चोरी के मामलों में पीड़ित को ही परेशान करने वाली पुलिस कार्यपद्धति को बदला जावे। कार बाजारों, पेड़ पार्किंग स्थलों और वाहन स्टेण्डस पर छापामारी कार्यवाही कर वाहनों की जांच की जावे। मध्यरात्रि और सुबह तीन-चार बजे के बीच की गश्त बढ़ाई जावे। कमिश्नर प्रणाली में जमीन स्तर पर कार्य करने वाले नीचे के पदों में वृद्धि की जावें और पदों का भरा जावे। मेरा अनुरोध है कि जोधपुर के गंभीरतर अनियंत्रित अपराधों को रोकने के लिए अविलम्ब ठोस कार्यवाही कर जोधपुरवासियों को अपनी सुरक्षा का विश्वास बहाल किया जावे।

सूर्यकान्ता व्यास

(सूरसागर)

मेड़ता में बेमौसम वर्षा से रबी की फसल को नुकसान

मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में रबी फसल के तहत बोई हुई जीरा, ईसबगोल, घोड़ा जीरा आदि फसलें बेमौसम की बरसात से बुरी तरह से नष्ट हो गई। जीरे की फसल तो लगभग शत प्रतिशत नष्ट हो गई तथा अन्य फसलें यथा ईसबगोल, चने आदि लगभग अस्सी प्रतिशत नष्ट हो गई हैं जिससे किसानों में भारी मात्रा में निराशा उत्पन्न हो गई और उन्हें खून के आंसू रोने को विवश होना पड़ रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता जो अधिकांशत: कृषि पर आधारित रहती है, उनमें इस बार भारी मायूसी नजर आ रही है। किसानों ने जीरे की फसल के लिए जो ऋण लिया था वे उसकी भरपाई भी नहीं कर पा रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दो पंचायत समितियों मेड़ता सिटी और रियां बड़ी के करीबन सौ से अधिक गांव इस

प्राकृतिक आपदा से त्रस्त हुए हैं और स्वयं को कोसने पर मजबूर हैं। अत: आप श्रीमान से निवेदन है कि आप इस त्रासदी का पूर्णतया आंकलन करवा कर किसानों को मुआवजे के रूप में आर्थिक सहायता दिलायी जावे ताकि दवाई, खाद, बीज आदि के लिए जो कर्ज लिया था उसकी भरपाई कर सके।

सुखराम नेतडिया

(मेड़ता)

आयुर्वेद निदेशालय में अनुसूचित जाति के कार्मिकों को पूरा वेतन नहीं दिया जाना

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं कि निदेशालय आयुर्वेद विभाग में बैकलाग पदों पर कार्यरत अनु. जाति वर्ग के 100 आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डरों को पूरा वेतन न दिये जाने के संबंध में विशेष प्रस्ताव है कि :—

1. निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर द्वारा वर्ष 2004 में नर्स/कम्पाउण्डरों की नियुक्ति अनु. जाति वर्ग के बैकलाग पद भरे जाने हेतु की गई। अनु. जाति वर्ग के 100 नर्स/कम्पाउण्डर को बैकलाग पदों पर नियुक्ति दिये जाने की सूचना राष्ट्रीय अनु. जाति/जनजाति आयोग के राज्य कार्यालय जयपुर को आयुर्वेद विभाग शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा दिनांक 14.05.2004 को प्रेषित की गई जिसमें निदेशालय की विज्ञप्ति व चयन सूची का हवाला देते हुए नियुक्ति बैकलाग पदों पर की जानी बतलाया गया है। (छायाप्रति संलग्न है, नत्थी संख्या-1)

2. निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर द्वारा 7 वर्षों से अनु. जाति वर्ग के 100 नर्स/कम्पाउण्डरों का आर्थिक शोषण संविदा नियुक्ति बतलाकर किया जा रहा है इसके लिए सूचना के अधिकार से प्राप्त आयुर्वेद विभाग शासन सचिवालय के सूचना पत्र में नियुक्ति बैकलाग पदों पर की जाना बतलाते हुए निदेशालय द्वारा नियुक्ति संविदा से माना जाना त्रुटिपूर्ण बतलाया है (छायाप्रति संलग्न है, नत्थी संख्या-2)

अत: श्रीमान् जी से निवेदन है कि अनु. जाति वर्ग के 100 नर्स/कम्पाउण्डरों की नियुक्ति के संदर्भ में निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर द्वारा की जा रही त्रुटि को दुरूस्त करवाकर प्रथम नियुक्ति तिथि से पूरा वेतन दिलवाने की कृपा करें।

चन्द्रकान्ता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)

प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों के रिक्त पद

राजस्थान विधान सभा के कार्य प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमों के

नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्री का विशेष उल्लेख कर यह कहना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों के रिक्त पदों से व्यवस्थाएं चरमरा जाने के संबंध में।

राजस्थान सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किये हैं। जिसमें प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करना, तकनीकी एवं औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए नये विज्ञान एवं अन्य संकाय खोलना आदि उल्लेखनीय कार्य किये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 29 माध्यमिक विद्यालय खोलकर एवं राउमावि बायतू एवं राउमावि पाटोदी में विज्ञान गणित संकाय खोल कर जो नया इतिहास रचा है उसके लिए मेरे क्षेत्र की जनता एवं मैं स्वयं शिक्षा मंत्री एवं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।

मार्च, 2011 से माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा की वार्षिक परीक्षाऐं प्रारम्भ हो रही हैं। जिससे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों की रातों की नींद हराम हो रही है। क्योंकि जिले में 35 प्रतिशत से अधिक अध्यापकों, विषयाध्यापकों, प्राध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं। जिसके कारण विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है। प्रारम्भिक शिक्षा में 453603 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं एवं माध्यमिक शिक्षा में लगभग 2 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनका भविष्य अध्यापकों के रिक्त पदों के कारण अंधकार में है।

प्रारम्भिक शिक्षा

जिला	पद	स्वीकृत	रिक्त	बायतू	स्वीकृत	रिक्त	वि.वि.
	2nd Grade	1640	422		204	18	
	3rd Grade	11556	4347		1423	595	
	P.E.T.	388	98		42	19	
35/	Total	13584	4867	37/	1669	632	

माध्यमिक शिक्षा

जिला	प्रधानाचार्य	प्रधानाध्यापक	व्याख्याता	2nd Grade	PET	पुस्तकालय अध्यक्ष 2	3rd Grade	पुस्तकालय अध्यक्ष 3
स्वीकृत	81	229	434	911	36	23	179	57
रिक्त	32	120	170	54	17	17	39	16

कुल स्वीकृत पद 1950 रिक्त पद 465 एवं जिले के 239 नवक्रमोन्नत विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के एक एवं विषयाध्यापक के 5 पद स्वीकृत होने हैं। यानी 1434 और पद होने चाहिए। अर्थात् 1673 पद रिक्त होंगे। विभागीय मानदण्डों के अनुसार यदि पदों को स्वीकृत माने तो 3384 पदों के विरूद्ध में मात्र 1485 यानी 76 प्रतिशत पद रिक्त हैं।

ऐसी स्थिति में शिक्षा का स्तर कैसे सुधर सकता है। अध्यापकों के रिक्त पद, ऊपर से अध्यापकों से सर्वशिक्षा, जनगणना, मकान गणना, पशु गणना, मिड डे मिल, चुनाव आदि-आदि के कार्य भी लिए जाते हैं। पढ़ाई के कार्य दिवस देखें तो 365 दिनों में से मात्र 128 दिवस ही होती है।

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि इस गम्भीर समस्या पर विचार कर यथाशीघ्र समाधान हेतु अध्यापकों की भर्ती कर पदस्थापन देना चाहिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी

(बायतू)

बामनवास में परिवहन निगम की बसों का संचालन

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास का राजस्थान में शायद ही कोई ऐसा उपखण्ड होगा जहां एस.डी.एम., तहसील एवं पंचायत समिति कार्यालय होते हुए भी वहां राजस्थान परिवहन निगम की कोई बस नहीं चल रही है।

मेरा पूरा क्षेत्र ग्रामीण, किसान व गरीबों का है। कालेज में पढ़ने वाले छात्र - छात्राओं को पढ़ने के लिए गंगापुर-करौली जाने वाली परिवहन की बसों में 5 किलोमीटर पैदल जाकर बैठना पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बौंली उपखण्ड भी है जहां भी नाम मात्र की बसें चलती हैं। बामनवास से बौंली, बामनवास से सवाईमाधोपुर एवं बामनवास से जयपुर के लिए कोई बस नहीं चलती है। पिछले सत्र में जब सरकार से प्रश्न लगाकर पूछा गया तो राजस्व आय नहीं मिलना कारण बताया गया। जबकि कई शहरों में खाली बसें चलती रहती हैं कोई आय भी नहीं दे रही हैं फिर भी चल रही हैं। गरीब जिला है गरीब लोग हैं। मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गरीब लोगों व किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए तुरन्त मेरे क्षेत्र में परिवहन की बसें चलवाई जावें।

नवल किशोर मीणा

(बामनवास)

सूरजगढ़ उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जाना

श्रीमानजी मेरी विधान सभा क्षेत्र उप-तहसील सूरजगढ़ को तहसील में परिवर्तन करने की कृपा करें क्योंकि यह उप-तहसील बहुत बड़ा है। यहां पंचायत समिति भी है, 37 पंचायत व एक नगरपालिका भी है। काफी ज्यादा राजस्व की प्राप्ति इस तहसील से होती है। लोगों को काफी दूर तहसील आना-जाना पड़ता है, जिससे क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: समस्त समस्याएं एवं लोगों का परेशानी खतम करने का एक ही साधन है वो है उक्त उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने का श्रम करें।

श्रवण कुमार

(सूरजगढ़)

धरियावद-बान्सी सड़क मार्ग का सुदृढ़ीकरण

श्रीमानजी मेरी विधान सभा क्षेत्र धरियावद में सड़क मार्ग धरियावद-बान्सी जो कि एक दुर्गम पहाड़ी सड़क मार्ग हैं। यह मार्ग वर्तमान में बहुत ही खराब होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसमें जनहानि भी होती है।

अत: व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रक्रिया के नियम 295 के तहत उक्त सड़क मार्ग को चौड़ा करवाते हुए सुदृढ़ीकरण करवाने का प्रस्ताव करता हूं।

नगराज मीणा

(धरियावद)

बयाना व रूपवास तहसीलों में पेयजल संकट

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना की भौगोलिक परिस्थितियों की तरफ ध्यान दिलाते हुए सरकार को अवगत करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र बयाना में दो तहसील आती हैं। तहसील बयाना एवं रूपवास जिनमें पेयजल की हर साल विकट समस्या बनी रहती है क्योंकि डांग क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र होने से हैण्डपम्प जो लगाये जाते हैं अल्प समय में ही जल स्तर नीचे जाने से सूख जाते हैं या खराब हो जाते हैं परिणामस्वरूप समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है।

चूंकि डांग एवं पहाड़ी क्षेत्र होने से पेयजल समस्या का निवारण डीपबोर लगाने से सम्भव हो सकता है जो 350-400 फीट गहरी खुदाई हो एवं सबमर्सिबल लगाने से पानी मिल सकता है जिससे डांग क्षेत्र में जनमानस, पशुओं को पीने का पानी मुहैया हो सकेगा इस हेतु सरकार ध्यान देकर दोनों ही तहसीलों में 50-50 डीपबोर

लगाने की योजना बनाकर लगवाये तो यह एक पुनीत कार्य होगा एवं जनता को आने वाले गर्मी के दिनों में पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि अमूल्य मानव शक्ति को डीपबोर स्कीम प्रस्ताव बनाकर लगवाने की व्यवस्था करेगी। ऐसी जनमानस भावनाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित होगा।

ग्यारसा राम कोली

(बयाना)

जायल में डोसियन कम्पनी द्वारा प्रदाय जल की उच्च स्तरीय जांच

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में संचालित मातासुख जल परियोजना के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मातासुख जल परियोजना में डोसियन कम्पनी द्वारा जल शुद्ध करके दिया जा रहा है उसकी हर गांव में एक ही शिकायत है कि पानी पीने योग्य नहीं है। पानी में बदबू आती है। पानी का स्वाद बेकार है। तो मैं जनता की आवाज को मध्यनजर रखते हुए इस परियोजना द्वारा दिये जाने वाले पानी की जांच उच्च स्तरीय तकनीकी अधिकारियों की कमेटी जिसमें मैं स्वयं साथ रहूं से करवाना चाहती हूं। क्योंकि देखने में ये आया है कि जांच के समय जो पानी डोसिसन कम्पनी देती है वो पानी गांवों में नहीं दिया जाता है।

अत: माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि मातासुख जल परियोजना का जो पानी क्षेत्र में दिया जाता है वो सही पीने योग्य हो और पर्याप्त मात्रा में हो साथ ही निवेदन करना चाहूंगी कि अब तक इस परियोजना के तहत कितने गांवों में पानी पहुंचा है और कितने वंचित हैं गांवों के नामों की सूची भी उपलब्ध करावें और इस परियोजना पर ध्यान दिलावें ताकि आगामी गर्मी में जनता को राहत मिल सके।

मंजू देवी

(जायल)

परिशिष्ट-2

श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री का आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12 पर सामान्य वाद-विवाद के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखा गया उत्तर

अध्यक्ष महोदय,

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान विधान सभा में निम्नलिखित अवसरों पर मुझे प्रत्युत्तर देने में विपक्ष के द्वारा अवरोध पैदा किया गया। इस कारण मजबूरन गरिमामय तरीके से उत्तर नहीं दिया जा सका एवं आज चौथी बार ऐसा ही हो रहा है। मुझे मजबूरन अपना भाषण बीच में समाप्त कर सदन के पटल पर रखना पड़ रहा है।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 10 जनवरी, 2009 को माननीय मुख्यमंत्री का उत्तर नहीं हो सका।

वर्ष 2009-10 पर हुए सामान्य वाद-विवाद का उत्तर दिनांक 15 जुलाई, 2009 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शोरगुल में ही दिया जा सका।

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2009 पर राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाला उत्तर, विपक्ष के द्वारा व्यवधान किये जाने के कारण सदन की मेज पर दिनांक 28 जुलाई, 2009 को रखा गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्यों का सामान्य चर्चा में भाग लेने एवं सुझाव देने के लिए आभार।

मुझे खुशी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत बजट सभी के द्वारा सराहा गया है। मैं माननीय सदस्यों के साथ-साथ प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं, कि उनके द्वारा बजट प्रस्तावों की प्रशंसा की गई। इस अवसर पर माननीय सदन के माध्यम से मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने बजट को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। बजट के बाद, प्रदेश के सभी वर्गों के लोग मेरे सम्पर्क में आए हैं और यह खुशी की बात है कि उन सभी ने भी खुले मन से बजट प्रस्तावों की प्रशंसा की है।

आज के मेरे उत्तर में, सदन में गत दिनों उठाये गये प्रमुख मुद्दों, विशेषकर वित्त से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करूंगा। माननीय सदस्यों द्वारा उठायें गयें सभी बिन्दुओं को नोट किया गया है तथा इनका यथा-समय ध्यान रखा जाएगा। विभागों से संबंधित उठाये गए

'स्पेसिफिक इश्यूज' का, आगामी दिनों में, जब डिमांड्स पर चर्चा होगी, तब पुनः खुलासा करने का अवसर प्राप्त होगा।

बजट की प्राथमिकताएं

समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए मैंने इस बजट में, विभिन्न घोषणाएं एवं योजनाएं प्रस्तावित की हैं। साथ ही, मैंने इस बजट के माध्यम से, यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि राज्य के सभी वर्गों का समावेशी विकास (inclusive development) हो सके।

बजट में कतिपय क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सके एवं समाज के कमजोर वर्गों जैसे SC/ST, सहरिया, OBC, SBC, Disabled एवं महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों के हितों का ध्यान रखा जा सके। मैं इन thrust areas की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सड़कें एवं रेल मार्ग : वर्तमान में राज्य में सड़क निर्माण एवं upgradation के लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं।

राज्य के सभी हिस्सों को जोड़ने हेतु ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 1 हजार 530 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार 833 ढाणियों को सड़कों से जोड़ने के अतिरिक्त, हमने 1 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत की, ग्रामीण सड़कों की, एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। यह राशि, तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान एवं नाबार्ड से ऋण लेकर जुटायी जायेगी। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में लगभग 7 करोड़ रुपये के मिसिंग लिंक एवं रिकार्पेटिंग के कार्य करवाने से, राज्य के दूरदराज के इलाकों का, राज्य के बड़े कस्बों से बेहतर सम्पर्क सम्भव हो सकेगा।

इसी प्रकार, रतलाम-डूंगरपुर-बांसवाड़ा की रेल लाइन की लागत की आधी राशि वहन करने के राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णय से भी प्रदेश के पिछड़े इलाकों को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा।

ग्रामीण आवास : बजट में हमने ग्रामीण आवास पर भी विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश के पात्र बी.पी.एल. परिवारों को वर्तमान रफ्तार से मकान उपलब्ध कराने में दसियों वर्ष लग सकते थे। अत: हमने हुडको से आगामी तीन वर्षों में 3 हजार 400 करोड़ रुपये का ऋण लेकर 'मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना' संचालित करने की घोषणा की है। आगामी तीन वर्षों में राज्य में 'मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना' एवं इंदिरा आवास योजना के माध्यम से लगभग 5 हजार 145 करोड़ रुपये की लागत से, 10 लाख से अधिक ग्रामीण आवास उपलब्ध कराये जा सकेंगे। हमारे ग्रामीण बीपीएल परिवारों को इस प्रकार एक निश्चित समय में छत का आसरा (Right to Shelter) मिल सकेगा।

पिछड़े एवं कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान : हमने बजट में, ऐसे वर्गों पर विशेष ध्यान दिया है, जो अभी तक भी विकास के सम्पूर्ण लाभों से वंचित रहे हैं। बजट में जो विभिन्न पैकेज घोषित किये गये हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा:-

सहरियाओं हेतु पैकेज

विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु पैकेज

अल्पसंख्यकों हेतु पैकेज

नि:शक्तों हेतु पैकेज

निर्माण एवं खान श्रमिकों हेतु पैकेज

नवजीवन योजना के माध्यम से ऐसे लोगों हेतु पैकेज जो पारम्परिक रुप से असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं।

महिला शोषण एवं उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में।

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक संबल।

स्वतंत्रता सेनानी।

वरिष्ठ नागरिक।

गत दिनों NGOS के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् मेरा यह मत बना है कि ये संस्थायें, समाज के वंचित वर्गों को विकास के लाभ उपलब्ध कराने में, प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। इसी दृष्टि से मैंने बजट में

राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद का गठन करने एवं राज्य के विकास में इस परिषद का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का उल्लेख किया था।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य : राजकीय अस्पतालों में सभी मरीजों को 2 अक्टूबर, 2011 से आवश्यक दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा तथा साथ ही राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन का गठन, चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक सुधार लायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न घोषणाओं के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं के स्तर में सुधार किया जायेगा ताकि स्वास्थ्य मानकों में सुधार आये।

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के अन्तर्गत लगभग 65 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च किये जाकर बीपीएल परिवारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री सहायता कोष के माध्यम से चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने हेतु आय की पात्रता सीमा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये करने की बजट में घोषणा की गई है।

पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण : बजट में हमने पंचायती राज संस्थाओं को, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अतिरिक्त, संसाधनों के हस्तांतरण की स्पष्ट व्यवस्था की है। ऐसा कतिपय* करों एवं शास्तियों के हिस्से का पंचायती राज संस्थाओं को assignment के माध्यम से किया गया है, जो अन्य अनुदानों के अतिरिक्त होगा। पंचायती राज संस्थाओं को 5 विभाग हस्तांतरित करने के साथ-साथ हमने लगभग 1 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि भी उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया है।

*भू-राजस्व (रूपातंरण शुल्क सहित)

सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर पैनल्टी

चरागाह भूमि के अतिक्रमण पर पैनल्टी

अवैध खनन एवं खनिज क्षेत्र में अतिक्रमण पर पैनल्टी

खनिजों पर रायल्टी

पैट्रोलियम पर रायल्टी

शराब पर बिक्री कर

स्टाम्प शुल्क पर अधिभार

माल के प्रवेश पर कर

शहरी आधारभूत ढांचे का सुधार : शहरी आधारभूत ढांचे के सुधार पर भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। यह सही है कि अधिकतर शहरी स्थानीय निकायों के पास संसाधनों की कमी है। अत: हमने स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज, सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स, मोटर व्हीकल्स पर देय कर पर अधिभार तथा बिजली के उपभोग पर Urban cess के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को एवं राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फण्ड (RTIDF) में संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। RTIDF का उपयोग जयपुर मैट्रो एवं नगरीय परिवहन व्यवस्था हेतु किया जा सकेगा। शहरी स्थानीय निकायों को इस प्रक्रिया से संसाधन उपलब्ध करवाने से दूरगामी लाभ होंगे।

हमने बजट में 32 ROBs का विवरण दिया था जहां पर रेलवे के सहयोग एवं राज्य के संसाधनों से इनका निर्माण करवाया जायेगा।

जयपुर में मैट्रो रेल परियोजना की क्रियान्विति प्रारम्भ कर दी गई है, जिसका मैंने बजट में उल्लेख किया था। यह परियोजना जयपुर शहर हेतु एक बड़ी उपलब्धि सिद्ध होगी।

इसी प्रकार 311 करोड़ रुपये की लागत का नगरीय सीवरेज प्रोग्राम भी प्रभावी कदम सिद्ध होगा। राजीव आवास योजना के माध्यम से, विभिन्न कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे शहरी निर्धन लोगों के जीवन में आधारभूत परिवर्तन आ सकेगा।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित इन उपायों से हमारी, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, प्रतिबद्धता सिद्ध होती है।

रोजगार सृजन : लोगों को गरीबी से निजात दिलाने हेतु रोजगार सृजन एक प्रभावी उपाय है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि हमने शासन संभालने के पश्चात् राज्य क्षेत्र में लगभग 1 लाख 16 हजार पद सृजित किये हैं। इसके अतिरिक्त इस बजट के माध्यम से लगभग 44 हजार पद और सृजित होंगे। मैंने बजट भाषण में यह भी उल्लेख किया था कि नियुक्ति प्रक्रिया में जो कतिपय अड़चनें आयी थीं उनके कारण कुछ विलम्ब अवश्य हुआ एवं अब नियुक्ति-प्रक्रियाएं पुन: प्रारम्भ कर दी गई हैं। आगामी कुछ महीनों में इसके परिणाम आने लगेंगे।

राज्य सरकार एवं बोर्ड/निगमों में दो वर्षों में सीधी भर्ती:

वर्तमान स्थिति	सरकारी विभाग	बोर्ड/निगम	कुल
नियुक्त	16219	5177	21396
विज्ञापन जारी	8328	-	8328
परीक्षा घोषित	433	-	433
परीक्षा सम्पन्न	10723	1584	12307
साक्षात्कार घोषित	384	-	384
साक्षात्कार सम्पन्न	726	-	726
परिणाम घोषित	8211	-	8211
चयन प्रक्रियाधीन	2251	-	2251
प्रकरण लम्बित	62243	-	62243
कुल पद	**109518**	**6761**	**116279**

मंहगाई : मूल्यवृद्धि से, राज्य की जनता को जो परेशानी उठानी पड़ रही है, इस बजट में उसे दूर करने का भी हमने प्रयास किया है। माननीय सदस्यों को विदित है कि मूल्यवृद्धि, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक कारणों से होती है। एक संवेदनशील सरकार के नाते हमारा यह फर्ज है कि हम आम आदमी को मूल्यवृद्धि के दुष्प्रभावों से यथा-संभव दूर रखें। इस दृष्टि से आप देखेंगे कि बजट में हमने गेहूं, चावल, दाल एवं केरोसीन इत्यादि को वैट से मुक्त किया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे इन प्रयासों का राज्य की जनता ने स्वागत किया है। मैं समझता हूं कि मनोरंजन कर समाप्त करना राज्य की जनता को मनोरंजन हेतु नयी सौगात के रूप में मिला है।

निम्नानुसार जो राहतें दी गई हैं वे भी मंहगाई को देखते हुए ही दी गई हैं:-

- डेजर्ट कूलर्स पर कर दर 14 प्रतिशत से 5 प्रतिशत।
- LED lamps एवं रोटो मोल्डेड प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक पर 14 से 5 प्रतिशत।
- नई पंजीकृत स्टेट केरिज बसों के पंजीयन की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए पथकर में शत-प्रतिशत छूट।

- गृहणियों की रोजमर्रा की वस्तुएं करमुक्त।
- कृषि ट्रैक्टरों एवं Combined harvester को मोटर वाहन कर की अदायगी से पूर्णतया मुक्त।
- मोलेसेस की खरीद करने वाले पशु आहार उत्पादों के लिए मोलेसेस पर कर दर 20 प्रतिशत से 5 प्रतिशत।
- ताजा फल और सब्जियां पूर्णरूप से करमुक्त।

Good Governance : मेरा Good Governance पर सदैव बल रहा है। e-Governance इसी का एक हिस्सा है। हमारे द्वारा Tax Administration में जो सरलीकरण किया गया है, उसका लाभ मिला है व राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है। Tax Administration में पारदर्शिता लाने के उपाय हमारे Good Governance के commitment को दर्शाते हैं। साथ ही, Guaranteed Delivery of Public Services Act एवं Transparency Act लाने की बजट में जो घोषणा की गई है वह हमारी इसी सोच से प्रेरित है।

वित्तीय प्रबंधन: वास्तव में अच्छा वित्तीय प्रबंधन ही राज्य के आर्थिक विकास की मूल धुरी है। यह आवश्यक है कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन बनाये रखा जाये। हमारे राजस्व में जो बढ़ोतरी अपेक्षित है उसके आधार पर हम वित्तीय प्रबंधन में भी मजबूत हो सकेंगे। माननीय सदस्यों को विदित होगा कि वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप वर्ष 2009-10 हमारे लिए वित्तीय दृष्टि से कठिनाई का वर्ष रहा। वर्ष 2009-10 में जहां हमारा राजस्व घाटा 4 हजार 700 करोड़ रुपये था वो वर्ष 2010-11(RE) में 880 करोड़ रुपये ही रहना अनुमानित है। माननीय सदस्य इस बात से प्रसन्न होंगे कि वर्ष 2011-12 का बजट Revenue Surplus का बजट है तथा हमारा Gross Fiscal Deficit भी GSDP का 2.42 प्रतिशत ही रहना अनुमानित है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है।

राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे की तुलनात्मक स्थिति

Year	Revenue Deficit (-)/ Surplus(+)	Gross Fiscal Deficit	Gross Fiscal as % age of GSDP
1999-2000	- 3640	5361	6.48
2000-01	- 2634	4313	5.23
2001-02	- 3796	5748	6.26
2002-03	- 3934	6114	6.90
2003-04	- 3424	7367	6.60
2004-05	- 2143	6146	4.81
2005-06	+ 660	5150	3.62
2006-07	+ 638	3970	2.32
2007-08	+ 1653	3408	1.75
2008-09	- 827	6973	3.10
2009-10	- 4747	10299	4.03
2010-11 (BE)	- 1098	8461	2.79
2010-11 (RE)	- 889	7553	2.49
2011-12 (BE)	+ 353	8063	2.42

सरकार के पूर्व कार्यकाल एवं पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल की तुलना:-

दोनों अवधियां comparable नहीं हैं।

दोनों अवधियों में केन्द्र में भिन्न सरकारें थीं।

पूर्व कार्यकाल में, केन्द्र की नीतियों के कारण, अर्थव्यवस्था में मंदी, टैक्स ग्रोथ कम तथा ब्याज दरें अधिक थीं।

सभी राज्य राजस्व घाटे में थे और फिस्कल डेफिसिट भी बहुत अधिक था।

केन्द्रीय करों में राज्य को, वर्ष 2000 से 2004 की अवधि में ग्यारहवें वित्त आयोग के प्रोजेक्शन से 2738 करोड़ रुपये कम प्राप्त हुए।

पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में केन्द्र सरकार की नीतियों एवं अर्थव्यवस्था में उछाल के फलस्वरूप राज्यों को अधिक राशियां प्राप्त हुईं।

वर्ष 2005-06 से 2008-09 की अवधि में राज्य को बारहवें वित्त आयोग के projections से 4099 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुये।

वर्ष 2006-07 और 2007-08 में यदि राज्य को TFC के projections जितना ही केन्द्रीय करों में हिस्सा मिलता तो इन दोनों वर्षों में राज्य Revenue Deficit में रहा होता।

लगभग सभी राज्य, जो वर्ष 2004-05 तक रेवेन्यू डेफिसिट में थे, वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में रेवेन्यू सरप्लस में आ गये। इस अवधि में राज्यों के Cash Balances बैलेंस में भी अत्यधिक वृद्धि हुई।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय ऋणों कर 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर Consolidations किया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2005-06 से 2008-09 की अवधि में ब्याज भुगतान में 711 करोड़ रुपये की बचत हुई।

वर्ष 2009-10 में निम्नानुसार कारणों से राज्य पर Fiscal Stress रहा:-

वैश्विक मंदी का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।

छठा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से वेतन भत्तों, पेंशन एवं एरियर के भुगतान के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक मंदी से निपटने के लिए दिनांक 07 दिसम्बर 2008, 02 जनवरी, 2009 और 24 फरवरी, 2009 को तीन Stimulus Packages दिये गये। इन Packages में अन्य के अलावा निम्न सुविधायें दी गईं:-

सर्विस टैक्स में 2 प्रतिशत की कमी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 2 प्रतिशत की कमी।

राज्यों को Fiscal Consolidations Target में रियायत देते हुए अधिक ऋण लेने की छूट दी गयी। वर्ष 2008-09 में GFD को

GDPS के 3.5 प्रतिशत एवं 2009-10 में 4 प्रतिशत तक की सीमा में रखते हुए राज्यों को अधिक ऋण लेने की छूट दी गई, ताकि निवेश पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।

राज्यों को एकबारगीय सहायता के रूप में 30 जून, 2009 तक JNNURM के अन्तर्गत शहरी परिवहन हेतु बसों की खरीद हेतु सहायता उपलब्ध करवाई गई।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों हेतु 20 हजार करोड़ रुपये, Infrastructure एवं Social Security Scheme, जैसे PMGSY, JNNURM, NREGS, Indira Avas Yojana, AIBP तथा NSAP हेतु योजनामद से आबंटित की गई है।

घोषणायें

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुबंधित कर्मियों के मासिक मानदेय में निम्नानुसार बढ़ोतरी करने की मैं घोषणा करता हूं:-

सहायक	3000 रुपये से	3510 रुपये प्रतिमाह
ग्राम रोजगार सहायक	3500 रुपये से	4030 रुपये प्रतिमाह
डाटा एंट्री आपरेटर	4000 रुपये से	5330 रुपये प्रतिमाह

माही परियोजना के बांसवाड़ा स्थित रेस्ट हाउस को सर्किट हाउस में परिवर्तित किया जायेगा।

जयपुर में एक नये पर्यटन भवन का निर्माण किया जायेगा।

वर्तमान में माननीय विधायकों के आवास पुराने निर्मित हैं जिनके रख-रखाव पर काफी खर्चा (लगभग एक करोड़ 50 लाख रुपये प्रति वर्ष) हो रहा है। अत: हमने निर्णय लिया है कि प्रथम चरण में माननीय विधायकों हेतु 50 बहुमंजिले फ्लेट्स बनवाये जायेंगे। इन फ्लेट्स का निर्माण आगामी दो वर्षों में पूर्ण कर लिया जायेगा।

मैंने बजट में सभी प्रधानगणों हेतु वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। जिला प्रमुखों से भी ऐसी ही मांग आ रही है। अत: आगामी वर्ष में जिला परिषदों को भी एक-एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध करवाया जायेगा।

राजस्थान में 9,177 ग्राम पंचायतें, 10,040 पटवार मण्डल, 248 पंचायत समितियां एवं 244 तहसीलें कार्यरत हैं जिनका क्षेत्राधिकार समरूप (Co-terminus) नहीं होने एवं over lapping होने के कारण योजनाओं की क्रियान्विति, अभियान संचालन एवं विशेष आवश्यकताओं के सन्दर्भ में अनेक प्रशासनिक कठिनाइयों के साथ-साथ साधनों का अपव्यय भी होता है। अत: प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए तहसीलों एवं पंचायत समितियों तथा उसी प्रकार पटवार मण्डल एवं ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार को समरूप (Co-terminus) बनाये जाने की मैं घोषणा करता हूं।

कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिलों में माइनर इर्रिगेशन को बढ़ावा देने एवं वर्षा जल को व्यर्थ बहने से रोक कर उसका सिंचाई इत्यादि हेतु उपयोग करने के उद्देश्य से, नाबार्ड के सहयोग से लगभग 32 करोड़ रुपये की लागत से एनिकट्स का निर्माण करवाया जायेगा।

बांसवाड़ा जिले में स्थित माही परियोजना राजस्थान की एक महत्वपूर्ण वृहद् सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना की नहरों के सुदृढ़ीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है। अत: नहरों तथा अन्य स्ट्रक्चर्स की मरम्मत हेतु आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करने की मैं घोषणा करता हूं।

आगामी वर्ष इन्दिरा गांधी नहर के revamping हेतु 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करना प्रस्तावित है। इस धनराशि से अनूपगढ़ शाखा, राजस्थान फीडर एवं अन्य प्राथमिकता के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

संविधान के 74वें संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए, प्रथम चरण में प्रत्येक संभाग से एक शहर में पेयजल आपूर्ति का कार्य, नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत बीकानेर संभाग में श्रीगंगानगर, जोधपुर संभाग में जैसलमेर, कोटा संभाग में बूंदी, अजमेर संभाग में नागौर, भरतपुर संभाग में करौली, उदयपुर संभाग में नाथद्वारा एवं

जयपुर संभाग में चौमूं में पेयजल वितरण का कार्य शहरी निकायों को हस्तांतरित किया जायेगा।

वर्तमान में, प्रतिवर्ष 250 गाड़िया-लुहार परिवारों को कच्चा माल क्रय करने हेतु 1 हजार रुपये की दर से अनुदान दिया जा रहा है। आगामी वर्ष से 1 हजार गाड़िया-लुहार परिवारों को कच्चा माल क्रय करने हेतु 2,500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से अनुदान दिये जाने की मैं घोषणा करता हूं।

मैने बजट में महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत साथिनों एवं आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 250 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि प्रस्तावित की थी। अब मैं घोषणा करता हूं कि साथिनों एवं सहयोगिनियों के मानदेय में 250 रुपये के स्थान पर 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जायेगी।

सहकारी बैंकों द्वारा प्रतिवर्ष रबी एवं खरीफ की फसलों हेतु फसली ऋण दिया जाता है, जिसकी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिकतम साख सीमा, नहरी क्षेत्रों में 60 हजार रुपये एवं अन्य क्षेत्रों में 50 हजार रुपये है। यह सीमा वर्ष 2004 में निर्धारित की गयी थी। इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मैं घोषणा करता हूं।

राजस्थान लोक सेवा आयोग में इस समय काफी संख्या में पदों हेतु चयन प्रक्रिया चल रही है। अतः आयोग के बढ़े हुए कार्यभार को देखते हुए हमने आयोग में दो और सदस्यों के पद सृजित करने का निर्णय लिया है।

राज्य में संचालित 83 फास्टट्रेक न्यायालयों हेतु केन्द्रीय अंशदान अप्रैल 2011 से अनुमत नहीं होगा। इन न्यायालयों की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए, 43 फास्टट्रेक न्यायालयों को निरन्तर रखने का निर्णय लिया गया है। इनमें से दस फास्टट्रेक न्यायालय उन स्थानों पर संचालित किये जायेंगे, जहां मोटर दुर्घटना दावों के कार्य अधिक हैं। शेष 33 न्यायालय कार्यभार को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर संचालित किये जायेंगे।

बजट भाषण पर हुई चर्चा पर माननीय मुख्य मंत्री का जवाब— 15.03.2011

1. बजट भाषण पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा राज्य के नागरिकों को दी गई विभिन्न कर राहतों मुख्यत: दाल, गेहूं, चावल व PDS के माध्यम से वितरित केरोसीन के सम्बन्ध में की गयी सकारात्मक चर्चा का, मैं धन्यवाद देता हूं। चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा कुछ और वस्तुओं पर कर दर में राहत देने के सुझाव भी दिये गये हैं। मैंने प्रयास किया है कि, बजट भाषण पर हुई चर्चा के जवाब में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को अधिकाधिक रूप में शामिल किया जाये।

2. राज्य के लीज होल्डर्स को राहत देने के उद्देश्य से स्थानीय निकाय, मण्डल, प्राधिकरण आदि की तरफ बकाया लीज राशि के ब्याज में छूट दिया जाना प्रस्तावित है। मैं प्रस्तावित करता हूं कि, यदि अब तक की बकाया लीज राशि ही जमा करायी जाती है तो देय ब्याज राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। साथ ही यदि वर्तमान बकाया एवं आगामी समस्त वर्षों की देय लीज राशि एक मुश्त जमा करायी जाती है तो बकाया लीज राशि के ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। इस हेतु दिनांक 30 अप्रैल, 2011 तक आवेदन करना तथा 30 जून, 2011 तक लीज राशि को जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

3. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 में टैण्ट हाउस डीलर्स के लिये एक कम्पोजिशन स्कीम जारी की गई थी, जो 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो चुकी है। टैण्ट हाउस डीलर्स द्वारा इस स्कीम को भूतलक्षी प्रभाव से जारी रखने की मांग की गयी है। अत: ऐसे डीलर्स की मांग को स्वीकार करते हुए, मैं इस स्कीम को जारी रखने की घोषणा करता हूं।

4. मैंने पिछले दो बजट में प्रथम अपील के शीघ्र निस्तारण हेतु व्यवस्थाएं की थीं, जिसके हमें सार्थक परिणाम मिले हैं। वर्तमान में कर बोर्ड में लगभग छह हजार आठ सौ लम्बित अपीलों के निस्तारण हेतु बोर्ड में सदस्य बढ़ाये जाने की उद्योग एवं व्यापार जगत ने मांग की है। अत: मैं राजस्थान कर बोर्ड में 2 नवीन सदस्य लगाया जाना प्रस्तावित करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे व्यापारियों के लम्बित वादों का निस्तारण शीघ्र हो सकेगा।

5. मेरे द्वारा वर्तमान बजट प्रस्तावों में कतिपय वस्तुओं पर प्रवेश कर एवं वैट की दोहरी कर व्यवस्था की गयी थी, इस सम्बन्ध में मेरी जानकारी में लाया गया है कि व्यापार जगत को ऐसी कुछ वस्तुओं पर कर देयता के बारे में भ्रांतियां हैं। मैं यह पुन: स्पष्ट करता हूं कि बजट घोषणा के अनुरूप जिन

वस्तुओं पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर देय था तथा वैट चुकाने पर भी प्रवेश कर से छूट नहीं थी, केवल उन्हीं वस्तुओं पर ही वैट पर 15 प्रतिशत की गयी है, किसी भी अन्य वस्तु पर नहीं।

वैट दरों में राहत

6.   अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा बजट भाषण में दैनिक जीवन में काम आने वाली कुछ वस्तुओं को भी वैट से छूट प्रदान की गई थी। इसी क्रम में मैं लोहे से बनी वस्तुएं यथा बक्सा, मिल्क केन, छाजला, सांकल, बाल्टी व कोठी को भी करमुक्त करने की घोषणा करता हूं।

7.   राज्य के सीमेण्ट टाइल निर्माताओं को राहत देते हुए, मैं सीमेण्ट कोंकरीट मोजेक टाइल्स पर कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं।

8.   सदन में चर्चा के दौरान, माननीय सदस्य श्री भगवान सहाय सैनी द्वारा हैण्ड मेड पेपर के व्यवसाइयों के हितों को देखते हुए हैण्ड मेड पेपर तथा उसके उत्पादों को वैट से मुक्त करने की मांग की गई है। हैण्ड मेड पेपर उद्योग पर्यावरण के अनुकूल है तथा राज्य की पहचान भी बन चुका है। अत: मैं इस उद्योग को राहत देते हुए हैण्ड मेड पेपर एवं उसके उत्पादों को करमुक्त करने की घोषणा करता हूं।

9.   बजट प्रस्तावों में मैंने लोहे की बाडी से बने डेजर्ट कूलर्स पर कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की थी। माननीय सदस्यों द्वारा अन्य प्रकार के कूलरों पर भी कर दर घटाने की मांग की गई है। अत: मैं सभी प्रकार के डेजर्ट कूलर एवं रूम कूलर पर कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं।

10.   मैंने अपने बजट भाषण में रज़ाई उद्योग को राहत देते हुए रजाइयों को करमुक्त किया था। राज्य के कामगारों को और अधिक राहत देते हुए अब मैं रज़ाई के साथ-साथ हाथ से बने हुए रुई के गद्दों व तकियों को भी वैट से पूर्ण मुक्त करने की घोषणा करता हूं।

11.   मैंने अपने बजट भाषण में हस्तनिर्मित ऊनी गलीचे को करमुक्त करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में राज्य के कामगारों को और अधिक राहत देते हुए मैं समस्त प्रकार के हस्त निर्मित गलीचों तथा ऐसे गलीचा निर्माताओं द्वारा उनमें इस्तेमाल होने वाले समस्त प्रकार के धागों की खरीद को करमुक्त करने की घोषणा करता हूं।

12. चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा दाल व चावल को वैट से मुक्त करने के फलस्वरूप बेसन को भी करमुक्त करने की बात उठाई गई है।

13. मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि बेसन के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 9.3.2011 को ही जारी की जा चुकी है, जिसमें सभी प्रकार की दालों के साथ-साथ बेसन को कर मुक्त कर दिया गया है।

14. माननीय सदस्य श्री गुलाबचन्द कटारिया द्वारा सदन में चर्चा के दौरान कहा गया है कि वैट में की गयी कमी का फायदा उपभोक्ताओं की बजाय व्यापारियों को ज्यादा हआ है। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि बजट प्रस्तावों में गेहूं, चावल व PDS के माध्यम से वितरित केरोसीन को वैट से मुक्त करने के पश्चात् खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा इन वस्तुओं की संशोधित दरें 9.3.2011 को ही जारी कर दी गयी हैं। वर्तमान में यह वस्तुएं कम कीमत पर उपभोक्ताओं को राशन की उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध हो रही हैं। कर से छूट के पश्चात् ए.पी.एल. उपभोक्ताओं के लिये गेहूं की प्रति क्विंटल विक्रय दर में 30 रुपये व चावल की विक्रय दर में 50 रुपये की कमी आई है। PDS के माध्यम से वितरित केरोसीन की दर में 50 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है।

15. किसानों तथा उद्योग एवं व्यापार जगत द्वारा चावल की कर मुक्ति के पश्चात् धान (Paddy) को भी वैट से मुक्त करने की मांग की गई है। अत: मैं, उनकी मांग पर धान (Paddy) को भी वैट से मुक्त करने की घोषणा करता हूं।

16. चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किये गये हैं कि गेहूं व चावल को वैट से मुक्त किये जाने के पश्चात् आटा, मैदा व सूजी को भी करमुक्त किया जाना चाहिये।

17. गेहूं, दाल व चावल मुख्य भोजन का हिस्सा हैं जिन्हें मैंने करमुक्त करने की घोषणा की है। भोजन के साथ नाश्ता भी जीवन का आवश्यक अंग है तथा करमुक्त वस्तुओं यथा दूध, ब्रेड, पोहा, बेसन आदि के साथ मैदा व सूजी से बनी वस्तुएं भी नाश्ते में प्रयुक्त होती हैं। अत: मैं मैदा व सूजी को भी करमुक्त करने की घोषणा करता हूं।

18. इसके साथ ही माननीय सदस्यों के विचारों का सम्मान करते हुए मैं अब राज्य के नागरिकों के हित में गेहूं का आटा, गेहूं का फोर्टीफाइड आटा एवं चोकर (Wheat Bran) को भी वैट से मुक्त करने की घोषणा करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस छूट का सभी माननीय सदस्य स्वागत करेंगे।

19. अध्यक्ष महोदय, हर्ष और उल्लास से भरपूर रंगों का त्यौहार होली

निकट है। मैं, राज्य के नागरिकों और माननीय सदस्यों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए गुलाल व पिचकारी को करमुक्त करना प्रस्तावित करता हूं।

20. मेरे आज के प्रस्तावों द्वारा 35 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई है। इस प्रकार अभी तक मैने 290 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी है।

21. मैंने इस वर्ष आम नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं पर कर से राहत प्रदान करने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई कर राहतें आम आदमी तक अवश्य पहुंचेगी तथा इन राहतों का असर कीमतों में कमी के रूप में देखने को मिलेगा।